हिमाचल प्रदेश सरकार

जन अधिकार पुस्तिका

योजना विभाग

हिमाचल प्रदेश

शिमला-2

जय राम ठाकुर
मुख्य मन्त्री
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार

सन्देश

प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी हेतु स्वर्णिम हिमाचल दृष्टिगत के अनुरूप ''जन अधिकार पुस्तिका'' प्रदेश की जनता को समर्पित है।

इस पुस्तिका में केन्द्र व राज्य द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त इस पुस्तिका में उन अधिकारियों का भी वर्णन है जिन्हें सम्पर्क करके इन योजनाओं के बारे और विस्तृत जानकारी लेकर इन योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। मेरा विश्वास है कि 'जन अधिकार पुस्तिका' प्रदेश की आम जनता के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।

मैं समस्त प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ कि इन कल्याणकारी योजनाओं का अपने क्षेत्र के चहुँमुखी विकास हेतु भरपूर लाभ उठाएं।

जय राम ठाकुर

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विभाग/योजना का नाम		पृष्ठ संख्या
I	**कृषि विभाग**		**1-11**
	(1)	सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कुशल सिंचाई योजना	1
	(2)	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल अन्य गतिविधियाँ	1-2
	(3)	जल से कृषि को बल योजना	2
	(4)	प्रवाह सिंचाई योजना	3
	(5)	उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण एवं बोरवैल योजना	3-4
	(6)	डा0 वाई0 एस0 परमार किसान स्वरोजगार योजना (RIDF)	4
	(7)	मुख्यमंत्री ग्रीनहाउस नवीकरण योजना	5
	(8)	मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना	6
	(9)	उत्तम चारा उत्पादन योजना	6
	(10)	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना	6-7
	(11)	कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (आत्मा)	7-8
	(12)	राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम	8
	(13)	सौर सिंचाई योजना	9
	(14)	मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना	9-10
	(15)	मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना	10-11
	(16)	प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना	11
II	**प्रारम्भिक शिक्षा विभाग**		**12-18**
	(1)	अटल निर्मल जल योजना (कक्षा 1 से 8)	12
	(2)	प्री-मैट्रिक छात्रवृति (अस्वच्छ व्यवसाय)	12
	(3)	अल्पसंख्यक समुदाय से संबन्धित बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	12-13
	(4)	प्री- मैट्रिक दिव्यांगता छात्रवृति (कक्षा 9 से 10 तक)	13
	(5)	पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (अनुसूचित जाति) (कक्षा 1 से 5 तक)	14
	(6)	बी0 पी0 एल0/ आई0 आर0 डी0 पी0 छात्रवृति योजना (कक्षा 1 से 8 तक)	14
	(7)	मेधावी छात्रवृति योजना (कक्षा 6)	15
	(8)	सशस्त्र सेना में युद्ध के दौरान मारे गये अथवा दिव्यांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति (कक्षा 1 से 5 तक)	15
	(9)	अटल स्कूल वर्दी योजना (कक्षा 1 से 12 तक)	15-16
	(10)	मुफ्त पाठ्य पुस्तकें योजना (कक्षा 1 से 8 तक)	16
	(11)	अनुसूचित जाति (आई0 आर0 डी0 पी0/ बी0 पी0 एल0) के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क लेखन सामाग्री (कक्षा 1 से 5 तक)	17
	(12)	अटल आदर्श विद्यालय योजना	17-18
	(13)	मध्याह्न भोजन योजना (कक्षा 1 से 8 तक)	18
III	**पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**		**19**
	(1)	पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार	19
IV	**मत्स्य पालन विभाग**		**19-28**
	(1)	बचत एवम् राहत योजना	19-20
	(2)	दुर्घटना बीमा योजना (प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना की पद्धति पर)	20
	(3)	मछुआरों व मत्स्य पालकों हेतु प्रशिक्षण शिविर योजना	20-21
	(4)	तालाब नव निर्माण हेतु सहायता योजना (स्लूस गेट जलापूर्ति हेतु निर्माण कार्य तथा वायु संचारण, आहार भंडार)	21
	(5)	तालाब मुरम्मत, पुनरुधार हेतु सहायता योजना	22
	(6)	रियरिंग तालाब नव निर्माण हेतु सहायता योजना	22
	(7)	प्रथम वर्षीय आदानो हेतु सहायता योजना (बीज, खुराक, खाद व परिवहन)	23

क्र.सं.	विभाग/योजना का नाम		पृष्ठ संख्या
	(8)	कार्प हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना	23
	(9)	ट्राउट इकाई निर्माण हेतु सहायता योजना	24
	(10)	ट्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना	24
	(11)	ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना	24-25
	(12)	आदर्श मछुआरा आवास योजना	25
	(13)	फीड मील निर्माण (ट्राउट व कार्प)	25-26
	(14)	रिटेल फिश आउटलेट	26
	(15)	गिल जाल आबंटन	26-27
	(16)	रिस्क फण्ड योजना	27
	(17)	अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँव में सामुदायिक तालाब निर्माण/ पुनरुधार	27-28
	(18)	प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए	28
	(19)	मत्स्य पालन तालाब निर्माण जन जाति वर्ग के लिए	28
V	**खाद्य, नागरिक आपूर्ती एवं उपभोक्ता मामले विभाग**		**28-32**
	(1)	हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना।	28-29
	(2)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन0एफ0एस0ए0)	29-30
	(3)	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन0एफ0एस0ए0) के अलावा अर्थात ए0पी0एल0 परिवार	30-31
	(4)	हिमाचल प्रदेश राज्य विशेष अनुदानित योजना	31-32
VI	**उच्च शिक्षा विभाग**		**32-52**
	(1)	डा0 अम्बेदकर मेधावी छात्रवृतिः अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए योजना	32-33
	(2)	स्वामी विवेकानन्द छात्रवृति योजना	33
	(3)	ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना	34
	(4)	महर्षि वाल्मीकि छात्रवृति योजना	34
	(5)	इन्दिरा गांधी उत्कृष्ठ छात्रवृति योजना +2 श्रेणी	35
	(6)	राष्ट्रीय इडियन मिलिट्री कालेज छात्रवृति योजना आर0आई0एम0सी0	35
	(7)	आई0आर0डी0पी0 छात्रवृति योजना	35-36
	(8)	सैनिक स्कूल छात्रवृति	36
	(9)	कल्पना चावला छात्रवृति योजना	37
	(10)	मुख्य मन्त्री प्रोत्साहन योजना	37
	(11)	मुख्य मन्त्री ज्ञानदीप योजना	38
	(12)	विभिन्न युद्धों के दौरान मारे गए /अपंग हुए सशस्त्र सेना कार्मिकों के बच्चों के लिए छात्रवृति	38
	(13)	एन0डी0ए0 छात्रवृति योजना	39
	(14)	अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जाति की छात्राओं को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के लिए अनुदान योजना	39-40
	(15)	अनुसूचित जाति वर्ग के लिये पूर्व-मैट्रिक छात्रवृति योजना (कक्षा 9वीं एवं 10वीं)	40
	(16)	अनुसूचित जन-जाति वर्ग के लिये पूर्व-मैट्रिक छात्रवृति योजना कक्षा 9वीं एवं 10वीं	40-41
	(17)	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये पूर्व-मेट्रिक छात्रवृति योजना कक्षा पहली से 10वीं	41
	(18)	अनुसूचित जाति वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना	41-42
	(19)	अनुसूचित जन-जाति वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना	42
	(20)	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना	43
	(21)	अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जाति के छात्र छात्राओं को योग्यतास्तर बढ़ाने की योजना	43-44
	(22)	अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मैरिट-कम-मीन्ज छात्रवृति योजना	44
	(23)	अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना	44-45
	(24)	शारीरिक रुप से अक्षम विकलांग छात्र छात्राओं के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना	45

क्र.सं.	विभाग/योजना का नाम		पृष्ठ संख्या
	(25)	विमुक्त एंव घुमंतू (नोमैडिक छात्र छात्राओं के लिए मैट्रिकोत्तर डा0 अम्बेदकर छात्रवृति योजना	46
	(26)	आर्थिक रुप से कमजोर छात्र छात्राओं के लिए डा0 अम्बेदकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना	46-47
	(27)	विकलांग छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृति	47
	(28)	विकलांग छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृति योजना राष्ट्रीय फंड	47-48
	(29)	मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना (अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिए)	48
	(30)	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा	48-49
	(31)	राष्ट्रीय साधन एंव पात्रता योजना	49
	(32)	श्री निवासा रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना	50
	(33)	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें योजना	50
	(34)	व्यावसायिक में स्नातक डिग्री प्रोग्राम (बी0 वॉक डिग्री प्रोग्राम)	50-51
	(35)	राष्ट्रीय सेवा योजना	51
	(36)	सैनिटरी नैपकिन इंसीनरेटर योजना	51
	(37)	मेधा प्रोत्साहन योजना	52
VII	**हि0प्र0 विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद्**		**52-53**
	(1)	युवा विज्ञान पुरस्कार योजना	52
	(2)	आंशिक यात्रा समर्थन योजना	52-53
VIII	**सूचना प्रौद्योगिकी विभाग**		**53-55**
	(1)	आधार एवं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर	53
	(2)	लोक मित्र केन्द्र	53
	(3)	ई-जिला एमएमपी	54
	(4)	ई-प्रोक्योरमेंट	54
	(5)	मुख्यमंत्री सेवा संकल्प	54-55
IX	**भू अभिलेख एवं चकबंदी विभाग**		**55-56**
	(1)	डिजिटल इंडिया भू - अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)	55
	(2)	भू-एकत्रीकरण	55-56
X	**पुलिस विभाग**		**56-62**
	(1)	संरक्षण योजना	56
	(2)	विश्वास योजना	56
	(3)	सहयोग योजना	57
	(4)	समर्थ योजना	57
	(5)	मैत्री योजना	58
	(6)	गुडिया हैल्पलाइन व शक्ति बटन एप्प	58
	(7)	होशियार सिंह हैल्पलाइन	59
	(8)	लोक सेवा गारन्टी अधिनियम-2011	59
	(9)	पुलिस कैडेट योजना	59-60
	(10)	थाना स्तर पर नशा निवारण समितियों का गठन	60
	(11)	पीड़ित महिलाओं/यौन उत्पीड़न व अन्य अपराध, मुआवजा योजना, 2018	60-61
	(12)	हिमाचल प्रदेश (अपराध से पीडित व्यक्ति) प्रतिकर स्कीम, 2019 है	61-62
XI	**युवा सेवाएं एवं खेल विभाग**		**62-66**
	(1)	उत्कृष्ट खिलाडियों को नकद पुरुस्कार से सम्मानित करना	62-63
	(2)	युवा सेवा एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा संचालित खेल छात्रावास उना तथा बिलासपुर में उदीयमान खिलाडियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना	63
	(3)	खिलाडियों के लिए कल्याण निधि	63
	(4)	उत्कृष्ट खिलाडियों को सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण	63-64

क्र.सं.	विभाग/योजना का नाम		पृष्ठ संख्या
	(5)	युवा स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत युवाओं को कंप्यूटर/ मोबाइल रिपेयर में प्रशिक्षण	64
	(6)	नोडल क्लब योजना	65
	(7)	युवा मण्डलों/स्वयं सेवी संस्थाओं को सहायतानुदान	65
	(8)	राज्य स्तरीय युवा उत्सव	66
XII	**पशुपालन विभाग**		**67-72**
	(1)	"डेयरी उद्यमी विकास योजना"	67
	(2)	गर्भित गाय/ भैंस के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत पशु आहार योजना	67-68
	(3)	गर्भित गाय/ भैंस के लिए सामान्य श्रेणी के बी०पी०एल० परिवारों के लिए पशु आहार योजना	68
	(4)	भेड़ पालकों को मेंढे प्रजनन हेतु वितरित करना	68
	(5)	कृषक बकरी पालन योजना	69
	(6)	Innovative Poultry Productivity Project (IPPP)- LIT योजना (NLM)	69
	(7)	Innovative Poultry Productivity Project (IPPP)- ब्रायलर योजना (NLM)	70
	(8)	200- चूजे योजना (अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत)	71
	(9)	5000- ब्रायलर फार्म योजना	71
	(10)	उत्तम पशु पुरस्कार योजना	72
XIII	**आयुर्वेदा विभाग**		**72-73**
	(1)	राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं राज्य बजट /औषधि क्रय	72-73
XIV	**भवन निर्माण एवं सन्निर्माण कामगार बोर्ड**		**73-78**
	(1)	मातृत्व पितृत्व प्रसुविधा (दो माह सदस्यता)	73
	(2)	मृत्यु प्रसुविधा (लाभ) (सदस्यता)	73-74
	(3)	अन्तिम संस्कार हेतु सहायता	74
	(4)	चिकित्सा सहायता	74-75
	(5)	शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता (दो माह सदस्यता)	75
	(6)	शादी हेतु वित्तीय सहायता (दो माह सदस्यता)	75-76
	(7)	महिला साईकिल (दो माह सदस्यता)	76
	(8)	इंडक्शन हीटर (दो माह सदस्यता	76-77
	(9)	सोलर लैम्प	77
	(10)	प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधान मन्त्री सुरक्षा बीमा योजना (सदस्यता 18 से 60 वर्ष की उम्र)	77-78
	(11)	पैंशन सुविधा	78
XV	**अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग**		**79-81**
	(1)	वृद्धावस्था पैन्शन योजना (राज्य संचालित योजना)	79
	(2)	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैन्शन योजना (केंद्र संचालित)	80
	(3)	मकान निर्माण हेतु अनुदान	80-81
	(4)	अनुवर्ती कार्यक्रम	81
XVI	**वन विभाग**		**81-84**
	(1)	टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत एग्रोफोरेस्ट्री पर उप मिशन (SMAF)	81-82
	(2)	विद्यार्थी वन मित्र योजना	82
	(3)	सामुदायिक वन संवर्धन योजना	82-83
	(4)	वन समृद्धि जन समृद्धि योजना	83
	(5)	विभाग की प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण	84
	(6)	इमारती लकड़ी वितरण	84

क्र.सं.		विभाग/योजना का नाम	पृष्ठ संख्या
XVII	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**		**85-103**
	1.	जननी सुरक्षा योजना	85
	2.	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	85-86
	3.	प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान	86
	4.	मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवाई योजना	86-87
	5.	नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (एनीमिया मुक्त)	87
	6.	पोषण पुनर्वास केंद्र	87-88
	7.	एस एन सी यू Sick Newborn Care Unit	88
	8.	सार्वभौमिक टीकाकरण	88-89
	9.	कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक के नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS)	89
	10.	राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा	89
	11.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम	89-90
	12.	प्रदेश के दूरदराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाएं	90-91
	13.	व्यापक काल सेंटर (104)	91-92
	14.	संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग टी॰ बी॰ नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP)	92
	15.	मुस्कान परियोजना	92
	16.	मुख्य मंत्री क्षय रोग निवारण योजना	93
	17.	बहु उद्देश्य शल्य चिकित्सा शिविर	93
	18.	परिवार नियोजन	93-94
	19.	राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम	94-95
	20.	एच0 आई0 वी0/ एड्स के साथ जी रही महिलाओ के नवजात शिशु को एक वर्ष तक मुफ्त दूध पाउडर	95
	21.	एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों के बच्चों/एड्स के कारण अनाथों के लिए आर्थिक सहायता	96
	22.	एच0 आई0 वी0/ एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों को एंटि रेट्रोवायरल थैरेपी (ART Centre) में उपचार के लिए आने जाने का बस पास/किराया	96-97
	23.	पोषक आहार सहायता (Nutritional Support Scheme)	97
	24.	आयुष्मान भारत –प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना	97-98
	25.	हिमाचल हैल्थ केयर योजना – हिमकेयर	98-99
	26.	एड्स के साथ जी रहें व्यक्तियों को 1500/रु प्रतिमाह आर्थिक सहायता	99
	27.	स्वास्थ्य में सहभागिता योजना	100
	28.	अटल आशीर्वाद योजना	100-101
	29.	मुख्यमंत्री निरोग योजना (केन्द्र और राज्य प्रायोजित)	101
	30.	सहारा योजना	101
	31.	एच॰ आई॰ वी॰ पॉज़िटिव लोगों के लिए मुफ्त जांच व दवाई उपलब्ध करवाना	102
	32.	इन्दिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना	102-103
XVIII	**हि0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0**		**103-107**
	(1)	कौशल विकास योजना	103
	(2)	शैक्षणिक स्तर सुधार	103
	(3)	प्रशिक्षण व जागरुकता शिविर का आयोजन	104
	(4)	समुदाय सशक्तिकरण	104
	(5)	खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन	104-105
	(6)	छात्रो के लिये प्रतियोगिताओ का आयोजन	105
	(7)	स्वरोजगार योजना	105
	(8)	चिकित्सा कोष योजना	105-106
	(9)	जनजातीय क्षेत्रों मे वन अधिकारो की अदायगी	106
	(10)	लघु खनिज के बदले भुगतान	106

क्र.सं.	विभाग/योजना का नाम		पृष्ठ संख्या
	(11)	फसलो के नुकसान का मुआवज़ा	107
XIX	**हि0प्र0 विद्युत बोर्ड लि0**		**107-109**
	(1)	बिजली कनैक्शन प्राप्त करना	107
	(2)	बिजली की समस्या बारे शिकायतें	107-108
	(3)	ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान	108
	(4)	मुख्य मंत्री रोशनी योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना	108-109
XX	**उद्यान विभाग**		**109-115**
	(1)	एकीकृत बागवानी विकास योजना	109
	(2)	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	110
	(3)	मधु मक्खी पालन स्कीम (राज्य योजना)	110
	(4)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	111
	(5)	खुम्ब विकास कार्यक्रम (राज्य योजना)	111-112
	(6)	उद्यान विकास कार्यक्रम (राज्य योजना)	112
	(7)	उद्यान प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम	112-113
	(8)	फल विधायन कार्यक्रम (राज्य योजना)	113
	(9)	पौध संरक्षण कार्यक्रम (राज्य योजना)	113
	(10)	उद्यान विपणन एवं गुण नियन्त्रण कार्यक्रम	114
	(11)	पौध पोषण कार्यक्रम (राज्य योजना)	114
	(12)	हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना	115
	(13)	मुख्यमंत्री मधु विकास योजना 2018-19	115
XXI	**भूतपूर्व सैनिक निगम**		**116-118**
	(1)	स्वरोजगार योजनाओं के लिए ऋण	116
	(2)	सीमेंट/क्लिंकर की ढुलाई का कार्य	116
	(3)	सुरक्षा सेवाऐं उपलब्ध करवाना	117
	(4)	पूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों के बच्चों को SSB की कोचिंग प्रदान करना	117
	(5)	पूर्व सैनिकों के बच्चों को JEE/Engineering/NEET/Medical कोर्स में प्रवेश के लिए क्रैश कोर्स करवाना	118
XXII	**हि0 प्र0 पर्यटन विकास निगम**		**118-119**
	(1)	विशेषाधिकार कार्ड	118
	(2)	“हुनर से रोजगार तक” (गरीब वर्ग बेरोजगारों के लिए)	119
XXIII	**उद्योग विभाग**		**119-124**
	(1)	मुख्यमंत्री स्टॉर्टअप/इनोवशन/नए उद्योग योजना	119-120
	(2)	राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन	120
	(3)	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (वस्त्र मंन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	121
	(4)	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।	121-122
	(5)	सैन्ट्रल सैक्टर स्कीम	122
	(6)	जनजाति उप योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के किसानों का सशक्तिकरण	122-123
	(7)	सैरीकल्चर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के किसानों का सशक्तिकरण	123
	(8)	राज्य उत्प्रेरक विकास योजना	123-124
	(9)	मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना	124
XXIV	**सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग**		**125-126**
	(1)	कमांड विकास क्षेत्र व जल प्रबन्धन कार्यक्रम (CADWM)	125
	(2)	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	125

क्र.सं.	विभाग/योजना का नाम		पृष्ठ संख्या
	(3)	पेयजल कनैक्शन प्रदान करना।	126
	(4)	मल निकासी कनैक्शन।	126
XXV	**श्रम एवं रोजगार विभाग**		**127-130**
	(1)	कौशल विकास भत्ता योजना,2013	127
	(2)	बेरोजगारी भत्ता योजना 2017	128
	(3)	औधोगिक कौशल विकास भत्ता योजना,2018	129
	(4)	प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन	130
XXVI	**भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग**		**130-137**
	(1)	आवर्ती निधि से धार्मिक संस्थानों की पूजा-अर्चना एवं रख-रखाव हेतु अनुदान योजना	130-131
	(2)	धार्मिक संस्थानों/ पुरातात्विक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के लिए सहायतानुदान योजना-12	131-132
	(3)	परियोजना-2 लोक कलाओं हेतु सहायतानुदान परियोजना	132
	(4)	परियोजना - 3 साहित्यिक/ सांस्कृतिक/ कला/ गोष्ठी/ सम्मेलन/ समारोह हेतु सहायतानुदान (सरकार के पत्र संख्याः भाषा-क(3)10/80, दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा	133
	(5)	योजना -11 ललित कला में छात्रवृत्ति के लिए योजना	133-134
	(6)	परियोजना -19 फिल्म बनाने को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।	134-136
	(7)	राज्य अभिलेखागार, भाषा एवं संस्कृति विभाग शिमला-09 केन्द्रीय वित्तीय सहायता सहायतानुदान योजना	136
	(8)	आज पुरानी राहों से (प्रस्तावित)	136-137
	(9)	देव भूमि दर्शन योजना	137
XXVII	**गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत**		**138-139**
	(1)	सौर फोटोवोल्टीय कार्यक्रम (ग्रिड से जुडा छत पर लगने वाला सौर पावर पलांट)	138
	(2)	सौर थर्मल कार्यक्रम- सौर जल तापीय संयंत्र	138
	(3)	सौर थर्मल कार्यक्रम- सौर जल तापीय संयंत्र (सोलर गीजर)	138-139
	(4)	सौर उष्मीय कार्यक्रम डिश कुकर व केन्द्रित सौर प्रोघौगिकी सौर उर्जा से उत्पन्न भाप से खाना पकाना	139
XXVIII	**पंचायती राज विभाग**		**140**
	(1)	जन्म-मृत्यु विवाह पंजीकरण व इससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों को जारी करने सम्बन्धी सेवाएं।	140
XXIX	**योजना विभाग**		**140-142**
	(1)	क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन	140.141
	(2)	विकास में जन सहयोग	141
	(3)	मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना	141-142
	(4)	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना	142
	(5)	हिमाचल प्रदेश राज्य इनोवेशन अवार्ड स्कीम	142
XXX	**ग्रामीण विकास विभाग**		**143-145**
	(1)	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण	143
	(2)	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	143-144
	(3)	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना	144-145
XXXI	**सैनिक कल्याण विभाग**		**145-159**
	(1)	अनुग्रहपूर्वक अनुदान राशि	145-146
	(2)	सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि से आर्थिक सहायता (विभागीय स्तर पर झण्डा दिवस निधि से संचालित)	146
	(3)	सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि से तत्काल आर्थिक सहायता (विभागीय स्तर पर झण्डा दिवस निधि से संचालित)	147

क्र.सं.	विभाग/योजना का नाम		पृष्ठ संख्या
	(4)	पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माण विशेष निधि से आर्थिक सहायता (विभागीय स्तर पर पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माण विशेष निधि से संचालित)	147
	(5)	पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माण विशेष निधि से चिकित्सा व्यय हेतु आर्थिक सहायता (विभागीय स्तर पर पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माण विशेष निधि से संचालित)	147-148
	(6)	पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माण विशेष निधि से पूर्व सैनिकों के आश्रित अनाथ बच्चों के पैन्शन स्वीकृति तक भरन पोषण के लिए एकमुश्त आर्थिक सहायता (विभागीय स्तर पर विशेष निधि से संचालित)	148
	(7)	पूर्व सैनिकों तथा सैनिक विधवाओं के बच्चों को पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माण विशेष निधि से छात्रवृति (विभागीय स्तर पर पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माण विशेष निधि से संचालित)	148-149
	(8)	पूर्व सैनिकों तथा सैनिक विधवाओं के बच्चों को सशस्त्र सेनाओं में अफसर बनने के लिये विशेष निधि से कोचिंग हेतु एकमुश्त प्रोत्साहन राशि (विभागीय स्तर पर विशेष निधि से संचालित)	149
	(9)	द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिकों के लिए बुढापा आर्थिक सहायता	149-150
	(10)	नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों के लिए बुढापा आर्थिक सहायता	150
	(11)	शौर्य एवम् उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को आर्थिक प्रोत्साहन	151
	(12)	युद्ध जागीर	151-152
	(13)	वीरता पुरस्कार विजेता/युद्ध विधवाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा हेतु बस पास	152
	(14)	युद्ध विधवाओं की बेटी की शादी हेतु आर्थिक सहायता	152-153
	(15)	पैन्युरी ग्रांट	153
	(16)	पूर्व सैनिकों की बेटी की शादी / पूर्व सैनिकों की विधवाओं के पुर्नविवाह हेतु आर्थिक सहायता	153-154
	(17)	पूर्व सैनिक के 100 प्रतिशत अपंग बच्चे हेतु आर्थिक सहायता	154
	(18)	पूर्व सैनिक / विधवा के बच्चे की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता	154-155
	(19)	प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त मकान की मुरम्मत हेतु आर्थिक सहायता	155
	(20)	नॉन पेंशनर पूर्व सैनिक को चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता।	155-156
	(21)	पूर्व सैनिकों के बच्चे जो कि एनडीए में प्रशिक्षण ले रहे हों को आर्थिक सहायता	156
	(22)	पूर्व सैनिक के अनाथ बच्चे को आर्थिक सहायता	156-157
	(23)	पूर्व सैनिक की विधवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता	157
	(24)	पूर्व सैनिक की मृत्यु उपरांत अन्तिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता	157-158
	(25)	नॉन पेंशनर पूर्व सैनिक / विधवा को गम्भीर बिमारी के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ती हेतु आर्थिक सहायता	158
	(26)	अपंग सैनिकों को दोपहिया वाहन (Mobility Equipment) के लिए आर्थिक सहायता	158-159
	(27)	प्रधानमन्त्री छात्रवृति योजना	159
XXXII	**तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग**		**160-163**
	(1)	तकनीकी शिक्षा विशिष्ट छात्रवृत्ति योजना- डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई	160
	(2)	तकनीकी शिक्षा विशिष्ट दिव्यांग योजना- डिप्लोमा स्तर पर	161
	(3)	शिक्षण शुल्क छूट (टी एफ डब्ल्यू)	161-162
	(4)	बेटी है अनमोल योजना	162
	(5)	पोलिटेकनिक के माध्यम से समुदाय विकास योजना (सीडीटीपी)	162-163
XXXIII	**जनजातीय विकास विभाग**		**163-165**
	(1)	नाभिकीय बजट	163
	(2)	सर्दियों में जनजातीय क्षेत्रों को हैलीकॉप्टर सेवा	164
	(3)	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	164-165
XXXIV	**शहरी विकास विभाग**		**165-168**
	(1)	दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	165-166
	(2)	स्वच्छ भारत मिशन –शहरी	166
	(3)	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) - सब के लिए आवास	166-167
	(4)	"अटल श्रेष्ठ शहर योजना - Atal Shresth Shahar Yojna" (ASSY)	167-168

क्र.सं.	विभाग/योजना का नाम		पृष्ठ संख्या
XXXV	**महिला एवं बाल विकास विभाग**		**168-174**
	(1)	समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम	168
	(2)	मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना	169
	(3)	बेटी है अनमोल योजना	169-170
	(4)	मुख्य मन्त्री कन्यादान योजना	170
	(5)	विधवा पुनर्विवाह योजना	170-171
	(6)	मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना	171
	(7)	स्वयं रोजगार हेतु सहायता	171
	(8)	बलात्कार पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवाएं योजना 2012	172
	(9)	बाल/बालिका सुरक्षा योजना एवम् फास्टर केयर कार्यक्रम	172
	(10)	नारी सेवा सदन	172-173
	(11)	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	173
	(12)	सशक्त महिला योजना।	174
XXXVI	**पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग**		**174-180**
	(1)	प्रशिक्षुओं के लिए छात्रवृति	174-175
	(2)	होटल पंजीकरण	175
	(3)	होम स्टे स्कीम	175-176
	(4)	अनिवार्यता प्रमाण पत्र।	176
	(5)	नई राहें नई मंजिलें	176-177
	(6)	स्वदेश दर्शन योजना	178
	(7)	रज्जु मार्ग	179
	(8)	हुनर से रोजगार तक	179-180

I- कृषि विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कुशल सिंचाई योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	पानी के उचित उपयोग से राज्य में कृषि समुदाय को कुशल एवं आश्वासित सिंचाई सुविधा प्रदान करना।
पात्रता	राज्य के सभी किसान, जो प्रदेश में भू – मालिक हो इस योजना का लाभ लेने ले लिए पात्र हैं।
सहायता का ब्यौरा	इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत सूक्ष्म / टपक सिंचाई इकाईयों की स्थापना के लिए नियमानुसार अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान की जाती है तथा जल स्त्रोत विकसित करने के लिए नियमानुसार अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	उक्त योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसान/लाभार्थी अपनी योजना के प्रस्ताव को पास के भू-संरक्षण अनुभाग में कार्यरत कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता या उपमंडलीय भू-संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला के उप कृषि निदेशक के कार्यालय या कृषि निदेशालय, हि0प्र0 शिमला-5 को उक्त कार्यालयों में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्रों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाईट www.hpagriculture.com से डाउनलोड किये जा सकते हैं।
वाँछित दस्तावेज	जोत- क्षेत्र जिसमें सूक्ष्म/टपक सिंचाई इकाई स्थापित की जानी प्रस्तावित की गई है का ततीमा एवं जमाबंदी की प्रति तथा भू-मालिकाना हक़ हिस्सेदारी में होने पर अन्य हिस्सेदारों का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	इच्छुक किसान समीप के भू-संरक्षण कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय या उप मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला में उप कृषि निदेशक के कार्यालय को अपने आवेदन भेज सकते हैं।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल अन्य गतिविधियाँ

उद्देश्य एवम् विशेषता	सिंचाई आपूर्ति योजनाओं जैसे स्त्रोतों, वितरण नेटवर्क, नई प्रौद्योगिकियों और सूचनाओं आदि पर कुशल कृषि स्तर के अनुप्रयोग विस्तार सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित करके देश में सभी कृषि खेतों को आश्वासित सिंचाई के साधनों तक पहुँच सुनिश्चित करके प्रति बूंद अधिक फसल का उत्पादन करके ग्रामीण क्षेत्रों में और समृद्धि लाना।
पात्रता	राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू – मालिक हो, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
सहायता का ब्यौरा	1. सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 2. व्यक्तिगत सिंचाई योजनाओं जैसे डगवैल, पौण्ड, उथले बोर वैल एवं जल वहन पाईप इत्यादि के कार्यान्वियन के लिए राज्य – मापदंडों के अनुसार 50 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा तथा शेष राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	1. सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसानों/लाभार्थियों को पंचायत संकल्प के माध्यम से लघु सिंचाई योजना के प्रस्ताव को सीधे पास के भू-संरक्षण कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता या उप मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला के उप कृषि निदेशक के कार्यालय या कृषि निदेशालय, हि० प्र0 शिमला -5 को भेजे जा सकते हैं। जनजातीय जिलों से संबंधित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व केलांग के कार्यालयों में भेजे जा सकते हैं। तत्पश्चात विभाग द्वारा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्य की तकनीकी व्यवहार्यता जाँची जाती है और यदि कार्य व्यवहारित हो तो सम्बन्धित लाभार्थियों से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर योजना के कार्यान्वियन एवं उसके आगामी रख रखाव के लिए कृषक विकास संघ का गठन किया जाता है।

2. व्यक्तिगत सिंचाई योजनाओं जैसे डगवैल, पौण्ड, उथले बोर वैल एवं जल वहन पाईप इत्यादि के कार्यावयन हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए किसान/लाभार्थी योजना के प्रस्ताव को सीधे पास के भू-संरक्षण कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता या उप मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला के उप कृषि निदेशक के कार्यालय या कृषि निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला – 5 को उक्त कार्यालयों में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्रों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.hpagriculture.com से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज

1. सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के लिए लाभार्थियों/किसानों के आवेदन, पंचायत संकल्प, राजस्व रिकॉर्ड की नकल, जमाबंदी और ततीमा तथा अनापति प्रमाण पत्र इत्यादि।
2. व्यक्तिगत सिंचाई योजनाओं के लिए आवेदन प्रपत्र सहित राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि, जैसे कि जमाबंदी और ततीमा की प्रति।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

समीप के भू-संरक्षण कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय या उप मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी को भेजे जा सकते हैं। जन जातीय जिलों से संबंधित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व केलांग के कार्यालयों में भेजे जा सकते हैं।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	जल से कृषि को बल योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में उपयुक्त स्थलों पर चैकडैम एवं तालाबों का निर्माण किया जाएगा। उनमें एकत्रित जल को किसान व्यक्तिगत लघु उठाऊ सिंचाई योजनायें या बहाव सिंचाई योजनायें (जैसे अपेक्षित हो) बनाकर सिंचाई के लिए पानी उपयोग कर सकते हैं।

पात्रता

राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू–मालिक हो तथा उनके क्षेत्र में ऐसी योजना बनाने के लिए उपयुक्त स्थल उपलब्ध हों, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

सहायता का ब्यौरा

इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए किसानों/लाभार्थियों को पंचायत संकल्प के माध्यम से लघु सिंचाई योजना के प्रस्ताव को सीधे पास के भू-सरक्षण कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता या उप मण्डलीय भू-सरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला के उप कृषि निदेशक के कार्यालय या कृषि निदेशालय, हिo प्र0 शिमला -5 को भेजे जा सकते हैं। जनजातीय जिलों से संबंधित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व केलांग के कार्यालयों में भेजे जा सकते हैं। विभाग द्वारा योजना की मार्ग दर्शिका के अनुरूप कार्य की तकनीकी व्यवहार्यता जांची जाती है और यदि कार्य व्यवहारिक हो तो संबंधित लाभार्थियों से संयुक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त कर योजना के कार्यानवियन एवं उसके आगामी रख रखाव के लिए कृषक विकास संघ का गठन किया जाता है तत्पश्चात योजना का विस्तृत प्रारूप बनाकर अनुमोदनार्थ सरकार को भेजा जाता है।

वाँछित दस्तावेज

सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के लिए लाभार्थियों/किसानों का सामुहिक आवेदन पत्र, पंचायत संकल्प, राजस्व रिकॉर्ड की नकल, जमाबंदी और ततीमा तथा अनापति प्रमाण पत्र इत्यादि।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

इच्छुक किसान समीप के भू-सरक्षण कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय या उप मण्डलीय भू-सरक्षण अधिकारी के कार्यालय को भेजे जा सकते हैं। जन जातीय जिलों से संबंधित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व केलांग के कार्यालयों में भेजे जा सकते हैं।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	प्रवाह सिंचाई योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में कूहलों के स्त्रोतों का नवीनीकरण तथा सामुदायिक क्षेत्रों में कूहलों को सुदृढ़ करने का कार्य किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी कार्यों का शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन।

पात्रता

राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू – मालिक हों तथा उनके क्षेत्र में ऐसी योजना बनाने के लिए उपयुक्त स्थल एवं जल स्त्रोत उपलब्ध हों, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

सहायता का ब्यौरा

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में कूहलों के स्त्रोतों का नवीनीकरण तथा सामुदायिक क्षेत्रों के कूहलों को सुदृढ़ करने का कार्य किया जाएगा। योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी सामुदायिक कार्यों का शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर बोरवेल और उथले कुओं के निर्माण पर 50 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

सामुदायिक लघु बहाव सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसानों / लाभार्थियों को पंचायत संकल्प के माध्यम से योजना के प्रस्ताव को सीधे पास के भू-संरक्षण कृषि विकास अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता या उप मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला के उप कृषि निदेशक के कार्यालय या कृषि निदेशालय, हि० प्र0 शिमला - 5 को भेजे जा सकते हैं। जनजातीय जिलों से संबंधित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व केलांग के कार्यालयों में भेजे जा सकते हैं। विभाग द्वारा योजना की मार्ग दर्शिका के अनुरूप कार्य की तकनीकी व्यवहार्यता जांची जाती है और यदि कार्य व्यवहारिक हो तो संबंधित लाभार्थियों से संयुक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त कर योजना के कार्यान्वयन एवं उसके आगामी रख रखाव के लिए कृषक विकास संघ का गठन किया जाता है तत्पश्चात योजना का विस्तृत प्रारूप बनाकर अनुमोदनार्थ सरकार को भेजा जाता है।

वाँछित दस्तावेज

सामुदायिक लघु बहाव सिंचाई योजनाओं के लिए संबंधित लाभार्थियों / किसानों का सामुहिक आवेदन पत्र, पंचायत संकल्प, राजस्व रिकॉर्ड की नकल, जमाबंदी और ततीमा तथा अनापति प्रमाण पत्र इत्यादि।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

इच्छुक किसान समीप के भू-संरक्षण कृषि विकास अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय या उप मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला में उप कृषि निदेशक के कार्यालय को अपने आवेदन भेज सकते हैं। जन जातीय जिलों से संबंधित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व केलांग के कार्यालयों में भेजे जा सकते हैं।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण एवं बोरवैल योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के लिए सतही जल स्त्रोत कृषि – जोतों से गहरे स्थानों में उपलब्ध है का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत स्तर की लघु / मध्यम उठाऊ सिंचाई योजनायें बनाई जाती हैं तथा जहाँ सिंचाई के लिए सतही जल स्त्रोत उपलब्ध नहीं है एवं भूमिगत पानी सम्भावित हो, ऐसे स्थानों पर विभाग किसानों को कृषि सिंचाई की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत बोरवैल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

पात्रता

राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू – मालिक हों, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

सहायता का ब्यौरा

इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर की लघु / मध्यम उठाऊ सिंचाई योजनाओं एवं व्यक्तिगत बोरवैल की स्थापना, व्यक्तिगत जल भण्डारण टैंक का निर्माण, डगवैल, जल वहन वितरण पाईप और पम्पिंग मशीनरी के लिए लाभार्थी को नियमानुसार अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	उक्त योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसान / लाभार्थी अपनी योजना के प्रस्ताव को पास के भू-सरक्षण अनुभाग में कार्यरत कृषि विकास अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता या उप मण्डलीय भू-सरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला के उप कृषि निदेशक के कार्यालय या कृषि निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला -5 को उक्त कार्यालयों में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्रों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.hpagriculture.com से डाउनलोड किये जा सकते हैं।
वाँछित दस्तावेज	जोत – क्षेत्र जिसे सिंचाई सुविधा प्रदान की जानी हो, का ततीमा एवं जमाबंदी की प्रति तथा भू – मालिकाना हक़ हिस्सेदारी में होने पर अन्य हिस्सेदारों का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	इच्छुक किसान समीप के भू- संरक्षण कृषि अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय या उप मण्डलीय भू- संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला में उप कृषि निदेशक के कार्यालय को अपने आवेदन भेजे जा सकते हैं। जन जातीय जिलों से संबंधित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व केलांग के कार्यालयों में भेजे जा सकते हैं।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	डा0 वाई0 एस0 परमार किसान स्वरोजगार योजना (RIDF)

उद्देश्य एवम् विशेषता	➢ अधिक उत्पादकता, बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद। ➢ प्रतिकूल मौसम में भी अधिक आय देने वाली नकदी फसलों का उत्पादन। ➢ लघु व सीमान्त किसानों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सुधारना। ➢ ग्रामीण युवाओं व स्थानीय कारीगरों व अन्य कामगारों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध करवाना। ➢ जल संसाधनों का संरक्षण व उपलब्ध सिंचाई जल का सदुपयोग, सिंचाई हेतु उपलब्ध जल के समुचित वितरण हेतु कुशल सिंचाई पद्धत्तियों को बढ़ावा देना।
पात्रता	चार दिवसीय कृषि विश्व विद्यालय पालमपुर या औद्यानिकी विश्व विद्यालय सोलन से पॉलीहाउस प्रशिक्षण प्राप्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी सीमांत एवं लघु किसान।
सहायता का ब्यौरा	85 प्रतिशत अनुदान।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति पात्र किसान अपने निकटतम कृषि प्रसार अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी / विषयवाद विशेषज्ञ/ कृषि उप निदेशक कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त कर सकता है अथवा विभाग की वैबसाईट www.hpkrishi.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	भूमि की जमाबंदी, ततीमा और 15 प्रतिशत किसान की हिस्सेदारी, चार दिवसीय कृषि विश्व विद्यालय या औद्यानिकी विश्व विद्यालय सोलन से पॉलीहाउस प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	निकटतम कृषि प्रसार अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी / विषयवाद विशेषज्ञ (खण्ड स्तर पर)।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	मुख्यमंत्री ग्रीनहाउस नवीकरण योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	पांच वर्ष पुराने या प्राकृतिक आपदाओं से पॉलीहाउस की खराब शीट को बदलना।
पात्रता	हिमाचल प्रदेश के स्थाई सीमांत एवं लघु किसान जिन्होंने कृषि विभाग के माध्यम से 40 से 1000 वर्ग मीटर आकार के पॉलीहाउसों का निर्माण किया है।
सहायता का ब्यौरा	70 प्रतिशत अनुदान।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति किसान अपने निकटतम कृषि प्रसार अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी / विषयवाद विशेषज्ञ / कृषि उप निदेशक कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त कर सकता है अथवा विभाग की वैबसाईट www.hpagriculture.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	कृषि विभाग द्वारा बनाये हुए पालीहाउस का विवरण तथा 30 प्रतिशत किसान की हिस्सेदारी।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	किसान अपने निकटतम कृषि प्रसार अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी / विषयवाद विशेषज्ञ (खण्ड स्तर पर)।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	कृषकों के खेतों की मिट्टी के नमूने लेने के तरीकों में एकरूपता, उपजाऊ शक्ति के स्तर तथा पोषक तत्वों की आवश्यकतानुसार सिफारिशें व प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों तथा अधिकारिओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।
पात्रता	सभी किसान
सहायता का ब्यौरा	भारत सरकार ने मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना आरंभ की है जिसके अंतर्गत GPS के आधार पर किसानों के खेतों से मिट्टी के ग्रिड नमूने (Grid Sample) लेकर उनकी जांच की जा रही है और किसानों को फसलों में प्रयोग किये जाने वाले पोषक तत्वों के प्रयोग की सिफारिशें Soil Health Card पर जारी की जाती हैं।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	Online Soil Health Card Portal http:c//soilhealth.doc.gov.in
वाँछित दस्तावेज	किसान पहचान पत्र / आधार कार्ड / खेत की राजस्व रिकॉर्ड की कॉपी।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	निकटतम कृषि प्रसार अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी / विषयवाद विशेषज्ञ (खण्ड स्तर पर)।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	उत्तम चारा उत्पादन योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	चारा उत्पदान को बढ़ावा व कृषकों की आय को बढ़ाना।
पात्रता	जिन कृषकों के पास अपनी कृषि भूमि है वह इस योजना के तहत मिलने वाले अनुदान के पात्र हैं।
सहायता का ब्यौरा	किसानों को उपदान दरों पर घास के गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध करवाये जा रहें हैं। सरकार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और बीपीएल किसानों को चारा काटने की मशीन पर 50 प्रतिशत उपदान की सुविधा दे रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार इस वर्ष से किसानों को अजोला घास की खेती करने को भी प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए सरकार किसानों को पिट बनाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान देगी।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति पात्र किसान अपने निकटतम कृषि प्रसार अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी / विषयवाद विशेषज्ञ / कृषि उप निदेशक कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त कर सकता है और आवेदन की प्रक्रिया बारे जानकारी प्राप्त कर सकता है।
वाँछित दस्तावेज	किसान कृषि अनुदान पर्चा विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) से सत्यापित करवाकर कृषि सामग्री पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	निकटतम कृषि प्रसार अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी / विषयवाद विशेषज्ञ (खण्ड स्तर पर)।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण अधिसूचित फसलों को हुए नुकसान की स्थिति में वितीय सहायता प्रदान करना।
पात्रता	सभी ऋणी व गैर ऋणी किसान।
सहायता का ब्यौरा	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मक्की, धान, गेहूं व जौ की फसलों का बीमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत आलू, मटर, टमाटर, अदरक, शिमला मिर्च , लहसुन, बन्द गोभी, फूल गोभी आदि सब्जियों को इनके अंतर्गत क्षमता वाले क्षेत्रों में कवर किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के लिए प्रीमियम की दर बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत और रबी के लिए 1.5 प्रतिशत है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ व रबी मौसम में किसानों के लिए प्रीमियम की दर बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	बैंक , कृषि सहकारी समितियां, ग्रामीण व वाणिज्यक बैंक इत्यादि तथा क्रियान्वयन बीमा कम्पनी।
वाँछित दस्तावेज	आधार कार्ड व फसल बुआई प्रमाण पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित बैंक जहाँ किसान का खाता खुला है तथा सम्बन्धित बीमा कंपनी।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (आत्मा)

उद्देश्य एवम् विशेषता

- अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्रों में पहले किये गए निवेश को संगठित करना, अनुसंधान एवं प्रसार की परियोजनाओं में अब तक रही प्रमुख विवशताओं, कमजोरियों व तकनीकी अन्तर को दूर करना तथा कार्यक्रमों को मांग के अनुसार किसान केन्द्रित करना।
- खण्ड स्तर पर तकनीकी टीम का गठन।
- खण्ड / जिला स्तर पर किसान परामर्श समितियों का गठन।
- जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) की स्थापना।
- कृषि व कृषि सम्बद्ध विभाग बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि व बागवानी विश्वविद्यालय योजना में शामिल।
- रणनीतिक अनुसंधान व प्रसार योजना के आधार पर जिला प्रसार कार्य योजना करना।
- प्रसार पद्धति को सुद्रढ़ करना।

पात्रता सभी वर्ग के किसान

सहायता का ब्यौरा

1. किसानों को जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण हेतु क्रमशः 250-400, 1000 व 1250 रुपये प्रति दिन की सहायता।
2. कृषि प्रदर्शन हेतु 4000 रुपये प्रति प्रदर्शन प्रति 0.4 हैक्टेयर की सहायता।
3. कृषि पाठशाला करने के लिए 29,414 रुपये प्रति पाठशाला की सहायता।
4. किसानों को जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व राष्ट्र स्तरीय भ्रमण हेतु क्रमशः 300, 500 व 1000 रुपये प्रति दिन प्रति किसान की सहायता।
5. **किसान समूहों जैसे की किसान रूचि समूहों, महिला समूहों, किसान संगठनों आदि को प्रोत्साहित करने हेतु सहायता**
   (i) किसानों को क्षमता/दक्षता विकास आदि हेतु 5000 रुपये प्रति समूह प्रति वर्ष की सहायता।
   (ii) आवर्ती निधि/कोष हेतु 10000 रुपये प्रति समूह की सहायता।
   (iii) महिला खाद्य सुरक्षा समूह को आवर्ती निधि/कोष हेतु 10000 रुपये प्रति समूह की सहायता।
6. विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोतम संगठित समूहों को 20000 रुपये का पुरस्कार। किसानों को राज्य स्तरीय (50000 रुपये) जिला स्तरीय (25000) व खण्ड स्तरीय (10000 रुपये) पुरस्कार व प्रोत्साहन।
7. **कृषि सूचना का प्रचार**
   (i) जिला स्तरीय प्रदर्शनी, किसान मेलों, फल व सब्जी प्रदर्शनी के आयोजन हेतु 4 लाख रुपये प्रति जिला।
   (ii) स्थानीय विज्ञापन व मुद्रित साहित्य आदि द्वारा सूचना के प्रसार हेतु 4 लाख रुपये प्रति जिला।
   (iii) सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सांझा करने के लिए इलेक्ट्रानिक तकनीकी पैकेज के विकास हेतु 20000 रूपये प्रति पैकेज की सहायता।

8. **कृषि तकनीक को सुधारना व अपनाना**
   (i) किसानों – वैज्ञानिकों की 2 दिनों की जिला स्तरीय चर्चा के आयोजन हेतु 20000 रुपये प्रति चर्चा।
   (ii) अनुसंधान- प्रसार – किसान कड़ी को मजबूत करने हेतु किसान गोष्ठियों के आयोजन हेतु 15000 रुपये प्रति कार्यक्रम का प्रावधान।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?
खण्ड स्तर पर आत्मा परियोजना के अन्तर्गत कृषि विभाग के कार्यालय या आत्मा परियोजना जिला कार्यालय से।

वाँछित दस्तावेज
आधार कार्ड की प्रति, जमीन की जमावंदी / ततीमा की प्रति, बैंक अकाउंट का ब्यौरा खरीदी जाने वाली मशीन का प्रोफार्मा बिल इत्यादि।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी
आत्मा परियोजना, कृषि विभाग के कार्यालय या आत्मा परियोजना जिला कार्यालय से।

जेंडर
दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम

उद्देश्य एवम् विशेषता
आधुनिक खेती को बढ़ावा देना, कृषकों की श्रम शक्ति को कम करना, कृषकों का खर्च कम करना व आय बढ़ाना तथा समय की बचत इत्यादी।

पात्रता
समस्त श्रेणियों के कृषक (लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व महिला कृषक)।

सहायता का ब्यौरा
ट्रैक्टर (8-20 हार्स पॉवर) 50 प्रतिशत की सहायता अधिकतम 2.25 लाख रुपये, ट्रैक्टर (20-40 हार्स पॉवर) 50 प्रतिशत की सहायता अधिकतम 3.00 लाख, ट्रैक्टर (40-70 हार्स पॉवर) 50 प्रतिशत की सहायता अधिकतम 5.00 लाख, पॉवर टीलर (8 हार्स पॉवर तक या इससे अधिक) 50 प्रतिशत की सहायता अधिकतम 0.85 लाख रूपये, पावर वीडर 50 प्रतिशत की सहायता अधिकतम 0.25 लाख की सहायता, कस्टम हायरिंग केंद्र के तहत कृषि मशीनीकरण बैंक की स्थापना हेतु 40 प्रतिशत की सहायता।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?
खण्ड स्तर पर नियुक्त विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) को साधारण प्रार्थना पत्र पर आवेदन करना होता है।

वाँछित दस्तावेज
आधार कार्ड की प्रति, जमीन की जमावंदी / ततीमा की प्रति, बैंक अकाउंट का ब्यौरा, खरीदी जाने वाली मशीन का प्रोफार्मा बिल इत्यादि।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी
नजदीक के विकास खण्ड पर नियुक्त विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) या कृषि विकास अधिकारी।

जेंडर
दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	सौर सिंचाई योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में सौर पम्पों से खेती – सिंचाई के लिए जल उठाने के लिए आवश्यक अधोसंरचना स्थापित करना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को व्यक्तिगत / सामुहिक स्तर पर एक हार्सपावर से 10 हार्सपावर तक के सोलर वाटर पम्प स्थापित करने के लिए 90 प्रतिशत अनुदान देना प्रस्तावित है।

पात्रता

राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू – मालिक हो, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

सहायता का ब्यौरा

1. इस योजना के अंतर्गत सौर पम्पों से सिंचाई हेतु लघु एवं सीमांत वर्ग के किसानों को व्यक्तिगत रूप से पम्पिंग मशीनरी लगाने हेतु 90 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान है।
2. मध्यम/बड़े वर्ग के किसानों को व्यक्तिगत रूप पम्पिंग से मशीनरी लगाने हेतु 80 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान है।
3. सामुदायिक स्तर पर (कम से कम 5 किसानों के समूह) पम्पिंग मशीनरी लगाने हेतु सभी वर्ग के किसानों के लिए 100 प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन करने का प्रावधान।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

इच्छुक किसान/लाभार्थी अपनी योजना के प्रस्ताव को पास के भू-सरक्षण कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता या उप मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला के उप कृषि निदेशक के कार्यालय या कृषि निदेशालय, हि० प्र0 शिमला -5 को उक्त कार्यालयों में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्रों पर आवेदन कर सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज

जोत क्षेत्र जिसे सिंचाई सुविधा प्रदान की जानी हो, का ततीमा एवं जमाबंदी की प्रति तथा भू – मालिकाना हक़, हिस्सदारी में होने पर अन्य हिस्सेदारों का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

इच्छुक किसान समीप के भू-संरक्षण कृषि विकास अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय या उप मण्डलीय भू-सरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला में उप कृषि निदेशक के कार्यालय को भेजे जा सकते हैं। जन जातीय जिलों से संबंधित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व केलांग के कार्यालयों में भेजे जा सकते हैं।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

कृषि मशीनरी के प्रयोग के दौरान किसानों तथा खेतीहर मजदूरों के घायल होने अथवा उनकी मृत्यु होने की सूरत पर सहायता प्रदान करना।

पात्रता

इस योजना में उन किसानों तथा खेतीहर मजदूरों को मुआवज़ा मिलेगा जिनकी आयु 14 वर्ष से अधिक हो और जो कृषि मशीनरी, औजार व उपकरण आदि द्वारा खेत में प्रयोग के दौरान अथवा कृषि मशीनरी को खेत से घर और घर से खेत ले जाते हुए किसी दुर्घटना की वजह से घायल हुए हों या मृत्यु हुई हो जबकि इसमें उन किसानों तथा खेतीहर मजदूरों को भी शामिल किया जायेगा जिनकी मृत्यु अथवा विकलांगता नलकुप, बोरवेल, पम्पिंग सेट ,लघु लिफ्ट इत्यादि को स्थापित या संचालित करते समय हुई हो। किसी भी उर्जा संचालित मशीनरी को उपयोग, स्थापित या ढुलाई करते समय लगने वाले बिजली के करंट से होने वाली किसानों तथा खेतीहर मजदूरों की मृत्यु अथवा विकलांगता को भी इस योजना में शामिल किया गया है | इसके अंतर्गत आने वाली कृषि मशीनरी में विभाग में पंजीकृत ट्रैक्टर, पावर टिलर, वीडर, उर्जा चलित हल, रीपर बाईंडर मशीन, पावर थ्रैशर, घास काटने की मशीन, औजार, उपकरण, नलकूप, बोरवेल, पम्पिंग सेट लघु लिफ्ट इत्यादि स्थापित या संचालित करने के लिए उपयोग किये गए उपकरण हैं | इस योजना में केवल स्थानीय किसान तथा खेतीहर मजदूर ही आते हैं और किसी भी कंपनी / ठेकेदार के एक कार्यकर्ता, कर्मचारी व मजदूर को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है |

सहायता का ब्यौरा	सहायता राशि :– ○ मृत्यु पर – 1,50,000 रूपये ○ स्थाई रूप से रीढ़ की हड्डी के टूटने पर – 50,000 रूपये ○ दोनों बाजू / दोनों टांगो / एक बाजू एक टांग के पूर्ण रूप से कटने पर – 40,000 रूपये ○ एक बाजू / टांग या चार उंगलियां कटने पर – 30,000 रूपये ○ एक से तीन उंगली के पूर्ण रूप से कट जाने पर – 20,000 रूपये ○ आंशिक रूप से उंगली / अंगूठा कटने पर – 10,000 रूपये।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	प्रार्थी अपने नजदीकी कृषि कार्यालय (विषयवाद विशेषज्ञ) से प्राप्त कर सकता है |
वाँछित दस्तावेज	1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर किया गया प्रार्थना पत्र/मृत्यु होने पर लीगल हियर द्वारा हस्ताक्षर किया गया प्रार्थना पत्र। 2. प्रार्थना पत्र पंचायत प्रधान/सचिव/नगर आयुक्त द्वारा सत्यापित करवाना। 3. विकलांग होने पर पंजीकृत योग्य चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र व प्रभावित अंग की फोटो संलग्न करें। मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लीगल हियर प्रमाण पत्र तथा FIR की प्रति।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सभी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके अपने ब्लाक के विषयवाद विशेषज्ञ के कार्यालय में दुर्घटना के 2 माह के भीतर जमा करवाएं|
आयु सीमा	**न्यूनतम 14** **अधिकतम 100**
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	प्रदेश में फसलों को बंदरों एवं जंगली/आवारा पशुओं से नुकसान से बचाव करने हेतु इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को सौर चालित बाड़ लगाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 80 प्रतिशत व समूह आधारित बाड़ बन्दी के लिए 85 प्रतिशत अनुदान का प्राबधान है।
पात्रता	राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू – मालिक हों, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
सहायता का ब्यौरा	इस योजना के अंतर्गत कृषकों को सौर ऊर्जा चालित बाड़ लगाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 80 प्रतिशत व समूह आधारित बाड़ बन्दी के लिए 85 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सोलर बाड़ लगवाने के इच्छुक किसानों को मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए संबंधित विकास खंड के विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) जोकि इस योजना की संचालन एजेंसी है, के माध्यम से संबंधित जिला के उप कृषि निदेशक को निर्धारित प्रपत्र पर भूमि के राजस्व कागजात (ततीमा व जमाबन्दी) सहित आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त लाभार्थी को जुडिशियल पेपर पर स्वयं स्थापित घोषणा पत्र भी देना होगा। आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र कृषि विभाग के जिला, ब्लाक और वृत्त स्तर के सभी कार्यालयों में नि:शुल्क उपलब्ध होगा। प्रार्थी अपने आवेदन पत्र अपने क्षेत्र के कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, और विकास खण्ड स्तर पर विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) को प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.hpagriculture.com से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज	इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र सहित राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि, जैसे कि जमाबंदी और ततीमा की प्रति वान्छित है।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए संबंधित विकास खंड के विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) जोकि इस योजना की संचालन एजेंसी है, के माध्यम से संबंधित जिला के उप कृषि निदेशक को भेजे जा सकते हैं। जन जातीय जिलों से संबंधित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व केलांग के कार्यालयों में भेजे जा सकते हैं।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	बदलते मौसम के अनुरूप प्रकृति सम्बत, रासायन मुक्त, कम लागत, सतत, व्यवहारिक तथा रोजगार युक्त खेती विधि से भूमि की उर्वरकता तथा पानी सोखने एवं धारण क्षमता में अभूतपूर्व बढोत्तरी द्वारा स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण एवं किसान आय वृद्धि करना।
पात्रता	सभी किसान परिवार
सहायता का ब्यौरा	1. गोशाला (देसी गाय) के फर्श को पक्का करने के लिए 80 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम रूपए 8000 / प्राकृतिक खेती किसान परिवार के लिए)। 2. प्लास्टिक ड्रम पर 75 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम रूपए 750/- प्रति ड्रम एवं अधिकतम 3 ड्रम / प्राकृतिक खेती किसान परिवार के लिए)।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	खण्ड स्तर पर आत्मा परियोजना के अन्तर्गत कृषि विभाग के कार्यालय या आत्मा परियोजना जिला कार्यालय से।
वाँछित दस्तावेज	प्राकृतिक खेती किसान होने का प्रमाण सम्बन्धित खण्ड तकनीकी प्रबन्धक / सहायक तकनीकी प्रबन्धक/ विषयवाद विशेषज्ञ (ZBNF) द्वारा।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आत्मा परियोजना के खण्ड तकनीकी प्रबन्धक, सहायक तकनीकी प्रबन्धक, विषयवाद विशेषज्ञ (ZBNF) और परियोजना निदेशक (आत्मा) प्राकृतिक खेती कर रहे किसान का अनुमोदन सहायता देने के लिए करेगें।
जेंडर	दोनों

II- प्राम्भिक शिक्षा विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	अटल निर्मल जल योजना (कक्षा 1 से 8)

उद्देश्य एवम् विशेषता	स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना।
पात्रता	समस्त राजकीय प्राथमिक व माध्यमिक (stand alone) पाठशालाएं।
सहायता का ब्यौरा	जिन स्कूलों में छात्र /छात्राओं की संख्या 10 तक है उनमें Terafill water filter लगाए जा रहे हैं और जिन स्कूलों में छात्र/छात्राओं की संख्या 10 से ज्यादा है उनमें water purifier लगाए जा रहे हैं।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	N/A
वाँछित दस्तावेज	N/A
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	N/A
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	प्री-मैट्रिक छात्रवृति (अस्वच्छ व्यवसाय)

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिक के उन बच्चों की आर्थिक सहायता व स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना है जिनके माता –पिता या संरक्षक अस्वच्छ व्यवसाय जैसे Flayers, Tanners, Scavengers, waste Picker में कार्यरत हैं।
पात्रता	वे विद्यार्थी जिनके माता-पिता व संरक्षक अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत हो।
सहायता का ब्यौरा	➢ आवासीय (Hostellers) विद्यार्थियों को 700 रूपये/महीना, 10 महीनों के लिए तथा 1000 रूपये/वार्षिक adhoc अनुदान दिया जाता है। ➢ अनावासीय (day scholar) विद्यार्थियों के लिए 225 रूपये/महीना, 10 महीनों के लिए तथा 750 रूपये/वार्षिक adhoc अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है दृष्टि बाधित विद्यार्थी–100 रूपये/महीना अनावासीय विद्यार्थियों के लिए यात्रा भत्ता – 50 रूपये/महीना शरीर के निचले भाग में अत्यधिक दिव्यांगता से युक्त अनावासीय विद्यार्थियों को अनुरक्षण (एस्कॉर्ट) भत्ता- 50 रूपये/महीना बौद्धिक अक्षमता वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त कोचिंग हेतु भत्ता जो कक्षा तीसरी से दसवीं तक पढ़ते है – 100 रूपये/महीना।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	संबन्धित पाठशाला लागू नहीं होती।
वाँछित दस्तावेज	➢ नियोक्ता से अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत व्यवसाय प्रमाण पत्र ➢ दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि हो) ➢ विद्यार्थी के नाम पर बैंक बचत खाता संख्या की प्रतिलिपि ➢ आधार कार्ड की प्रतिलिपि
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	संबन्धित पाठशाला /संबन्धित खंड शिक्षा अधिकारी/संबन्धित उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	अल्पसंख्यक समुदाय से संबन्धित बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति

उद्देश्य एवम् विशेषता	यह छात्रवृति सरकारी व प्राइवेट पाठशालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों जो अल्प संख्यक समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन से सम्बन्ध रखते हों, को आर्थिक सहायता व स्कूल जाने को प्रोत्साहित करने के लिये दी जाती है।

पात्रता	➢ यह छात्रवृति उन छात्र/ छात्राओं को दी जाती है जिनके माता-पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय मु0 1,00,000/- से अधिक न हो व पिछली उत्तीर्ण की गई परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। ➢ एक परिवार से अधिकतम दो बच्चों को देय है।
सहायता का ब्यौरा	➢ एक शैक्षिणिक वर्ष में कक्षा 6 से 10 के लिये दाखिला फीस मु0 500/- रु0 प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो, कक्षा 6 से 10 के लिये ट्यूशन फीस मु0 350/- रु0 प्रतिमाह या वास्तविक जो भी कम हो। ➢ रख- रखाव भत्ता कक्षा 1 से 10 के लिये मु0 100/- रु0 प्रतिमाह 10 माह के लिये तथा कक्षा 6 से 10 के छात्रावासी छात्र- छात्राओं को मु0 600/- रु0 प्रतिमाह 10 माह के लिये दिया जाता है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं या संबन्धित स्कूल।
वाँछित दस्तावेज	1. परिवार की आय का प्रमाण पत्र। 2. उत्तीर्ण की गई आखिरी परीक्षा का सत्यापित प्राप्त अंक विवरण प्रमाण पत्र जोकि आवेदन पर भरी गई हो। 3. विद्यार्थी के नाम पर बैंक बचत खाता संख्या की प्रतिलिपि। 4. आधार कार्ड की प्रतिलिपि। 5. माता –पिता / संरक्षक द्वारा स्वयम सत्यापित अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित संस्थान/ प्रारंभिक उप शिक्षा निदेशक / प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	प्री- मैट्रिक दिव्यांगता छात्रवृति (कक्षा 9 से 10 तक)

उद्देश्य एवम् विशेषता	यह छात्रवृति दिव्यांगजन युवाओं की शिक्षा दर को बढ़ाने सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण तथा पाठशाला जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है।
पात्रता	यह छात्रवृति योजना हिमाचल प्रदेश के उन स्थायी विकलांग छात्र/छात्राओं के लिए देय है जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो, जिसे सरकार के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो और जो किसी सरकारी/ सरकारी अनुदान प्राप्त/प्राइवेट संस्थान मे अध्ययनरत हो तथा जिनके माता पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय मु0 2,50,000/- से ज्यादा नहीं हो। यह छात्रवृति एक परिवार से अधिकतम दो बच्चों को देय है।
सहायता का ब्यौरा	**रखरखाव भत्ता** ➢ आवासीय (hosteller) विद्यार्थियों के लिए – 800 रूपये/माह जो कि शैक्षणिक वर्ष में 12 महीने के लिए देय है। ➢ अनावासीय (Day Scholar) विद्यार्थियों के लिए- 500 रूपये/माह जो कि शैक्षणिक वर्ष मे 12 महीने के लिए देय है पुस्तक अनुदान (Book Grant) 1000 रूपये/ वार्षिक दिव्यांगता भत्ता। ➢ दृष्टि बाधित (VisuallyImpaired)- 4000 रूपये / वार्षिक। ➢ श्रवण बाधित (HearingImpaired) – 2000 रूपये / वार्षिक। ➢ शारीरिक रूप से अक्षम (Physically Disabled)- 2000 रूपये / वार्षिक। ➢ बौद्धिक अक्षमता (intellectual disabilities)- 4000 रूपये/ वार्षिक। ➢ अन्य सभी प्रकार कि दिव्यांगता जो ऊपर लिखित नहीं है - 2000 रूपये/ वार्षिक।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है या संबन्धित पाठशाला।
वाँछित दस्तावेज	➢ चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त प्रमाणित दिव्यांग प्रमाण पत्र। ➢ आय प्रमाण पत्र। ➢ विद्यार्थी के नाम पर बैंक बचत खाता संख्या की प्रतिलिपि। ➢ आधार कार्ड की प्रतिलिपि।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	संबन्धित पाठशाला/संबन्धित उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति से संपर्क कर सकते है।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (अनुसूचित जाति) (कक्षा 1 से 5 तक)

उद्देश्य एवम् विशेषता	इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति से संबंधित बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
पात्रता	यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की छात्र छात्राओं को देय है जो अनुसूचित जाति से संबंधित होते हैं।
सहायता का ब्यौरा	इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, एक शैक्षिणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 के लिये मु0 150/- रु0 प्रतिवर्ष देय है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	संबन्धित पाठशाला। लागू नहीं होती।
वाँछित दस्तावेज	➢ अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र ➢ विद्यार्थी के नाम पर बैंक बचत खाता संख्या की प्रतिलिपि ➢ आधार कार्ड की प्रतिलिपि
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	संबन्धित पाठशाला /संबन्धित खंड शिक्षा अधिकारी/ संबन्धित उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक/ प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	बी0 पी0 एल0/ आई0 आर0 डी0 पी0 छात्रवृति योजना (कक्षा 1 से 8 तक)

उद्देश्य एवम् विशेषता	इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों का आर्थिक सशक्तिकरण व सहायता उपलब्ध करवाना है।
पात्रता	हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की छात्र-छात्राओं को देय है जिनके माता-पिता बी0 पी0 एल0/ आई0 आर0 डी0 पी0 परिवार से संबंधित हैं।
सहायता का ब्यौरा	इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, एक शैक्षिणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 के लिये मु0 150/- रु0, तथा कक्षा 6 से 8 के लिये मु0 250/- रु0 प्रति छात्र एवम् 500/- रु0 प्रति छात्रा को प्रतिवर्ष देय है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	संबन्धित पाठशाला। लागू नहीं होती।
वाँछित दस्तावेज	➢ बी0 पी0 एल0/ आई0 आर0 डी0 पी0 प्रमाण पत्र। ➢ हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र। ➢ विद्यार्थी के नाम पर बैंक बचत खाता संख्या की प्रतिलिपि ➢ आधार कार्ड की प्रतिलिपि।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	संबन्धित पाठशाला/संबन्धित उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति से संपर्क कर सकते है।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	मेधावी छात्रवृति योजना (कक्षा 6)

उद्देश्य एवम् विशेषता — यह छात्रवृति सरकारी पाठशालाओं में पढ़ रहे मेधावी विद्यार्थियों की प्रतिभा को उजागर करने के उद्देश्य से शुरु की गई है।

पात्रता — हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की छात्र-छात्राओं को जो छठी कक्षा में पढ़ रहे हैं तथा जिन्होने कक्षा पाँचवीं में ग्रेड-बी या उससे अधिक के ग्रेड में पास की हो, इस मेधावी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिये पात्र होंगे।

सहायता का ब्यौरा — छात्रवृति की दर मु0 800/- रुपये प्रति छात्र-छात्रा वार्षिक है परीक्षा के आधार पर प्रत्येक शिक्षा खंड में पहला व दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले दो छात्र व दो छात्राओं को यह छात्रवृत्ति कक्षा छठी में प्रदान की जायेगी तथा यह छात्रवृत्ति कक्षा सातवीं व आठवीं में भी देय होगी यदि वे अपनी परीक्षाएँ ग्रेड-बी या उससे अधिक के ग्रेड में पास करेंगे।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — संबन्धित पाठशाला। लागू नहीं होती।

वाँछित दस्तावेज

- पाँचवीं कक्षा से उत्तीर्ण अंक विवरण प्रमाण पत्र।
- विद्यार्थी के नाम पर बैंक बचत खाता संख्या की प्रतिलिपि।
- आधार कार्ड की प्रतिलिपि।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — संबन्धित पाठशाला/संबन्धित उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति से संपर्क कर सकते है।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	सशस्त्र सेना में युद्ध के दौरान मारे गये अथवा दिव्यांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति (कक्षा 1 से 5 तक)

उद्देश्य एवम् विशेषता — यह छात्रवृति सैनिक परिवार से संबंधित छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता तथा पाठशाला जाने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये दी जाती है।

पात्रता — इस योजना के अंतर्गत युद्ध के दौरान मारे गये अथवा दिव्यांग हुये सैनिकों के बच्चों को विभिन्न स्तरों पर छात्रवृति का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में जिन सैनिकों की दिव्यांगता 50% से कम होती है उनके बच्चों को आधी छात्रवृति प्रदान की जाती है।

सहायता का ब्यौरा — इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, एक शैक्षिणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 के लिये मु0 150/- रु0 प्रतिवर्ष देय है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — संबन्धित पाठशाला लागू नहीं होती।

वाँछित दस्तावेज

- योग्य अधिकारी द्वारा सत्यापित माता/पिता के निधन/ दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
- विद्यार्थी के नाम पर बैंक बचत खाता संख्या की प्रतिलिपि
- आधार कार्ड की प्रतिलिपि

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — संबन्धित पाठशाला/संबन्धित उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/ राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति से संपर्क कर सकते है।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	अटल स्कूल वर्दी योजना (कक्षा 1 से 12 तक)

उद्देश्य एवम् विशेषता — इसका उद्देश्य सरकारी पाठशालाओं में पढ़ रहे बच्चों को गुणात्मक कपड़ा उपलब्ध करवाना तथा समानता का अनुभव करवाना है। इसके साथ ही बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना है।

पात्रता — सरकारी पाठशालाओं में पहली से बाहरवीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी बच्चे।

सहायता का ब्यौरा	कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी बच्चों को **"अटल स्कूल वर्दी योजना"** के अन्तर्गत नि:शुल्क वर्दियाँ प्रदान की जा रही हैं। वर्ष में वर्दी के दो-दो सेट सभी छात्र-छात्राओं को एक साथ दिये जाते हैं। कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को दुपट्टे भी दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त वर्दियों की सिलाई हेतु कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को मु0 100/- रूपये प्रति सेट की दर से मु0200/- रूपये प्रति विद्यार्थी प्रदान किए जा रहे है। उक्त योजना के अन्तर्गत ही इस वर्ष से कक्षा पहली, तीसरी, छठी तथा नवीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग भी प्रदान किए जा रहे हैं।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सरकारी पाठशालाओं में नामांकन के आधार पर ही बच्चों को वर्दियों का वितरण किया जाता है।
वाँछित दस्तावेज	सरकारी पाठशालाओं में नामांकन।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	संबन्धित पाठशाला/संबन्धित उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	मुफ्त पाठ्य पुस्तकें योजना (कक्षा 1 से 8 तक)

उद्देश्य एवम् विशेषता	इसका उद्देश्य सरकारी पाठशालाओं में पढ़ रहे बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाना है ताकि स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे किताबों से वंचित न रहें।
पात्रता	सरकारी पाठशालाओं में नामांकन के आधार पर कक्षा प्रथम से आठवीं तक के समस्त छात्र-छात्राएं।
सहायता का ब्यौरा	कक्षा प्रथम से आठवीं तक के समस्त छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती हैं। वर्तमान में छात्रों को शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	संबन्धित पाठशाला। वेबसाइट www.himachal.nic.in/eleedu
वाँछित दस्तावेज	स्कूल में नामांकन।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	संबन्धित पाठशाला/खंड शिक्षा अधिकारी/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	अनुसूचित जाति (आई0 आर0 डी0 पी0/ बी0 पी0 एल0) के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क लेखन सामाग्री (कक्षा 1 से 5 तक)

उद्देश्य एवम् विशेषता इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के उन छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता तथा पाठशाला जाने के लिये प्रोत्साहित करना है जिनके माता-पिता बी0 पी0 एल0 / आई0 आर0 डी0 पी0 में आते हैं।

पात्रता हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं को देय है जिनके माता-पिता अनुसूचित जाति तथा बी0 पी0 एल0/ आई0 आर0 डी0 पी0 परिवार से संबंधित हैं।

सहायता का ब्यौरा इस योजना के अन्तर्गत, एक शैक्षिणिक वर्ष में कक्षा 1 से 2 के लिये मु0 250/- रु0, कक्षा 3 से 4 के लिये मु0 300/- रु0 एवम् कक्षा 5 के लिये मु0 350/- रु0 प्रति छात्र-छात्रा को प्रतिवर्ष दिये जाते है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? संबन्धित पाठशाला लागू नहीं होती है।

वाँछित दस्तावेज

- अनुसूचित जाति (BPL/IRDP) प्रमाण पत्र
- विद्यार्थी के नाम का बैंक बचत खाता संख्या की प्रतिलिपि
- हिमाचली Bonafide प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड की प्रतिलिपि

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी संबन्धित पाठशाला/संबन्धित खंड शिक्षा अधिकारी/संबन्धित उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय।

जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	अटल आदर्श विद्यालय योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

1. बच्चों को मूल्य सम्वर्धित संस्कृति के बारे में जागरूकता, साहसिक गतिविधियां और शारीरिक शिक्षा के मजबूत घटक सहित अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करना।
2. बच्चों में बढ़ती चुनौतियों का सामना करने और जीवन के सभी क्षेत्रों में सेवाओं की भावना पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

पात्रता

संबन्धित विधानसभा क्षेत्र के अधिकतम 50 बच्चों का नामांकन।

सहायता का ब्यौरा

अटल आदर्श विद्यालय लाहौल स्पीति , किन्नौर और वे विधानसभा क्षेत्र जहां जवाहर नवोदय विद्यालय व एकलव्य मॉडल स्कूल स्थित है, को छोड़कर राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में खोले जाएँगे। यह स्कूल कक्षा नर्सरी से पाँचवी तक मुफ्त शिक्षा व कक्षा छठी से बाहरवीं तक सभी बच्चों को मुफ्त आवास, खानपान व शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। इसमें छात्र–छात्राओं को अलग-अलग छात्रावास, संसाधनो से परिपूर्ण आईटी प्रयोगशाला, परिपूर्ण पुस्तकालय, आकर्षक सभागार, विशाल खेल मैदान आदि उपलब्ध करवाए जाएँगे।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

विचाराधीन

वाँछित दस्तावेज

जन्म प्रमाण पत्र, संबन्धित विधानसभा क्षेत्र का आवासीय प्रमाण पत्र।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

संबन्धित पाठशाला/सम्बंधित उप शिक्षा निदेशक (प्रा०)।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	मध्याह्न भोजन योजना (कक्षा 1 से 8 तक)

उद्देश्य एवम् विशेषता

1. छात्र एवं छात्राओं के नामांकन में वृद्धि।
2. छात्र एवं छात्राओं के स्कूल छोड़ने की प्रवृति (ड्रापआउट दर)को कम करना।
3. छात्र एवं छात्राओं की उपस्थिति को बढ़ावा देना।
4. प्राथमिक पाठशाला के छात्रों के पोषण स्तर को बढ़ाना। प्रत्येक पाठशाला कार्यदिवस पर विद्यार्थियों को गर्म और पकाया हुआ भोजन उपलब्ध करवाना।

पात्रता

कक्षा 1 से 8 के सभी उपस्थित विद्यार्थी जो कि - राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं, राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं , केन्टोन मेन्ट बोर्ड पाठशालाओं , सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता प्राप्त पाठशालाओं में नामांकित हो।

सहायता का ब्यौरा

प्रत्येक पाठशाला कार्यदिवस पर विद्यार्थियों को गर्म और पकाया हुआ भोजन उपलब्ध करवाया जाता है जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत बजट का प्रावधान किया जाता है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

क्रम संख्या -3 पर दर्शायी गई राजकीय पाठशालाओं में नामांकन आवश्यक है। योजना बारे जानकारी विभाग की वेबसाइट http://himachal.nic.in/eleedu पर उपलब्ध है।

वाँछित दस्तावेज

ऊपर लिखित पाठशालाओं में नामांकन।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

संबन्धित पाठशाला।

जेंडर

दोनों

III- पर्यावण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार

उद्देश्य एवम् विशेषता

योजना का उद्देश्य संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में सतत् विकास की नीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में उपस्थित विभिन्न संगठनों एवं व्यक्तियों के सहयोग से सतत् एवं कार्बन स्मार्ट आर्थिक विकास की दिशा की ओर पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपनाई जा रही उत्तम कार्यप्रणाली को प्रोत्साहन देना है।

पात्रता

यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष बारह विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों, अस्पतालों, होटल और रिसार्ट्, शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों, कार्यालय परिसरों, उद्योगों, पंचायतों, कल्याण समीतियों, रेस्तरां, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों आदि संस्थाओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं सतत् विकास हेतु अपनाई जा रही उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों में उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा जो पर्यावरण संरक्षण के मार्गदर्शक बनेंगे।

सहायता का ब्यौरा

यह पुरस्कार बारह विभिन्न श्रेणियों को, समृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं एक राशि (प्रथम पुरस्कार 50000/- रूपये तथा द्वितीय पुरस्कार 25000/- रूपये) के रूप में दिया जाएगा।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों एवं विभाग की वैब साईट www.desthp.nic.in पर प्रत्येक वर्ष विज्ञापन प्रसारित किया जाता है। इस विज्ञापन में दी गई जानकारी के आधार पर ही आवेदन किया जा सकता है।

वाँछित दस्तावेज

इस पुरस्कार से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में दी गई है यह अधिसूचना विभाग की वैब साईट पर भी उपलब्ध है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

आवेदन, विज्ञापन प्रसारित होने के पश्चात् इस पते पर प्रेषित किए जा सकते हैं निदेशक पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण भवन, यू एस क्लब, शिमला हिमाचल प्रदेश-171001। दूरभाषः 0177-2656559, फैक्स- 0177-2659609

जेंडर

दोनों

IV- मत्स्य पालन विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	बचत एवम् राहत योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

राज्य के जलाशयों में कार्यरत मछुआरों को दो माह के वर्जित काल के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता

1. लाभार्थी पूर्णकालिक सक्रिय मछुआरा होना चाहिये।
2. लाभार्थी किसी कार्यशील मत्स्य सहकारी सभा/फेडरेशन/पंजीकृत इकाई का सदस्य होना चाहिये। लाभार्थी को मछली पकड़ने वाले 10 माह तक रू० 100/- प्रति माह (रू० 1000 वार्षिक) का योगदान देना होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार व लाभार्थी से रू० 3000/- की एकत्रित राशि प्रत्येक मछुआरे को दो माह के वर्जित काल के समय दो किस्तों में दी जाती है।

सहायता का ब्यौरा

रू० 2000/- (रू० 400/- राज्य भाग + रू० 1600/- केंद्र भाग)

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। सम्बधित मत्स्य सहकारी सभा की सदस्यता हेतु कोरे कागज पर आवेदन करें। आवेदक साधारण कागज पर सभा के पास राशि जमा करवाने हेतु सम्बधित मत्स्य सहकारी सभा से अनुरोध करें।

वाँछित दस्तावेज — राज्य के जलाशयों की मत्स्य सहकारी सभाओं से पूर्णकालिक मछुआरों का पूर्ण विवरण व 10 माह का वित्तीय योगदान।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी।

आयु सीमा — **न्यूनतम 18**
अधिकतम 60

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	दुर्घटना बीमा योजना (प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना की पद्धति पर)

उद्देश्य एवम् विशेषता — राज्य के सभी मछुआरो व मत्स्य पालकों को निःशुल्क बीमा उपलब्ध करवाना।

पात्रता

1. राज्य के सभी मछुआरो व मत्स्य पालक निःशुल्क बीमा योजना में पात्र हैं। मछुआरा/मत्स्य पालक मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता होने पर रू० 2.00 लाख की राशि हेतु बीमित है। आंशिक अपंगता 50 % से अधिक होने पर रू० 1.00 लाख की राशि हेतु बीमित है तथा दुर्घटना होने पर रू० 10,000/-Indoor patient (Hospitalization expenses) उपचार हेतु दिए जाएंगे।
2. बीमा कवच 12 माह के लिये होगा।
3. बीमा योजना फिश कोफेड (FISHCOPFED) के माध्यम से लागू की जाएगी।
4. आयु सीमा 18-65

सहायता का ब्यौरा — 100 %

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — दावा निधन के एक माह के भीतर करना होगा दावा फॉर्म की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। आवेदक को सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में साधारण कागज पर दुर्घटना बारे सूचना सम्बधित अधिकारी को तुरन्त देनी होगी। (आवेदन फॉर्म के लिए नीचे क्लिक करें) Claim Disbursement Voucher ClaimIntimation under JPA Claim Form-II ANNEXURE-III Disbursement Receipt

वाँछित दस्तावेज — पहचान पत्र पते सहित, बैंक खाता विवरण (आई एँफ़ एस सी कोड सहित), मोबाइल नंबर आधारलिंक, मृत्यु की अवस्था में मुआवजे की राशी प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर प्राथमिकी सूचना/रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट अथवा चिकित्सा प्रमाण पत्र जिसमें मृत्यु का कारण बताया गया हो। मृत्यु प्रमाण पत्र, वैधानिक उतराधिकारी प्रमाण पत्र। सात वर्ष से गुम होने की अवस्था में मनोनीत व्यक्ति से क्षतिपूर्ति बंधपत्र। आयु प्रमाण पत्र। अपंगता की अवस्था में मुआवजे का विवरण, घटना के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त प्रमाण पत्र दुर्घटना के एक माह के भीतर देना होगा।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी।

आयु सीमा — **न्यूनतम 18**
अधिकतम 65

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	मछुआरों व मत्स्य पालकों हेतु प्रशिक्षण शिविर योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — मछुआरों व मत्स्य पालकों के ज्ञानवर्धन व स्वरोजगार सृजन हेतु।

पात्रता — समय समय पर मात्स्यिकी विभाग द्वारा मछुआरों व मत्स्य पालकों के ज्ञानवर्धन हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है। इस योजना में बेरोजगार व्यक्ति जो भविष्य में मत्स्य पालन अपनाना चाहता है, वो भी पात्र है।

सहायता का ब्यौरा — 100 %

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — आवेदन कोरे कागज पर मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रशिक्षण शिविर की जानकारी विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in पर एक माह पूर्व फ्लेश की जायेगी।

वाँछित दस्तावेज — प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने हेतु आवेदन कोरे कागज पर आवेदन पत्र विषय सहित, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र पते सहित।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	तालाब नव निर्माण हेतु सहायता योजना (स्लूस गेट जलापूर्ति हेतु निर्माण कार्य तथा वायु संचारण, आहार भंडार)

उद्देश्य एवम् विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी।
पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 हेक्टेयर तथा अधिकतम 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 3. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
सहायता का ब्यौरा	(इकाई लागत= रू० 7,00,000/- प्रति हेक्टेयर) सामान्य जाति 40% (रू० 2,80,000/-) प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से रू० 4,20,000/- अधिकतम सीमा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र।
वाँछित दस्तावेज	ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़ (पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	तालाब मुरम्मत, पुनरुधार हेतु सहायता योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी।

पात्रता

1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है।
2. किसी भी मोजूदा तालाब को मुरम्मत हेतु निर्माण से 5 वर्ष की अवधि के उपरांत ही लिया जा सकता है।
3. गरीबी रेखा से नीचे रह रहे मत्स्य पालकों को वरीयता दी जाएगी।
4. प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 हेक्टेयर तथा अधिकतम 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।

सहायता का ब्यौरा — (इकाई लागत=रू० 3,50,000/- प्रति हेक्टेयर) सामान्य जाति 40 % रू० 1,40,000/- प्रति हेक्टेयर की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से रू० 2,10,000/- अधिकतम सीमा।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र।

वाँछित दस्तावेज — ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़ (पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र, आय प्रमाणपत्र बी पी एल परिवार के। तालाब को पट्टे पर लेने हेतु पंचायत प्रस्ताव की प्रति।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	रियरिंग तालाब नव निर्माण हेतु सहायता योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — मत्स्य पालन में स्वरोजगार व राज्य के जल-स्त्रोतों में संग्रहण हेतु बड़े आकार की अन्गुलिकाएं तैयार करना।

पात्रता

1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है।
2. निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 हेक्टेयर तथा अधिकतम 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
3. परियोजना प्रस्ताव केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।

सहायता का ब्यौरा — (इकाई लागत= रू० 6,00,000/- प्रति हेक्टेयर) सामान्य जाति 40% रू० 2,40,000/- प्रति हेक्टेयर की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से रू० 3,60,000/- अधिकतम सीमा।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र।

वाँछित दस्तावेज — बी.पी.एल. प्रमाण पत्र, ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़ (पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	प्रथम वर्षीय आदानो हेतु सहायता योजना (बीज, खुराक, खाद व परिवहन)

उद्देश्य एवम् विशेषता — प्रथम वर्ष में मत्स्य पालकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु वित्तीय सहायता।

पात्रता

1. मत्स्य पालन निर्माण व मुरम्मत पर आदानों हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।
2. आदानों हेतु सहायता केवल प्रथम वर्ष में ही दी जाएगी।
3. आदानों हेतु सहायता केवल तालाबों के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर दी जाएगी।

सहायता का ब्यौरा — (इकाई लागत= रू० 1,50,000/- प्रति हेक्टेयर) सामान्य जाति 40 % रू० 60,000/- प्रति हेक्टेयर की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से रू० 90,000/- की अधिकतम सीमा।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — यह योजना मत्स्य तालाब नव निर्माण, मुरम्मत व पुनरुउधार तथा रियरिंग तालाब नव निर्माण के लाभार्थी हेतु प्रथम वर्ष में देय है। अतः अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

वाँछित दस्तावेज — केवल तालाब नव निर्माण, पुनरुधार व रियरिंग तालाबों के निर्माण के अंतर्गत लाभार्थी हेतु सहायता योजना पूर्ण प्रथम वर्षीय आदानों को क्रय करने की मूल रसीदें इत्यादि।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	कार्प हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — कार्प बीज उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार सृजन करने हेतु वित्तीय सहायता।

पात्रता

1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है।
2. भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
3. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
4. हैचरी में न्यूनतम 10 मिलियन (1 करोड़) फ्राई प्रति वर्ष उत्पादन होना चाहिये।
5. हैचरी में ब्रूडर तालाब, नर्सरी तालाब, बिजली व पानी की आपूर्ति, छोटे आकार की प्रयोगशाला इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए।
6. हैचरी योग्य तकनीकी एवम् कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिए।
7. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालको को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा।

सहायता का ब्यौरा — (इकाई लागत=रू० 25,00,000/- प्रति इकाई व 2 हेक्टेयर नर्सरी तालाबों के निर्माण हेतु) सामान्य जाति 40 % रू० 10,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू० 15,00,000/- अधिकतम सीमा।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र।

वाँछित दस्तावेज — ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़ (पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।, जाति प्रमाण पत्र।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	ट्राउट इकाई निर्माण हेतु सहायता योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता ट्राउट पालन में स्वरोजगार व् ट्राउट उत्पादन में बढ़ौतरी।

पात्रता

1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है।
2. भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है।
3. प्रति लाभार्थी केवल 4 इकाईयों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
4. सहकारी सभाओं हेतु अधिकतम 10 इकाईयों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

सहायता का ब्यौरा (इकाई लागत= रू०2,00,000/- प्रति इकाई) 17m*2m*1.5m सामान्य जाति 40 % रू० 80,000/- प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू०1,20,000/- अधिकतम सीमा।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र।

वाँछित दस्तावेज ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।, जाति प्रमाण पत्र।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी।

जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	ट्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार सृजन हेतु वित्तीय सहायता।

पात्रता

1. आदानों हेतु वित्तीय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है।
2. आदानों हेतु वित्तीय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर ही दी जाएगी।

सहायता का ब्यौरा (इकाई लागत= रू०2,50,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40 % रू० 1,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू०1,50,000/- अधिकतम सीमा।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? यह योजना ट्राउट इकाई निर्माण के लाभार्थी हेतु प्रथम वर्ष में देय है। अतः अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

वाँछित दस्तावेज प्रथम वर्षीय आदानों को क्रय करने की मूल रसीदें इत्यादि।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी।

जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता ट्राउट बीज उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार सृजन करने हेतु वित्तीय सहायता।

पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 3. हैचरी में न्यूनतम 2.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष उत्पादन होना चाहिये। 4. हैचरी में हैचिंग ट्रौफ, नर्सरी टैंक, स्टार्टर फीडर टैंक, बिजली व पानी इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए। 5. हैचरी योग्य तकनीकी एवम् कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये। 6. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालको को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। 7. निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा।
सहायता का ब्यौरा	(इकाई लागत= रू० 25,00,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40 % रू० 10, 00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू० 15,00,000/- अधिकतम सीमा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र।
वाँछित दस्तावेज	ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।, जाति प्रमाण पत्र बीपीएल प्रमाण पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी ।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	आदर्श मछुआरा आवास योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	राज्य के मछुआ वर्ग को पक्का घर उपलब्ध करवाने हेतु वित्तीय सहायता।
पात्रता	1. आवास इकाई का न्यूनतम पलींथ आकार 25 वर्ग मीटर होना चाहिए जिसमें शौचालय की भी सुविधा हो। 2. लाभार्थी सक्रिय मछुआरा होना चाहिए। 3. गरीबी रेखा से नीचे रह रहे मछुआरों को वरीयता दी जाएगी। 4. जिन लाभार्थीयों के पास कच्चा घर हों, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है। 5. इस योजना के अंतर्गत सहायता केवल एक बार ही देय होगी। 6. एक क्लस्टर (गांव) में कम से कम 20 घर मछुआरों के होने चाहिए।
सहायता का ब्यौरा	(इकाई लागत = रू० 1,30,000) सभी वर्गों हेतु 100% सहायता।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र।
वाँछित दस्तावेज	ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	फीड मील निर्माण (ट्राउट व कार्प)

उद्देश्य एवम् विशेषता	मत्स्य पालन हेतु मत्स्य आहार उत्पादन।
पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है।

2. राज्य के बेरोजगार युवा/ महिला जिनके पास ऋण मुक्त भूमि उपलब्ध हो।
3. परन्तु यदि कोई लाभ्रथी फीड मिल निर्माण हेतु नई भूमि क्रय करना चाहता है तो उस पर हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णय अनुसार केवल 3% स्टाम्प ड्यूटी ही देय होगी।
4. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
5. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
6. फीड मील योग्य तकनीकी एवम् कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये।
7. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालको को मत्स्य आहार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण उपरांत फीड मील का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा।

सहायता का ब्यौरा

(इकाई लागत=10,00,000/-रु० प्रति इकाई) सामान्य जाति 50% रू० 5,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू० 6,00,000/- अधिकतम सीमा।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। परतु यदि कोई लाभ्रथी फीडमिल निर्माण हेतु नई भूमि क्रय करना चाहता है तो उस पर हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णय अनुसार केवल 3% स्टेम्प ड्यूटी ही देय होगी। विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र।

वाँछित दस्तावेज

ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।, जाति प्रमाण पत्र।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	रिटेल फिश आउटलेट

उद्देश्य एवम् विशेषता

मछली विक्रय आउटलेट के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता।

पात्रता

1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है।
2. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
3. भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
4. परियोजना प्रस्ताव केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
5. फिश आउटलेट का न्यूनतम आकर 100 वर्ग फीट होना चाहिए।
6. अनु० जाति/अनु०जनजाति/महिलाओं व बेरोजगार युवाओं को वरीयता दी जाएगी।

सहायता का ब्यौरा

(इकाई लागत=10,00,000/-रु० प्रति इकाई) सामान्य जाति 40% रू० 4,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू० 6,00,000/- अधिकतम सीमा।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र।

वाँछित दस्तावेज

ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।, जाति प्रमाण पत्र।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी ।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	गिल जाल आबंटन

उद्देश्य एवम् विशेषता सभी सक्रिय जलाशय मछुआरो को मछली पकड़ने के जाल आबंटित करना।

पात्रता लाभार्थी सहकारी सभा का सदस्य होना आवश्यक है।

सहायता का ब्यौरा इकाई लागत = 10,000/- सामान्य जाति= 25%(2,500/-) अनुसूचित जाति/जनजाति= 50% (5,000/)।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र।

वाँछित दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, सहकारी सभा की सदस्यता, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आवेदन पत्र फॉर्म 'क'।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी।

जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	रिस्क फण्ड योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता जलाशय के मछुआरों को बाढ़ इत्यादि अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उनके मछली पकडने के उपकरणों को हुए नुकसान की आंशिक सहायता।

पात्रता

1. लाभार्थी पूर्णकालिक सक्रिय मछुआरा होना चाहिये।
2. लाभार्थी किसी कार्यशील मत्स्य सहकारी सभा/फेडरेशन/पंजीकृत इकाई का सदस्य होना चाहिये। मछुआरे द्वारा रिस्क फण्ड में वार्षिक 20/- रू० का योगदान अनिवार्य है।

सहायता का ब्यौरा सभी क्षतिग्रस्त उपकरणों की लागत पर अधिकतम 50% (अधिकतम लागत सीमा- बोट 20,000/- रू०, जाल 2,000/- रू0, टेंट 5000/- रू० व तरपाल 2,000/- रू०)

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। साधारण कागज पर क्षति होने की सूचना ।

वाँछित दस्तावेज आवेदन पत्र, पटवारी/तहसीलदार की मौसम रिपोर्ट, मत्स्य अधिकारी की मौके पर क्षति रिपोर्ट, मत्स्य सहकारी सभा की रिपोर्ट प्रधान से सत्यापित होनी चाहिए दावे का आवेदन क्षति के 3 दिन के भीतर करना अनिवार्य है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी।

जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँव में सामुदायिक तालाब निर्माण/ पुनरुधार

उद्देश्य एवम् विशेषता अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन से रोजगार प्रदान करना। सामुदायिक तालाब को अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को पंचायत द्वारा पट्टे पर दिया जाता है।

पात्रता केवल अनुसूचित जाति बहुल्य गाँव/ पंचायत के लिए।

सहायता का ब्यौरा 100% (रू० 1,00,000/-)।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? सम्बधित पंचायत को कोरे कागज पर क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन पत्र देना होगा। पंचायत प्रस्ताव, भूमि का नकल ततीमा।

वाँछित दस्तावेज पंचायत द्वारा प्रस्ताव, भूमि सम्बन्धित दस्तावेज़, लाभार्थियों के बैंक खातों का विवरण, अनुमान पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए

उद्देश्य एवम् विशेषता	अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर।
पात्रता	केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए।
सहायता का ब्यौरा	100%
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन कोरे कागज पर मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रशिक्षण शिविर की जानकारी विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in पर एक माह पूर्व फ्लेश की जाएगी।
वाँछित दस्तावेज	प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र विषय सहित, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी ।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	मत्स्य पालन तालाब निर्माण जन जाति वर्ग के लिए

उद्देश्य एवम् विशेषता	हिमाचल प्रदेश में जन जातीय क्षेत्रों से बाहर रहने वाले जन जातीय वर्ग के लिए मत्स्य पालन तालाब निर्माण सहायता।
पात्रता	केवल जन जाति जातीय वर्ग के व्यक्तियों के लिए।
सहायता का ब्यौरा	न्यूनतम 500 वर्ग मीटर के तालाब हेतु रू० 25,500/- की वित्तीय सहायता (प्रथम वर्षीय आदानों सहित)।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र।
वाँछित दस्तावेज	जन जातीय प्रमाण पत्र, ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी।
जेंडर	दोनों

V- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना।

उद्देश्य एवम् विशेषता	महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण, धुंआ रहित ईंधन
पात्रता	ऐसा हिमाचली परिवार (किसी भी श्रेणी का) जिसके पास अपना या किसी भी सरकारी योजना के तहत घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है व प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवार।
सहायता का ब्यौरा	गैस कनेक्शन का सम्पूर्ण खर्च (रूपए 3500/-)।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	पात्र परिवार को आवेदन पत्र भरकर सम्बंधित सचिव, ग्राम पंचायत, आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर समिति/परिषद्, सचिव/कार्यकारी अधिकारी, अधसूचित क्षेत्र परिषद्/नगर पंचायत, सचिव, केंटोनमेंट बोर्ड को देना होगा। आवेदन की प्रति विभाग के पोर्टल (epds.co.in and food.hp.nic.in) के फॉर्म सेंटर से डाउनलोड की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	आधार संख्या, डिजिटल राशन कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या इत्यादि संबधी सूचना निर्धारित प्रपत्र पर देनी होगी ।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	पात्र परिवार को आवेदन पत्र भरकर सम्बंधित सचिव, ग्राम पंचायत, आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर समिति/परिषद्, सचिव/कार्यकारी अधिकारी, अधसूचित क्षेत्र परिषद्/नगर पंचायत, सचिव, केंटोनमेंट बोर्ड को देना होगा।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन0एफ0एस0ए0)

उद्देश्य एवम् विशेषता

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना (अनुदानित दरों पर चावल तथा गेंहू उपलब्ध करवाना)।

पात्रता

अ) निम्न श्रेणी के व्यक्ति पात्र गृहस्थियों की सूची में स्वतः सम्मिलित होगें:
1. ग्राम सभा द्वारा चयनित अन्त्योदय अन्न योजना सूची के अनुसार समस्त लाभार्थी परिवार।
2. ग्राम सभा की बैठक में चयनित समस्त बी0पी0एल0 व अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवार।
3. ऐसे परिवार जिन्हें वृद्धावस्था पैंशन, विकंलाग पैशन, कोढ़ी की पैंशन इत्यादि कोई भी पैंशन समाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग से मिल रही हो।
4. अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थी।
5. सभी तिब्बतियन परिवार जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी किए गए है। "यदि एक गृहस्थी का नाम एक से अधिक लाभार्थी श्रेणियों में सम्मिलित हुआ हो तो लाभार्थी परिवार केवल एक ही श्रेणी के अन्तर्गत लाभ का पात्र होगा।"

बी) लाभार्थियों को सम्मिलित व निष्कासित करने के मापदण्ड- भाग अ में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुरूप यदि लक्षित लाभार्थी गृहस्थियों की संख्या का चयन स्वतः चयन से पूर्ण नहीं हो पाया है, तो शेष लाभार्थी गृहस्थियों का चयन निम्न मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा-

क) सम्मिलित करने के मानदण्ड- ग्राम पंचायतों/स्थानीय निकायों में चयन प्रक्रिया हेतु निम्न गृहस्थियां वरीयता के आधार पर पात्र होंगी:
1. एकल नारी।
2. आश्रमों में रह रहे अनाथ एवं परित्यक्त बच्चे।
3. गृहस्थियां (परिवार), जिनकी मुखिया विधवा हो।
4. गृहस्थियां (परिवार) जिनका कोई सदस्य 60 प्रतिशत (चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित) से अधिक की अपंगता वाला हो।
5. ऐसी गृहस्थियां (परिवार) जिनके मुखिया को कोई अन्तकारक रोग हो।
6. ऐसी गृहस्थियां (परिवार) जिनका मुखिया 60 वर्ष या अधिक आयु का हो, अथवा जिनके पास आजिविका का कोई साधन न हो।
7. ऐसी गृहस्थियां (परिवार), जिनके मुखिया (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो।
8. ऐसी गृहस्थियां (परिवार) जिन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत 50 कार्यदिवस पूर्ण कर लिए हो।
9. ऐसा व्यक्ति जो कैंसर, एच.आई.वी. से पीड़ित हो।
10. युद्ध में शहीद की विधवा व स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वालों के परिवार।
11. बाल आश्रमों व नारी निकेतनों, तिब्बतियन स्कूलों में रह रहे बच्चे व औरतें।

ख) सूची से निष्कासित करने के मानदण्ड- निम्न गृहथियों (परिवारों) को पात्र परिवारों की सूची में नहीं लिया जाएगा:

1. सभी गृहस्थियां जिनका कोई सदस्य किसी भी राज्य या केन्द्र सरकार, निगमों, बोर्ड, स्वायत निकायों, भारत सरकार के उपक्रम एवं स्थानिय निकायों, बैंक में नियमित या सर्विदात्मक आधार पर कार्यरत हो को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
2. सभी आयकर दाता परिवारों को सूची से बाहर रखा जाएगा।
3. ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य पंजीकृत ठेकेदार हो, को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
4. ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य राज्य या केन्द्र सरकार, बोर्ड, निगमों, स्वायत निकायों, भारत सरकार के उपक्रम एवं स्थानीय निकायों से पैंशन प्राप्त कर रहा हो, को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। "यदि कोई परिवार सम्मिलित एवं निष्कासित किए जाने वाले दोनों मानदण्डों के अन्तर्गत आता है तो ऐसी स्थिति में निष्कासित किए जाने वाले मानदण्ड ही प्रभावी होगें और उसको प्राथमिक गृहस्थियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।"

सहायता का ब्यौरा

<u>अन्त्योदय परिवार</u> (1) गन्दम 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह रूपये 2/- प्रति किलोग्राम की दर से। (2) चावल 15 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह रूपये 3/- प्रति किलोग्राम की दर से।
<u>प्राथमिक गृहस्थियां</u>- (1) गन्दम 3 किलोग्राम प्रति लाभार्थी प्रति माह रूपये 2/- प्रति किलोग्राम की दर से। (2) चावल 2 किलोग्राम प्रति लाभार्थी प्रति माह रूपये 3/- प्रति किलोग्राम की दर से।

<u>नोटः</u>

1. ***इसके अतिरिक्त ऐसे बी0पी0एल0 परिवार (6 सदस्यों तक), जिन्हे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से पहले 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त हो रहे थे, को भी पूर्व की तरह 35 किलोग्राम खाद्यान्न पूरा करने हेतु एन0एफ0एस0ए0 पात्रता के अतिरिक्त बी0पी0एल0 दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे है।***
2. ***एक से तीन सदस्य तक के प्राथमिक गृहस्थियों के राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न उनकी एन0एफ0एस0ए0 पात्रता के अतिरिक्त ए0पी0एल0 दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे है।***

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

लाभार्थियों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पचांयतों एवं शहरी क्षेत्रों में नगर निगम/नगर समिति/नगर पंचायत द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन0एफ0एस0ए0) के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु जारी अधिसूचना में निहित प्रावधानानुसार किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में इच्छुक व्यक्ति को ग्राम पंचायत की ग्राम सभा व शहरी निकायों की बैठकों में ही आवेदन करना होगा।

वाँछित दस्तावेज

पात्रता निर्धारित चयन दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों तथा शहरी निकायों द्वारा निर्धारित की जाएगी तथा चयन उपरान्त राशन कार्ड प्राप्त करने हेतु राशन कार्ड फार्म, आधार संख्या व रिहायश प्रमाण पत्र सहित भरकर सम्बन्धित कार्यालय में जमा करवाने होंगें।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पचांयतों व शहरी क्षेत्रों में शहरी निकायों में आवेदन करना होगा। इसके उपरान्त सम्बन्धित द्वारा लाभार्थी को राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा तथा लाभार्थी को यह राशन कार्ड अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान में दर्ज करना होगा।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन0एफ0एस0ए0) के अलावा अर्थात ए0पी0एल0 परिवार

उद्देश्य एवम् विशेषता

प्रदेश के ए0पी0एल0 परिवारों को अनुदानित दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना।

पात्रता

ऐसे नागरिक जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित नहीं किए गए हो (समस्त राशन कार्ड धारक)।

सहायता का ब्यौरा

- प्रदेश के ए0पी0एल0 उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा रहे है-
- जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले ए0पी0एल0 उपभोक्ता- 15 किलोग्राम चावल प्रति परिवार 10 रूपये प्रति किलोग्राम प्रति माह। 20 किलोग्राम गन्दम / आटा प्रति परिवार 7.60 रूपये / 8.60 रूपये प्रति किलोग्राम प्रति माह।
- गैर-जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले ए0पी0एल0 उपभोक्ता- 5 से 7 किलोग्राम चावल प्रति परिवार 10 रूपये प्रति किलोग्राम प्रति माह। 11 से 13 किलोग्राम आटा प्रति परिवार 8.60 रूपये प्रति किलोग्राम प्रति माह।

नोटः गैर जनजातीय क्षेत्रों के ए0पी0एल0 उपभोक्ताओं को मिलने वाले चावल व गन्दम आटे की मात्रा में प्रति माह उपलब्धता व बी0पी0एल0 एवं पी0एच0एच0 श्रेणियों को उनकी एन0एफ0एस0ए0 पात्रता के अतिरिक्त मिलने वाले राशन के मद्देनजर परिवर्तन होता रहता है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

उपरोक्त सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु राशन कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों तथा शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले द्वारा बनवाए जाते हैं। राशन कार्ड आवेदन पत्र, जोकि विभागीय वैबसाईट epds.co.in तथा http://admis.hp.nic.in/ehimapurti पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा निदेशालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले शिमला-9 में स्थापित काल सैंटर के टोल फ्री नम्बर-1967 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

वाँछित दस्तावेज

राशन कार्ड फार्म, आधार संख्या व रिहायश प्रमाण पत्र।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

उपरोक्त सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु राशन कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों तथा शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले द्वारा बनवाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु निदेशालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला-9 व सम्बन्धित जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले से सम्पर्क किया जा सकता है।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	हिमाचल प्रदेश राज्य विशेष अनुदानित योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

समस्त राशन कार्ड धारकों को मंहगांई से राहत पहुँचाना तथा सस्ती दरों पर दाल, तेल, नमक तथा चीनी उपलब्ध करवाना।

पात्रता

समस्त राशन कार्ड धारक।

सहायता का ब्यौरा

राज्य सरकार अनुदानित योजना में सभी उपभोक्ताओं को 4 दालों में 3 दाले चुनने का विकल्प तथा साथ ही एक अतिरिक्त दाल, (दाल चना) भी उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में उपलब्ध करवाई जा रही आवश्यक वस्तुओं का ब्यौरा निम्नलिखित प्रकार से हैः-

1. दाल चना 35.00 प्रतिकि0ग्रा0
2. उड़द साबुत 35.00 प्रति कि0ग्रा0
3. मलका35.00 प्रति कि0ग्रा0 4. मूंग साबुत 35.00 प्रति कि0ग्रा0।

इसी प्रकार 1 और 2 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक लीटर खाद्य तेल प्रति माह प्रति राशन कार्ड के हिसाब से और तीन या अधिक सदस्यों वाले परिवारों को प्रति माह दो लीटर के हिसाब से उपलब्ध करवाया जा रहा है। खाद्य तेल के अन्तर्गत सरसों का तेल मू075.00 प्रति/लीटर और रिफाइंड तेल मू0 70.00 प्रति/लीटर है। नमक 4.00 प्रति किलो0ग्रा0 प्रति माह प्रति परिवार उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपरोक्त के अलावा जून, 2017 से अनुदानित चीनी

	को भी इस योजना में शामिल किया गया है। सभी राशनकार्ड धारकों को अनुदानित चीनी को निम्न दरों के अनुसार वितरित किया जा रहा है एपीएल राशन कार्ड धारकों को 24.00 रूपये प्रति कि0ग्रा0 मूल्य पर प्रति व्यक्ति 500 ग्रा0 तथा एनएफएसए राशन कार्ड धारकों को 13.00 रूपये प्रति कि0ग्रा0 प्रति व्यक्ति 500 ग्राम चीनी प्रति माह उपलब्ध करवाई जा रही है।अन्त्योदय श्रेणी के अन्तगत एक सदस्य वाले कार्ड धारक को 1 किलो ग्राम चीनी उपलब्ध करवाई जा रही है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन करना होगा तथा शहरी क्षेत्र में निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त विभागीय योजनाओ की जानकारी विभागीय वैबसाईट http://admis.hp.nic.in/ehimapurti तथा epds.co.in से भी प्राप्त की जा सकती है, साथ ही उपभोक्तओं की समस्याओं व शिकायतों के निपटारे हेतु निदेशालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिमला -9 में स्थापित टोल फ्री न0 1967 से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	राशन कार्ड फार्म,स्थाई पते तथा आधार संख्या सहित भरकर सम्बन्धित को देना होगा
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	ग्रामीण क्षेत्रों में सचिव ग्राम पंचायत के कार्यालय तथा शहरी क्षेत्र में निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय में आवेदन जमा किये जाते है।
जेंडर	दोनों

VI- उच्च शिक्षा विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	डा0 अम्बेदकर मेधावी छात्रवृतिः अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	यह छात्रवृति अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के मेधावी छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है।
पात्रता	यह छात्रवृति ग्यारहवीं कक्षा के अलग-अलग 1250 अनुसूचित जाति तथा 1000 अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे मेधावी छात्र/छात्राओं को दी जाती है, जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हों और हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की परीक्षा में अपने-अपने वर्ग में शीर्ष के 1000 स्थान प्राप्त करते हैं, तथा राज्य में या राज्य से बाहर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लेते हैं (इसमें व्यवसायिक या तकनीकि शिक्षा संस्थान भी सम्मिलित हैं)। बाहरवीं कक्षा में इस छात्रवृति का नवीनीकरण ग्यारहवीं कक्षा/पाठ्यक्रम के पिछले वर्ष के आन्तरिक परीक्षा में संतोषजनक परिणाम पर निर्भर करेगा।
सहायता का ब्यौरा	यह छात्रवृति ₹12000/- रु0 प्रति वर्ष की दर से अनुसूचित जाति के मेधावी छात्राओं को दी जाती है। यह छात्रवृति ₹10000/- रु0 प्रति वर्ष की दर से अन्य पिछड़े वर्गो को दी जाती है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राऐं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
वाँछित दस्तावेज	1. पासपोर्ट आकार फोटो। 2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0) 3. हिमाचली प्रमाण पत्र।

4. दसवीं कक्षा एंव उसके बाद के परिणाम कार्ड।
5. छात्र-छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा
6. एस0 सी0/ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए) (डी0डी0एच0ई0/संस्थान के मुख्य को यह आदेश दिए जाते हे कि वे ऑनलाईन सत्यापन के दौरान दस्तावेजों को सख्ती से जाँच करें।)

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्च / उच्च शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	स्वामी विवेकानन्द छात्रवृति योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	यह छात्रवृति सामान्य वर्ग के मेधावी छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है।
पात्रता	यह छात्रवृति ग्यारहवीं कक्षा के 2000 सामान्य वर्ग के ऐसे मेधावी छात्र/छात्राओं को दी जाती है, जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हों और हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की परीक्षा में सामान्य वर्ग में शीर्ष के 2000 स्थान प्राप्त करते हैं, तथा राज्य में या राज्य से बाहर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लेते हैं (इसमें व्यवसायिक या तकनीकी शिक्षा संस्थान भी सम्मिलित हैं)। बाहरवीं कक्षा में इस छात्रवृति का नवीनीकरण ग्यारहवीं कक्षा/पाठ्यक्रम के पिछले वर्ष के आन्तरिक परीक्षा में संतोषजनक परिणाम पर निर्भर करेगा।
सहायता का ब्यौरा	यह छात्रवृति ₹10000/- रु0 प्रति वर्ष की दर से दी जाती है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राएं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
वाँछित दस्तावेज	1. पासपोर्ट आकार फोटो। 2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0)। 3. हिमाचली प्रमाण पत्र। 4. दसवीं कक्षा एंव उसके बाद के परिणाम कार्ड। 5. छात्र-छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा। 6. सामान्य श्रेणी प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए) (डी0डी0एच0ई0/संस्थान के मुख्य को यह आदेश दिए जाते हैं कि वे ऑनलाईन सत्यापन के दौरान दस्तावेजों को सख्ती से जाँच करें।)
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता
यह छात्रवृति अनुसूचित जन-जाति के मेधावी छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है।

पात्रता
यह छात्रवृति ग्यारहवीं कक्षा के अनुसूचित जन-जाति के 200 ऐसे मेधावी छात्र/छात्राओं को दी जाती है (100 छात्र तथा 100 छात्राएं), जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हों और हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की परीक्षा में अपने-अपने वर्ग में शीर्ष के 100 स्थान प्राप्त करते हैं, तथा राज्य में या राज्य से बाहर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लेते हैं (इसमें व्यवसायिक या तकनीकि शिक्षा संस्थान भी सम्मिलित हैं)। बाहरवीं कक्षा में इस छात्रवृति का नवीनीकरण ग्यारहवीं कक्षा/पाठ्यक्रम के पिछले वर्ष के आन्तरिक परीक्षा में संतोषजनक परिणाम पर निर्भर करेगा।

सहायता का ब्यौरा
यह छात्रवृति ₹11000/- रु0 प्रति वर्ष की दर से दी जाती है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?
इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राऐं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

वाँछित दस्तावेज
1. पासपोर्ट आकार फोटो।
2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0)
3. हिमाचली प्रमाण पत्र।
4. दसवीं कक्षा एंव उसके बाद के परिणाम कार्ड।
5. छात्र-छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा
6. एस0टी0 श्रेणी प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए) (डी0डी0एच0ई0/संस्थान के मुख्य को यह आदेश दिए जाते हैं कि वे ऑनलाईन सत्यापन के दौरान दस्तावेजों को सख्ती से जाँच करें।)

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी
सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।

जेंडर
दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	महर्षि वाल्मीकि छात्रवृति योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता
यह छात्रवृति अस्वच्छ व्यवसाय मे लगे बाल्मीकि परिवारों से सम्बन्ध रखने वाली स्थाई हिमाचली छात्राओं को अध्ययन करने के लिए दी जाती है।

पात्रता
यह छात्रवृति अस्वच्छ व्यवसाय मे लगे बाल्मीकि परिवारों से सम्बन्ध रखने वाली स्थाई हिमाचली छात्राओं को मैट्रिक के बाद महाविद्यालय स्तर तक के अध्ययन तथा व्यवसायिक पाठयक्रमों मे अध्ययन करने के लिए दी जाती है, जो कि राज्य में स्थित किसी सरकारी या निजी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत हो।

सहायता का ब्यौरा
यह छात्रवृति ₹ 9000/- रु0 प्रति वर्ष की दर से दी जाती है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?
इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राएं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज
1. पासपोर्ट आकार फोटो।
2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0)
3. हिमाचली प्रमाण पत्र।
4. दसवीं कक्षा एंव उसके बाद के परिणाम कार्ड।
5. छात्र-छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा
6. माता-पिता का प्रमाण पत्र/अभिभावक जोकि अस्वच्छ व्यवसाय से सम्बद्ध हो (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए) (डी0डी0एच0ई0/संस्थान के मुख्य को यह आदेश दिए जाते हे कि वे ऑनलाईन सत्यापन के दौरान दस्तावेजों को सख्ती से जाँच करें।)

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी
सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।

जेंडर
दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	इन्दिरा गांधी उत्कृष्ठ छात्रवृति योजना +2 श्रेणी

उद्देश्य एवम् विशेषता — यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है, जिन्होंने बाहरवीं परीक्षा की मैरिट सूचि में प्रथम 10 स्थान (कला, विज्ञान एंव वाणिज्य क्षेत्र में) प्राप्त किये हो और जिन्होंने वार्षिक स्नातक परीक्षा की मैरिट सूचि में प्रथम 10 स्थान (कला, विज्ञान एंव वाणिज्य क्षेत्र में, अन्तिम परिणाम) प्राप्त किये हों।

पात्रता — यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है, जिन्होंने हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, द्वारा संचालित वार्षिक बाहरवीं परीक्षा की मैरिट सूचि में प्रथम 10 स्थान (प्रथम दस अव्वल प्रत्येक श्रेणी बारवीं कला, विज्ञान और वाणिज्य) छात्रों के लिए, प्राप्त किये हो और जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविधालय द्वारा सचांलित की गई वार्षिक स्नातक परीक्षा की मैरिट सूचि में प्रथम 10 स्थान (प्रथम दस अव्वल प्रत्येक श्रेणी बाहरवीं कला, विज्ञान और वाणिज्य) (छात्र-छात्राओं के लिए) प्राप्त किये हों और किसी शैक्षणिक/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो। यह छात्रवृति बाहरवीं/स्नातक के पश्चात किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए देय होगी।

सहायता का ब्यौरा — यह छात्रवृति ₹10000/- रु0 प्रति वर्ष की दर से दी जाती है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राऐं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज

1. पासपोर्ट आकार फोटो।
2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0)
3. हिमाचली प्रमाण पत्र।
4. दसवीं कक्षा एंव उसके बाद के परिणाम कार्ड।
5. छात्र-छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	राष्ट्रीय इडियन मिलिट्री कालेज छात्रवृति योजना आर0आई0एम0सी0

उद्देश्य एवम् विशेषता — यह छात्रवृति सभी स्थाई हिमाचली निवासी केडेट/छात्रों को, जो कि राष्ट्रीय भारतीय मिलिट्री कालेज (आर0आई0एम0सी0), देहरादून में अध्ययनरत हों, प्रदान की जाती है।

पात्रता — यह छात्रवृति दस स्थाई हिमाचली निवासी केडेट/छात्रों को आठवी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक दी जाती है, जो कि राष्ट्रीय भारतीय मिलिट्री कालेज (आर0आई0एम0सी0), देहरादून में अध्ययनरत हों।

सहायता का ब्यौरा — यह छात्रवृति ₹20000/- रु0 प्रति वर्ष की दर से दी जाती है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज

1. पासपोर्ट आकार फोटो।
2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0)
3. हिमाचली प्रमाण पत्र। 4. दसवीं कक्षा एंव उसके बाद के परिणाम कार्ड।
4. छात्रों के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।

जेंडर — पुरुष

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	आई0आर0डी0पी0 छात्रवृति योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — यह छात्रवृति आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 परिवारों से समबन्ध रखने वाले, हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है।

पात्रता

यह छात्रवृति आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 परिवारों से सम्बन्ध रखने वाले, हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है जो नौवीं से विश्वविद्यालय स्तर तक राज्य के किसी सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य शिक्षा संस्थान मे अध्ययन कर रहे हों।

सहायता का ब्यौरा

इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत 9वीं - 10वीं कक्षा के छात्र को ₹300/- रु0 प्रतिवर्ष एंव छात्रा को ₹600/- रु0 प्रतिवर्ष, तथा ग्यारहवीं एवं बाहरवीं कक्षा के छात्र को ₹800/- रु0 प्रतिवर्ष एंव छात्रा को ₹800/- रु0 प्रतिवर्ष दिया जाता है। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र /छात्रा को ₹1200/- रु0 प्रतिवर्ष एंव छात्रावासी छात्र/छात्रा को ₹2400/- रु0 प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राऐं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकतेहैं।

वाँछित दस्तावेज

1. पासपोर्ट आकार फोटो।
2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0)
3. हिमाचली प्रमाण पत्र।
4. दसवीं कक्षा एंव उसके बाद के परिणाम कार्ड।
5. छात्र-छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा 6. आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए) (डी0डी0एच0ई0/संस्थान के मुख्य को यह आदेश दिए जाते हे कि वे ऑनलाईन सत्यापन के दौरान दस्तावेजों को सख्ती से जाँच करें।)

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	सैनिक स्कूल छात्रवृति

उद्देश्य एवम् विशेषता

यह छात्रवृति केवल सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा, हमीरपुर, में अध्ययनरत, हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी विद्यार्थियों को देय है।

पात्रता

यह छात्रवृति केवल सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा, हमीरपुर, में अध्ययनरत, हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी विद्यार्थियों को देय है। पात्र छात्र/छात्राओं का चयन सम्बन्धित पाठशाला के प्रधानाचार्य द्वारा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। यह छात्रवृति छठी कक्षा से जमा दो कक्षा तक प्रदान की जाती है।

सहायता का ब्यौरा

जिन माता-पिता की आय का स्तर ₹9220/- प्रतिमाह तक का हो, उन्हें ₹18000/- रु0 प्रतिवर्ष की दर से, जिनका ₹9221/- से ₹10650/- प्रतिमाह तक का हो, उन्हें ₹15000/- रु0 प्रतिवर्ष की दर से, जिनका ₹10651/- से ₹11470/- प्रतिमाह तक का हो, उन्हें ₹12000/- रु0 प्रतिवर्ष की दर से, एंव जिन माता-पिता की आय का स्तर ₹11471/- प्रतिमाह से अधिक हो, उन्हें ₹8000/- रु0 प्रतिवर्ष की दर से दिया जाता है। आहार शुल्क 10 रुपये प्रति केडेट 295 दिनों के लिए तथा वस्त्र भत्ता 1500/- रुपये वार्षिक प्रथम वर्ष के लिए और 750 रुपये वार्षिक आगामी वर्षो के लिए प्रदान किया जाता हैं।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राऐं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

वाँछित दस्तावेज

1. पासपोर्ट आकार फोटो।
2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0)
3. हिमाचली प्रमाण पत्र।
4. दसवीं कक्षा एंव उसके बाद के परिणाम कार्ड।
5. छात्र-छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा
6. माता-पिता /अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए) (डी0डी0एच0ई0/संस्थान के मुख्य को यह आदेश दिए जाते हे कि वे ऑनलाईन सत्यापन के दौरान दस्तावेजों को सख्ती से जाँच करें।)

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	कल्पना चावला छात्रवृति योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष बाहरवीं की 2000 मेधावी छात्राओं को योग्यता के आधार पर ग्रुप वाईज, सांईस, कला और वाणिज्य संकाय के उत्तीर्ण मैरिट सूचि के आधार पर प्रदान की जाती है।

पात्रता — यह छात्रवृति योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 से लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष बाहरवीं की 2000 मेधावी छात्राओं को योग्यता के आधार पर ग्रुप वाईज, सांईस, कला और वाणिज्य संकाय के उतीर्ण अनुपातानुसार, हि. प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, कांगड़ा, द्वारा जारी की गई मैरिट सूचि के आधार पर प्रति वर्ष प्रदान की जाती है।

सहायता का ब्यौरा — यह छात्रवृति ₹15000/- रु0 प्रति वर्ष की दर से दी जाती है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — इस छात्रवृति योजना के लिए छात्राऐं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज

1. पासपोर्ट आकार फोटो।
2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0)
3. हिमाचली प्रमाण पत्र।
4. दसवीं कक्षा एंव उसके बाद के परिणाम कार्ड।
5. छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।

जेंडर — महिला

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	मुख्य मन्त्री प्रोत्साहन योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — इस प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के स्थाई छात्र/छात्राओं को जिनका चयन एवं दाखिला भारतीय तकनीकी संस्थानों (आई.आई.टी.) या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (ए.आई.आई.एम.एस.) या भारतीय प्रबन्धन संस्थानों (आई.आई.एम.) में मैट्रीकोतर स्नातक डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए किया गया हो। झारखंड के धनबाद में स्थित प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आई.एस.एम.) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आई.आई.एस.सी.), बेंगलूर, कर्नाटक को भी वर्ष 2014-2015 से उक्त प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

पात्रता — यह प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 से लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के स्थाई छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि एक बार दी जाती है, जिनका चयन एवं दाखिला भारतीय तकनीकी संस्थानों (आई.आई.टी.) या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (ए.आई.आई.एम.एस.) या भारतीय प्रबन्धन संस्थानों (आई.आई.एम.) में मैट्रीकोतर स्नातक डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए किया गया हो। झारखंड के धनबाद में स्थित प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आई.एस.एम.) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आई.आई.एस.सी.), बेंगलूर, कर्नाटक को भी वर्ष 2014-2015 से उक्त प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

सहायता का ब्यौरा — इस प्रोत्साहन योजना में ₹75000/- रु0 की प्रोत्साहन राशि एक बार दी जाती है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राऐं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज

1. पासपोर्ट आकार फोटो।
2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0)
3. हिमाचली प्रमाण पत्र।
4. दसवीं कक्षा के बाद पिछले वर्ष के परिणाम कार्ड।
5. छात्र-छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा
6. आई.आई.टी., आई.आई.एम., ए.आई.आई.एम.एस., आई.आई.एम, और आई.आई.एस.सी. संस्थानों में चयन का प्रमाण पत्र। (संस्थान के मुख्य को यह आदेश दिए जाते हे कि वे ऑनलाईन सत्यापन के दौरान दस्तावेजों को सख्ती से जाँच करें।)

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति। **जेंडर** दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	मुख्य मन्त्री ज्ञानदीप योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

मुख्य मन्त्री ज्ञानदीप योजना हिमाचल प्रदेश के सभी स्थाई छात्र- छात्राओं के लिए आरम्भ की गई है जिसमें की राज्य के सभी छात्र-छात्राएं मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम और उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी भी बैंक से शिक्षण ऋण ले सकते हैं।

पात्रता

राज्य सरकार द्वारा मुख्य मन्त्री ज्ञानदीप योजना हिमाचल प्रदेश के सभी स्थाई छात्र-छात्राओं के लिए आरम्भ की गई है जिसमें की राज्य के सभी छात्र -छात्राएं मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम और उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी भी बैंक से शिक्षण ऋण ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य हिमाचल के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वितिय सहायता प्रदान करना है। हिमाचल के सभी छात्र- छात्राएं इस योजना का सीधे रुप से किसी भी बैंक से लाभ उठा सकते हैं।

सहायता का ब्यौरा

इस योजना के अन्तर्गत् छात्र-छात्राऐं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिकतम् राशि मु0 10.00 (दस लाख रुपये) तक की राशि ले सकते हैं, जिसके लिए छात्र-छात्राओं को 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर दी जाएगी।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राएं यूको बैंक नोडल एजेन्सी/किसी भी बैंक के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज

बैंक द्वारा वाँछित दस्तावेज।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

यूको बैंक नोडल एजेन्सी/ सम्बन्धित बैंक जिसके माध्यम से अभियार्थी ने ऋण के लिए आवेदन किया हो।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	विभिन्न युद्धों के दौरान मारे गए /अपंग हुए सशस्त्र सेना कार्मिकों के बच्चों के लिए छात्रवृति

उद्देश्य एवम् विशेषता

विभिन्न संक्रियाओं युद्धों के दौरान मारे गए/अंपग हुऐ सशस्त्र सेना कार्मिकों के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है।

पात्रता

विभिन्न संक्रियाओं/युद्धों के दौरान मारे गए/अंपग हुए सशस्त्र सेना कार्मिकों के बच्चे इस छात्रवृति के पात्र हैं। ऐसे मामलों में जिन सैनिकों की अपंगता 50 प्रतिशत से कम होती है, उनके बच्चों को उक्त योजना के अन्तर्गत आधी छात्रवृति प्रदान की जाती है। छात्रवृति प्रदान करने हेतु पात्र विद्यार्थी को ऑनलाईन आवेदन अपनी संस्था के मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष के माध्यम से करना होगा। संस्थान ऑनलाईन आवेदन सम्बन्धित जिला के सैनिक कल्याण बोर्ड को प्रेषित करेगा। सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं के प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर तथा छानबीन के उपरान्त शिक्षा निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतू प्रेषित किया जाएगा।

सहायता का ब्यौरा

इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत 9वीं - 10वीं कक्षा के छात्र को ₹300/- रु0 प्रतिवर्ष एंव छात्रा को ₹600/- रु0 प्रतिवर्ष, तथा ग्यारहवीं एवं बाहरवीं कक्षा के छात्र को ₹800/- रु0 प्रतिवर्ष एंव छात्रा को ₹800/- रु0 प्रतिवर्ष दिया जाता है। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र/छात्रा को ₹1200/- रु0 प्रतिवर्ष एंव छात्रावासी छात्र/छात्रा को ₹2400/- रु0 प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राएं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज

1. पासपोर्ट आकार फोटो।
2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0)
3. हिमाचली प्रमाण पत्र।
4. दसवीं कक्षा एंव उसके बाद के परिणाम कार्ड।
5. छात्र-छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	एन0डी0ए0 छात्रवृति योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

यह छात्रवृति राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन0डी0ए0), खडकवासला, पूना, में ट्रेनिंग ले रहे हिमाचल प्रदेश के छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है।

पात्रता

यह छात्रवृति राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन0डी0ए0), खडकवासला, पूना, में ट्रेनिंग ले रहे हिमाचल प्रदेश के छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है।

सहायता का ब्यौरा

इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत आय वर्ग को तीन स्तरों में बांटा गया है। प्रारम्भिक एकमुश्त वस्त्र अनुदान (प्रति कैडेट) निम्न स्तर में ₹3000/-रु0, मध्यम स्तर में ₹2250/-रु0 तथा उच्च स्तर में ₹1500/- रु0 प्रदान किये जाएंगे तथा प्रथम से तृतीय वर्ष के हर छमाही सत्र के लिए जेब खर्च भत्ता, निम्न स्तर में ₹1500/- रु0 प्रति सत्र, मध्यम स्तर में ₹1200/- रु0 प्रति सत्र तथा उच्च स्तर में ₹900/-रु0 प्रति सत्र प्रदान किये जाएंगे। कुल निम्न स्तर में ₹12000/- रु0, मध्यम स्तर में ₹9450/- रु0 तथा उच्च स्तर में ₹6900/- रु0 प्रदान किये जाएंगे।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राएं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज

1. पासपोर्ट आकार फोटो।
2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0)
3. हिमाचली प्रमाण पत्र।
4. दसवीं कक्षा एंव उसके बाद के परिणाम कार्ड।
5. छात्र-छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा।
6. माता-पिता /अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए)

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जाति की छात्राओं को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के लिए अनुदान योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

यह अनुदान राशि हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी अनु0 जाति/अनु0 जन-जाति छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है। जिन्होंने 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो और उस वर्ष की 31 मार्च को 16 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो तथा अविवाहित हो।

पात्रता

यह अनुदान राशि हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी अनु0 जाति/अनु0 जन-जाति की उन छात्राओं को देय है जिन्होंने 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो और उस वर्ष की 31 मार्च को 16 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो तथा अविवाहित हो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली किसी भी जाति/धर्म की छात्रा इस अनुदान की पात्र है।

सहायता का ब्यौरा

अनुदान की राशि ₹3000/- रु0 मियादी जमा खाते के रूप में होगी, जो कि छात्रा के 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर देय होगी बशर्ते उसने किसी उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 2 वर्ष तक नियमित शिक्षा प्राप्त की हो और 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राएं एन0एस0पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

वाँछित दस्तावेज

1. पासपोर्ट साईज छायाचित्र।
2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0)
3. हिमाचली प्रमाण पत्र।
4. पिछली कक्षा के परिणाम कार्ड।
5. छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा
6. एस0 सी0/एस0 टी0 प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए) (डी0डी0एच0ई0/संस्थान के मुख्य को यह आदेश दिए जाते हे कि वे ऑनलाईन सत्यापन के दौरान दस्तावेजों को सख्ती से जाँच करें।)

7. के0जी0बी0वी0 द्वारा मिडल पास प्रमाण पत्र (यदि छात्रां सामान्य वर्ग से हो।)

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।
जेंडर	महिला

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	अनुसूचित जाति वर्ग के लिये पूर्व-मैट्रिक छात्रवृति योजना (कक्षा 9वीं एवं 10वीं)

उद्देश्य एवम् विशेषता	यह छात्रवृति योजना किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान में 9वीं व 10वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है।
पात्रता	यह छात्रवृति योजना किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान में 9वीं व 10वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय है, जिनके माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक न हो। छात्रवृति का नवीनीकरण छात्र/छात्रा के अच्छे आचरण, नियमित उपस्थिति एवं 9वीं कक्षा उतीर्ण करने के पश्चात देय होगा।
सहायता का ब्यौरा	इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, एक शैक्षिणिक वर्ष में 10 माह की छात्रवृति, दिवा छात्र/छात्रा को ₹225/- रु0 प्रतिमाह एंव पुस्तक एवं तदर्थ भत्ता ₹750/- रु0 प्रतिवर्ष तथा छात्रावासी छात्र/छात्रा को, ₹525/- रु0 प्रतिमाह एंव पुस्तक एवं तदर्थ भत्ता ₹1000/- रु0 प्रतिवर्ष दिया जाता है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राएं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
वाँछित दस्तावेज	1. पासपोर्ट साईज छायाचित्र। 2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0) 3. हिमाचली प्रमाण पत्र। 4. पिछली कक्षा के परिणाम कार्ड। 5. छात्र-छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा 6. एस0 सी0 प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के दरजे का नहीं होना चाहिए) (डी0डी0एच0ई0/संस्थान के मुख्य को यह आदेश दिए जाते हे कि वे ऑनलाईन सत्यापन के दौरान दस्तावेजों को सख्ती से जाँच करें।) 7. माता-पिता /अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए)
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	अनुसूचित जन-जाति वर्ग के लिये पूर्व-मैट्रिक छात्रवृति योजना कक्षा 9वीं एवं 10वीं

उद्देश्य एवम् विशेषता	यह छात्रवृति योजना किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान में 9वीं व 10वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जन-जाति के छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है।
पात्रता	यह छात्रवृति योजना किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान में 9वीं व 10वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जन-जाति के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय है, जिनके माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख से अधिक न हो। छात्रवृति का नवीनीकरण छात्र/छात्रा के अच्छे आचरण, नियमित उपस्थिति एवं 9वीं कक्षा उतीर्ण करने के पश्चात देय होगा।
सहायता का ब्यौरा	इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, एक शैक्षिणिक वर्ष में 10 माह की छात्रवृति, दिवा छात्र/छात्रा को ₹150/- रु0 प्रतिमाह एंव पुस्तक एवं तदर्थ भत्ता ₹750/- रु0 प्रतिवर्ष तथा छात्रावासी छात्र/छात्रा को, ₹350/- रु0 प्रतिमाह एंव पुस्तक एवं तदर्थ भत्ता ₹1000/- रु0 प्रतिवर्ष दिया जाता है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राएं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

वाँछित दस्तावेज

1. पासपोर्ट साईज छायाचित्र।
2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0)
3. हिमाचली प्रमाण पत्र।
4. पिछली कक्षा के परिणाम कार्ड।
5. छात्र-छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा
6. एस0टी0 प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए) (डी0डी0एच0ई0/संस्थान के मुख्य को यह आदेश दिए जाते हे कि वे ऑनलाईन सत्यापन के दौरान दस्तावेजों को सख्ती से जाँच करें।)
7. माता-पिता /अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए)

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये पूर्व-मेट्रिक छात्रवृति योजना कक्षा पहली से 10वीं

उद्देश्य एवम् विशेषता

यह छात्रवृति योजना किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान में पहली से 10वीं कक्षा तक अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है।

पात्रता

यह छात्रवृति योजना किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान में पहली से 10वीं कक्षा तक अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय है, जिनके माता-पिता/संरक्षक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹2,50,000/- से अधिक न हो।

सहायता का ब्यौरा

इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, छात्र/छात्रा को पहली से 10वीं कक्षा तक ₹100/- रु0 प्रतिमाह की दर से, जोकि दिवा छात्र (डे स्कॉलर) हो तथा तीसरी से 10वीं कक्षा तक ₹500/- रु0 प्रतिमाह की दर से, जोकि छात्रावासी (होस्टलर) हो तथा इसके अतिरिक्त एक शैक्षिणिक वर्ष में 10 माह की छात्रवृति के साथ पहली से 10वीं कक्षा तक के लिए प्रतिवर्ष ₹500/- रु0 की तदर्थ राशि भी देय होगी।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

इस छात्रवृति योजना के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र/छात्राओं को एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। कक्षा पहली से 8वीं तक उप शिक्षा निदेशक, विद्यालयों और खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों से बजट मांगे एकत्रित कर, अपने जिला की संकलित बजट मांग इस निदेशालय को स्पष्ट रूप में भिजवाएंगे।

वाँछित दस्तावेज

1. पासपोर्ट साईज छायाचित्र।
2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0)
3. हिमाचली प्रमाण पत्र।
4. पिछली कक्षा के परिणाम कार्ड।
5. छात्र-छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा
6. ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए) (डी0डी0एच0ई0/संस्थान के मुख्य को यह आदेश दिए जाते हे कि वे ऑनलाईन सत्यापन के दौरान दस्तावेजों को सख्ती से जाँच करें।)
7. माता-पिता /अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए)

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	अनुसूचित जाति वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी, अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है।

पात्रता

यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी, अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय होगी, जो किसी सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त/प्राईवेट संस्थान में अध्ययनरत हों तथा जिनके माता पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹250000/- से कम हो।

सहायता का ब्यौरा	सभी पाठ्यक्रमों के लिए पूरा निर्वाह भत्ता और पूरी फीस की अदायगी नियमानुसार की जाएगी। विभिन्न श्रेणी के देय दर अलग-अलग है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राएं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in)के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
वाँछित दस्तावेज	1. पासपोर्ट साईज छायाचित्र। 2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0) 3. हिमाचली प्रमाण पत्र। 4. दसवीं कक्षा के बाद पिछले वर्ष के परिणाम कार्ड। 5. छात्र-छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा 6. एस0 सी0 प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के दरजे का नहीं होना चाहिए) (डी0डी0एच0ई0/संस्थान के मुख्य को यह आदेश दिए जाते हे कि वे ऑनलाईन सत्यापन के दौरान दस्तावेजों को सख्ती से जाँच करें।) 7. माता-पिता /अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए)
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	अनुसूचित जन-जाति वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी, अनुसूचित जन-जाति के छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है जो किसी सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त/प्राईवेट संस्थान में अध्ययनरत हों।
पात्रता	यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी, अनुसूचित जन-जाति के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय होगी, जो किसी सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त/प्राईवेट संस्थान में अध्ययनरत हों तथा जिनके माता पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹250000/- से कम हो।
सहायता का ब्यौरा	सभी पाठ्यक्रमों के लिए पूरा निर्वाह भत्ता और पूरी फीस की अदायगी नियमानुसार की जाएगी। विभिन्न श्रेणी के देय दर अलग-अलग है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राएं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
वाँछित दस्तावेज	1. पासपोर्ट साईज छायाचित्र। 2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0) 3. हिमाचली प्रमाण पत्र। 4. दसवीं कक्षा के बाद पिछले वर्ष के परिणाम कार्ड। 5. छात्र-छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा 6. एस0 टी0 प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के दरजे का नहीं होना चाहिए) (डी0डी0एच0ई0/संस्थान के मुख्य को यह आदेश दिए जाते हे कि वे ऑनलाईन सत्यापन के दौरान दस्तावेजों को सख्ती से जाँच करें।) 7. माता-पिता /अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए)
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता
यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है जो किसी सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत हों।

पात्रता
यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय होगी, जो किसी सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत हों तथा जिनके माता पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹1,50,000 से कम हो।

सहायता का ब्यौरा
सभी पाठयक्रमों के लिए पूरा निर्वाह भत्ता और पूरी फीस की अदायगी नियमानुसार की जाएगी। विभिन्न श्रेणी के देय दर अलग-अलग है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?
इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राएं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज
1. पासपोर्ट साईज छायाचित्र।
2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0)
3. हिमाचली प्रमाण पत्र।
4. दसवीं कक्षा के बाद पिछले वर्ष के परिणाम कार्ड।
5. छात्र-छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा
6. ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के दरजे का नहीं होना चाहिए) (डी0डी0एच0ई0/संस्थान के मुख्य को यह आदेश दिए जाते हे कि वे ऑनलाईन सत्यापन के दौरान दस्तावेजों को सख्ती से जाँच करें।)
7. माता-पिता /अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए)

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी
सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।

जेंडर
दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जाति के छात्र छात्राओं को योग्यतास्तर बढ़ाने की योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता
इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत रा0व0मा0पा0 भरमौर, चम्बा, की 9वीं कक्षा में दाखिला लेने वाले, हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी, 6 अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जन-जाति के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है।

पात्रता
इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत रा0व0मा0पा0 भरमौर, चम्बा, की 9वीं कक्षा में दाखिला लेने वाले, हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी, 6 अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जन-जाति से सम्बन्धित (कुल 7) विद्यार्थियों को आठवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम की वरीयता सूचि के आधार पर छात्रवृति की राशि प्रदान की जाती है। इस छात्रवृति की राशि कक्षा 9वीं से बाहरवीं तक देय होगी।

सहायता का ब्यौरा
इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, फीस एंव लेखन साम्रगी के लिए ₹2500/- रु0 प्रतिमाह, बोर्डिंग और लॉजिंक के लिए ₹700/-रु0 प्रतिमाह एंव पॉकेट भता से ₹200/- रु0 प्रतिमाह दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन छात्र/छात्राओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों को ₹8000/- प्रति सत्र प्रति छात्र/छात्रा की दर से, मानदेय भी दिया जाएगा।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?
इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राएं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज
1. पासपोर्ट साईज छायाचित्र।
2. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0 न0)
3. हिमाचली प्रमाण पत्र।
4. दसवीं कक्षा के बाद पिछले वर्ष के परिणाम कार्ड।
5. छात्र-छात्राओं के वर्तमान बैंक खाता संख्या का ब्यौरा
6. एस0 सी0/एस0 टी0 प्रमाण पत्र (ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, जोकि तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए) (डी0डी0एच0ई0/संस्थान के मुख्य को यह आदेश दिए जाते हे कि वे ऑनलाईन सत्यापन के दौरान दस्तावेजों को सख्ती से जाँच करें।)

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मैरिट-कम-मीन्ज छात्रवृति योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है।
पात्रता	यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम - 38, सिक्ख - 20, ईसाई - 3, बौद्ध - 20, कुल़ = 81) के उन छात्र/छात्राओं को देय होगी, जिनके माता-पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹250000/- से अधिक न हो व पिछली उर्तीण की गई परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों तथा छात्र/छात्रा मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी या व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों।
सहायता का ब्यौरा	इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, एक शैक्षिणिक वर्ष में 10 माह का निर्वाह भता, दिवा छात्र/छात्रा को ₹5000/- रु0 प्रतिवर्ष (₹500/- रु0 प्रतिमाह) एंव कोर्स फीस ₹20000/- रु0 प्रतिवर्ष या जो वास्तविक से कम हो, कुल ₹25000/- रु0 प्रदान किया जाता है तथा छात्रावासी छात्र/छात्राओं को, ₹10000/- रु0 प्रतिवर्ष (₹1000/- रु0 प्रतिमाह) एंव कोर्स फीस ₹20000/- रु0 प्रतिवर्ष या जो यथार्थ से कम हो, कुल ₹30000/- रु0 प्रदान की जाती है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राएं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
वाँछित दस्तावेज	1. संस्थान द्वारा सत्यापित आवेदन (अनिवार्य) 2. परिवार की आय का घोषणा-पत्र (अनिवार्य) 3. विद्यार्थी का घोषणा-पत्र (अनिवार्य) 4. उतीर्ण की गई आखिरी परीक्षा की सत्यापित प्रमाण जोकि आवेदन पर भरी गई हो। (अनिवार्य) 5. 'वर्तमान कोर्स वर्ष' की फीस रसीद (अनिवार्य) 6. विद्यार्थी के नाम पर खाता संख्या का प्रमाण (अनिवार्य) 7. विज्ञापन में राज्य विभाग द्वारा मांगा गया आय का प्रमाण पत्र (यदि माता-पिता /अभिभावक नौकरी करते है तो प्रवर्तक का आय प्रमाण) (वैकल्पित) 8. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0)(वैकल्पित) 9. पते का प्रमाण (वैकल्पित)
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी अल्प संख्यक समुदाय छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है।
पात्रता	यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी अल्प संख्यक समुदाय (मुस्लिम - 320, सिक्ख - 171, ईसाई - 27, बौद्ध - 168, जैन- 4, पारसी - 0, कुल़ = 690) के उन छात्र/छात्राओं को देय होगी, जिनके माता-पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹200000/- से अधिक न हो व पिछली उर्तीण की गई परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों। छात्र/छात्रा सरकारी/गैर सरकारी वरि0 मा0 पाठशाला/महाविद्यालय /विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 11वीं से पी0 एच0 डी0 पाठ्यक्रम तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हों या तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रम, जो कि एन0सी0वी0टी0 से मान्यता प्राप्त हो, कर रहे हों।
सहायता का ब्यौरा	इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए प्रवेश और शिक्षण फीस दिवा छात्र/छात्रा और छात्रावासी छात्र/छात्राओं को वास्तविक अधिकतम सीमा ₹7000/- रु0 प्रतिवर्ष, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश और पाठ्यक्रम शिक्षण शुल्क ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा का। कच्चे माल आदि के लिए फीस शुल्क शामिल है वास्तविक अधिकतम सीमा पर ₹10000/- रु0 प्रतिवर्ष, स्नातक स्नातकोत्तर के लिए प्रवेश और शिक्षण शुल्क। वास्तविक अधिकतम सीमा ₹3000/- रु0 प्रदान की जाती है। केवल एक अकादमिक वर्ष में 10 महीने के लिए रखरखाव भत्ता अध्ययन सामग्री आदि के लिए खर्च शामिल है जिसमें कक्षाएं और तकनीकी और व्यावसायिक सहित इस स्तर के पाठ्यक्रम में दिवा छात्र/छात्रां को ₹230/- रु0 प्रतिमाह और छात्रावासी छात्र/छात्राओं को, ₹380/-रु0, तकनीकी और पेशेवर के अलावा अन्य पाठ्यक्रम में को ₹300/- रु0 प्रतिमाह और छात्रावासी छात्र/छात्राओं को, ₹570/- रु0 एम फिल और पीएचडी उन शोधकर्ताओं के लिए जो नहीं हैं विश्वविद्यालय या किसी

अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी भी फैलोशिप से सम्मानित स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम के लिए ₹550/- रु0 प्रतिमाह और छात्रावासी छात्र/छात्राओं को, ₹1200/- रु0 देय है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राएं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज

1. संस्थान द्वारा सत्यापित आवेदन (अनिवार्य)
2. परिवार की आय का घोषणा-पत्र (अनिवार्य)
3. विद्यार्थी का घोषणा-पत्र (अनिवार्य)
4. उत्तीर्ण की गई आखरी परीक्षा की सत्यापित प्रमाण जोकि आवेदन पर भरी गई हो। (अनिवार्य)
5. 'वर्तमान कोर्स वर्ष' की फीस रसीद (अनिवार्य)
6. विद्यार्थी के नाम पर खाता संख्या का प्रमाण (अनिवार्य)
7. विज्ञापन में राज्य विभाग द्वारा मांगा गया आय का प्रमाण पत्र (यदि माता-पिता /अभिभावक नौकरी करते है तो प्रवर्तक का आय प्रमाण) (वैकल्पित)
8. आधार कार्ड (यू0आई0डी0/ई0आई0डी0)(वैकल्पित)
9. पते का प्रमाण (वैकल्पित))

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	शारीरिक रुप से अक्षम विकलांग छात्र छात्राओं के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

यह छात्रवृति योजना हिमाचल प्रदेश के स्थाई विकलांग छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है।

पात्रता

यह छात्रवृति योजना हिमाचल प्रदेश के उन स्थाई विकलांग छात्र/छात्राओं के लिए देय है जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो, जिसे राज्य सरकार के सक्षम चिकित्सक प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया और जो किसी सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त/प्राईवेट संस्थान में अध्ययनरत हों तथा जिनके माता पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹250000/- से कम हो।

सहायता का ब्यौरा

इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, ग्रुप-1 में 10 माह के लिए दिवा छात्र-छात्राओं को ₹550 रु0 निर्वाह भता तथा छात्रावासी छात्र-छात्राओं को ₹1200 रु0 निर्वाह भता, ग्रुप-2 में 10 माह के लिए दिवा छात्र-छात्राओं को ₹530 रु0 निर्वाह भता तथा छात्रावासी छात्र-छात्राओं को ₹820 रु0 निर्वाह भता, ग्रुप-3 में 10 माह के लिए दिवा छात्र-छात्राओं को ₹300 रु0 निर्वाह भता तथा छात्रावासी छात्र-छात्राओं को ₹570 रु0 निर्वाह भता तथा ग्रुप-4 में 10 माह के लिए दिवा छात्र-छात्राओं को ₹230 रु0 निर्वाह भता तथा छात्रावासी छात्र-छात्राओं को ₹380 रु0 निर्वाह भता दिया जाता है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राएं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज

1. आधार आईडी या यदि उपलब्ध नहीं है आधार नामांकन संख्या।
2. सरकार के जिला चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल के नागरिक सर्जन द्वारा डिजाइन किए गए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र।
3. योजना दिशानिर्देशों के अनुसार नामित प्राधिकारी द्वारा जारी माता-पिता आय प्रमाण पत्र अर्थात राजस्व प्राधिकरण द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित। तहसीलदार)। फॉर्म 16 स्वीकार्य नहीं है।
4. पिछले साल की अंक पत्र की प्रति।
5. ट्यूशन शुल्क रसीद।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	विमुक्त एंव घुमंतू (नोमैडिक छात्र छात्राओं के लिए मैट्रिकोत्तर डा0 अम्बेदकर छात्रवृति योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	यह छात्रवृति योजना विमुक्त एंव घुमंतू (नोमैडिक) छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है।
पात्रता	यह छात्रवृति योजना विमुक्त एंव घुमंतू (नोमैडिक) छात्र/छात्राओं के लिए प्रारम्भ की गई है, जिनके माता पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2.0 लाख प्रतिवर्ष से कम हो।
सहायता का ब्यौरा	इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, ग्रुप-1 में 10 माह के लिए दिवा छात्र-छात्राओं को ₹550 रु0 निर्वाह भता तथा छात्रावासी छात्र-छात्राओं को ₹1200 रु0 निर्वाह भता, ग्रुप-2 में 10 माह के लिए दिवा छात्र-छात्राओं को ₹530 रु0 निर्वाह भता तथा छात्रावासी छात्र-छात्राओं को ₹820 रु0 निर्वाह भता, ग्रुप-3 में 10 माह के लिए दिवा छात्र-छात्राओं को ₹300 रु0 निर्वाह भता तथा छात्रावासी छात्र-छात्राओं को ₹570 रु0 निर्वाह भता तथा ग्रुप-4 में 10 माह के लिए दिवा छात्र-छात्राओं को ₹230 रु0 निर्वाह भता तथा छात्रावासी छात्र-छात्राओं को ₹380 रु0 निर्वाह भता दिया जाता है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राएं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
वाँछित दस्तावेज	1. हस्ताक्षर के साथ पासपोर्ट आकार फोटो (स्वयं प्रमाणित)। 2. आधार कार्ड (यूआईडी / ईआईडी संख्या)। 3. हिमाचल बोनफाइड सर्टिफिकेट। 4. पिछले वर्ष (ओं) मैट्रिक से परिणाम कार्ड (सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित)। 5. छात्र बैंक खाते का नवीनतम बैंक स्टेटमेंट। 6. माता-पिता / अभिभावक के आय प्रमाणपत्र (मूल में) (एक अधिकृत राजस्व अधिकारी द्वारा जारी तहसीलदार के पद से नीचे नहीं)। कृपया ध्यान दें कि आय प्रमाणपत्र माता-पिता / अभिभावक के नाम पर होना चाहिए परिवार, और छात्र के नाम पर नहीं। 7. गैप वर्ष शपथ पत्र, डॉ। अम्बेडकर प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए डीएनटी (सीएसएस)और डीएनटी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। (सीएसएस) (मूल में)। 8. विश्वविद्यालय / बोर्ड / राज्य सरकार / केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना। निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों के मामले में संस्थान के प्रमुख द्वारा स्वयं अनुमोदित शुल्क संरचना वैध नहीं है। 9. भुगतान फीस रसीदें।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	आर्थिक रुप से कमजोर छात्र छात्राओं के लिए डा0 अम्बेदकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है।
पात्रता	यह छात्रवृति हि०प्र० के स्थाई निवासी, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय होगी, जो किसी सरकारी संस्थान में अध्ययनरत हों तथा जिनके माता पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹100000 से कम हो।
सहायता का ब्यौरा	सभी पाठयक्रमों के लिए पूरा निर्वाह भत्ता और पूरी फीस की अदायगी नियमानुसार की जाएगी। विभिन्न श्रैणी के देय दर अलग-अलग है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राएं एन0 एस0 पी0 पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से समय सीमा के अन्दर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
वाँछित दस्तावेज	1. हस्ताक्षर के साथ पासपोर्ट आकार फोटो (स्वयं प्रमाणित)। 2. आधार कार्ड (यूआईडी / ईआईडी संख्या)। 3. हिमाचल बोनफाइड सर्टिफिकेट। 4. पिछले वर्ष (ओं) मैट्रिक से परिणाम कार्ड (सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित)।

5. छात्र बैंक खाते का नवीनतम बैंक स्टेटमेंट।
6. माता-पिता / अभिभावक के आय प्रमाणपत्र (मूल में) (एक अधिकृत राजस्व अधिकारी द्वारा जारी तहसीलदार के पद से नीचे नहीं)। कृपया ध्यान दें कि आय प्रमाणपत्र माता-पिता / अभिभावक के नाम पर होना चाहिए परिवार, और छात्र के नाम पर नहीं।
7. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), सामान्य श्रेणी के छात्रों (मूल में) के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) योजना के लिए गैप वर्ष शपथ पत्र।
8. विश्वविद्यालय / बोर्ड / राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना। / केंद्र सरकार।
9. शुल्क भुगतान रसीदें।

आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित संस्थान/उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर/उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 शिमला-171001/राज्य नोडल अधिकारी छात्रवृति

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	विकलांग छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृति

उद्देश्य एवम् विशेषता — इस योजना के तहत, मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातक/ स्नातकोतर स्तर के व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 1000 पात्र विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है।

पात्रता — लाभार्थी / अभिभावक / संरक्षक की सभी स्त्रोतो से मासिक आय ₹25000/- (₹3.00 लाख प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सहायता का ब्यौरा — इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत एक शैक्षिणिक वर्ष में 10 माह की छात्रवृति स्नातक स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्र / छात्रा को ₹2500. रु0 प्रतिमाह एवं पुस्तक एवं लेखन-सामग्री भत्ता ₹6000 रु0 प्रतिवर्ष तथा स्नातकोतर स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्र / छात्रा को ₹3000 रु0 प्रतिमाह एंव पुस्तक एवं लेखन-सामग्री भत्ता ₹10000 रु0 प्रतिवर्ष दिया जाता है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — पात्र छात्र वर्ष के दौरान किसी भी समय ऑनलाइन www.nhfdc.nic.in आवेदन कर सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज

(i) शैक्षणिक रिकॉर्ड- प्रासंगिक प्रमाणपत्र / मार्क शीट की प्रमाणित प्रतियां योग्यता परीक्षा।
(ii) वार्षिक आय का सबूत-आय के सबूत में अंतिम वेतन पर्ची शामिल होगी अभिभावक / अभिभावक, की पावती आयकर / आय प्रमाण पत्र ई से राजस्व अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/सार्वजनिक प्रतिनिधि। एमपी, विधायक, एमएलसी, Panchayat
(iii) विकलांगता प्रमाण पत्र
(iv) अकादमी सत्र के दौरान विधिवत भुगतान की गई शुल्क रसीद;
(v) योग्य सहायक उपकरणों की प्राप्ति / चालान विधिवत संस्था के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित;
(vi) एक सफल वर्ष में छात्रवृत्ति जारी रखने के मामले में, पिछले वर्ष की मार्क शीट की एक प्रति।

आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी इस पत्ते पर जमा कर सकते हैं - “National Handicapped Finance & Development Corporation (NHFDC), Red Cross Bhawan, Sector-12, Faridabad – 121007”.अप्रत्यपर्णीय फीस की प्रतिपूर्ति इसी तरह के पाठ्यक्रम तक सीमित रहेगी।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	विकलांग छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृति योजना राष्ट्रीय फंड

उद्देश्य एवम् विशेषता — इस योजना के तहत, मान्यता प्राप्त संस्थानों से 1 वर्ष से अधिक अवधि के डिग्री और पोस्ट मैट्रिक स्तर के व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 500 पात्र विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है।

पात्रता — पात्र छात्र ऑनलाइन; www.nhfdc.nic.in आवेदन कर सकते हैं, लाभार्थी / अभिभावक / संरक्षक की सभी स्त्रोतो से मासिक आय ₹15000/- (₹1.80 लाख प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सहायता का ब्यौरा — इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत डिपलोमा/सर्टिफिकेट स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दिवा छात्र/छात्रा को ₹400 रु0 प्रतिमाह एंव स्नातक और ऊपर के स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए ₹700 रु0 प्रतिमाह तथा डिपलोमा/सर्टिफिकेट स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रावासी छात्र छात्रा को ₹700 रु0 प्रतिमाह एंव स्नातक और ऊपर के स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए ₹1000 रु0 प्रतिमाह दिया जाता है। पाठ्यक्रम फीस (अधिकतम) ₹10000/- प्रतिवर्ष देय है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	पात्र छात्र वर्ष के दौरान किसी भी समय ऑनलाइन www.nhfdc.nic.in आवेदन कर सकते हैं।
वाँछित दस्तावेज	(i) शैक्षणिक रिकॉर्ड- प्रासंगिक प्रमाणपत्र / मार्क शीट की प्रमाणित प्रतियां योग्यता परीक्षा। (ii) वार्षिक आय का सबूत-आय के सबूत में अंतिम वेतन पर्ची शामिल होगी अभिभावक / अभिभावक, की पावती आयकर / आय प्रमाण पत्र ई से राजस्व अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/सार्वजनिक प्रतिनिधि उदा। एमपी, विधायक, एमएलसी, Panchayat (iii) विकलांगता प्रमाण पत्र; (iv) अकादमी सत्र के दौरान विधिवत भुगतान की गई शुल्क शुल्क रसीद; (v) योग्य सहायक उपकरणों की प्राप्ति / चालान विधिवत संस्था के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित; (vi) एक सफल वर्ष में छात्रवृत्ति जारी रखने के मामले में, पिछले वर्ष की मार्क शीट की एक प्रति।
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी इस पत्ते पर जमा कर सकते हैंः -“National Handicapped Finance & Development Corporation (NHFDC), Red Cross Bhawan, Sector-12, Faridabad – 121007”.
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना (अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिए)

उद्देश्य एवम् विशेषता	यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम - 08, सिक्ख - 04, ईसाई - 02, बौद्ध - 04, कुल़ = 18) की छात्राओं को देय है।
पात्रता	यह छात्रवृति उन छात्राओं देय होगी, जिनके माता-पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹100000/- से अधिक न हो व हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की परीक्षा में 55 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो।
सहायता का ब्यौरा	रुपये की राशि 50:50 ई.आई. के अनुपात में एक छात्र को 12,000/- रुपये। (केवल बारह हजार रुपये) दिए जाएंगे। कक्षा XIth के लिए 6,000/- (केवल छह हजार रुपये) और कक्षा XIIth के लिए रु। 6,000 / - (केवल छह हजार रुपये)दिए जाएंगे। रुपये की दूसरी किस्त कक्षा 12 वीं के लिए 6,000 / - (छह हजार रुपये) के बाद जारी किया जाएगा ग्यारहवीं परीक्षा और सत्यापन प्रमाण पत्र की मार्क शीट जमा करना, स्कूल / कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा प्रमाणित/सत्यापित दोनों, जहां छात्र XIIth में पढ़ रहे हैं। यह छात्र द्वारा ग्यारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष के 30 सितंबर तक फाउंडेशन के कार्यालय में सीधे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। छात्र को दूसरी किस्त प्राप्त करने के योग्य होने के लिए XIth परीक्षा में न्यूनतम 55% सुरक्षित करना होगा 6000/- रुपये।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन वेब साइट www.maef.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
वाँछित दस्तावेज	a) आय प्रमाण पत्र / शपथ पत्र b) वर्तमान में प्रिंसिपल द्वारा प्रमाणित मार्क शीट स्कूल कॉलेज c) वर्तमान स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन / कॉलेज d) वर्तमान स्कूल / कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा प्रमाणित फोटो e) वर्तमान स्कूल / कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा प्रमाणित धर्म प्रमाण पत्र का सबूत
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवेदन पत्र छात्र द्वारा सख्त भेजा जा सकता है डाक द्वारा फाउंडेशन के लिए सीधे फाउंडेशन के कार्यालय में हाथ से पहुंचाया।
जेंडर	महिला

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा

उद्देश्य एवम् विशेषता	सरकारी एवं निजी स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्राओं/छात्रों को प्रतिभा की पहचान कर उन्हें उच्च शिक्षा एंव व्यवसायिक पाठयक्रमों में स्नातक उपाधि तक शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृति प्रदान करना।

पात्रता	1. दसवीं कक्षा में कोई भी विद्यार्थी जिसने 9 वीं कक्षा में पिछले वर्ष सामान्य वर्ग ,अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में 60 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, शारीरिक रूप से अक्षम वर्ग में 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर उतीर्ण की हो। 2. मुक्त एंव दूरवर्ती शिक्षण संस्थानों (NIOS,ODL,SOS) में पढ़ रहे विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते है। यदि 1 जुलाई,वर्तमान वर्ष तक उनकी आयु 18 वर्ष से कम हो और वे कहीं नौकरी न करते हों तथा दसवीं की परीक्षा में पहली बार बैठ रहें हो। इसके लिए सक्षम अधिकरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। 3. NCERT के दिशा निर्देशों के अनुसार 15 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति 7.5 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति , 27 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (आय 8 लाख से कम) व 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (आय 8 लाख से कम) तथा 4 प्रतिशत सीटें दिव्यांग विद्यार्थियों अक्षमता 40 प्रतिशत से अधिक के लिए आरक्षित होगी।
सहायता का ब्यौरा	द्विस्तरीय परीक्षा में उतीर्ण 2000 विद्यार्थियों को 1250/रू0 -प्रतिमाह कक्षा 10+1 में और 10+2 के स्तर पर तथा 2000/- रू0 प्रतिमाह स्नातक एवं स्नातकोतर मिलते है। पी0एच0डी0 स्तर पर छात्रवृति यू0जी0सी0 के नियमानुसार तय की जाती है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति को राजकीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन हि0प्र0-173211 से प्राप्त की जा सकती है या www.himachalservices.nic.in/scert से डाउनलोड किया जा सकता है
वाँछित दस्तावेज	9वीं कक्षा की अंक तालिका की सत्यापित छायाप्रति आरक्षित वर्ग , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	प्राचार्य, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद,सोलन (हिमाचल प्रदेश)-173211
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	राष्ट्रीय साधन एंव पात्रता योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	प्रदेश के निम्न आय वर्ग के 832 छात्र एंव छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करना जिससे कि वह अपनी उच्च शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रख सकें एंव स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। इसमें 15 प्रतिशत छात्रवृतियां,अनुसूचित जाति,7.5 अनुसूचित जन-जाति एंव 3 प्रतिशत दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षित है।
पात्रता	किसी भी सरकारी,स्थानीय निकाय द्वारा संचालित अथवा 95 प्रतिशत सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थान की 8वीं में पढ़ रहा कोई भी नियमित छात्र जिसने 7वीं कक्षा में 55 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हो, परीक्षा में बैठने का पात्र होगा। आरक्षित वर्ग के लिए अकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी। छात्र के माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1,50,000/ रूपये से कम होनी चाहिए।
सहायता का ब्यौरा	छात्रवृति 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा अर्थात 4 वर्ष के लिए 1000/- रूपये प्रतिमाह होगी, लेकिन छात्रा/छात्र ने 8वीं,9वीं,11वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं में 55 प्रतिशत तथा 10वीं में 60 प्रतिशत अंक लेने अनिवार्य होगें। आरक्षित वर्ग के लिए अकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन स्कूल प्रधानचार्य के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन की प्रति को राजकीय शैक्षिक अंनुसधान एंव प्ररिक्षण परिषद सोलन,हि0प्र0 की website http://himachalservices.nic.in/scert से डाउनलोड किया जा सकता है।
वाँछित दस्तावेज	1. आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति। 2. 7वीं कक्षा में 55 प्रतिशत या अधिक अकों प्राप्त करने की अंक तालिका की छायाप्रति। 3. आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र(अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छाया प्रति)
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	प्राचार्य, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद,सोलन (हिमाचल प्रदेश)-173211
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	श्री निवासा रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	स्कूलों / कालेजों में गतिविधियों को सीखने के उद्देश्य को मजबूत करना।
पात्रता	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा के 4400 तथा बारहवीं कक्षा के 4400 मेधावी छात्र/ छात्राएँ तथा हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय से मान्यता प्राप्त कालेज के (900 स्नातक डिग्री पास) मेधावी छात्रा व छात्राएँ।
सहायता का ब्यौरा	पात्र छात्र/छात्रा को लैपटॉप प्रदान किया जाता हैं तथा कालेज के विद्यार्थियों को लैपटाप के साथ प्रतिमाह एक जी० बी० मुफ्त डाटा दिया जा रहा है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सहायता प्राप्त करने के लिए आवदेन की प्रक्रिया, सम्बंधित जिले के उप-निदेशक शिक्षा (उच्चतर) / कालेज कार्यालय में की जाती है। पात्र मेधावी छात्र / छात्राओं की सूची तथा प्रपत्र www.educationhp.org पर उपलब्ध होते हैं।
वाँछित दस्तावेज	पाठशाला/कालेज के प्रधानाचार्य/ मुख्याध्यापक द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं का सत्यापित प्रमाण पत्र, जहाँ से विद्यार्थी ने 10वीं , 12वीं तथा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बंधित जिले के उप-निदेशक शिक्षा (उच्चतर) कार्यालय में आवेदन जमा किये जाते हैं।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलो मे पढ़ने वाले कक्षा 9वीं और 10वीं के एससी0, एसटी0, ओ0बी0सी0, आई0आर0डी0पी0/ बी0पी0एल0 के छात्र-छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाना।
पात्रता	प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलो मे पढ़ने वाले कक्षा 9वीं और 10वीं के एससी0, एसटी0, ओ0बी0सी0, आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 से सम्बन्धित बच्चे।
सहायता का ब्यौरा	इस योजना के अन्तर्गत, प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलो मे पढ़ने वाले कक्षा 9वीं और 10वीं के एससी0, एसटी0, ओ0बी0सी0, आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 के छात्र-छात्राओं को समस्त विषयो की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाना।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस योजना के लिए प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलो के समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर) हि0 प्र0 के माध्यम से निर्देश जारी किये जाते है कि शैक्षणिक सत्र मे सरकारी स्कूलों में एससी0, एसटी0, ओ0बी0सी0, आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 से सम्बन्धित दाखिल हुए बच्चों का ब्यौरा हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड को भेजें तथा उसी अनुसार बोर्ड से पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करके सम्बन्धित एससी0, एसटी0, ओ0बी0सी0, आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 के बच्चे को वितरित करें।
वाँछित दस्तावेज	एससी0, एसटी0, ओ0बी0सी0, आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 क प्रमाण पत्र जो कि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हो।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित स्कूल जिसमें छात्र-छात्राएं दाखिल हो।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	व्यावसायिक में स्नातक डिग्री प्रोग्राम (बी0 वाॅक डिग्री प्रोग्राम)

उद्देश्य एवम् विशेषता	विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करना। राज्य सरकार ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक की सहायता से 12 डिग्री कालेजों में 2 कोर्स रिटेल मैनेजमैन्ट और हास्पटैलिटी एंव टुरिजम कोर्स सत्र 2017-2018 से आरम्भ किये हैं।
पात्रता	45 प्रतिशत अकों के साथ 10+2 की परीक्षा किसी भी सकांय में उर्तीण की हो।
सहायता का ब्यौरा	राज्य सरकार ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक की सहायता से 12 डिग्री कालेजों (राजकीय महाविद्यालय संजौली रामपुर,सोलन,नाहन,बिलासपुर,हमीरपुर,चम्बा,कुल्लू,मण्डी, धर्मशाला,नूरपुर ,ऊना) में 2 कोर्स रिटेल मैनेजमैन्ट और हास्पटैलिटी एंव टुरिजम कोर्स विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक 1 महीने से 4 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण सम्बन्धित उद्योग में करवाया जाता है जिसमें खाने का रहने का प्रबन्ध भी निःशुल्क किया जाता है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सम्बन्धित कालेज से।
वाँछित दस्तावेज	10+2 उर्तीण प्रमाण पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित कालेज के प्रधानाचार्य।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	राष्ट्रीय सेवा योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

1. समुदाय की जरूरतों और समस्याओं की पहचान करना और उन्हें समस्या में शामिल करके समस्या का निदान करना।
2. आपस में सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना।
3. नेतृत्व की गुणत्वता का विकास करना।
4. राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेंदारियों के बारे के जागरूक करना और नैतिक मूल्यों को जगाना।
5. आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदा के दौरान इन क्षेत्रों में मदद और सहयोग करना।
6. सामुदायिक सेवाओं के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना।
7. छात्रों में कार्य संस्कृति विकसित करना।

पात्रता	जिन स्कूलों में राष्ट्रीय सेवा योजना चल रही है उन स्कूलों के सभी कक्षा 11 वीं व 12 वीं के छात्र पात्र होते है।
सहायता का ब्यौरा	जो छात्र नियमित गतिविधियों मे दो वर्ष में 240 घंटे पूरे करते हो और सात दिवसीय शिवर में भाग लेते हो उन सभी छात्रों को एन0 एस0एस0 प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा नौकरी में तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के साक्षात्कार में महत्व दिया जाता है और विश्वविद्यालय में प्रवेश के दौरान दो प्रतिशत अंक दिये जाते है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सम्बन्धित स्कूल के प्रधानाचार्य से जानकारी ली जा सकती हैं
वाँछित दस्तावेज	शून्य
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित स्कूल में जमा करवा सकते हैं।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	सैनिटरी नैपकिन इंसीनरेटर योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	यह योजना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में कार्यरत महिलाओं और पढ रही किशोरियों की समस्या/स्वच्छता को सुधारने के लिए शुरु किया गया है।
पात्रता	सम्बन्धित सरकारी स्कूलों में कार्यरत महिलाओं एवं पढ रही किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना।
सहायता का ब्यौरा	हिमाचल प्रदेश सरकारी स्कूलों में इंसीनरेटर और मशीने उपलब्ध करवाना।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सम्बन्धित स्कूल में लगाई गई मशीने/ इंसीनरेटर।
वाँछित दस्तावेज	शून्य
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	प्रधानाचार्य सम्बन्धित स्कूल। **जेंडर** महिला

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	मेधा प्रोत्साहन योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — गरीब मेधावी छात्रों को राज्य एवंम राज्य से बाहर के प्रतिष्ठित संस्थानो में कोचिंग हेतु सहायता।

पात्रता

(I) 12वीं पास/परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए /11वीं में अंको की प्रतिशतता-75 प्रतिशत सामान्य वर्ग तथा 65 प्रतिशत आरक्षित वर्ग।

(II) स्नातक स्तर के लिए स्नातक परीक्षा में अकों की प्रतिशतता-50 प्रतिशत सामान्य वर्ग तथा 45 प्रतिशत आरक्षित वर्ग।

सहायता का ब्यौरा — 1.00 लाख चयनित विद्यार्थी

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — www.educationhp.org

वाँछित दस्तावेज — 10वीं,11वीं,12वीं/स्नातक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र।

आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

1. संयुक्त शिक्षा निदेशक (कॉलेज),शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),हिमाचल प्रदेश, शिमला.171001।
2. राज्य परियोजना अधिकारी, राज्य परियोजना मूल्यांकन तथा नवीन प्रयास ईकाई, काटेज न0-14, ब्रोकहर्स्ट, कसुमपटी शिमला-9 medhaprotsahanhp@gmail.com

जेंडर — दोनों

VII- हि० प्र० विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद्

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	युवा विज्ञान पुरस्कार योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ावा देना।

पात्रता — हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 12 वीं कक्षा मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम संयुक्त प्रथम 10 मेधावी छात्रों को हर साल युवा विज्ञान पुरस्कार योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा।

सहायता का ब्यौरा — सहायता राशि प्रथम 10 मेधावी छात्रों को निम्न प्रकार से वितरित की जाएगी। स्थान राशि पहला 1,00,000/- दूसरा 90,000/- तीसरा 80,000/- चौथा 70,000/- पांचवा 60,000/- छठा 50,000/- सातवां 40,000/- आठवां 30,000/- नौवां 20,000/- दसवां 10,000/-

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद, एस डी ए कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला.171009 www.himcoste.hp.gov.in

वाँछित दस्तावेज — हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, धर्मशाला द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार।

आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (बाल विज्ञान सम्मेलनद्) हि0प्र0 विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद, एस0 डी0 ए0 कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला.171009 दूरभाषः 0177-2621992, 2814923

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	आंशिक यात्रा समर्थन योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — भारत या विदेश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संगोष्ठी कार्यशाला में भाग लेने के लिए आंशिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता — हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद, शिमला में शैक्षिक या अनुसंधान संस्थान में काम करने वाले मेधावी युवा और अनुसंधानरत वैज्ञानिकों के लिए आंशिक यात्रा अनुदान राशि प्रदान करना।

सहायता का ब्यौरा — अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अधिकतम मु0 60,000/- रुपये और राष्ट्रीय यात्रा के लिए अधिकतम मु0 10,000/- या कुल यात्रा व्यय का 60 प्रतिशत जो भी कम हो।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	हि0प्र0 विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद, एस डी ए कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला.171009 website www.himcoste.hp.gov.in
वाँछित दस्तावेज	निर्धारित प्रपत्र पर यात्रा टिकट, यात्रा एवं सम्मेलन का संक्षिप्त विवरण इत्यादि।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अनुसंधान एवं विकासद्) हि0प्र0 विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद, एस डी ए कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला.171009 दूरभाषः 0177-2621992, 2814923
जेंडर	दोनो

VIII- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	आधार एवं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर

उद्देश्य एवम् विशेषता	भारत के सभी निवासिओं को पहचान का प्रमाण करना, डुप्लीकेट/ अपात्र लाभार्थियों का समर्पण और पहचान करना।
पात्रता	सभी भारतीय निवासी।
सहायता का ब्यौरा	आधार पंजीकरण/ अपडेशन/ ई-आधार सेवा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	निकटतम आधार नामांकन/ पंजीकरण केन्द्र www.uidia.gov.in
वाँछित दस्तावेज	-
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	निकटतम आधार नामांकन/ पंजीकरण केन्द्र
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	लोक मित्र केन्द्र

उद्देश्य एवम् विशेषता	ग्रामीण स्तर पर नागरिक को जी 2 सी और बी 2 सी सेवायें प्रदान करना।
पात्रता	आधार, पैन कार्ड, और बैंक खाता संख्या।
सहायता का ब्यौरा	HPSEBL,IPH, Land Records, HPSSC, PAN, Passport, Digital Education, FSSA, PMAY, Banking, Education, PMDISHA
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	www.lmk.gov.in www.csc.gov.in
वाँछित दस्तावेज	प्रधान से एनओसी, पता प्रमाण, पहचान पत्र, शपथ पत्र (स्वयं), आधार, पैन।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	www.lmk.gov.in LMK helpdesk-0177-2629721 CSC.gov.in- 1800-180-8999
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	ई-जिला एमएमपी

उद्देश्य एवम् विशेषता	ई-जिला एमएमपीका उद्देश्य जिला और उप विभाजन स्तर पर पहचाने गये नागरिक केन्द्रित सेवाओं के इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी पर है
पात्रता	हिमाचल प्रदेश निवासी
सहायता का ब्यौरा	नागरिक ऑनलाइन माध्यम से एकीकृत तरीके से सेवाओं का लाभ उठा सकतें हैं
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	Toll-Free No.1800-180-8076 www.edistrict.hp.gov.in
वाँछित दस्तावेज	ऑनलाइन सेवा के अनुसार
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	ऑनलाइन/ सुगम केन्द्र
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	ई-प्रोक्योरमेंट

उद्देश्य एवम् विशेषता	खरीद प्रक्रिया को स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त एवं कम समय में ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण करना।
पात्रता	कोई भी राज्य सरकार का विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि।
सहायता का ब्यौरा	प्रशिक्षण एवं सहायता और समर्थन।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	www.hptenders.gov.in
वाँछित दस्तावेज	टेंडर सम्बन्धित दस्तावेज।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आईटी भवन मेहली, शिमला, हिमाचल प्रदेश-171013
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	मुख्यमंत्री सेवा संकल्प

उद्देश्य एवम् विशेषता	जनता की समस्याओं व शिकायत निवारण के लिए टोल फ्री नंबर 1100
पात्रता	हिमाचल प्रदेशवासी।

सहायता का ब्यौरा	शिकायत दर्ज होते ही "मुख्यमंत्री सेवा संकल्प" में तैनात कर्मचारियों द्वारा वह संबंधित अधिकारी को समाधान के लिए भेज दी जाएगी।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	टोल फ्री नंबर 1100 डायल करा http://cmsankalp.hp.gov.in/
वाँछित दस्तावेज	.
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का कार्यालय। http://cmsankalp.hp.gov.in/
जेंडर	दोनों

IX- भू-अभिलेख एवं चकबंदी विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	डिजिटल इंडिया भू - अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)

उद्देश्य एवम् विशेषता

1. इस कार्यक्रम के अंतर्गत भू-अभिलेख कम्प्युट्रीकरण करना तथा प्रदेश की मुसवियों को डिजिटाइज्ड करने उपरांत जमाबंदी के साथ एकीकृत करके आम जनता को उपलब्ध करवाना।
2. भूमि अभिलेखो के प्रबंधन को आधुनिकीकरण, भूमि/ संपत्ति विवादों के दायरे को कम करना और भूमि अभिलेख रख रखाव प्रणाली मे पारदर्शिता लाना।
3. जनता द्वारा अपने भू -अभिलेखों की 24*7 ऑनलाइन प्राप्ति।
4. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश मे "ई -स्टांपिंग प्रणाली" को लागू किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत स्टांप शुल्क व पंजीकरण फीस को एकत्रित किया जाता है। इस नयी परियोजना के संचालन के लिए "स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(SHCIL)" को बतौर "केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (CRA)" के रूप मे प्राधिकृत किया गया है। बैंकों शाखाओं/ डाकघरों के अलावा स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की अपनी शाकाओं को बतौर "प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों (Authorized collection centres)" के रूप मे नियुक्त किया जाना है।

पात्रता	आम जनता हेतु।
सहायता का ब्यौरा	उक्त योजना बर्ष 2008-09 के दौरान 50:50 केन्द्रीय व राज्य अंश के रूप मे सहायतार्थ तथा बर्ष 2015 के उपरांत 100% केन्द्रीय प्रायोजित।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सहायता लेने के लिए प्रार्थी सुगम केंद्र व लोक मित्र केंद्र के साथ-साथ राजस्व विभाग himachal.nic.in/revenue/ की वैबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	संबन्धित भूमि का खेवट/ खतौनी/ खसरा नंबर या मालिक के नाम के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सुगम केंद्र व लोक मित्र केंद्र व संपर्क सूत्र संबन्धित तहसीलदार/नायब-तहसीलदार।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	भू-एकत्रीकरण

उद्देश्य एवम् विशेषता

1. कृषि जोतों को एकत्रित करना।
2. भू- जोत के खंडकरण को रोकना।
3. ग्राम को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि आरक्षित रखना।

पात्रता	आम जनता हेतु।
सहायता का ब्यौरा	100% राज्य प्रायोजित।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सहायता लेने के लिए प्रार्थी मंडलायुक्त, उपायुक्त और उपमंडलाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
वाँछित दस्तावेज	संबन्धित भूमि का खेवट/ खतौनी/ खसरा नंबर या मालिक के नाम के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सुगम केंद्र व लोक मित्र केंद्र व संपर्क सूत्र संबन्धित तहसीलदार/नायब-तहसीलदार।
जेंडर	दोनो

X- पुलिस विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	संरक्षण योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष व उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनकी सहायता करना।
पात्रता	65 वर्ष व उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति।
सहायता का ब्यौरा	सप्ताह में एक बार बीट आरक्षी ऐसे व्यक्तियों से सम्पर्क करता है तथा उसको आवश्यक सहायता प्रदान करता है, जैसे- बिजली पानी आदि के बिल भरने में सहायता देना व अन्य पुलिस से सम्बन्धित शिकायतों का निवारण करना।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक, उप-मण्डल पुलिस अधिकारी या थाना प्रभारी से सहायता प्राप्त की जा सकती है। कोई दस्तावेज वाँछित नहीं है।
वाँछित दस्तावेज	कोई दस्तावेज वाँछित नहीं है।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन करने की आवश्यकता नही है बल्कि बीट आरक्षी उसकी बीट में निवास करने वाले 65 वर्ष व अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों की स्वयं सूची बनाता है।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	विश्वास योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस योजना के अन्तर्गत स्कूली बच्चों तथा जन समूहों को थाने में बुलाया जाता है, जिससे उनको पुलिस की कार्यप्रणाली का ज्ञान हो तथा उनके मन से पुलिस का डर दूर हो सके। स्कूली बच्चों तथा जन समूहों द्वारा थाने के कर्मचारियों के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली पर बातचीत व विचार विमर्श भी किया जाता है।
पात्रता	कोई पात्रता निर्धारित नहीं है।
सहायता का ब्यौरा	स्कूली बच्चों तथा जन समूहों को पुलिस की कार्यप्रणाली से अवगत करवाना तथा उनके मन से पुलिस का डर दूर करना।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इसके लिये आवेदन करने की आवश्यकता नही होती है। बल्कि सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा स्कूली बच्चों व जन समूहों को थाने में बुलाया जाता है।
वाँछित दस्तावेज	कोई दस्तावेज वाँछित नहीं है।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित थाना प्रभारी इस योजना का सम्पर्क सूत्र अधिकारी है।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	सहयोग योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — इस योजना का उद्देश्य पुलिस की कार्यप्रणाली में आम जनता की सहायता प्राप्त करना व जनता के साथ पुलिस का समन्वय स्थापित करना है।

पात्रता — कोई पात्रता निर्धारित नहीं है।

सहायता का ब्यौरा — इस योजना के अन्तर्गत राजपत्रित पुलिस अधिकारी प्रत्येक माह में स्कूलों, कॉलेज, गाँव, पंचायतों, जेलों तथा सुधार गृहों का दौरा करते हैं तथा नशाखोरी व सामाजिक बुराइयों के बारे में जानकारी देते हैं।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — इसके लिये आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा स्कूलों, कॉलेजों, गाँव, पंचायतों, जेलों तथा सुधार गृहों का दौरा किया जाता है।

वाँछित दस्तावेज — कोई दस्तावेज वाँछित नही है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक इस योजना का सम्पर्क सूत्र अधिकारी है।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	समर्थ योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — पुलिस विभाग के प्रशिक्षित पुरूष व महिला कर्मचारियों द्वारा छात्राओं को बिना हथियार से लड़ने व आत्मरक्षा के गुर सिखाने हेतु प्रशिक्षण देना। प्रतिवर्ष सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ताकि छात्राओं से छेड़छाड़ करने वालों व समाज विरोधी व्यक्तियों से अपनी सुरक्षा में समर्थ हो सके।

पात्रता — स्कूली छात्राएं।

सहायता का ब्यौरा — इस योजना के अन्तर्गत पुलिस कर्मचारियों द्वारा सरकारी स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं ताकि वे छेड़छाड़ करने वालों व समाज विरोधी व्यक्तियों से अपनी सुरक्षा में समर्थ हो सके।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — इसके लिये आवेदन करने की आवश्यकता नही होती है बल्कि पुलिस कर्मचारियों द्वारा स्कूलों में जाकर आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है।

वाँछित दस्तावेज — कोई दस्तावेज वाँछित नही है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक इस योजना का सम्पर्क सूत्र अधिकारी है।

जेंडर — महिला

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	मैत्री योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — इस योजना के अन्तर्गत पुलिस द्वारा उपयुक्त रणनीति व तंत्र तैयार करके पीड़ितों एवं गवाहों का संरक्षण व सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, जिससे वे स्वतन्त्र रूप से गवाही दे सके व सजा की दर में बढ़ौतरी हो।

पात्रता — पीड़ित एवं गवाह।

सहायता का ब्यौरा — इस योजना के अन्तर्गत गवाहों एवं पीड़ितों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाती है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — इसके लिये आवेदन करने की आवश्यकता नही होती है बल्कि जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा पीड़ितों व गवाहों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाती है।

वाँछित दस्तावेज — कोई नहीं।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक इस योजना का सम्पर्क सूत्र अधिकारी है।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	गुडिया हैल्पलाइन व शक्ति बटन एप्प

उद्देश्य एवम् विशेषता — संकट में किसी महिला द्वारा पुलिस को सूचना देने व पुलिस सहायता प्रदान करने हेतु।

पात्रता — कोई भी पीड़ित महिला।

सहायता का ब्यौरा — इस सेवा के अन्तर्गत मुसीबत में फंसी कोई भी महिला पुलिस को गुडिया हैल्पलाईन 1515 पर सूचना दे सकती है तथा सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तुरन्त पुलिस सहायता प्रदान की जाती है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

1. इसके लिये आवेदन करने की आवश्यकता नही होती है अपितु संकट के समय में 1515 नम्बर पर फोन किया जाता है।
2. अपने मोबाईल फोन में गूगल प्ले स्टोर से शक्ति बटन एप्प डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है।

वाँछित दस्तावेज — कोई दस्तावेज वाँछित नहीं है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक इस योजना का सम्पर्क सूत्र अधिकारी है।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	होशियार सिंह हैल्पलाइन

उद्देश्य एवम् विशेषता — वन माफिया, खनन माफिया व ड्रग माफिया इत्यादि के बारे में सूचना देने के लिये होशियार सिंह हैल्पलाईन शुरू की गई है।

पात्रता — कोई नहीं है।

सहायता का ब्यौरा — वन माफिया, खनन माफिया व ड्रग माफिया इत्यादि के बारे में फोन न0 1090 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही की जाती है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — इसकी सेवा के लिये आवेदन करने की आवश्यकता नही होती है अपितु माफिया के बारे में 1090 नम्बर पर फोन किया जाता है।

वाँछित दस्तावेज — कोई दस्तावेज वाँछित नहीं है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक इस योजना का सम्पर्क सूत्र अधिकारी है।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	लोक सेवा गारन्टी अधिनियम-2011

उद्देश्य एवम् विशेषता — लोक सेवा गारन्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं का निश्चित समय अवधि में निपटारा किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति देना -रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तत्काल पासपोर्ट सत्यापन (तत्काल) -07 दिन पासपोर्ट सत्यापन -15 दिन चरित्र सत्यापन -15 दिन पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, होटल व बार इत्यादि के लिये एन0ओ0सी0 -15 दिन शस्त्र लाईसैंस - व्यक्तिगत रूप से पेश होने के 15 दिनों के बाद। शस्त्र लाईसैंस का स्थानान्तरण - व्यक्तिगत रूप से पेश होने के 15 दिनों के बाद। गुमशुदा रिपोर्ट -रिपोर्ट मिलने के तुरन्त बाद। एस0एम0एस0 से पुलिस सहायता - 24 घण्टे के भीतर आनलाईन शिकायत पर कार्यवाही -24 घण्टे के भीतर (इन्टरनेट उपलब्धता के आधार पर) यातायात चालानों का आनलाईन भुगतान -तुरन्त।

पात्रता — कोई नहीं।

सहायता का ब्यौरा — निर्धारित समयावधि में सेवा प्रदान कर सकता है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — आवेदन कर्ता निर्धारित फार्म पर आवेदन कर सकता है जो कि उपरोकत सेवा से सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी किया गया हो और साधारण पत्र पर भी आवेदन कर सकता है।

वाँछित दस्तावेज — सेवा के अनुसार दस्तावेज वाँछित है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक इस योजना का सम्पर्क सूत्र अधिकारी है।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	पुलिस कैडेट योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — पुलिस कैडेट योजना के अन्तर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 8वीं व 9वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को पुलिस कैडेट का प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह योजना अभी कार्यान्वित नहीं हुई है।

पात्रता — सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 8वीं व 9वीं कक्षा के छात्र-छात्राएं।

सहायता का ब्यौरा — चुने हुए स्कूलों के छात्र-छात्राओं को पुलिस कैडेट का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — आवेदन करने की कोई प्रक्रिया नहीं है क्योकि यह योजना चयनित स्कूलों के छात्र-छात्राओं के लिये कार्यन्वित की जानी है।

वाँछित दस्तावेज — कोई नहीं।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक इस योजना का सम्पर्क सूत्र अधिकारी है।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	थाना स्तर पर नशा निवारण समितियों का गठन

उद्देश्य एवम् विशेषता

थाना स्तर पर नशा निवारण समितियों को गठित करने के उद्देश्य निम्न हैः-

(1) युवा स्तर पीढ़ी को नशे से रोकना
(2) आम जनता को नशे के प्रभाव से जागरूक करवाना
(3) नशे के कारोबार से जुडे व्यक्तियों की सूचना एकत्रित करना
(4) भांग व अफीम की खेती के बारे में सूचनाओं का संकलन एवं खेती को नष्ट करने हेतु जनसहयोग।

पात्रता — कोई पात्रता नहीं। कोई भी व्यक्ति नशा निवारण समिति का सदस्य बन सकता है।

सहायता का ब्यौरा

1. प्रत्येक पुलिस थाना स्तर पर नशा निवारण समिति जागरूकता अभियान एवं सम्बन्धित सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। नशे की तस्करी से सम्बन्धित सूचनाएं समिति के सदस्यों द्वारा गुप्त रूप से संयोजक व सचिव के मोबाईल पर दी जाती है।
2. समिति के संयोजक माह में कम से कम एक बैठक का आयोजन करते है तथा आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। संयोजक बैठक की कार्यवाही एक रजिस्टर में लिखता है। नशा निवारण समिति के सदस्यों के पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस आदि) व टेलिफोन नम्बरों का रिकार्ड रखता है। बैठक के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों व सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाती है।
3. बैठक में नशा निवारण से सम्बन्धित जागरूकता अभियान की समीक्षा की जाती है। बैठक से पूर्व अथवा बैठक के बाद समिति के सदस्य नशे के व्यापार से सम्बन्धित सूचना गुप्त रूप से संयोजक या सचिव को देते हैं।
4. आम जनता को नशे के दुष्प्रभाव से जागरूक करने के लिए नशा निवारण समिति के सदस्यों द्वारा समय-समय पर जागरूकता शिवरों का आयोजन किया जाता है। जागरूकता शिवरों के आयोजन के लिए सम्बन्धित विभागों का सहयोग लिया जाता है।
5. नशा निवारण समिति के सदस्यों द्वारा राज्यों में भांग व अफीम की खेती करने वाले क्षेत्रों की पहचान करके भांग व अफीम की खेती को महिला मण्डल व स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से नष्ट करने के हर प्रयास किये जाते हैं तथा भांग एवं अफीम की खेती की रोकथाम के लिए भी प्रयास किये जाते हैं।
6. नशा निवारण समिति नशे से पीड़ित व्यक्तियों की व्यसन मुक्ति व पुनर्वास में भी यथासंभव मदद की जाती है। अपने क्षेत्र के उन युवाओं के बारे में जो नशे के आदी है की जानकारी हासिल कर उनके परिवार के सदस्यों को गुप्त रूप से ऐसे युवाओं का ईलाज करवाने के लिये व्यसन मुक्ति केन्द्रों में भेजे जाने के बारे में सलाह मशवरा दिया जाता है। इस संदर्भ में एकत्रित सूचना गुप्त रखी जाती है ताकि सम्बन्धित परिवार को किसी प्रकार की सामाजिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — आवेदन करने की कोई प्रक्रिया नहीं है अपितु नशा निवारण समिति के सदस्य बनने के लिये सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक या थाना प्रभारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

वाँछित दस्तावेज — कोई नहीं।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारी इस योजना का सम्पर्क सूत्र अधिकारी है।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	पीड़ित महिलाओं/यौन उत्पीड़न व अन्य अपराध, मुआवजा योजना, 2018

उद्देश्य एवम् विशेषता — पीड़ित महिला/यौन हमले व अन्य अपराधों से बची महिलाओं और उनके आश्रितों के लिए मुआवजे का प्रावधान।

पात्रता — पीड़ित महिला या उसके आश्रित मुआवजा अनुदान के लिए पात्र होंगे। यह योजना महिला विशिष्ट है तथा नाबालिगों के मामले में लिंग तटस्थ है।

सहायता का ब्यौरा — -

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सहायता लेने के लिए आवेदन उप मंडल विधिक सेवाएं समिति / जिला या राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त आवेदक राज्य विधिक व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की वेबसाइट पर योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
वाँछित दस्तावेज	-
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवेदक उप मंडल विधिक सेवाएं समिति / जिला या राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है।
जेंडर	महिला

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	हिमाचल प्रदेश (अपराध से पीड़ित व्यक्ति) प्रतिकर स्कीम, 2019 है

उद्देश्य एवम् विशेषता

(क) पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता और
(ख) पीड़ित व्यक्ति की आवश्यकता पर आधारित सहायक सेवाएं जैसे आश्रय देना, परामर्श देना, चिकित्सीय सहायता देना, विधिक सहायता देना, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।

पात्रता

पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर प्रदान किए जाने के लिए पात्र होगा-

(क) जहाँ विचारणीय न्यायलय संहिता की धारा 357-क की उपधारा (2) के अधीन इसकी संस्तुति करता है या संहिता की धारा 357-क- की उपधारा (4) के अधीन जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को आवेदन किया है;

(ख) प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में स्कीम के अधीन सहायता उपलब्ध होगी जहां प्रथम इत्तिला रिर्पोट दाखिल की गई है।

(ग) जहां विचारण न्यायालय का, विचारण के निष्कर्ष पर, यह समाधान हो जाता है की संहिता की धारा- 357 के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर, ऐसे पुनर्वास हेतु पर्याप्त नहीं है, या जहाँ मामला दोषमुक्ति या उन्मोचन से समाप्त हो गया है और पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वास किया जाना है तथा न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की गई है; परंतु पीड़ित व्यक्ति युक्तियुक्त समय सीमा के भीतर, किसी पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को, ऐसे पुलिस थाना की सीमाओं के भीतर हुए अपराध की या ऐसे अपराध से उदभूत अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त किसी न्यायिक दण्डाधिकारी को, सूचना देता है; परंतु यह और कि पीड़ित व्यक्ति मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान, पुलिस और अभियोजन के साथ सहयोग करता है; परंतु यह और भी कि आवेदन जिला जहाँ अपराध किया गया था (संहिता की धारा - 357-क की उपधारा (4) में यथा उपबंधित प्रतिकर के अधिनिर्णय के लिए) जिला के जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को, उपाबंध-1 पर आवेदन किया गया है।

सहायता का ब्यौरा	-
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	राज्य विधिक विधिक सेवाएं प्राधिकरण की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं।

वाँछित दस्तावेज	1. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या न्यायालय में की गई शिकायत की प्रति। 2. चिकित्सा रिपोर्ट की प्रति। 3. कोई अन्य भी।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	जिला या राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है।
जेंडर	दोनों

XI- युवा सेवाएं एवं खेल विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	उत्कृष्ट खिलाडियों को नकद पुरुस्कार से समान्नित करना

उद्देश्य एवम् विशेषता — उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पदक प्राप्त करने पर नकद पुरुस्कार से प्रोत्साहित करना।

पात्रता — ओलंपिक/कॉमनवेल्थ खेलों/एशियन खेलों/सीनियर नेशनल/अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता/जूनियर नेशनल/सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त होने पर।

सहायता का ब्यौरा

क्रम	सपर्धा	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	ओलिंपिक खेलों की व्यक्तिगत या टीम सपर्धा में	2,00,00,000/-	1,00,00,000/-	50,00,000/-
2	कॉमनवेल्थ खेलों/ एशियन खेलों में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में	20,00,000/-	10,00,000/-	6,00,000/-
3	किसी भी सीनियर नेशनल प्रतियोगिता की व्यक्तिगत स्पर्धा में	3,00,000/-	1,50,000/-	1,00,000/-
4	किसी भी सीनियर नेशनल प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में	1,00,000/-	50,000/-	30,000/-
5	अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता की व्यक्तिगत स्पर्धा में	50,000/-	30,000/-	20,000/-
6	अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में	20,000/-	15,000/-	10,000/-
7	राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता की व्यक्तिगत स्पर्धा में	50,000/-	30,000/-	20,000/-
8	राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में	20,000/-	15,000/-	10,000/-
9	किसी भी जूनियर अथवा सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता की व्यक्तिगत स्पर्धा में	50,000/-	30,000/-	20,000/-
10	किसी भी जूनियर अथवा सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में	20,000/-	15,000/-	10,000/-
11	राष्ट्रीय स्तर की विभागीय प्रतियोगिता की व्यक्तिगत स्पर्धा में	50,000/-	30,000/-	20,000/-
12	राष्ट्रीय स्तर की विभागीय प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में	20,000/-	15,000/-	10,000/-

उत्कृष्ट खिलाडियों के राज्य स्तरीय "परशुराम खेल पुरस्कार" सम्बन्धी नियम स्पर्धा देय पुरस्कार राशि। नियम-6 जब भी कोई खिलाड़ी किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में नया अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित करे 10,00,000/- । नियम-7. जब भी कोई खिलाड़ी किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में नया कॉमनवेल्थ या एशियन कीर्तिमान स्थापित करे 10,00,000/- । नियम-8. जब भी कोई खिलाड़ी किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित करे 5,00,000/- । नियम-9. जब भी कोई खिलाडी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारतीय दल के सदस्य के रूप में भाग ले 1,00,000/- । नियम-10. वह समस्त खिलाड़ी जिन्होंने योजना की श्रेणी –ए अथवा इन नियमों के नियम 6,7,8,9, के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त किए हो (खिलाड़ी को राज्य "परशुराम खेल पुरस्कार" केवल एक बार ही देय होगा)। परशुराम मूर्ति की प्रतिकृति सहित रु० 2,00,000/- राशि का अतिरिक्त पुरस्कार ।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — उपरोक्त किन्ही स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले आवेदनकर्ता सीधे तौर पर या संबधित स्पर्धा के महासचिव या जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी के माध्यम से निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल, V-क्रेग गार्डन, छोटा शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को आवेदन कर सकते है। या विभाग की Website http:s//himachal.nic.in/yss से डाउनलोड की जा सकती है ।

वाँछित दस्तावेज	उपरोक्त किन्ही स्पर्धाओं में प्राप्त पदक के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	निदेशक, युवा सेवा एवं खेल, V-क्रेग गार्डन, छोटा शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 दूरभाष नंबर 0177-2622032 Email dir-yss-hp@nic.in
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	युवा सेवा एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा संचालित खेल छात्रावास उना तथा बिलासपुर में उदीयमान खिलाडियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना

उद्देश्य एवम् विशेषता	उदीयमान खिलाडियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना।
पात्रता	13 से 19 आयु वर्ग के खिलाडियों के लिए प्रति वर्ष ट्रायल के आधार पर प्रवेश।
सहायता का ब्यौरा	खेल छात्रावास में खिलाडियों को मुफत खाना, रहना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, खेलकिट, सुरक्षा बीमा तथा आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाता है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	खेल छात्रावास उना तथा बिलासपुर में मांग अनुसार युवा सेवा एवं खेल द्वारा प्रवेश हेतु परीक्षण ट्रायल निर्धारित किये जाते है। ट्रायल व परीक्षण की तिथि विभिन्न समाचार पत्रों, दूरदर्शन व आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित व प्रचारित की जाती है। खेल छात्रावास में प्रवेश सम्वन्धित स्पर्धा में प्रर्दशन व योग्यता के आधार पर चयन किया जाता है।
वाँछित दस्तावेज	शैक्षणिक, आयु प्रमाण पत्र एवं खेल उपलब्धियों के मूल प्रमाण–पत्रों, एक सैट सत्यापित फोटो कॉपी तथा दो पासपोर्ट फोटो सहित।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	प्रतिवर्ष ट्रायल के लिए स्थान व तिथि निर्धारित की जाती है जिसके लिए विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से तथा आकाशवाणी द्वारा सूचित किया जाता है। निदेशक, युवा सेवा एवं खेल, V-क्रेग गार्डन, छोटा शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला-171002. दूरभाष नंबर 0177-2622032 Email dir-yss-hp@nic.in
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	खिलाडियों के लिए कल्याण निधि

उद्देश्य एवम् विशेषता	खिलाड़ी को प्रशिक्षण के दोरान तथा प्रतियोगिता के दोरान चोट/घातक चोट लगने पर सहायतानुदान ।
पात्रता	खिलाडियों को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के दोरान चोट/घातक चोट लगने पर।
सहायता का ब्यौरा	चोट लगने पर Rs 10,000/- घातक चोट लगने पर Rs 25,000/- एक मुश्त
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	खिलाडी को प्रशिक्षण के दोरान तथा प्रतियोगिता के दोरान चोट/घातक चोट लगने पर सचिव,हिमाचल प्रदेश खिलाडियों के लिए कल्याण निधि, युवा सेवा एवं खेल, V-क्रेग गार्डन, छोटा शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर आवेदन करेगें। या विभाग की Website http:s//himachal.nic.in/yss से डाउनलोड की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	जन्म तिथि प्रमाण पत्र तथा खेल प्रतियोगिता के प्रमाण पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सचिव, राज्य युवा बोर्ड और खेल परिषद्,V-क्रेग गार्डन,छोटा शिमला,हिमाचल प्रदेश शिमला-171002. दूरभाष नंबर 0177-2622032 Email dir-yss-hp@nic.in
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	उत्कृष्ट खिलाडियों को सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण

उद्देश्य एवम् विशेषता	बेरोजगार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों/ बोर्डो/ निगमों इत्यादि में 3% आरक्षण।
पात्रता	ओलिंपिक/ कॉमनवेल्थ खेलों/ एशियन खेलों/ सीनियर नेशनल/ अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता /जूनियर नेशनल/प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त होने पर।
सहायता का ब्यौरा	....

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति निदेशक, युवा सेवा एवं खेल, V-क्रेग गार्डन, छोटा शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। या विभाग की Website http:s//himachal.nic.in/yss से डाउनलोड की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	शैक्षणिक योग्यता/व्यवसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, खेल उपलब्धियों के राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के मूल प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट फोटो तथा हिमाचली प्रमाण पत्र। खेल उपलब्धियों के प्रमाण पत्र सम्बन्धित खेल स्पर्धा के सचिव से प्रमाणित होने चाहिए।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	निदेशक, युवा सेवा एवं खेल, V-क्रेग गार्डन, छोटा शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। दूरभाष नंबर 0177-2622032 Email dir-yss-hp@nic.in
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	युवा स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत युवाओं को कंप्यूटर/ मोबाइल रिपेयर में प्रशिक्षण

उद्देश्य एवम् विशेषता	युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देना।
पात्रता	1. प्रशिक्षण।र्थी की योग्यता कम से कम बारहवीं पास होना चाहिए। 2. प्रशिक्षण।र्थी की आयु 17 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 3. ग्रामीण क्षेत्र व गरीब युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। 4. प्रशिक्षण।र्थी के घर पर कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
सहायता का ब्यौरा	प्रत्येक जिले में चयनित युवाओं को प्रशिक्षण हेतु मानदेय धनराशी 12 माह के लिए दी जाती है। इसके अतिरिक्त किताबें, लेखन सामग्री, मास्टर ट्रेनर व परीक्षार्थी का पंजीकरण एवं परीक्षा शुल्क का खर्चा भी हि०प्र० राज्य युवा बोर्ड के द्वारा उठाया जाता है। एक प्रशिक्षण।र्थी पर लगभग 39,771/- रूपये का व्यय किया जाता है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सम्बंधित जिला के जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी, हि०प्र० से आवेदन की प्रति प्राप्त की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र 2. आयु प्रमाण पत्र 3. बी० पी० एल० प्रमाण पत्र 4. बेरोजगारी प्रमाण पत्र
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित जिला के युवा सेवा एवं खेल अधिकारी, कार्यालय या निदेशक, युवा सेवा एवं खेल, V-क्रेग गार्डन, छोटा शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 दूरभाष नंबर 0177-2622032 Email dir-yss-hp@nic.in
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	नोडल क्लब योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

सरकार/विभाग द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक योजनाओं को गाँव – गाँव तक पहुँचाना

पात्रता

1. ब्लाक स्तर पर रखे गए यूथ वोलेंटीयर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं या इसके समकक्ष के पास होनी चाहिए।
2. जिला मुख्यालय पर रखे गए यूथ वोलेंटीयर स्नातक होना चाहिए तथा कंप्यूटर में दक्ष होना चाहिए। 30 शब्द प्रतिमिनट अंग्रेजी तथा 25 शब्द प्रतिमिनट हिंदी में स्पीड होनी चाहिए।
3. आवेदनकर्ता की उम्र 28 वर्ष से कम होनी चाहिए।
4. चयनित युवा किसी अस्थायी या अंशकाल सेवा में तथा नियमित छात्र नहीं होना चाहिए।

सहायता का ब्यौरा

78 विकास खण्डों में रखे गए स्वयं सेवियों का मानदेय प्रति माह के हिसाब से Rs. 3000/- की राशि व जिला मुख्यालय में रखे स्वयं सेवियों का प्रति माह मानदेय Rs. 6000/- की राशी पर रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त नोडल क्लबों को खेल सामान तथा वाद्य यन्त्र क्रय हेतु व विकास खण्डों में रखे गए स्वयं सेवियों का यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ते का खर्चा भी हि०प्र० राज्य युवा बोर्ड के द्वारा उठाया जाता है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

सम्बंधित जिला के जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी, हि० प्र० से आवेदन की प्रति प्राप्त की जा सकती है।

वाँछित दस्तावेज

1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
2. आयु प्रमाण पत्र
3. बी० पी० एल० प्रमाण पत्र
4. बेरोजगारी प्रमाण पत्र

आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित जिला के युवा सेवा एवं खेल अधिकारी या निदेशक, युवा सेवा एवं खेल, V-क्रेग गार्डन, छोटा शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 दूरभाष नंबर 0177-2622032 Email dir-yss-hp@nic.in

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	युवा मण्डलों/स्वयं सेवी संस्थाओं को सहायतानुदान

उद्देश्य एवम् विशेषता

प्रदेश में सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु।

पात्रता

मण्डल या संस्था का पंजीकृत होना अनिवार्य है।

सहायता का ब्यौरा

अधिकतम 25000/- रुपए तक सहायतानुदान दिया जाता है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

सादे पेपर में पंजीकरण संख्या डाल कर या सम्बंधित संस्था के लैटर पैड पर भी आवेदन कर सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज

पंजीकरण की प्रति या संख्या आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यदि सम्बंधित संस्था पहले आर्थिक सहायता प्राप्त कर चुकी है तो उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न अनिवार्य हैं।

आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित जिला के युवा सेवा एवं खेल अधिकारी या निदेशक, युवा सेवा एवं खेल, V-क्रेग गार्डन, छोटा शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 दूरभाष नंबर 0177-2622032 Email dir-yss-hp@nic.in

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	राज्य स्तरीय युवा उत्सव

उद्देश्य एवम् विशेषता	प्रदेश में सांस्कृतिक धरोहर को युवाओं की भागीदारी के माध्यम से सुदृढ़ करना।
पात्रता	1. प्रतिभागी की उम्र 15 से 29 के बीच होनी चाहिए। क्लासिकल स्पर्धाओं में संगत देने वालों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। 2. प्रतिभागी लोकनृत्य व लोकगीत, हिमाचली भाषा, संस्कृति व वेश-भूषा का परिचायक हो। 3. एकांकी प्रतियोगिता में पुरुष व महिला पात्रों का अभिनय क्रमशः पुरुष व महिला कलाकार ही करेंगे। 4. तीन बार राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले प्रतिभागी युवा उत्सव में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
सहायता का ब्यौरा	प्रतिभागी को यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता प्रदान किया जाता है व ठहराने का इंतज़ाम हि० प्र० राज्य युवा बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त विजेता प्रतिभागी को नकद पुरुस्कार दिया जाता है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	प्रतिभागी के सम्बंधित जिला के ब्लाक स्तर से युवाओं का चयन राज्य स्तर पर किया जाता है तथा राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन होता है अथवा युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी, कार्यालय में आवेदन की प्रति प्राप्त की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	1. आयु प्रमाण पत्र। 2. आधार कार्ड।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित जिला के युवा सेवा एवं खेल अधिकारी, कार्यालय से या निदेशक, युवा सेवा एवं खेल, V-क्रेग गार्डन, छोटा शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 दूरभाष नंबर 0177-2622032 Email dir-yss-hp@nic.in
जेंडर	दोनों

XII- पशु पालन विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	"डेयरी उद्यमी विकास योजना"

उद्देश्य एवम् विशेषता	किसानों की आय में वृद्धि करना।
पात्रता	सभी वर्गों से सम्बन्धित पशु पालक।
सहायता का ब्यौरा	"डेयरी उद्यमी विकास योजना" के अन्तर्गत गाय खरीदने हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत (विदेशी व संकर नस्ल की गाय) और 20 प्रतिशत (देसी नस्ल की गाय) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	पशु पालक "डेयरी उद्यमी विकास योजना" के अन्तर्गत लोन के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आवदेन कर सकते हैं। जिन आवेदकों को NABARD द्वारा तय दर पर उपदान स्वीकृत होगा, उन्ही को अतिरिक्त उपदान राज्य सरकार द्वारा पशु पालन विभाग के माध्यम से दिया जा रहा है।
वाँछित दस्तावेज	जिला उप निदशक(पशु स्वास्थ्य /प्रजनन) सम्बन्धित बैंकों से प्राप्त कर के निदेशालय पशु पालन विभाग में दें।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	गर्भित गाय/ भैंस के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत पशु आहार योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	(1) गाभिन गाय / भैंस को अंतिम त्रैमासिक में पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने बारे। (2) बयांत के पश्चात दूध देने की क्षमता में बढ़ौतरी। (3) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पशुपालकों की आय में वृद्धि।
पात्रता	अनुसूचित जाति के श्रेणियों के पशुपालक।
सहायता का ब्यौरा	गर्भित पशु के लिए गर्भकाल के लिए अंतिम त्रैमास में प्रतिदिन तीन किलो ग्राम पशु आहार 50% प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाया जाता है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इच्छुक पशुपालक निकट के पशु चिकित्सा संस्थान से संपर्क कर आवेदन दे सकता है।

वाँछित दस्तावेज	(1) अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्रेषित करना होगा। (2) 25 बीघा से कम जमींन।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	पशुपालक निकट के पशु चिकित्सा संस्थान के माध्यम से सम्बन्धित उप निदेशक (पशु स्वास्थ्य / प्रजनन) जिला को आवेदन कर सकता है।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	गर्भित गाय/ भैंस के लिए सामान्य श्रेणी के बी०पी०एल० परिवारों के लिए पशु आहार योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	(1) गर्भित गाय / भैंस को अंतिम त्रैमासिक में पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने बारे। (2) बयांत के पश्चात दूध देने की क्षमता में बढ़ौतरी। (3) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पशुपालकों की आय में वृद्धि।
पात्रता	सामान्य श्रेणी के बी०पी०एल० परिवारों के पशुपालक।
सहायता का ब्यौरा	गर्भित पशु के लिए गर्भकाल के लिए अंतिम त्रैमास में प्रतिदिन तीन किलो ग्राम पशु आहार 50% प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाया जाता है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इच्छुक पशुपालक निकट के पशु चिकित्सा संस्थान से संपर्क कर आवेदन दे सकता है।
वाँछित दस्तावेज	1. बी०पी०एल० श्रेणी के प्रमाण पत्र प्रेषित करना होगा। 2. 25 बीघा से कम जमींन।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	पशुपालक निकट के पशु चिकित्सा संस्थान के माध्यम से सम्बन्धित उप निदेशक (पशु स्वास्थ्य / प्रजनन) जिला को आवेदन कर सकता है।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	भेड़ पालकों को मेंढे प्रजनन हेतु वितरित करना

उद्देश्य एवम् विशेषता	भेड़ पालकों की आय में वृद्धि करना तथा मीट व ऊन की मात्रा/गुणवता में वृद्धि करना।
पात्रता	हिमाचल प्रदेश के केवल अनुसूचित जन जाति के भेड़ पालक, जिनके पास कम से कम 50 भेड़ों का समूह है उक्त योजना के पात्र है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी के पास 50 भेड़ों का समूह होने पर 1 मेंढा प्रदान किया जाएगा तथा अधिकतम 2 ही मेढें प्रदान किए जाएंगे।
सहायता का ब्यौरा	भेड़ पालकों को 60 प्रतिशत अनुदान पर प्रजनन योग्य मेढें वितरण करना।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जन जाति के लाभार्थी अपना आवेदन साधारण पत्र पर प्रस्तुत कर सकता है।
वाँछित दस्तावेज	अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	लाभार्थी अपने नजदीकी पशु चिकित्सा संस्थान पर तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
जेंडर	दोनो

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	कृषक बकरी पालन योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के अवसर प्रदान करना तथा मीट उत्पादन में बढ़ौतरी करना।

पात्रता
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के अवसर प्रदान करना तथा मीट उत्पादन में बढ़ौतरी करना।

सहायता का ब्यौरा
"कृषक बकरी पालन योजना" के अन्तर्गत बकरी पालकों को 11 बकरियां (10 मादा + 1 नर), 5 (4 मादा + 1 नर) एवं 3 बकरियां (2 मादा + 1 नर) बकरी इकाईयाँ 60 प्रतिशत अनुदान पर प्रदान की जाएगी।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी अपना आवेदन साधारण पत्र पर प्रस्तुत कर सकता है।

वाँछित दस्तावेज
सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बी0पी0एल0, महिला लाभार्थी तथा हि0 प्र0 के भूमिहीन से संबंधित प्रमाण पत्र।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी
इच्छुक लाभार्थी अपने नजदीकी पशु चिकित्सा संस्थान में कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी के पास अपना आवेदन जमा कर सकता है।

जेंडर
दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	Innovative Poultry Productivity Project (IPPP)- LIT योजना (NLM)

उद्देश्य एवम् विशेषता
(1) बढ़ती आबादी की प्रोटीन आवश्यकताओ की पूर्ति करना।
(2) कृषको की आय दुगनी करना।
(3) स्वरोजगार का साधन।
(4) पशु आधारित भोजन की बढ़ती मांग की पूर्ति करना।

पात्रता
सभी वर्गो के कृषक जिसमें अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन-जाति, BPL तथा महिलाओं को प्राथमिकता। स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां आदि।

सहायता का ब्यौरा
<u>योजना का प्रारूप</u>- आस-पास के साथ लगते 5-6 गाँवो व क्षेत्रों में समूह में योजना कार्यान्वित की जायगी। प्रत्येक समूह में 10 कृषक होंगे। प्रत्येक लाभार्थी को 4 सप्ताह की आयु के 200 LIT चूजे दिए जाएंगे। लाभार्थी को 200-200 चूजे दो बार 72 सप्ताह के अन्तराल पर दिए जाएंगे। योजना के प्रथम व तृतीय वर्ष में 400-400 लाभार्थी लाभान्वित किए जाएंगे। वित्तीय प्रतिरूप- कुल लागत रू 35,000/- प्रति लाभार्थी केन्द्रीय अंश रू 31,500/- प्रति लाभार्थी (90 %) राज्य सरकार रू 3,500/- प्रति लाभार्थी (10 %) (लाभार्थी को चूजों के अतिरिक्त रू 15000/- चूजों के लिए शेल्टर, आहार व अन्य खर्चों के वहन के लिए दिए जाएंगे।) योजना का आकार- कुल बजट 280-00 लाख रूपये केंद्रीय अंश 252-00 लाख रूपये (90 %) राज्य अंश 28-00 लाख रूपये (10 %)।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?
इच्छुक कुक्कुट पालक नजदीक के पशु चिकित्सा संसथान के माध्यम से सम्बन्धित उप निदेशक (पशु स्वास्थ्य / प्रजनन) जिला को आवेदन कर सकता है।

वाँछित दस्तावेज
इच्छुक कुक्कुट पालक निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन कर सकता है। इच्छुक कुक्कुट पालक यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, BPl से सम्बन्ध रखता है तो प्रमाण पत्र।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी
इच्छुक कुक्कुट पालक नजदीक के पशु चिकित्सा संसथान के माध्यम से सम्बन्धित उप निदेशक (पशु स्वास्थ्य/प्रजनन) जिला को आवेदन कर सकता है।

जेंडर
दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	Innovative Poultry Productivity Project (IPPP)- ब्रायलर योजना (NLM)

उद्देश्य एवम् विशेषता	(1) बढ़ती आबादी की प्रोटीन आवश्यकताओ की पूर्ति करना। (2) कृषकों की आय दोगुनी करना। (3) स्वरोजगार का साधन। (4) पशु आधारित भोजन की बढ़ती मांग की पूर्ति करना।
पात्रता	सभी वर्गों के कृषक जिसमें अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन-जाति, BPL तथा महिलाओं को प्राथमिकता। स्वंय सहायता समूह, सहकारी समितियां आदि।
सहायता का ब्यौरा	<u>योजना का प्रारूप</u> - योजना का प्रारूप-आस-पास के साथ लगते 5-6 गाँवो व क्षेत्रों में समूह में योजना कार्यान्वित की जाएगी। प्रत्येक समूह में 10 कृषक होंगे। प्रति लाभार्थी को एक दिन के 600 ब्रायलर चुजें (प्रति लाभार्थी 150 चूजे 4 बार 3 माह के अन्तराल पर) प्रदान किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 6 फीडर, 3 ड्रिंकर व कुक्कुट आहार, दवाइयाँ आदि का भी प्रावधान है। यह योजना प्रदेश के 11 जिलों में चार वर्षों में कार्यान्वित की जाएगी। प्रत्येक वर्ष 200 इच्छुक कुक्कुट पालक लाभान्वित होंगे। <u>वित्तीय प्रतिरूप</u>- कुल लागत रू 1,12,500/- प्रति लाभार्थी केन्द्रीय अंश रू 1,01,250/- प्रति लाभार्थी (90%) राज्य सरकार रू 11,250/- प्रति लाभार्थी (10%) कुल बजट 900.00 लाख रूपये केन्द्रीय अंश 810.00 लाख रूपये (90%) राज्य सरकार अंश 90.00 लाख रूपये (10%)
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इच्छुक कुक्कुट पालक नजदीक के पशु चिकित्सा संसथान के माध्यम से सम्बन्धित उप निदेशक (पशु स्वास्थ्य / प्रजनन) जिला को आवेदन कर सकता है।
वाँछित दस्तावेज	इच्छुक कुक्कुट पालक निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन कर सकता है। इच्छुक कुक्कुट पालक यदि अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन-जाति, BPL से सम्बन्ध रखता है तो प्रमाण पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	इच्छुक कुक्कुट पालक नजदीक के पशु चिकित्सा संसथान के माध्यम से सम्बन्धित उप निदेशक (पशु स्वास्थ्य / प्रजनन) जिला को आवेदन कर सकता है।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	200- चूजे योजना (अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत)

उद्देश्य एवम् विशेषता

(1) ग्रामीण गरीब आबादी की प्रोटीन आवश्यकताओ की पूर्ति करना।
(2) कृषकों की आय में बढ़ौतरी करना।
(3) स्वरोजगार का साधन।
(4) उच्च कोटि की खाद उपलब्ध करवाना।

पात्रता

अनुसूचित जाति से सम्बन्धित BP। कुक्कुट पालक।

सहायता का ब्यौरा

योजना का प्रारूप- लाभार्थी को एक दिन के 200 ।।T चूजे दिए जाएंगे। लाभार्थी को चूजों के अतिरिक्त कुक्कुट आहार, फीडर, ड्रिंकर्स दिए जाते हैं। लाभार्थी को कुक्कुट पालन से सम्बन्धित प्रशिक्षण भी दिए जाने का प्रावधान है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

इच्छुक कुक्कुट पालक निकट के पशु चिकित्सा संसथान के माध्यम से सम्बन्धित उप निदेशक (पशु स्वास्थ्य / प्रजनन) जिला को आवेदन कर सकता है।

वाँछित दस्तावेज

इच्छुक कुक्कुट पालक निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन कर सकता है। इच्छुक कुक्कुट पालक को प्रपत्र के साथ अनुसूचित जाति व BPL प्रमाण पत्र प्रेषित करना होगा।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

इच्छुक कुक्कुट पालक निकट के पशु चिकित्सा संस्थान के माध्यम से सम्बन्धित उप निदेशक (पशु स्वास्थ्य / प्रजनन) जिला को आवेदन कर सकता है।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	5000- ब्रायलर फार्म योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

(1) ग्रामीण गरीब आबादी की प्रोटीन आवश्यकताओ की पूर्ति करना।
(2) कृषकों की आय में बढ़ौतरी करना।
(3) स्वरोजगार का साधन।
(4) उच्च कोटि की खाद उपलब्ध करवाना।

पात्रता

सभी वर्गों के कृषक जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, BPL तथा महिलाओं को प्राथमिकता। स्वंय सहायता समूह, सहकारी समितियां आदि।

सहायता का ब्यौरा

योजना का प्रारूप- लाभार्थी को एक दिन के 5000 ब्रायलर चूजे (1000 चूजे प्रति किश्त पांच बार 3 माह के अन्तराल पर दिए जाएंगे)। **वित्तीय प्रतिरूप**- लाभार्थी को कुक्कुट बाड़ा बनाने हेतु, एक दिन के 5000 ब्रायलर चूजे (1000 चूजे प्रति किश्त), कुक्कुट आहार, फीडर, ड्रिंकर्स, आदि के लिए 60 % अनुदान दिया जाता है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

इच्छुक कुक्कुट पालक नजदीक के पशु चिकित्सा संसथान के माध्यम से सम्बन्धित उप निदेशक (पशु स्वास्थ्य / प्रजनन) जिला को आवेदन कर सकता है।

वाँछित दस्तावेज

इच्छुक कुक्कुट पालक निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन कर सकता है। इच्छुक कुक्कुट पालक यदि अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन-जाति, BP। से सम्बन्ध रखता है तो उसका प्रमाण पत्र।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

इच्छुक कुक्कुट पालक निकट के पशु चिकित्सा संस्थान के माध्यम से सम्बन्धित उप निदेशक (पशु स्वास्थ्य / प्रजनन) जिला को आवेदन कर सकता है।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	उत्तम पशु पुरस्कार योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	उत्तम नस्ल के अधिक दूध देने वाले पशु पालकों को प्रोत्साहित करना।
पात्रता	पशु पालक जिनका दुधारू पशु (गाय/ भैंस) का दूध उत्पादन 15 लीटर प्रतिदिन या उससे अधिक हो।
सहायता का ब्यौरा	प्रोत्साहन राशि ₹1000/-प्रति दुधारू पशु ((गाय/ भैंस) अधिकतम 2 पशु प्रति लाभार्थी)।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इच्छुक पशुपालक निकट के पशु चिकित्सा संस्थान से संपर्क कर आवेदन दे सकता है।
वाँछित दस्तावेज	इच्छुक पशुपालक अपना आवेदन साधारण पत्र पर प्रस्तुत कर सकता है।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	पशुपालक निकट के पशु चिकित्सा संस्थान के माध्यम से सम्बन्धित उप निदेशक (पशु स्वास्थ्य / प्रजनन) जिला को आवेदन कर सकता है।
जेंडर	दोनों

XIII- आयुर्वेदा विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं राज्य बजट /औषधि क्रय

उद्देश्य एवम् विशेषता	रोगी को स्वास्थय लाभ। रोगियों को निःशुल्क औषधि वितरण करना।
पात्रता	किसान समुह के पास न्यूनत्तम 2 हैक्ट0 भूमि
सहायता का ब्यौरा	चिकित्सक द्वारा जांच करने पर सम्बन्धित रोग हेतू रोगियों को निःशुल्क दवाईयां देना।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आ0 स्वा0 के0 में पर्ची बनवाकर आ0 चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच /निदान करवाना।

वाँछित दस्तावेज	आ0 चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदान की हुई पर्ची।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आ0 स्वा0 के0 में आ0 फार्मास्सिट/ आ0 चिकित्सा अधिकारी
जेंडर	दोनों

XIV- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	मातृत्व पितृत्व प्रसुविधा (दो माह सदस्यता)

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
पात्रता	पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक उपरोक्त परिभाषित सन्निर्माण कार्यो पर कार्य किया हो। इन 90 दिनों में निजी निर्माण कार्य, मनरेगा या सरकार/पंचायत के द्वारा संचालित निर्माण कार्य की अवधि शामिल की जानी मान्य होगी।
सहायता का ब्यौरा	महिला लाभार्थी को प्रसव अवधि के समय अथवा बच्चे के जन्म पर मुबलिग 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये राशि देय होगी। पुरूष लाभार्थी 1,000/- (एक हजार) रुपये के लिए हकदार होगा। (यह सुविधा केवल दो बच्चों तक ही देय होगी।)
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	पंजीकृत कामगार सम्बन्धित जिला श्रम अधिकारी/ श्रम निरीक्षक के कार्यालय में आवेदन कर सकता है जिसे आवश्यक दस्तावेजों के निरीक्षण के उपरान्त बोर्ड के मुख्य कार्यालय को भुगतान हेतु भेजा जाता है जिसका भुगतान सीधे आवेदक के बैंक खाते में किया जाता है।
वाँछित दस्तावेज	तीन पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म, ड्राइविंग लाइसैंस, निर्वाचन मतदाता कार्ड, आधार कार्ड परिवार रजिस्टर की प्रति पर आयु सबूत के लिए विचार किया जाएगा।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक के कार्यालय में जाना होगा।

आयु सीमा	**न्यूनतम 18** **अधिकतम 60**	जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	मृत्यु प्रसुविधा (लाभ) (सदस्यता)

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।

पात्रता	पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक उपरोक्त परिभाषित सन्निर्माण कार्यो पर कार्य किया हो। इन 90 दिनों में निजी निर्माण कार्य, मनरेगा या सरकार/पंचायत के द्वारा संचालित निर्माण कार्य की अवधि शामिल की जानी मान्य होगी।
सहायता का ब्यौरा	यदि सदस्य की मृत्यु कार्य के दौरान दुर्घटना से होती है तो नाम निर्देशितों/आश्रितों को मुबलिग 2,00,000/- (दो लाख) रुपये की राशि दी जाएगी एवं प्राकृतिक मृत्यु पर रु. 1,00,000/- की राशि देय होगी।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	नामांकित व्यक्ति सम्बन्धित जिला श्रम अधिकारी/ श्रम निरीक्षक के कार्यालय में आवेदन कर सकता है जिसे आवश्यक दस्तावेजों के निरीक्षण के उपरान्त बोर्ड के मुख्य कार्यालय को भुकतान हेतु भेजा जाता है जिसका भुगतान सीधे आवेदक के बैंक खाते में किया जाता है।
वाँछित दस्तावेज	तीन पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म, ड्राइविंग लाइसैंस, निर्वाचन मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति पर आयु सबूत के लिए विचार किया जाएगा।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक के कार्यालय में जाना होगा।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	अन्तिम संस्कार हेतु सहायता

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यो में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।
पात्रता	पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक उपरोक्त परिभाषित सन्निर्माण कार्यो पर कार्य किया हो। इन 90 दिनों में निजी निर्माण कार्य, मनरेगा या सरकार/पंचायत के द्वारा संचालित निर्माण कार्य की अवधि शामिल की जानी मान्य होगी।
सहायता का ब्यौरा	नाम निर्देशितों/आश्रितों को रु 20,000/- (बीस हजार) रुपये की राशि देय होगी।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	नामांकित व्यक्ति सम्बन्धित जिला श्रम अधिकारी/ श्रम निरीक्षक के कार्यालय में आवेदन कर सकता है जिसे आवश्यक दस्तावेजों के निरीक्षण के उपरान्त बोर्ड के मुख्य कार्यालय को भुगतान हेतु भेजा जाता है जिसका भुगतान सीधे आवेदक के बैंक खाते में किया जाता है।
वाँछित दस्तावेज	तीन पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जन्म, ड्राइविंग लाइसैंस, निर्वाचन मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति पर आयु सबूत के लिए विचार किया जाएगा।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	श्रम अधिकारी / श्रम निरीक्षक के कार्यालय में जाना होगा।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	चिकित्सा सहायता

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यो में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।
पात्रता	पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक उपरोक्त परिभाषित सन्निर्माण कार्यो पर कार्य किया हो। इन 90 दिनों में निजी निर्माण कार्य, मनरेगा या सरकार/पंचायत के द्वारा संचालित निर्माण कार्य की अवधि शामिल की जानी मान्य होगी।

सहायता का ब्यौरा	लाभार्थी और उसके आश्रितों को चिकित्सा उपचार हेतु सरकारी अस्पताल/सरकार द्वारा अनुमोदित/चयनित अस्पतालों/औषधालयों से चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष बाह्य (outdoor) चिकित्सा उपचार के लिए रु0 10000/- रु0 (दस हजार रुपए) केवल और अंतरंग (Indoor) चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए रु0 30000/- (तीस हजार रुपए) केवल की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	पंजीकृत कामगार सम्बन्धित जिला श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक के कार्यालय में आवेदन कर सकता है जिसे आवश्यक दस्तावेजों के निरीक्षण के उपरान्त बोर्ड के मुख्य कार्यालय को हेतु भेजा जाता है जिसका सीधे आवेदक के बैंक खाते में किया जाता है।
वाँछित दस्तावेज	तीन पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म, ड्राइविंग लाइसैंस, निर्वाचन मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति पर आयु सबूत के लिए विचार किया जाएगा।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	श्रम अधिकारी /श्रम निरीक्षक के कार्यालय में जाना होगा।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता (दो माह सदस्यता)

उद्देश्य एवम् विशेषता

इस का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यो में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।

पात्रता

पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक उपरोक्त परिभाषित सन्निर्माण कार्यो पर कार्य किया हो। इन 90 दिनों में निजी निर्माण कार्य, मनरेगा या सरकार/पंचायत के द्वारा संचालित निर्माण कार्य की अवधि शामिल की जानी मान्य होगी।

सहायता का ब्यौरा

बोर्ड अपने सदस्यों के दो बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष निम्न दर से सहायता प्रदान करेगा। क्रमांक पाठ्यक्रम राशि

1. प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक 3,000.00
2. नौवीं से 10+2 स्तर तक 6,000.00
3. स्नातक कक्षाएं कला स्नातक, बी.एस.सी./बी कॉम / बी.बी.ए. या इसके बराबर 10,000.00
4. स्नातकोत्तरः कला, वाणिजय संकाय एवं विज्ञान संकाय 15,000.00
5. डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधिः एक वर्ष, दो वर्ष एवं तीन वर्ष 15,000.00
6. व्यवसायिक पाठ्यक्रम उपलब्धियां एवं पी.एच.डी./अनुसंधान पाठ्यक्रम 25,000.00

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

पंजीकृत कामगार सम्बन्धित जिला श्रम अधिकारी/ श्रम निरीक्षक के कार्यालय में आवेदन कर सकता है जिसे आवश्यक दस्तावेजों के निरीक्षण के उपरान्त बोर्ड के मुख्य कार्यालय को हेतु भेजा जाता है जिसका सीधे आवेदक के बैंक खाते में किया जाता है।

वाँछित दस्तावेज

तीन पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जन्म, ड्राइविंग लाइसैंस, निर्वाचन मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति पर आयु सबूत के लिए विचार किया जाएगा।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक के कार्यालय में जाना होगा।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	शादी हेतु वित्तीय सहायता (दो माह सदस्यता)

उद्देश्य एवम् विशेषता

इस का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यो में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।

पात्रता	पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक उपरोक्त परिभाषित सन्निर्माण कार्यो पर कार्य किया हो। इन 90 दिनों में निजी निर्माण कार्य, मनरेगा या सरकार/पंचायत के द्वारा संचालित निर्माण कार्य की अवधि शामिल की जानी मान्य होगी।
सहायता का ब्यौरा	पंजीकृत अविवाहित लाभार्थी के सवयं अथवा विवाहित लाभार्थी के दो बच्चों के विवाह हेतु मुबलिग 35,000/- (पेंतीस हज़ार) रूपये प्रत्येक बच्चा सहायता देय है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	पंजीकृत कामगार सम्बन्धित जिला श्रम अधिकारी/ श्रम निरीक्षक के कार्यालय में आवेदन कर सकता है जिसे आवश्यक दस्तावेजों के निरीक्षण के उपरान्त बोर्ड के मुख्य कार्यालय को हेतु भेजा जाता है जिसका सीधे आवेदक के बैंक खाते में किया जाता है।
वाँछित दस्तावेज	तीन पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जन्म, ड्राइविंग लाइसैंस, निर्वाचन मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति पर आयु सबूत के लिए विचार किया जाएगा।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	श्रम अधिकारी / श्रम निरीक्षक के कार्यालय में जाना होगा।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	महिला साईकिल (दो माह सदस्यता)

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यो में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।
पात्रता	पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक उपरोक्त परिभाषित सन्निर्माण कार्यो पर कार्य किया हो। इन 90 दिनों में निजी निर्माण कार्य, मनरेगा या सरकार/पंचायत के द्वारा संचालित निर्माण कार्य की अवधि शामिल की जानी मान्य होगी।
सहायता का ब्यौरा	महिला हिताधिकारी को बोर्ड द्वारा एक साइकिल प्रदान की जाएगी। यह सहायता केवल महिला हिताधिकारी को दी जएगी जिसने ऐसी वाहन सहायता पहले प्राप्त न की हो। (यह सुविधा केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी)
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	पंजीकृत कामगार सम्बन्धित जिला श्रम अधिकारी/ श्रम निरीक्षक के कार्यालय में आवेदन कर सकता है जिसे आवश्यक दस्तावेजों के निरीक्षण के उपरान्त बोर्ड के मुख्य कार्यालय को स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तथा स्वीकृति उपरांत लाभार्थी सम्बन्धित जिला श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक के कार्यालय से इसे प्राप्त कर सकता है।
वाँछित दस्तावेज	तीन पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जन्म, ड्राइविंग लाइसैंस, निर्वाचन मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति पर आयु सबूत के लिए विचार किया जाएगा।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	श्रम अधिकारी / श्रम निरीक्षक के कार्यालय में जाना होगा।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	इंडक्शन हीटर (दो माह सदस्यता)

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यो में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।
पात्रता	पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक उपरोक्त परिभाषित सन्निर्माण कार्यो पर कार्य किया हो। इन 90 दिनों में निजी निर्माण कार्य, मनरेगा या सरकार/पंचायत के द्वारा संचालित निर्माण कार्य की अवधि शामिल की जानी मान्य होगी।

सहायता का ब्यौरा	लाभार्थी को बोर्ड द्वारा एक इंडक्शन हीटर प्रदान किया जायेगा (यह सुविधा केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी)
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	पंजीकृत कामगार सम्बन्धित जिला श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक के कार्यालय में आवेदन कर सकता है जिसे आवश्यक दस्तावेजों के निरीक्षण के उपरान्त बोर्ड के मुख्य कार्यालय को स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। तथा स्वीकृति उपरांत लाभार्थी सम्बन्धित जिला श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक के कार्यालय से इसे प्राप्त कर सकता है।
वाँछित दस्तावेज	तीन पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म, ड्राइविंग लाइसैंस, निर्वाचन मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति पर आयु सबूत के लिए विचार किया जाएगा।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक के कार्यालय में जाना होगा।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	सोलर लैम्प

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।
पात्रता	पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक उपरोक्त परिभाषित सन्निर्माण कार्यो पर कार्य किया हो। इन 90 दिनों में निजी निर्माण कार्य, मनरेगा या सरकार/पंचायत के द्वारा संचालित निर्माण कार्य की अवधि शामिल की जानी मान्य होगी।
सहायता का ब्यौरा	लाभार्थी को बोर्ड द्वारा एक सोलर लैम्प प्रदान किया (यह सुविधा केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी)
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	पंजीकृत कामगार सम्बन्धित जिला श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक के कार्यालय में आवेदन कर सकता है जिसे आवश्यक दस्तावेजों के निरीक्षण के उपरान्त बोर्ड के मुख्य कार्यालय को स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। तथा स्वीकृति उपरांत लाभार्थी सम्बन्धित जिला श्रम अधिकारी/ श्रम निरीक्षक के कार्यालय से इसे प्राप्त कर सकता है।
वाँछित दस्तावेज	तीन पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जन्म, ड्राइविंग लाइसैंस, निर्वाचन मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति पर आयु सबूत के लिए विचार किया जाएगा।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक के कार्यालय में जाना होगा के कार्यालय।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधान मन्त्री सुरक्षा बीमा योजना (सदस्यता 18 से 60 वर्ष की उम्र)

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।
पात्रता	पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक उपरोक्त परिभाषित सन्निर्माण कार्यो पर कार्य किया हो। इन 90 दिनों में निजी निर्माण कार्य, मनरेगा या सरकार/पंचायत के द्वारा संचालित निर्माण कार्य की अवधि शामिल की जानी मान्य होगी।
सहायता का ब्यौरा	इन योजनाओं में पंजीकृत लाभार्थियों की प्राकृतिक मृत्यु पर 2.00 लाख रूपए तथा दुर्घटना में हुई मृत्यु पर 4.00 लाख रूपए की राशि दावे के तौर पर प्रदान की जाती है। 100% विकलांगता के मामले में 2.00 लाख रूपए की राशि और 50% विकलांगता के मामले में 1.00 लाख रूपए की राशि अनुग्रहपूर्वक (ex-gratia) के रूप में दी जाएगी। प्रीमियम राशि का भुगतान भी बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों के बच्चों की पढ़ाई हेतु दो बच्चों तक नवीं कक्षा से वाहरवीं कक्षा तक तथा (आई.टी.आई. पाठ्यक्रम सहित) 1200/- रूपए प्रति वर्ष की दर से छात्रवृति देय होगी।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	नामांकित व्यक्ति सम्बन्धित जिला श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक के कार्यालय में आवेदन कर सकता है जिसे आवश्यक दस्तावेजों के निरीक्षण के उपरान्त बोर्ड के मुख्य कार्यालय को स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। तदोपरांत आवश्यक दस्तावेजों को बोर्ड के मुख्य कार्यालय से आगामी कार्रवाई हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजा जाता है जिसका भारतीय जीवन बीमा निगम के दवारा सीधे आवेदक के बैंक खाते में किया जाता है।
वाँछित दस्तावेज	तीन पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म, ड्राइविंग लाइसैंस, निर्वाचन मतदाता कार्ड, आधार कार्ड परिवार, रजिस्टर की प्रति पर आयु सबूत के लिए विचार किया जाएगा।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	श्रम अधिकारी/ श्रम निरीक्षक के कार्यालय में जाना होगा।
आयु सीमा	**न्यूनतम 18** **अधिकतम 60** जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	पैंशन सुविधा

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।
पात्रता	पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक उपरोक्त परिभाषित सन्निर्माण कार्यो पर कार्य किया हो। इन 90 दिनों में निजी निर्माण कार्य, मनरेगा या सरकार/पंचायत के द्वारा संचालित निर्माण कार्य की अवधि शामिल की जानी मान्य होगी।
सहायता का ब्यौरा	बोर्ड का लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पैंशन का हकदार होगा जो न्यूनतम राशी 500/- (पांच सौ रूपए) केवल, प्रतिमाह देय रहेगी।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	पेंशन सुविधा का लाभ उठाने के लिए 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लाभार्थी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ समबन्धित जिला श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक के कार्यालय में आवेदन करना होगा जिसे आवश्यक दस्तावेजों के निरीक्षण के उपरान्त बोर्ड के मुख्य कार्यालय को हेतु भेजा जाता है जिसका सीधे आवेदक के बैंक खाते में प्रति माह किया जाता है।
वाँछित दस्तावेज	तीन पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जन्म, ड्राइविंग लाइसैंस, निर्वाचन मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति पर आयु सबूत के लिए विचार किया जाएगा।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	श्रम अधिकारी / श्रम निरीक्षक के कार्यालय में जाना होगा।
आयु सीमा	**न्यूनतम 18** **अधिकतम 60** जेंडर दोनों

XV- अनु० जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	वृद्धावस्था पैन्शन योजना (राज्य संचालित योजना)

उद्देश्य एवम् विशेषता

वृद्धावस्था पैन्शन (राज्य संचालित) सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत उन वृद्धों को आर्थिक सहायता देना है, जिनका पालन पोषण एवं देख -रेख का कोई उचित साधन न हो।

पात्रता

<u>वृद्धावस्था पैन्शन (राज्य संचालित)</u>

a) ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष से 70 वर्ष के बीच हो तथा प्रार्थी की समस्त साधनों से वार्षिक आय 35000/- रु० से अधिक न हो।

b) ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो, बिना किसी आय सीमा के पैन्शन हेतु पात्र है, बशर्ते वह दूसरी किसी प्रकार की पैन्शन न ले रहा हो /रही हो।

सहायता का ब्यौरा

वृद्धावस्था पैन्शन (राज्य संचालित) ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष हो, तथा प्रार्थी की समस्त साधनों से वार्षिक आय 35000/-रु० से अधिक न हो, को 850/- रु० प्रति माह की दर से यह पैन्शन दी जा रही है। 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों, को 1500/- रु० प्रति माह की दर से यह पैन्शन प्रदान की जा रही है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

1. प्रार्थी आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी / तहसील कल्याण अधिकारी, पंचायत कार्यालय, ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्र तथा विभागीय वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2. प्रार्थी आवेदन पत्र को भर कर तथा साथ में सभी दस्तावेज़ संलग्न कर गावों में पंचायत के कार्यालय में तथा शहरी निकाय के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
3. प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र सीधे जिला कल्याण अधिकारी तथा तहसील कल्याण अधिकारी को भी दे सकते हैं तथा सम्बन्धित पंचायत, ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में नगर परिषद् से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज

<u>वृद्धावस्था पैन्शन</u> :

1. जन्म तिथि प्रमाण पत्र / पंचायत परिवार रजिस्टर की नक़ल
2. आधार कार्ड
3. पारिवारिक वार्षिक आय का प्रमाण पत्र (केवल 60 से 69 वर्ष की आयु के लिए)
4. डाकघर बचत/बैंक बचत खाता संख्या पास बुक के साथ
5. ग्राम सभा के प्रस्ताव की प्रति जिसमे प्रार्थी के नाम की अनुशंसा पैन्शन हेतु की गयी है। (केवल 60 से 69 वर्ष की आयु के प्रार्थियों के लिए)
6. सादे कागज पर शपथ पत्र कि प्रार्थी अन्य प्रकार की पैन्शन सरकार से प्राप्त नही कर रहा /रही है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

प्रार्थी आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी / तहसील कल्याण अधिकारी, पंचायत कार्यालय, में जमा करवा सकते हैं।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैन्शन योजना (केंद्र संचालित)

उद्देश्य एवम् विशेषता

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैन्शन योजना (केंद्र संचालित) गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले (बी० पी० एल०) सभी पात्र वक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा वृद्ध वक्तियों के लिए चलाईं जा रही योजना इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैन्शन योजना के माध्यम से लाभान्वित करना।

पात्रता

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैन्शन योजना (केंद्र संचालित) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैन्शन योजना के अंतर्गत उन वृद्धों को जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार के सदस्य हो को भारत सरकार द्वारा पैन्शन देने का प्रावधान है।

सहायता का ब्यौरा

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैन्शन योजना (केंद्र प्रायोजित) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैन्शन योजना के अंतर्गत उन वृद्धों को जिनकी आयु 60 वर्ष से 79 वर्ष से अधिक हो तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार के सदस्य हो को भारत सरकार द्वारा 200/- रु० प्रतिमाह की दर से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैन्शन प्रदान की जाती है। 850/- रु० की दर से पैन्शन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 650/- रु० प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च वहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार के 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पैन्शनरों को भारत सरकार द्वारा 500/- रु० प्रतिमाह की दर से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैन्शन प्रदान की जाती है। 1500/-रु० प्रतिमाह की दर से पैन्शन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 70-79 वर्ष की आयु के पेंशनरो पर 1300/- रु० प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु पर 1000/- प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च वहन किया जा रहा है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

1. प्रार्थी आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी, पंचायत कार्यालय, ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्र तथा विभागीय वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2. प्रार्थी आवेदन पत्र को भर कर तथा साथ में सभी दस्तावेज़ संलग्न कर गावों में पंचायत के कार्यालय में तथा शहरी निकाय के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
3. प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र सीधे जिला कल्याण अधिकारी तथा तहसील कल्याण अधिकारी को भी दे सकते हैं तथा सम्बन्धित पंचायत, ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में नगर परिषद् से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। www.himachal.nic.in/soma www.esomsa.hp.gov.in

वाँछित दस्तावेज

<u>इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैन्शन</u>

1. जन्म तिथि प्रमाण पत्र/पंचायत परिवार रजिस्टर की नक़ल
2. आधार कार्ड
3. बी० पी० एल० प्रमाण पत्र जो कि आवेदन कि तिथि से छ माह पहले से अधिक जारी न किया गया हो।
4. डाकघर बचत / बैंक बचत खाता संख्या पास बुक के साथ
5. बचत खाता को आधार से लिंक करने सम्बन्धी सहमति पत्र।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

प्रार्थी आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी / तहसील कल्याण अधिकारी, पंचायत कार्यालय, में जमा करवा सकते हैं।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	मकान निर्माण हेतु अनुदान

उद्देश्य एवम् विशेषता

मकान निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध करवाना।

पात्रता

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक, विशेष रूप से सक्षम, विधवा, बेसहारा, एकल नारी से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जिनकी वार्षिक आय 35,000/- रू0 से अधिक न हो तथा जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हो तथा जिनके पास अपना मकान न हो।

सहायता का ब्यौरा

नये मकान निर्माण के लिए 1,30,000/-रू0 गृह मुरम्मत हेतु 25,000/-

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है, आवेदन की प्रति जिला कल्याण अधिकारी / तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालयों अथवा विभगीय wedsite से dwonload की जा सकती है

वाँछित दस्तावेज	समस्त साधनो से वार्षिक आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र जो कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी किये गये हो तथा जिस भूमि पर मकान बनाना प्रस्तावित है, की जमाबन्दी नकल व ततीमा प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	अनुवर्ती कार्यक्रम

उद्देश्य एवम् विशेषता	आजीविका कमाने हेतु औजार उपलब्ध करवाना।
पात्रता	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जिन्होंने सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानो अथवा स्वयं सेवी संस्थाओ द्वारा संचालित केन्द्रो में नियमित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या ऐसे व्यक्ति जो अपने व्यवसाय मे निपुण हो लेकिन किसी भी संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो तथा वार्षिक आय 35,000/-रू0 से अधिक न हो।
सहायता का ब्यौरा	बढ़ई कार्य, कताई व बुनाई कार्य तथा चमड़ा कार्य के लिए 1300/-रू0 व सिलाई मशीन खरीदने हेतु 1800/- रू0 का अनुदान दिया जाता है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है तथा आवेदन की प्रति जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालयों अथवा विभगीय wedsıte से dwonıoad की जा सकती है
वाँछित दस्तावेज	समस्त साधनों से वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जिसके साथ हिमाचली प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, जो कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी किये गये हो तथा सम्बन्धित संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी।
जेंडर	दोनों

XVI- वन विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत एग्रोफोरेस्ट्री पर उप मिशन (SMAF)

उद्देश्य एवम् विशेषता	गुणात्मक पौधारोपण की व्यवस्था व कृषि व्यवस्था के अंतर्गत कृषि भूमि में वृक्षारोपण करना।
पात्रता	सभी किसान, गैर सरकारी (NGOs) व सार्वजनिक क्षेत्र (Pubııc Sector) के संगठन।

सहायता का ब्यौरा	50% लाभार्थी शेयर व 50% सरकारी सहायता।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इच्छुक किसान निकटतम वन कर्मचारियों / कार्यालयों से संपर्क करें, योजना से सम्बन्धित दिशा निर्देश वेबसाइट www.nmsa.gov.in पर उपलब्ध हैं।
वाँछित दस्तावेज	कृषि योग्य भूमि के भू-दस्तावेज।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	स्थानीय वन कार्यालय जैसे कि वन राजिक/वन मण्डल अधिकारी या नोडल अधिकारी एवं वन मण्डल अधिकारी (अनुसन्धान), सुंदरनगर।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	विद्यार्थी वन मित्र योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	छात्र-छात्राओं को वनों की महत्ता तथा पर्यावरण में वनों की भूमिका की जानकारी देना; विद्यार्थियों को प्रकृति संरक्षण के साथ जोड़ना; छात्र-छात्राओं द्वारा स्थानीय लोगों को वनों एवं पर्यावरण के बारे शिक्षित करना तथा वनों के क्षेत्रफ़ल को बढ़ाना। योजना को प्रदेश शिक्षा विभाग तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से क्रियान्वित ।
पात्रता	प्रथम चरण में वे स्कूल जहाँ ईको क्लब स्थापित हों, को प्राथमिकता दी जाएगी। बाद में अन्य स्कूलों को भी शामिल किया जा सकता है।
सहायता का ब्यौरा	स्कूलों को चयनित भूमि में रोपित किये गए पोधों के एवज में ₹30/- प्रति पौधा की दर से धनराशि प्रदान की जाएगी जिसमें से ₹20/- पौधारोपण के वर्ष में प्रदान किये जाएंगे तथा शेष ₹10/- आगामी पांच वर्षों में इन पौंधों के रख रखाव के एवज में प्रदान किये जाएँगे।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	स्थानीय वन मण्डलाधिकारी।
वाँछित दस्तावेज	सम्बन्धित विद्यालय द्वारा वन विभाग के सहयोग से तकनीकी योजना तैयार की जाएगी तथा विद्यालय एवं वन विभाग के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	स्थानीय वन मण्डलाधिकारी/ वन परिक्षेत्राधिकारी/उप वन परिक्षेत्राधिकारी/वन रक्षक।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	सामुदायिक वन संवर्धन योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	वृक्षारोपण के माध्यम से वनों के सरंक्षण और विकास में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना; ग्रामीण समुदायों को प्रकृति के साथ मजबूती से जोड़ना और वनों से प्राप्त पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के सतत प्रवाह को सुनिश्चित करना है तथा जंगलों की गुणवत्ता में सुधार, वन आवरण में वृद्धि आदि सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना को मौजूदा सयुंक्त वन प्रबंधन समितियों/ ग्राम वन विकास समितियों (JFMC/VFDS) के माध्यम से क्रियान्वित ।
पात्रता	साँझा वन प्रबंधन नियमों के अंतर्गत गठित सयुंक्त वन प्रबंधन समितियां/ग्राम वन विकास समितियां (JFMC/VFDS) जो कि क्रियाशील हों।
सहायता का ब्यौरा	चयनित JFMC/VFDS को प्रबंधन हेतु 50 हेक्टेयर तक वन भूमि चिन्हित की जाएगी जिसके लिए JFMC/VFDS द्वारा उस भूमि में किये जाने वाले कार्यों की एक प्रबंधन योजना (Management Plan) तैयार की जाएगी जिसके अनुसार उन्हें धनराशि आबंटित की जाएगी।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	स्थानीय वन मण्डलाधिकारी।
वाँछित दस्तावेज	JFMC/VFDS द्वारा तैयार की गई प्रबंधन योजना (Management Plan)।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	स्थानीय वन मण्डलाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी/उप वन परिक्षेत्राधिकारी/वन रक्षक।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	वन समृद्धि जन समृद्धि योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	स्थानीय समुदायों की सक्रीय भागीदारी से राज्य में उपलब्ध गैर काष्ठ वन उत्पाद संसाधन को सुदृढ़ करना; गैर काष्ठ वन उत्पादों की सतत पैदावार सुनिश्चित करना; मूल्य संवर्धन तकनीक अपनाकर अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना तथा गैर काष्ठ वन उत्पाद एकत्रित करने वाले स्थानीय समुदायों को जड़ी बूटियों को इकठ्ठा करने, उनका संरक्षण करने और विपणन का प्रशिक्षण देकर उनका सशक्तिकरण करके आय में वृद्धि करना।
पात्रता	1. जैव विविधता प्रबंधन समिति (Bio diversity Management Committees) के सहयोग से गठित समुदाय लाभार्थी समूह (Community User Groups)। 2. निजी उद्यमी, एन.जी.ओ./ समितियां जो गैर काष्ठ वन उत्पादों की खरीद व ब्रांडिंग क्षेत्र में कार्य कर रहे हों।
सहायता का ब्यौरा	1. गठित समुदाय लाभार्थी समूह (Community User Groups) को गैर काष्ठ वन उत्पादों के प्रबंधन हेतु उनके क्षेत्र के नजदीक वन भूमि आबंटित की जाएगी तथा प्रारंभिक धन (Seed Money) के रुप में ₹ 10000/- प्रदान किये जाएंगे। 2. पांच निजी उद्यमी, एन.जी.ओ./ समितियां जो गैर काष्ठ वन उत्पादों की खरीद व ब्रांडिंग क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, को प्रारंभिक धन (Seed Money) के रूप में ₹ 100000/- प्रदान किये जाएंगे। 3. गठित समुदाय लाभार्थी समूह (Community User Groups) में से किन्हीं चार को गैर काष्ठ वन उत्पादों के Processing Unit की स्थापना हेतु उपकरण - औजार क्रय करने के लिए 25 प्रतिशत (अधिकतम पांच लाख रुपये तक) की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण) सुंदरनगर स्थानीय वन मण्डलाधिकारी।
वाँछित दस्तावेज	-
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण)/स्थानीय वन मण्डलाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी/ उप वन परिक्षेत्राधिकारी/ वन रक्षक।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	विभाग की प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण

उद्देश्य एवम् विशेषता	नागरिकों की समस्याओं को कम करने हेतु सरकार ने कार्यालयों द्वारा वन आधारित उद्योगों के लिए नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था की है।
पात्रता	राज्य के प्रत्येक नागरिक जिनके पास वन आधारित उद्योग (आरा मशीन, लकड़ी का डिपो इत्यादि) हैं। राज्य के भीतर, नवीनीकरण/ हस्तांतरण के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
सहायता का ब्यौरा	सभी नागरिकों के लिए एक सॉफ्टवेयर एपलिकेशन मुफ्त में प्रदान करने हेतु जनता के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। जिनके राज्य में अपने उद्योग है, जैसे कि आरा-मशीन, फर्नीचर डिपो, इंर्धन के लिए डिपो और अन्य वन-आधारित उद्योग, उनको चलाने के लिए जारी की गई वन विभाग की अनुमति के नवीनीकरण के लिए विभाग के किसी भी कार्यालय में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। वे अपने कम्पयूटर से ऑनलाईन आवेदन करके सक्षम अधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक निश्चित समय में नवीनीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगें। ऑनलाईन सेवा के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा, सिवाय नवीनीकरण शुल्क के।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	यह वन विभाग की बेबसाइटः URl http//hp.gov.in/fims पर उपलब्ध है।
वाँछित दस्तावेज	जब प्रार्थी द्वारा आँनलाईन प्रार्थना पत्र भरा जाएगा तो सिस्टम द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे। कोई भी कागज़ के रूप में दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होगी सिवाय उद्योग के स्वामी द्वारा आवेदन पत्र (Scanned Copy) तथा मांगी गई फीस का सबूत।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	केवल आँनलाईन ही किया जा सकेगा, कागज़ की कॉपी स्वीकार्य नहीं होगी।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	इमारती लकड़ी वितरण

उद्देश्य एवम् विशेषता	इमारती लकड़ी अधिकार के अन्तर्गत जरूरतमंद लोगों को इमारती लकड़ी देवदार 500 रू प्रति घनमीटर और अन्य प्रजातियां 250 रू प्रति घनमीटर की दर से उपलब्ध करवाना।
पात्रता	अधिकारधारक (क्षेत्र की वन बंदोबस्त रिपोर्ट के अनुसार)।
सहायता का ब्यौरा	नया घर बनाने के लिए 7 घनमीटर लकड़ी 20 वर्ष में एक बार। मुरम्मत, परिवर्धन या परिवर्तन के लिए 3 घनमीटर लकड़ी 10 वर्ष में एक बार।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति www.hpforest.nic.in वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती हैं।
वाँछित दस्तावेज	सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पारित अनुमोदन प्रस्ताव।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित परिक्षेत्र अधिकारी।
जेंडर	दोनों

XVII- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	जननी सुरक्षा योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
पात्रता	बी.पी.एल., अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार की गर्भवती महिलाएं।
सहायता का ब्यौरा	संस्थागत प्रसव के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र की बी.पी.एल., अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार की महिलाओं को रु० 700, शहरी क्षेत्र की बी.पी.एल., अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार की महिलाओं को रु० 600 और बी.पी.एल. परिवार से सम्बन्धित महिलाओं को घर पर प्रसव के लिए रु० 500 देने का प्रावधान है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सरकारी अस्पताल में पंजीकरण के समय आवेदन की प्रति प्राप्त की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	बी.पी.एल., अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र तथा बैंक अकाउंट नंबर।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	संस्थागत प्रसव करवाने पर सरकारी अस्पताल और घर पर प्रसव करवाने पर उस क्षेत्र की ए.एन.एम. को आवेदन जमा।
जेंडर	महिला

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

उद्देश्य एवम् विशेषता	कार्यक्रम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। इस में गर्भवती महिलाओं तथा बीमार शिशुओं को सभी प्रकार के खर्चों से मुक्त रखा गया है।
पात्रता	गर्भवती महिलाएं और 1 वर्ष तक के शिशु।
सहायता का ब्यौरा	इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को निम्नलिखित सुविधायें निशुल्क प्रदान की जाती हैं • प्रसव • शल्य चिकित्सा • खून का प्रावधान • परीक्षण • दवाईया • भोजन • एक संस्थान से दूसरे उच्च संस्थान के लिए रेफर करना जन्म से ले कर 1 वर्ष तक की आयु के बच्चो को निम्नलिखित सुविधायें निशुल्क प्रदान की जाती हैं • परीक्षण • उपचार • दवाईया • शल्य चिकित्सा • खून का प्रावधान • एक संस्थान से दूसरे उच्च संस्थान के लिए रेफर करना।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस कार्यक्रम में आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में दी जाती हैं।
वाँछित दस्तावेज	कोई भी दस्तावेज अनिवार्य नहीं है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी सभी सरकारी अस्पताल।

जेंडर महिला

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

उद्देश्य एवम् विशेषता उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करना और उनका उपचार करना।

पात्रता गर्भवती महिलाएं।

सहायता का ब्यौरा इस अभियान के अन्तर्गत हर माह की 9 तारीख को सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को उनकी गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान नि:शुल्क परीक्षण किया जाता है ताकि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का पता लगाया जा सके और समय रहते उन का उपचार किया जा सके।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? यह सुविधा सरकारी अस्पतालों में दी जा रही है।

वाँछित दस्तावेज गर्भवती महिला का एम.सी.पी. कार्ड परन्तु यह अनिवार्य नहीं है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी सभी सरकारी अस्पताल।

जेंडर महिला

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवाई योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता प्रदेश में सभी मरीज जो अपना ईलाज सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों मे करवा रहे हैं, अधिकतम 330 तरह की नि:शुल्क दवाइयों एवम् उपभोज्य करवाया ताकि सबका इलाज मुफ्त मे एवं सही तरीके से हो सके और किसी को भी धन के अभाव से वंचित न रहना पड़े।

पात्रता कोई भी मरीज़, जो सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से अपना इलाज करवाते हैं। इस के लिए आय, आयु, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता इत्यादि को कोई पात्रता नही रखी गयी है।

सहायता का ब्यौरा

क्रम संख्या	स्वास्थ्य संस्थान	नि:शुल्क दवाइयों की संख्या	नि:शुल्क उपभोग्यों की संख्या	कुल संख्या
1	जिला अस्पताल एवम् चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	310	20	330

2	नागरिक चिकित्सालय एवम् सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र	196	20	216
3	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	91	15	206
4	उप स्वास्थ्य केन्द्र	36	7	43

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? वाह्य एवं आंतरिक रोगी दस्तावेज जिसमे इलाज़ करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया हो।

वाँछित दस्तावेज चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित दस्तावेज चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी सम्बन्धित अस्पताल का फार्मेसी जहाँ दवाइयां एवम् उपभोग्य उपलब्ध हो।

जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (एनीमिया मुक्त)

उद्देश्य एवम् विशेषता एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण में सफलता से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी व सुधार करने में योगदान।

पात्रता 6 माह से 18 साल तक के बच्चे व गर्भवती महिलाएं।

सहायता का ब्यौरा इसके अंतर्गत :

1. आशा कार्यकर्ता द्वारा 6 माह से 5 वर्ष तक सभी बच्चों को एक सप्ताह में दो बार आयरन फोलिक एसिड सिरप पिलाया जाएगा।
2. सरकारी स्कूलों में 6 साल से 19 साल तक के बच्चों को हर सप्ताह आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दी जाएँगी।
3. गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में 180 आयरन की गोलियां दी जाती हैं।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? इस कार्यक्रम में आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

वाँछित दस्तावेज कोई भी दस्तावेज अनिवार्य नहीं है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी सभी सरकारी स्कूल व सरकारी अस्पताल।

आयु सीमा **न्यूनतम 1** **अधिकतम 18** जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	पोषण पुनर्वास केंद्र

उद्देश्य एवम् विशेषता शिशु मृत्यु दर को कम करने व पोषण में सुधार हेतु।

पात्रता 3 माह से 16 साल तक के बच्चे।

सहायता का ब्यौरा इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग बच्चों द्वारा रोजमर्रा आहार के प्रति उन्हें परामर्श देने के उद्देश्य से हर जिले में पोषण सलाहकार नियुक्त किये गए हैं साथ ही निम्न कुपोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किये गए हैं • आई. जी. एम. सी शिमला • डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा • समुदायक स्वास्थय केंद्र पोंटा साहिब • जिला अस्पताल ऊना • जिला अस्पताल मंडी इन केन्द्रों में निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं • 24 घंटे बीमार और कुपोषित बच्चों की देखभाल • चिकित्सा जटिलताओं का उपचार • चिकित्स्यपोषण आहार दिया जाता है • उचित आहार देखभाल और स्वच्छता पर परामर्श दिया जाता है उपचार के बाद ही पुनर्वास केन्द्रों से छुटी के पश्चात् भी उनकी देखभाल करना।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? इस कार्यक्रम में आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

वाँछित दस्तावेज कोई भी दस्तावेज अनिवार्य नहीं है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी सभी सरकारी अस्पतालों में।

आयु सीमा **न्यूनतम 1** **अधिकतम 16** जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	एस एन सी यू Sıck Newborn Care Unıt

उद्देश्य एवम् विशेषता शिशु मृत्यु दर को कम करने व रोगों की संख्या में कमी हेतु 13 स्वास्थय संस्थानों में मुफ्त ईलाज।

पात्रता शुन्य से 1 माह तक के बच्चे।

सहायता का ब्यौरा जिन स्वास्थ्य संस्थानों में एस एन सी यू स्थापित किये गए हैं उनमें जिला अस्पताल बिलासपुर - जिला अस्पताल चंबा - जिला अस्पताल हमीरपुर कांगड़ा में मेडिकल कॉलेज डॉ० आरपीजीएमसी टांडा - जिला अस्पताल कुल्लू - जिला अस्पताल मंडी - सिविल अस्पताल सुंदर नगर - सिविल हॉस्पिटल एमजीएमएससी खानरी, शिमला-मेडिकल कॉलेज कमला नेहरू अस्पताल शिमला-मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी शिमला - सिविल हॉस्पिटल पोंटा साहिब, जिला सिरमौर- जिला अस्पताल सोलन - जिला अस्पताल ऊना शामिल हैं। इन एससीएनयू में उच्च जोखिम नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? इस कार्यक्रम में आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

वाँछित दस्तावेज कोई भी दस्तावेज अनिवार्य नहीं है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी उपरोक्त सरकारी अस्पताल।

जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	सार्वभौमिक टीकाकरण

उद्देश्य एवम् विशेषता शिशु मृत्यु दर को कम करने व रोगों की संख्या में कमी हेतु सभी स्वास्थय संस्थानों में मुफ्त टीकाकरण।

पात्रता शुन्य से 16 साल तक के बच्चे व गर्भवती महिलाएं।

सहायता का ब्यौरा इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित १० प्रकार के टीके जिनमें क्षय रोग - Measıes Rubeııa - पोलियो - डिप्थीरिया - पर्ट्यूसिस पेंटावेलें - टेटनस - हेपेटाइटिस बी - इन्फ्लुएंजा बी - रोटा वायरस - निमोनिया शामिल हैं मुफ्त लगाये जातें हैं ।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? इस कार्यक्रम में आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

वाँछित दस्तावेज कोई भी दस्तावेज अनिवार्य नहीं है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी सभी स्वास्थ्य संस्थान

आयु सीमा **न्यूनतम 1** **अधिकतम 16** जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक के नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS)

उद्देश्य एवम् विशेषता कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक का नियंत्रण और रोकथाम ।

पात्रता 30 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति तथा कोई भी व्यक्ति जो कैंसर रोग से पीड़ित हो ।

सहायता का ब्यौरा सभी गैर - संचारी रोग जेसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं अन्य दीर्घकालीन समस्याओं की नि:शुल्क जांच । इसके अतिरिक्त कैंसर के सभी मरीजों के लिए जिला हस्पताल बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, सोलन, धर्मशाला, चम्बा तथा नागरिक अस्पताल रोहरू एवं रामपुर में कीमोथेरेपी की सुविधा।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? सभी गैर - संचारी रोग जेसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं अन्य दीर्घकालीन समस्याओं की नि:शुल्क जांच के लिए किसी भी आवेदन की आवश्यकता नहीं है । इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 30 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से सम्पर्क कर सकता है । इसके अतिरिक्त कोई भी कैंसर मरीज जिला हस्पताल बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, सोलन, धर्मशाला, चम्बा तथा नागरिक अस्पताल रोहरू एवं रामपुर से कीमोथेरेपी की सुविधा प्राप्त कर सकता है

वाँछित दस्तावेज किसी भी वाँछित दस्तावेज़ की आवश्यक नहीं है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त दर्शाए गए स्वास्थ्य संस्थानों के चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क।

आयु सीमा **न्यूनतम 30** **अधिकतम 100** जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा

उद्देश्य एवम् विशेषता स्वास्थ्य सम्बन्धी आपातकालीन स्थिति में रोगियों को नि:शुल्क यातायात व प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाना।

पात्रता इस सुविधा को कोई भी व्यक्ति जो स्वास्थ्य सम्बन्धी आपातकालीन स्थिति में हो, प्राप्त कर सकता है।

सहायता का ब्यौरा इस योजना के अन्तर्गत सभी रोगियों को नि:शुल्क यातायात व प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाया जाता है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति नि:शुल्क नंबर “108” पर दूरभाष के द्वारा सम्पर्क कर सकता है।

वाँछित दस्तावेज किसी भी वाँछित दस्तावेज़ की आवश्यक नहीं है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नि:शुल्क नंबर “108” पर दूरभाष के द्वारा आपातकालीन सेवा प्राप्त करवाई जा सकती है।

जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

उद्देश्य एवम् विशेषता सभी बी० पी० एल० तथा हाशिय श्रेणियों (Marginalized Categories) के रोगियों को नि:शुल्क डायलिसिस प्रदान करना।

पात्रता	इस सुविधा को कोई भी व्यक्ति जो किडनी रोग से पीड़ित है और जिसे डायलिसिस की आवश्यकता है, प्राप्त कर सकता है।
सहायता का ब्यौरा	इस योजना के अन्तर्गत सभी बी० पी० एल० तथा हाशिय श्रेणियों (Marginalized Categories) के किडनी के रोगियों को नि:शुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाती है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी बी० पी० एल० तथा हाशिय श्रेणियों (Marginalized Categories) का रोगी जिला हस्पताल बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, सोलन व ऊना में चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है। हालाँकि डायलिसिस सेवा का विस्तार जिला हस्पताल हमीरपुर व चम्बा तथा नागरिक हस्पताल नूरपुर, पालमपुर व पोंटा-साहिब में भी किया जा रहा है।
वाँछित दस्तावेज	इस सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी विशेष दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है किन्तु मरीजों को अपने बी० पी० एल० तथा हाशिय श्रेणि का वेध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	डायलिसिस सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त दर्शाए गए स्वास्थ्य संस्थानों के चिकित्सा अधिकारी।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	प्रदेश के दूरदराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाएं

उद्देश्य एवम् विशेषता	दुरस्त क्षेत्रों के लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य सलाह एवं परामर्श प्रधान करने हेतु टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना।
पात्रता	कोई भी नागरिक टेली परामर्श द्वारा रोगों के निदान एवं उपचार हेतु इस सेवा का उपयोग कर सकता है।
सहायता का ब्यौरा	लाहौल एवं स्पीती जिले में जिला हस्पताल केलंग एवं सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थान काजा में टेलीमेडिसिन के माध्यम से इलाज की सुविधा उपलब्ध है । प्रदेश के 25 स्वास्थ्य संस्थानों में टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा इलाज एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध है।

क्रम संख्या	जिला	स्वास्थ्य संन्स्थान का नाम
1	चंबा	नागरिक चिकित्सालय तीसा
2	चंबा	नागरिक चिकित्सालय डलहोजी
3	चंबा	नागरिक चिकित्सालय चोवारी
4	चंबा	नागरिक चिकित्सालय भरमौर
5	चंबा	सामुदायिक चिकित्सा केंद्र होली
6	चंबा	सामुदायिक चिकित्सा केंद्र कीहर
7	चंबा	सामुदायिक चिकित्सा केंद्र चूरी
8	चंबा	सामुदायिक चिकित्सा केंद्र सलूनी
9	चंबा	सामुदायिक चिकित्सा केंद्र साहू
10	चंबा	प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पुखरी
11	चंबा	प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनीखेत
12	सिरमौर	नागरिक चिकित्सालय सराहन
13	सिरमौर	नागरिक चिकित्सालय ददाहू
14	सिरमौर	सामुदायिक चिकित्सा केंद्र संगडाह
15	सिरमौर	सामुदायिक चिकित्सा केंद्र शिल्लाई
16	सिरमौर	प्राथमिक चिकित्सा केंद्र राजपुरा
17	सिरमौर	प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जमता
18	सिरमौर	सामुदायिक चिकित्सा केंद्र नोअर्धर
19	सिरमौर	प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हरिपुरधार
20	शिमला	नागरिक चिकित्सालय नेरवा
21	शिमला	सामुदायिक चिकित्सा केंद्र टिककर
22	शिमला	सामुदायिक चिकित्सा केंद्र डोडरा-क्वार
23	शिमला	सामुदायिक चिकित्सा केंद्र ननखड़ी
24	शिमला	सामुदायिक चिकित्सा केंद्र चिडगाँव
25	शिमला	नागरिक चिकित्सालय कुमारसैन

प्रदेश के निम्न पांच उप स्वास्थ्य संस्थानों में टेलीमेडिसिन के की माध्यम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा इलाज एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध है।

क्रम संख्या	उप -स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य खंड	जिला
1	भरारी संगडाह	सिरमौर
2	शेर तंदुला संगडाह	सिरमौर
3	गुमट शिल्लाई	सिरमौर
4	कोट्टा-पाव शिल्लाई	सिरमौर
5	धारवा-थाच जन्जेहली	मंडी

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

स्वास्थ्य संस्थानों में वाह्य रोगी पर्ची बना कर उपरोक्त सुविधा प्रदान की जा सकती है।

वाँछित दस्तावेज

वाह्य रोगी पर्ची।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थान जहाँ पर टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध है।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	व्यापक काल सेंटर (104)

उद्देश्य एवम् विशेषता

104 हेल्पलाइन (टोल फ्री) के माध्यम से स्वास्थ्य सम्बन्धी सलाह एवं परामर्श, किशोरावस्था समस्याओं सम्बन्धी परामर्श एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी शिकायत निवारण।

पात्रता

सभी नागरिक 104 हेल्पलाइन (टोल फ्री) के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ उठा सकते है।

सहायता का ब्यौरा

- टोल फ्री नंबर 104 डायल करके कोई भी नागरिक चिकित्सा जानकारी एवं चिकित्सा सलाह प्राप्त कर सकता है।
- किशोर व किशोरी, किशोरावस्था सम्बन्धी समस्याओं के बारे में परामर्श में परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।
- कोई भी नागरिक किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान में सेवा एवं स्वास्थ्य सबंधी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

आवेदन की आवश्यकता नही है। 104 (टोल फ्री) सहायता नम्बर पर डायल कर सुविधा प्रदान की जा सकती है।

वाँछित दस्तावेज

आवश्यकता नही है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — 104 हेल्पलाइन (टोल फ्री) हेल्पलाइन पर सुविधा प्राप्त करने हेतु डायल करे।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग टी॰ बी॰ नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP)

उद्देश्य एवम् विशेषता — हर वर्ष, कम से कम 90 % नए क्षय रोगियों का पता लगाना नए रोगियों में उपचार सफलता दर कम से कम 90% और पुराने रोगियों में 85% प्राप्त करना।

पात्रता — पंजीकृत टी॰ बी॰ मरीज व सभी मरीज जिनको टी॰ बी॰ के लक्ष्ण हो।

सहायता का ब्यौरा

- टी॰ बी॰ का निदान व टी॰ बी॰ दवाइयां मुफ्त देना।
- पंजीकृत टी॰ बी॰ व एम॰ डी॰ आर॰ टी॰ बी॰ मरीजों को हर महीने 500 रुपये पोषण सहायता के लिए इलाज के दोरान दिया जाता है।
- प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों माइक्रोस्कोपी केन्द्रों में मुफ्त जांच की सुबिधा उपलब्ध है।
- एमडीआर टी॰ बी॰ के निदान के लिए प्रदेश के चौदह (14) स्वास्थ्य संस्थानों में अत्याधुनिक सी॰ वी ॰ नाट॰ मशीने लगाई गई है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — मरीज जहाँ पर पंजीकृत होता है वहीं पर सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती है। अधिक जानकारी राष्ट्रीय स्बास्थ्य मिशन की वैब-साइट से डाउनलोड की जा सकती है - www.nrhmhp.gov.in

वाँछित दस्तावेज — आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — जहाँ से इलाज शुरू होता है मरीज की सारी जानकारी वहीं पर देनी होती है।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	मुस्कान परियोजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — इस परियोजना के अन्तर्गत 65 वर्ष व् 65 वर्ष से अधिक उम्र और बी॰ पी ० एल ० परिवार के लोगों को मुफ्त कृत्रिम दांत लगाये जाते है और शेष लोगों को आर ० के॰ एस॰ के॰ दर पर कृत्रिम दांत लगाये जाते है।

पात्रता — इसके अंतर्गत 65 वर्ष व् 65 वर्ष से अधिक उम्र और बी॰ पी ० एल ० परिवार के लोगों को मुफ्त कृत्रिम दांत लगाये जाते है और शेष लोगों को आर ० के॰ एस॰ के॰ दर पर कृत्रिम दांत लगाये जाते हैं।

सहायता का ब्यौरा — एक वर्ष में 3,000 और तीन वर्षों में 10,000 लोगों को कृत्रिम दांत लगाने का लक्ष्य निर्धर्रित किया है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — 74 चिकित्सालय में जहाँ – जहाँ दन्त यांत्रिक मौजूद है वंहा पर यह परियोजना चलाई जा रही है !

वाँछित दस्तावेज — आयु का प्रमाण पत्र

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अपने - अपने जिले के)

आयु सीमा — **न्यूनतम 65**
अधिकतम 100 — जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	मुख्य मंत्री क्षय रोग निवारण योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	हिमाचल को टी0बी0 मुकत राज्य बनाना। समुदाय में टी0बी0 रोग को फैलने से रोकना तथा मुफ्त इलाज व निदान की सुविधा करना।
पात्रता	हिमाचल की जनता को टी0बी0 की बीमारी के बारे जागरूक करना तथा घर द्वार टी0बी0 के इलाज़ की सुविधाएँ देना।
सहायता का ब्यौरा	➢ टी0बी0 का निदान व टी0बी0 दवाईयाँ मुफ्त देना। ➢ आशा वर्कर घर घर जा कर टी0बी0 के नय मामले खोजेगी। ➢ पंचायती राज इंस्टिट्यूट की सहभागिता को बढ़ाना। ➢ जागरूकता को बढ़ाना।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	मरीज जहाँ पर पंजीकृत होता है वहीं पर सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं जो कि सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध है। अधिक जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वैब- साइट से डाउनलोड की जा सकती है। www.nrhmhp.gov.in
वाँछित दस्तावेज	आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	जहाँ से इलाज शुरू होता है मरीज की सारी जानकारीवहीं पर देनी होती है।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	बहु उद्देश्य शल्य चिकित्सा शिविर

उद्देश्य एवम् विशेषता	ये शिविर दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों में लगाये जातेहैं जहाँ पर कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होती है ! प्रत्येक शिविर में 60 प्रमुख शल्य चिकित्सा करना अनिवार्य होता है जिसमें 20 सामान्य शल्य चिकित्सा, 20 प्रसूती एवं स्त्री रोग शल्य चिकित्सा और 20 आंखों की शल्य चिकित्सा शामिल है।
पात्रता	ये शल्य चिकित्सा शिविर नि:शुल्क लगाये जाते हैं जिनमें कि सभी तरह की जाँच एवं दवाइयां इत्यादि नि:शुल्क प्रदान करवाई जाती हैं इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी शल्य चिकित्सा करवा सकता है।
सहायता का ब्यौरा	ये सभी शिविर भारत सरकार की सहायता से आयोजित किये जाते हैं।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इन सभी शिविरों में रोगी को किसी प्रकार की सजक (मोनिट्री) सहायता नहीं दी जाती है।
वाँछित दस्तावेज	कोई भी प्रमाण पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	यह प्रश्न यहाँ पर लागु नहीं है।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	परिवार नियोजन

उद्देश्य एवम् विशेषता	जनसंख्या नियंत्रिकरण
पात्रता	18 से 49 साल

सहायता का ब्यौरा				
	क्रम सं0	स्कीम का नाम	लाभार्थी	योग्यता
	1	पुरुष नसबन्दी	रु० 1100/-	योग्य पात्र
	2	स्त्री नलबन्दी	रु० 600/-	योग्य पात्र
	3	पीपीआइयूसीडी/पीएआइयूसीडी	रु० 300/-	योग्य पात्र
	4	नसबन्दी/ नलबन्दी असफल होने पर क्षतिपूर्ति	रु० 30000/-	योग्य पात्र

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? यह स्कीम सभी सरकारी अस्पतालो में उपलब्ध है।

वाँछित दस्तावेज स्कीम के अनुसार।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी सभी सरकारी अस्पतालों में।

आयु सीमा **न्यूनतम 18** जेंडर दोनों
अधिकतम 49

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम

उद्देश्य एवम् विशेषता जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों की स्वास्थ्य सम्बन्धी ३० अवस्थाओं की प्रारंभिक जांच और शुरुवाती उपचार करना।

पात्रता सभी आगनवाड़ी केन्द्रों व सरकारी स्कूलों में (शुन्य से 18 साल तक के बच्चे)।

सहायता का ब्यौरा जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों की निम्नलिखित चार विकार - जन्म से विकृति दोष, पौष्टिकता का आभाव, रोग व विकास संबंधी विलंभ की जांच और शुरुवाती उपचार करना ।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? इस कार्यक्रम में आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

वाँछित दस्तावेज आधार कार्ड व सरकारी स्कूल का सर्टिफिकेट।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सभी स्वास्थय संस्थान।
आयु सीमा	**न्यूनतम 1 अधिकतम 18** **जेंडर** दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	एच0 आई0 वी0/ एड्स के साथ जी रही महिलाओ के नवजात शिशु को एक वर्ष तक मुफ्त दूध पाउडर

उद्देश्य एवम् विशेषता	चिकित्सक की सलाह पर प्रदेश सरकार द्वारा एच् ० आई ० वी ० / एड्स के साथ जी रही महिलाओं के नवजात शिशु को एक वर्ष तक दूध पाउडर मुफ्त दिया जाता है, ताकि नवजात शिशु को एच् ० आई ० वी ० / एड्स माँ का दूध न उपलब्ध होने की स्थिति में पर्याप्त पोषक आहार मिल सके।
पात्रता	एच् ० आई ० वी ० / एड्स के साथ जी रही महिलाओं के नवजात शिशु को एक वर्ष तक दूध पाउडर मुफ्त दिया जाता है।
सहायता का ब्यौरा	चिकित्सक की सलाह पर प्रदेश सरकार द्वारा एच् ० आई ० वी ० / एड्स के साथ जी रही महिलाओं के नवजात शिशु को एक वर्ष तक दूध पाउडर मुफ्त दिया जाता है, ताकि नवजात शिशु को एच् ० आई ० वी ० / एड्स माँ का दूध न उपलब्ध होने की स्थिति में पर्याप्त पोषक आहार मिल सके। आयु पाउडर दूध के पैकेट की मात्रा की आवश्यकता प्रति शिशु -प्रति माह 0 -6 माह 6 किलो (यानी 1 किलो के 6 पैकेट) 7 -12 माह 5 किलो (यानी 1 किलो के 5 पैकेट)।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी व खण्ड चिकित्सा अधिकारी को साधारण कागज पर आवेदन किया जा सकता है। sacshp.org
वाँछित दस्तावेज	(1) माता के एच० आई० वी० से ग्रसित होने का प्रमाण/रिपोर्ट यदि बच्चा अनाथ हो तो माता के एड्स से मृत्यु होने का प्रमाण पत्र। (2) आयु प्रमाण पत्र। यदि बच्चा अनाथ हो तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र। (3) हिमाचल के स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र। (4) इस योजना का लाभ सम्बन्धित जिले के निवासी को ही उसके सम्बन्धित जिले में ही प्राप्त होगा।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी व खण्ड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों के बच्चों/एड्स के कारण अनाथों के लिए आर्थिक सहायता

उद्देश्य एवम् विशेषता

एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों के बच्चों/अनाथों को शिक्षा एवम् अन्य जीवनयापन सम्बन्धित आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता। शिक्षा एवम् अन्य जीवनयापन सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

पात्रता

सभी एच -एच0आई0वी0 के साथ जी रहें लोगो के बच्चों व एच0आई0वी0 से मृत अनाथ 0-18 वर्ष के बच्चों के लिए।

सहायता का ब्यौरा

एच0आई0वी0 एड्स के साथ जी रहें व्यक्तियों के बच्चों अनाथों को शिक्षा एवम् अन्य जीवनयापन सम्बन्धित आवश्यकता के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता योजना वर्ष 2007-2008 से शुरू की गई है। इस योजना के तहत एड्स के साथ जी रहें व्यक्तियों के बच्चों को आर्थिक सहायता निम्नलिखित विवरण अनुसार दी जा रही हैः- 0-3 वर्ष तक 300/रु प्रतिमाह 4-6 वर्ष तक 400/रु प्रतिमाह 7-9 वर्ष तक 500/रु प्रतिमाह 10-12 वर्ष तक 600/रु प्रतिमाह 13-15 वर्ष तक 700/रु प्रतिमाह 16-18 वर्ष तक 800/रु प्रतिमाह।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी व खण्ड चिकित्सा अधिकारी को साधारण कागज पर आवेदन किया जा सकता है। sacshp.org

वाँछित दस्तावेज

वाँछित दस्तावेजः-

(1) पिता या माता के एच0आई0वी0 से ग्रसित होने का प्रमाण/रिर्पोट यदि बच्चा अनाथ हो तो माता पिता की एड्स से मृत्यु का प्रमाण पत्र।
(2) आयु प्रमाण पत्र। यदि बच्चा अनाथ हो तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र।
(3) हिमाचल के स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र। 4. इस योजना का लाभ सम्बन्धित जिले के निवासी को ही उसके सम्बन्धित जिले में ही प्राप्त होगा। पिता या माता का बैक अकाउट न0 का विवरण। अनाथ बच्चो के अभिभावको को लाभार्थी बच्चों के नाम बैक खाता खोलना होगा क्योकि योजना की राशि बच्चों के नाम ही उनके खाते में दी जाएगी।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी व खण्ड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में।

आयु सीमा

न्यूनतम 1 **अधिकतम 18**	जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	एच0 आई0 वी0/ एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों को एंटी रेट्रोवायरल थैरिपी (ART Centre) में उपचार के लिए आने जाने का बस पास/किराया।

उद्देश्य एवम् विशेषता

एच0आई0वी/एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों और उनके एक सहयोगी को एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी में उपचार के लिए आने जाने का बस किराया सरकार द्वारा दिया जाता है। जिससे वह अपने जीवन को लम्बे समय तक जी सकते हैं। यह एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी प्रदेश में स्थित 6 एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही है। एड्स के साथ जी रहे व्यक्ति इन केन्द्रों में उपचार करवाने के लिए आते हैं, उन्हें और उनके एक सहयोगी को यहाँ उपचार के लिए आने जाने का बस किराया सरकार द्वारा दिया जाता है, ताकि इन्हें बिना व्यवधान उपचार मिल सके व उपचार सुचारू रूप से किया जा सके।

पात्रता

सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत एच0आई0वी/एड्स के साथ जी रहे व्यक्ति स्वतः ही इस योजना के पात्र होते हैं।

सहायता का ब्यौरा

<u>सहायता का ब्यौराः</u>- उनके एक सहयोगी को एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी में उपचार के लिए आने जाने का बस किराया सरकार द्वारा दिया जाता है। जिससे वह अपने जीवन को लम्बे समय तक जी सकते हैं। यह सहायता प्रदेश के एच0आई0वी/एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों और में स्थित 6 एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही है, ताकि इन्हें बिना व्यवधान उपचार मिल सके व उपचार सुचारू रूप से किया जा सके।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत एच0आई0वी/एड्स के साथ जी रहे व्यक्ति साधारण कागज पर आवेदन कर सकते हैं।sacshp.org

वाँछित दस्तावेज	सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत होना अनिवार्य है।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों (ART Centre) में।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	पोषक आहार सहायता (Nutritional Support Scheme)

उद्देश्य एवम् विशेषता	न्युट्रिशिनल किट स्कीम एच0आई0वी/एड्स के साथ जी रहे बच्चों के लिए पोषक आहार की उपलब्धता, जिससे वह स्वस्थ जीवन जी सके।
पात्रता	सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत एच0आई0वी/एड्स के साथ जी रहे बच्चें स्वतः ही इस योजना के पात्र होते हैं।
सहायता का ब्यौरा	न्युट्रिशिनल किट(पंजीर/बिस्कुट) 100ग्राम प्रति दिन प्रति बच्चा को एक साथ एक माह के लिए (ART Centre) के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत एच0आई0वी/एड्स के साथ जी रहे बच्चे साधारण कागज पर आवेदन कर सकते हैं।sacshp.org
वाँछित दस्तावेज	एच0आई0वी0 से ग्रसित होने का प्रमाण/रिर्पोट व सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत होना अनिवार्य है।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों (ART Centre) में।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	आयुष्मान भारत –प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस योजना का उद्देश्य चयनित व्यक्ति को नि:शुल्क इलाज प्रदान करना है । 23 सितम्बर,2018 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना का आरम्भ किया गया और स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश ने इसे पूरे प्रदेश मे कार्यान्वित किया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रति परिवार पाँच लाख रुपए तक के नि:शुल्क ईलाज का प्रावधान किया गया।
पात्रता	इस योजना के अन्तर्गत 2011 की जनगणना के आधार पर कुछ चयनित समूहों (डी 1, डी 2, डी 3, डी 4, डी 5 और डी 7) व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (2014-15) के लाभार्थियों को शामिल किया गया है।
सहायता का ब्यौरा	इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रति परिवार पाँच लाख रुपए तक के नि:शुल्क ईलाज का प्रावधान है ।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। लाभार्थी अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर नजदीकी लोक मित्र केंद्र मे जा कर गोल्डन कार्ड बनवा सकता है यदि उसका नाम डाटाबेस में है। लोक मित्र केंद्र मे कार्ड बनवाने के लिए 30 रुपए का शुल्क देय है।
वाँछित दस्तावेज	आधार कार्ड, राशन कार्ड और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड यदि है तो।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी लोक मित्र केंद्र के माध्यम से या पंजीकृत अस्पताल मे जाकर कार्ड बनवा सकता है। इसके अतिरिक्त हिमकेयर योजना के लाभार्थी स्वंय wwwIhpsbys.In वेबसाइट पर जाकर कुछ औपचारिकताए पूर्ण करके कार्ड बनवा सकता है।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	हिमाचल हैल्थ केयर योजना – हिमकेयर

उद्देश्य एवम् विशेषता

इस योजना का उद्देश्य चयनित व्यक्ति को नि:शुल्क इलाज प्रदान करना है । सरकार ने जो परिवार आयुष्मान भारत मे कवर नहीं थे, के लिए राज्य मे दिनांक 1 जनवरी, 2019 से हिमकेयर योजना आरम्भ की। हिमकेयर योजना के अन्तर्गत एक परिवार के पाँच सदस्यों तक प्रति वर्ष पाँच लाख रुपए के नि:शुल्क ईलाज की सुविधा का प्रावधान किया गया है । यदि उसी परिवार मे सदस्यों की संख्या पाँच से अधिक होगी तो उस स्थिति मे अगले पाँच सदस्यों तक एक अतिरिक्त कार्ड बनवाकर प्रति वर्ष पाँच लाख रुपए के निशुलक ईलाज की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

पात्रता

हिमकेयर के अन्तर्गत अलग-अलग श्रेणियों को चयनित किया गया है और प्रीमियम निर्धारित किया गया है जो इस प्रकार है–

श्रेणी चयनित समूह प्रीमियम दर

1. गरीबी रेखा से नीचे (बी॰पी॰एल॰) (जो कि आयुष्मान भारत मे पंजीकृत नहीं है) ।
2. पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले (जो कि आयुष्मान भारत मे पंजीकृत नहीं है) ।
3. मनरेगा कार्यकर्ता जिसने पिछले या वर्तमान वितिय वर्ष मे कम से कम 50 दिन कार्य किया है।
4. एकल नारी 2. 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग ।
5. 70 वर्ष कि आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक।
6. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ।
7. आंगनवाड़ी सहायिकायें।
8. आशा कार्यकर्ता ।
9. मिड-डे मील कार्यकर्ता ।
10. दिहाड़ीदार (सरकारी, स्वायत संस्थानो, सोसाएटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी) ।
11. अंशकालिक कार्यकर्ता (सरकारी, स्वायत संस्थानो, सोसाएटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी) ।
12. अनुबन्ध कर्मचारी (सरकारी, स्वायत संस्थानो, सोसाएटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी) ।
13. आउटसोर्स कर्मचारी - - 365 रुपए प्रति वर्ष 3) ।
14. अन्य व्यक्ति जो नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत कर्मचारी नहीं है। -1000 रुपए प्रति वर्ष।

सहायता का ब्यौरा

इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष प्रति परिवार पाँच लाख रुपए तक के नि:शुल्क ईलाज का प्रावधान है ।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

इस योजना के अन्तर्गत ई -कार्ड जारी किए जा रहे हैं। नामांकन/पंजीकरण कि प्रक्रिया सरल रखी गयी है और लाभार्थी www.hpsbys.In वैबसाइट पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड (नचसंवक) करवा कर नामांकन कर सकता है। यह नामांकन वह स्वंय कर सकता है या लोक मित्र केंद्र /कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी कर सकता है। वह प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर सकता है। लाभार्थी का नामांकन अनुमोदित होने के उपरांत उसके द्वारा दिये गए मोबाइल पर संदेश आता है जिसकी सहायता से वह अपना ई-कार्ड डाउनलोड कर सकता है और प्रिंट कर सकता है। योजना के अंतर्गत लोक मित्र केंद्र /कामन सर्विस सेंटर नामांकन करने और निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए लाभार्थी से 50 रुपए प्रति परिवार एकमित्र करते हैं और अनुमोदन का संदेश प्राप्त होने के उपरांत लाभार्थी को कार्ड प्रिंट करके देते हैं। अस्पताल में भी ई-कार्ड जारी करने का विकल्प है।

वाँछित दस्तावेज	हिमकेयर के अन्तर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड आवश्यक है और इसके अतिरिक्त श्रेणियों के आधार पर निम्न दस्तावेज अनिवार्य है:- • श्रेणी प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ गरीबी रेखा से नीचे (बी॰पी॰एल॰) • पिछले एक महीने के भीतर पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित बी॰पी॰एल॰ प्रमाण पत्र की प्रति। पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी • पिछले एक महीने के भीतर एम॰ सी॰/ एन॰पी॰/एन॰ए॰सी॰ के कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति। मनरेगा कार्यकर्ता • पंचायत सचिव द्वारा हस्ताक्षरित मनरेगा की एम॰आई॰एस॰ रिपोर्ट जिसमे पिछले वितिय वर्ष या वर्तमान वितिय वर्ष मे कम से कम 50 दिनो के कार्य का ब्योरा हो। एकल नारी (इस श्रेणी के अंतर्गत विधवा / तलाक़शुदा / कानूनी रूप से प्रथक /40 वर्ष की आयु से अधिक की अविवाहित महिलाएं पात्र है) • सम्बन्धित क्षेत्र के बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी (सी॰डी॰पी॰ओ॰) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग • चिकित्शा दिव्यांग्ता प्रमाण पत्र। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक • आयु वैधता प्रमाण पत्र। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता /सहाइकाएं- सम्बन्धित क्षेत्र के बाल विकास
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी लोक मित्र केंद्र के माध्यम से या पंजीकृत अस्पताल मे जाकर कार्ड बनवा सकता है। इसके अतिरिक्त हिमकेयर योजना के लाभार्थी स्वंय wwwIhpsbys.In वेबसाइट पर जाकर कुछ औपचारिकतायें पूर्ण करके कार्ड बनवा सकता है।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	एड्स के साथ जी रहें व्यक्तियों को 1500/रु प्रतिमाह आर्थिक सहायता।

उद्देश्य एवम् विशेषता	एड्स के साथ जी रहें व्यक्तियों को जीवनयापन सम्बन्धित आवश्यकताओ के लिए राज्य सरकार द्वारा 1500/रु प्रतिमाह आर्थिक सहायता।
पात्रता	सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत एच0आई0वी/एड्स के साथ जी रहे व्यक्ति स्वतः ही इस योजना के पात्र होते हैं।
सहायता का ब्यौरा	एड्स के साथ जी रहें व्यक्तियों को जीवनयापन सम्बन्धित आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा 1500/रु प्रतिमाह आर्थिक सहायता।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत एच0आई0वी/ एड्स के साथ जी रहे व्यक्ति साधारण कागज पर आवेदन कर सकते हैं।
वाँछित दस्तावेज	सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत होना अनिर्वाय है।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों (ART Centre) में।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	स्वास्थ्य में सहभागिता योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता
इस योजना का मुख्य उद्धेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को अपने ही क्षेत्र में सी.सच.सी. स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

पात्रता
इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित क्षेत्र निजी स्वास्थ्य संस्थान को किसी भी मौजूदा ZH/आरएच या इस योजना के अन्तर्गत अन्य अस्पताल के 10 कि0 मी0 (सड़क द्वारा) के दायरे के बाहर स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

सहायता का ब्यौरा
योजना के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, सोसायटी आदि निर्धारित मानकों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत निर्धारित क्षेत्र में निजी एलोपैथिक अस्पताल स्थापित करता है, तो उसे निम्नानुसार प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा-कैपिटल सब्सिडी @ 25% तक एक भवन, मशीनरी एवं उपकरणों में 2 करोड़ रुपए का निवेश. अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए की ऋण राशि पर तीन वर्ष के लिए 5% ब्याज सब्सिडी।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया अधिसूचना में दर्शाई गई है। आवेदन की प्रति www.hphealth.nic.in की वैब साइट से डाउनलोड़ की जा सकती है।

वाँछित दस्तावेज
उपरोक्त अधिसूचना में दर्शाए गए नियमो व शर्तो के अनुसार।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी
सम्बधिंत मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा निदेशक स्वास्थ्य सेवांए हिमाचल प्रदेश।

जेंडर
दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	अटल आशीर्वाद योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता
बेबी किट नये पैदा हुए बच्चों के जन्म के उपरांत सभी सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थानों को मुफत मुहैया करवायी जाएगी।

पात्रता
इस स्कीम के तहत, वह सभी नये पैदा हुए बच्चे जो सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थानों में जिनकी प्रसूति हुई है।

सहायता का ब्यौरा
इस स्कीम के अन्तर्गत सभी पैदा हुए नये बच्चों को जिनकी प्रसूति सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थानों में हुई है को नि:शुल्क 12 वस्तुएं (Items) दी जाएंगी, जिनका विवरण इस प्रकार से है –

1. टुथ पेस्ट, टुथ-ब्रश, नहाने का साबुन, मां के लिए वैसलीन।
2. बच्चे के लिए एक टुकड़ा सूट (one piece slip on outfit for baby with long sleeves for baby)
3. बनियान- 1 जोड़ी
4. मलमल का कपड़ा - 1 जोड़ी
5. बच्चे के लिए दस्ताने व बूटीज़ - एक जोड़ी
6. बच्चे के लिए मसाज़ तेल-100 मि॰ ली॰
7. एक बच्चे का तैलिया
8. बच्चे के लिए नैपीज़ - 6 पीस
9. हैंड सैनिटाइज़र बोतल - 100 मि॰ ली॰
10. बच्चे के लिए मछरदानी
11. बच्चे के लिए नर्म कम्बल
12. बच्चों का झुनझुना (खिलौना- प्लास्टिक)

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?
सरकारी व निजी अस्पतालों में प्रसव करवाने के लिए दाखिला अनिवार्य है।

वाँछित दस्तावेज
एडमिशन कार्ड प्रस्तुत करना - प्रवेश पत्र

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सरकारी व निजी अस्पतालों के सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	मुख्यमंत्री निरोग योजना (केन्द्र और राज्य प्रायोजित)

उद्देश्य एवम् विशेषता	सभी आयु वर्गो का स्वास्थ्य निदान एवं देख रेख। ये योजना कैबिनेट द्वारा हाल में मंजूर की गई है और शीघ्र ही पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। इस योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।
पात्रता	सभी आयु वर्ग।
सहायता का ब्यौरा	सभी आयु वर्गो का स्वास्थ्य निदान एवं देख रेख।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	घर द्वार पर जांच की सुविधा।
वाँछित दस्तावेज	नहीं।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	एन एच एम शिमला।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	सहारा योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस योजना के अन्तर्गत कुछ एक निर्दिष्ट रोगों जैसे पार्किंसंस, घातक कैंसर रोग, पक्षाघात रोग स्थायी अपंगता लंबे समय के लिए उपचार ले रहा है या बिस्तर ग्रस्त है, पेशी कुपोषण, हेमोफीलिया, थेलेसीमिया, तीव्र या पुरानी गुर्दे की विफलता या कोई अन्य बीमारी जो किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से अक्षम करती है पीड़ितों के उपचार के दौरान रोगियों व उनके परिजनो को आने वाली वितिय और अन्य समस्याओं से निजात दिलाना है।
पात्रता	इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, जो एकल परिवार में रहते हैं और जिनकी वार्षिक आय सभी साधनों से चार लाख रूपये से कम है।
सहायता का ब्यौरा	इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, जो एकल परिवार में रहते हैं और जिनकी वार्षिक आय सभी साधनों से चार लाख रूपये से कम है, उन्हें दो हज़ार रूपये की मासिक वितीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी। यह वितीय सहायता लाभार्थी के सीधे खाते में जमा होगी।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क करना होगा।
वाँछित दस्तावेज	अपने बीमारी के दस्ताबेज, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. प्रमाण पत्र बैंक खाते की पूर्ण जानकारी व जीवन प्रमाण पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क करना होगा।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	एच॰ आई॰ वी॰ पॉज़िटिव लोगों के लिए मुफ्त जांच व दवाई उपलब्ध करवाना।

उद्देश्य एवम् विशेषता	एच॰ आई॰ वी॰ से पीड़ित लोगों के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर कोई भी जांच व दवाई जो संस्थान मे उपलब्ध नहीं है इस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा।
पात्रता	सभी एच॰ आई॰ वी॰ पीड़ित लोग।
सहायता का ब्यौरा	जो भी एच॰ आई॰ वी॰ पीड़ित व्यक्ति ए॰ आर॰ टी॰ सेंटर मे किसी भी बीमारी के लिए आता है उसे हर जांच व द्वाई मुफ्त मे उपलब्ध कारवाई जाएगी।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सम्बन्धित ए॰ आर॰ टी॰ सेंटर जहां पर व्यक्ति पंजीकृत है ।
वाँछित दस्तावेज	ए॰ आर॰ टी॰ सेंटर एनरोलमेंट बुक
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित ए॰ आर॰ टी॰ सेंटर
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	इन्दिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	बालिका सुरक्षा एवं परिवार नियोजन
पात्रता	विवाहित दंपति
सहायता का ब्यौरा	एक लड़की के बाद नलबंदी/नसबंदी करवाने पर प्रोत्साहन राशि मु॰ 35,000 व दो लड़कियों के बाद नलबंद /नसबंदी करवाने पर प्रोत्साहन राशि मु॰ 25,000 पात्र दंपति को देने का प्रावधान है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सहायता के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, संबन्धित महिला /पुरुष कार्यकर्ता व आशा कार्यकर्ता से सम्पर्क करें।

वाँछित दस्तावेज	आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र व नलबंदी /नसबंदी बारे शपथपत्र आदि।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी व संबन्धित महिला /पुरुष कार्यकर्ता व आशा कार्यकर्ता।
जेंडर	दोनों

XVIII- हि० प्र० पावर कार्पोरेशन लि०

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	कौशल विकास योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	प्रभावित परिवारों/क्षेत्र के युवाओं में तकनीकी क्षमता विकसित करना। विशेषता- आई. टी. आई. में पूर्णतया प्रायोजित प्रशिक्षण।
पात्रता	परियोजना प्रभावित परिवारों/क्षेत्रों के दसवीं/ बारहवीं पास विद्यार्थी।
सहायता का ब्यौरा	शुल्क की पूर्ण अदायगी व रु. 1000/- प्रतिमाह की छात्रवृति पॉवर कॉर्पोरेशन द्वारा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति महाप्रबंधक कार्यालय (एकीकृत काशांग जल विद्युत परियोजना, शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, सैंज जल विद्युत परियोजना, रेणुका बांध परियोजना) और पॉवर कॉर्पोरेशन की वैबसाइट http//www.hppcl.in से प्राप्त की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	पूर्णतया भरा हुआ आवेदन पत्र, दसवी/बारवी का प्रमाण पत्र, रिहाइशी प्रमाण पत्र व परियोजना द्वारा ज़ारी पहचान पत्र की प्रतिलिपि।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवेदन जमा करने का स्थान- परियोजना महाप्रबंधक कार्यालय।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	शैक्षणिक स्तर सुधार

उद्देश्य एवम् विशेषता	उत्कृष्ठ छात्रों को प्रोत्साहित करना। विशेषता- पात्र छात्रो को वार्षिक छात्रवृति।
पात्रता	परियोजना प्रभावित परिवारों/ क्षेत्रों के छठी कक्षा से पेशेवर डिग्री तक।
सहायता का ब्यौरा	छठी से दसवीं तक रु. 500/- प्रतिमाह, जमा एक व दो के लिये रु. 700/- प्रतिमाह, आई. टी. आई. में 1000/- प्रतिमाह, डिप्लोमा कोर्स – रु 1500/- प्रतिमाह, गैर व्यवसायिक डिग्री – रु. 1600/- प्रतिमाह, पेशेवर डिग्री- रु. 2000/- प्रतिमाह (एक साल तक)।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति महाप्रबंधक कार्यालय (एकीकृत काशांग जल विद्युत परियोजना, शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, सैंज जल विद्युत परियोजना, रेणुका बांध परियोजना) और पॉवर कॉर्पोरेशन की वैबसाइट http//www.hppcl.in से प्राप्त की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	पूर्णतया भरा हुआ आवेदन पत्र, पूर्व कक्षा का प्रमाण पत्र रिहाइशी प्रमाण पत्र, व परियोजना द्वारा ज़ारी पहचान पत्र की प्रतिलिपि।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवेदन जमा करने का स्थान- परियोजना महाप्रबंधक कार्यालय।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	प्रशिक्षण व जागरुकता शिविर का आयोजन

उद्देश्य एवम् विशेषता	व्यवसायिक कौशल में सुधार। विशेषता- विशेषज्ञओ से मुफ्त सलाह।
पात्रता	परियोजना प्रभावित परिवारों/ क्षेत्र के निवासी।
सहायता का ब्यौरा	शिविरो मे विशेषज्ञओ द्वारा कृषि, बागवनी, मत्सय पालन, हस्तशिल्प आदि विषयो पर जानकारी व सलाह तथा मुफ्त किट का वितरण।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवश्यकता नहीं।
वाँछित दस्तावेज	आवश्यकता नहीं।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवश्यकता नहीं।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	समुदाय सशक्तिकरण

उद्देश्य एवम् विशेषता	ग्राम स्तर पर संस्थाओं को पुनर्वास एवम् पुनर्स्थापना कार्यो मे शामिल करना। विशेषता- सामुदायिक संस्थाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	परियोजना प्रभावित क्षेत्र मे पंजीकृत सामुदायिक संस्था।
सहायता का ब्यौरा	एक लाख तक कि आर्थिक सहायता करना नहीं।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति महाप्रबंधक कार्यालय (एकीकृत काशांग जल विद्युत परियोजना, शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, सैंज जल विद्युत परियोजना, रेणुका बांध परियोजना) और पॉवर कॉर्पोरेशन की वैबसाइट http//www.hppcl.in से प्राप्त की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	पूर्णतया भरा हुआ आवेदन पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र,सामुदायिक संस्था सम्बंधी विवरण जैसे- सदस्य संख्या, उम्र, जाति इत्यादि चुनाव, मंत्रणा, वित्तीय लेनदेन व संस्था द्वारा किये गये सामाजिक कार्यो की जानकारी।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	स्थान- परियोजना महाप्रबंधक कार्यालय सम्पर्क सूत्र/अधिकारी – पुनर्वास एवम् पुनर्स्थापना अधिकारी
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन

उद्देश्य एवम् विशेषता	युवाओं के लिये खेल प्रतिस्पर्धाओ का आयोजन। विशेषता- युवाशक्ति का समावेश।
पात्रता	परियोजना प्रभावित परिवारों/ क्षेत्र के निवासी।
सहायता का ब्यौरा	परियोजना प्रभावित क्षेत्र मे महिलाओं व पुरुषों के लिये खेल प्रतिस्पर्धाओ का आयोजन व विजेताओं को पुरस्कृत करना।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवश्यकता नहीं।

वाँछित दस्तावेज	आवश्यकता नहीं।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवश्यकता नहीं।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	छात्रो के लिये प्रतियोगिताओ का आयोजन

उद्देश्य एवम् विशेषता	विद्यार्थियों मे स्वस्थ प्रतिस्प्रधा की भावाना जागृत करना। विशेषता- विद्यार्थियो को प्रोत्साहित करना।
पात्रता	परियोजना प्रभावित क्षेत्र मे स्थित माध्यमिक से विरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
सहायता का ब्यौरा	विद्यालयो मेछात्रों के लिये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओ का आयोजन व विजेताओ को पुरस्कृत करना ।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवश्यकता नहीं।
वाँछित दस्तावेज	आवश्यकता नहीं।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवश्यकता नहीं।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	स्वरोजगार योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	परियोजना प्रभावित क्षेत्र के निवासियो को स्वरोजगार हेतू प्रोत्साहित करना विशेषता- स्वरोजगार हेतू आर्थिक सहायता नहीं।
पात्रता	परियोजना प्रभावित परिवारों/ क्षेत्र के निवासी।
सहायता का ब्यौरा	स्वरोजगार हेतू रु. 50000/- की आर्थिक सहायता प्रदान करना।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	महाप्रबंधक कार्यालय (एकीकृत काशांग जल विद्युत परियोजना, शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, सैंज जल विद्युत परियोजना, रेणुका बांध परियोजना) और पॉवर कॉर्पोरेशन की वैबसाइट http//www.hppcl.in से प्राप्त की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	पूर्णतया भरा हुआ आवेदन पत्र व स्वरोजगार प्रस्ताव
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवेदन जमा करने का स्थान- परियोजना महाप्रबंधक कार्यालय।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	चिकित्सा कोष योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	परियोजना प्रभावित क्षेत्र के निवासियो को स्वस्थ व निरोगी जीवन प्रदान करना। विशेषता- ग्रामीण लोगो को उन्ही के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा उपल्बध करवाना।
पात्रता	परियोजना प्रभावित परिवारों/ क्षेत्र के निवासी।
सहायता का ब्यौरा	नि:शुल्क दवाइयां विशेषज्ञों द्वारा मुफ्त चिकित्सा सलाह व गंभीर बीमारी मे इलाज़ हेतू कॉर्पोरेशन द्वारा आर्थिक सहायता।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	महाप्रबंधक कार्यालय (एकीकृत काशांग जल विद्युत परियोजना, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, सैंज जल विद्युत परियोजना) और पॉवर कॉर्पोरेशन की वैबसाइट http//www.hppcl.in से प्राप्त की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	पूर्णतया भरा हुआ आवेदन पत्र तथा चिकित्सक द्वारा प्रमाणित दस्तावेज़
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवेदन जमा करने का स्थान- परियोजना महाप्रबंधक कार्यालय।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	जनजातीय क्षेत्रों मे वन अधिकारो की अदायगी

उद्देश्य एवम् विशेषता	वन अधिकारों के नुकसान की अदायगी विशेषता- जनजातिय क्षेत्रों मे वन अधिकारो के एवज़ मे वित्तीय सहायता।
पात्रता	जनजातीय क्षेत्रों मे परियोजना प्रभावित परिवारों/ क्षेत्र के निवासी।
सहायता का ब्यौरा	प्रत्येक प्रभावित परिवार को 500 दिन की दिहाड़ी के बराबर भुगतान।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	महाप्रबंधक कार्यालय (एकीकृत काशांग जल विद्युत परियोजना, शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना) और पॉवर कॉर्पोरेशन की वैबसाइट http//www.hppcl.in से प्राप्त की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	पूर्णतया भरा हुआ आवेदन पत्र
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवेदन जमा करने का स्थान- परियोजना महाप्रबंधक कार्यालय।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	लघु खनिज के बदले भुगतान

उद्देश्य एवम् विशेषता	प्रभावित परिवार की सहायता विशेषता- नकद भुगतान।
पात्रता	परियोजना प्रभावित परिवारों/ क्षेत्र के निवासी।
सहायता का ब्यौरा	अधिग्रहित अथवा प्रभावित खदान से वार्षिक आय के समतुल्य भुगतान।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	-
वाँछित दस्तावेज	स्वलिखित आवेदन
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवेदन जमा करने का स्थान- परियोजना महाप्रबंधक कार्यालय।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	फसलो के नुकसान का मुआवज़ा

उद्देश्य एवम् विशेषता	फसल की हानि का मुआवज़ा विशेषता- नकद भुगतान।
पात्रता	परियोजना प्रभावित परिवारों/क्षेत्र के निवासी।
सहायता का ब्यौरा	परियोजना निर्माण से प्रभावित फसलों की हानि का आंकलन तदोपरंत भुगतान।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	परियोजना निर्माण से प्रभावित फसलों की हानि का आंकलन सबंधित जिला उपायुक्त द्वारा बनाई गई समिति द्वारा किया जाता है। तदोपरंत पॉवर कॉर्पोरेशन भुगतान।
वाँछित दस्तावेज	-
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	-
जेंडर	दोनों

XIX- हि० प्र० राज्य विद्युत बोर्ड लि०

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	बिजली कनैक्शन प्राप्त करना

उद्देश्य एवम् विशेषता	ज़रुरतमंद लोगों को नए बिजली के कनैक्शन उपलब्ध करवाना।
पात्रता	सभी जरूरतमंद लोग।
सहायता का ब्यौरा	बिजली के कनेक्शन प्राप्त करने से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी नजदीकी सहायक अभियन्ता विद्युत उपमण्डल हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	बिजली के कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रति सम्बन्धित विद्युत उप मंडल के कार्यालय से व हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड की वैब साईट http//www.hpseb.In से प्राप्त की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	वाँछित दस्तावेजों का विवरण आवेदन पत्र पर दर्शाया गया है व अतिरिक्त जानकारी सम्बन्धित उप मंडल कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित उप मंडल कार्यालय।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	बिजली की समस्या बारे शिकायतें

उद्देश्य एवम् विशेषता	हिमाचल प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को सुचारु रूप से निर्बाध विद्युत आपूर्ति।
पात्रता	सभी ज़रूरतमंद उपभोक्ता।
सहायता का ब्यौरा	बिजली सम्बन्धित समस्याओं (कम वोल्टेज, बिजली कटौती, गिरे हुए पोलों, तारों इत्यादि की समस्या) का समाधान।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है?	1. उपभोक्ताओं को 18001808060 व 1912 न0 पर टोल फ्री उपभोक्ता शिकायत सुविधा प्रदान की जा रही है। 2. उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को emaıl crgf@hpseb.In पर बनाया गया है जिसके तहत उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा है।

या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	3. उपभोक्ता e-samadhan (esamadhan.nic.in) द्वारा अपनी शिकायतें दर्ज़ करवा सकते हैं। 4. उपभोक्ता विद्युत् विभाग के शिकायत कक्ष में अपनी शिकायत दर्ज़ करवा सकते हैं।
वाँछित दस्तावेज	-
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड के शिकायत कक्ष।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं का बिजली के बिल के भुगतान हेतु बिजली बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों में आने को कम करना है। अब विद्युत् उपभोक्ता घर बैठे बैठे बिजली के बिल का भुगतान कर सकते हैं।
पात्रता	सभी विद्युत् उपभोक्ता।
सहायता का ब्यौरा	विद्युत् उपभोक्ता http//www.hpseb.com/mybill वैब- साइट पर जा कर अपने बिजली का बिल जमा करवा सकते हैं।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	उपभोक्ता हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड की वैब- साइट http//www.hpseb.com/mybill पर जा कर अपनी कंस्यूमर आई डी जो की बिजली के बिल पर दर्शायी जाती है द्वारा लाग इन करके बिजली के बिल का विवरण प्राप्त कर सकता है एवं क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड /नेट बैंकिंग के माध्यम से बिजली के बिल का भुगतान कर सकता है
वाँछित दस्तावेज	-
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	-
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	मुख्य मंत्री रोशनी योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना

उद्देश्य एवम् विशेषता	राज्य के गरीब लोगों, जिसमें बी. पी. एल. परिवार, अंत्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार तथा प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स (Priority Households) शामिल हैं, को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाना
पात्रता	राज्य के सभी गरीब लोग जो निम्नलिखित में से कोई एक मानदंड, जिसका सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया हो, पूरा करते हों- 1. वह बी .पी .एल . परिवार का सदस्य होना चाहिए। 2. वह अंत्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार का सदस्य होना चाहिए। 3. वह प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (Priority Households) का सदस्य होना चाहिए। 4. उसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 35,000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5. उसके मकान का विद्युत् अधिभार (load) 2 KW से कम होना चाहिए।
सहायता का ब्यौरा	1. विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने के लिए सर्विस लाइन तथा एल. टी. एक्सटेंशन प्रभार में 100% छूट। 2. आधारभूत संरचना के विकास के अधिभार में 100% छूट। 3. अग्रिम खपत भुगतान (ए. सी . डी.) में 50% छूट।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रति सम्बन्धित विद्युत् उप-मंडल के कार्यालय से व हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट http//www.hpseb.in से प्राप्त की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	वाँछित दस्तावेजों का विवरण आवेदन पत्र पर दर्शाया गया है तथा अतिरिक्त जानकारी सम्बन्धित उप-मंडल कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित उप-मंडल अधिकारी।
जेंडर	दोनों

XX – उद्यान विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	एकीकृत बागवानी विकास योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	बागवानी क्षेत्र के चौमुखी विकास को बढ़ावा देना। कृषकों को एफआईजी,एफपीओ व एफपीसी जैसे कृषक समूहों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना और व्यापकता आधारित आर्थिकी का निर्माण किया जा सके। बागवानी उत्पादन की उन्नति,कृषक संख्या में वृद्धि, आमदनी और पोषाहार सुरक्षा। गुणवत्ता, पौध सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई के प्रभावी उपयोग के जरिये उत्पादकता सुधार। बागवानी क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास को प्रोत्साहन देना और रोजगार उत्पन्न करना तथा खासकर फसलोपरांत गतिविधियां शीत श्रृंखला के क्षेत्र में उचित प्रबंधन।
पात्रता	योजना के दिशानिर्देशों अनुसार प्रदेश के सभी बागवान/किसान किसी भी जाति/वर्ग से सम्बन्धित।
सहायता का ब्यौरा	योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप (50 प्रतिशत तक अनुदान राशि)
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	लाभार्थी उपदान प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित वृत के उद्यान प्रसार अधिकारी/सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान विकास अधिकारी/विषय विशेषज्ञ उद्यान एवं उपनिदेशक उद्यान से सम्पर्क कर सकता है। www.midh.gov.in
वाँछित दस्तावेज	आवेदन पत्र, जमाबंदी व ततीमा, लागत आकलन विवरण, विस्तृत कार्य योजना इत्यादि।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान प्रसार अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/संबधिंत क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ के पास जमा करवाना होगा।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	खेतों तक जल पहुंचाना। कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना। सुनिश्चित सिंचाई का प्रबंधन। जलाश्य पुर्नभरण। सतत जल संरक्षण प्रणाली तथा भुमि जल सृजन। आधुनिक सिचांई प्रणाली, ड्रिप एंव स्प्रिनक्लर कार्यक्रम लागू करना।
पात्रता	योजना के दिशानिर्देशों अनुसार प्रदेश के सभी बागवान /किसान किसी भी जाति/वर्ग से सम्बन्धित।
सहायता का ब्यौरा	योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप (लघु एवं सीमांन्त किसान 80 प्रतिशत तथा बड़े किसान 45 प्रतिशत तक अनुदान राशि)
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	लाभार्थी उपदान प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित वृत के उद्यान प्रसार अधिकारी/सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान विकास अधिकारी/विषय विशेषज्ञ उद्यान एवं उपनिदेशक उद्यान से सम्पर्क कर सकता है। www.pmksy.gov.in
वाँछित दस्तावेज	आवेदन पत्र, जमाबंदी व ततीमा, लागत आकलन विवरण, विस्तृत कार्य योजना इत्यादि।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान प्रसार अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/संबधिंत क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ के पास जमा करवाना होगा।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	मधु मक्खी पालन स्कीम (राज्य योजना)

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आधुनिक तरीकों से बागीचों में परागण हेतु मधुमक्खियों का इस्तेमाल करके फलोत्पादन में वृद्धि तथा राज्य में शहद के उत्पादन को बढ़ाना है। मौन पालन बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार का उत्तम साधन बन रहा है।
पात्रता	इस राज्य योजना के अन्तर्गत उपदान प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के परिवार, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, लघु एवं सीमान्त किसान पात्र हैं।
सहायता का ब्यौरा	उपदान पर सुधरे मौन वंशों एवं मौन गृहों की आपूर्ति। मौन पालन पर 5 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण - 250/-प्रतिदिन प्रति किसान व्यय सीमा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	लाभार्थी उपदान प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित वृत के उद्यान प्रसार अधिकारी/मौन पालक/सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान विकास अधिकारी/ विषय विशेषज्ञ उद्यान तथा मौन पालन एवं उपनिदेशक उद्यान से सम्पर्क कर सकता है। www.hpagrisnet.gov.in
वाँछित दस्तावेज	आवेदन पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सहित एवं बांड फार्म।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान प्रसार अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ के पास जमा करवाना होगा।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्यों द्वारा कृषि एवं अन्य सहायक क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करना। राज्यों को कृषि एवं अन्य सहायक क्षेत्रों में योजना बनाने की प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन हेतु स्वायत्तता एवं लचीलापन प्रदान करना। यह सुनिश्चित करना कि जिलों एवं राज्य से सम्बन्धित कृषि योजना को तैयार करने की प्रक्रिया कृषि जलवायु परिस्थितियों एवं प्राकृतिक स्त्रोतों एवं तकनीक की उपलब्धता पर आधारित हो। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत बागवानों को बागवानी विकास की विभिन्न गतिविधियां अपनाने हेतु परियोजना आधारित वितीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है जिसके मानक सामान्यतः केन्द्रीय प्रायोजित योजना एकीकृत बागवानी विकास योजना एवं प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही अन्य योजनाओं के समकक्ष हैं।
पात्रता	प्रदेश के सभी वर्गों के बागवान सहायता राशि प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।
सहायता का ब्यौरा	एकीकृत बागवानी विकास योजना एवं प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही अन्य के अनुरूप।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	लाभार्थी उपदान प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित वृत के उद्यान प्रसार अधिकारी/ सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान विकास अधिकारी/ विषय विशेषज्ञ एवं उपनिदेशक उद्यान से सम्पर्क कर सकता है। hpagrisnet.gov.in/www.rkvy.nic.in
वाँछित दस्तावेज	आवेदन पत्र, जमाबंदी व ततिमा एवं बांड फार्म।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान प्रसार अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ के पास जमा करवाना होगा।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	खुम्ब विकास कार्यक्रम (राज्य योजना)

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य पास्तूरीकृत (पाश्चुराइज्ड) खुम्ब खाद के उत्पादन को बढ़ाकर बागवानों को उपलब्ध करवाना है। प्रदेश में खुम्ब उत्पादन को कुटीर उद्योग के रूप में अपनाने के उद्देश्य से इस योजना के अन्तर्गत किसानों को खुम्ब की खेती में प्रशिक्षण व उत्तम गुणवत्ता की खाद व बीज की आपूर्ति की जाती है। खुम्ब की खेती में अधिक प्रारम्भिक पूंजी लगने के कारण व्यवसायिक बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण उपलब्ध करवाने हेतु सेवाएं प्रदान की जाती है।
पात्रता	इस राज्य योजना के अन्तर्गत उपदान प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के परिवार, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, लघु एवं सीमान्त किसान एवं बेरोजगार स्नातक पात्र हैं।
सहायता का ब्यौरा	खुम्ब उत्पादन हेतु 5 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण -250/-प्रतिदिन प्रति किसान व्यय सीमा। प्रशिक्षत खुम्ब उत्पादकों का पंजीकरण - निःशुल्क, विभागीय इकाइयों से पास्तूरीकृत (पाश्चुराइज्ड) खुम्ब खाद आपूर्ति उपदान- 25 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त किसानों/बेरोजगार स्नातक, 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जन जाति/आई.आर.डी.पी. किसानों/बागवानों के लिए। खुम्ब खाद के लिए परिवहन सुविधा - 100 प्रतिशत अनुदान खुम्ब फार्म से नजदीकी सड़क तक।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सम्बन्धित वृत के उद्यान प्रसार अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/ विषय विशेषज्ञ उद्यान (खुम्ब) एवं उपनिदेशक उद्यान से सम्पर्क कर सकता है। www.hpagrisnet.gov.in
वाँछित दस्तावेज	आवेदन पत्र, प्रशिक्षण पंजीकरण व लाभार्थी प्रमाण पत्र सहित एवं बांड फार्म।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान प्रसार अधिकारी /उद्यान विकास अधिकारी/ विषय विशेषज्ञ उद्यान (खुम्ब) के पास जमा करवाना होगा।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	उद्यान विकास कार्यक्रम (राज्य योजना)

उद्देश्य एवम् विशेषता	यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यान विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं के सृजन हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आधिकाधिक क्षेत्र विभिन्न फलों के अन्तर्गत लाना, फलों की सुधरी हुई किस्में लगाकर प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना, बागवानी में विविधिकरण करना, लधु एवं सीमान्त किसानों को व्यवसायिक बागवानी हेतु सहायता प्रदान करके आर्थिक उत्थान हेतु प्रेरित करना, बागवानों को नई तकनीकी जैसे कि लघु सिंचाई प्रणाली, जैविक खेती, संरक्षित खेती इत्यादि को अपनाकर उत्पादकता बढ़ाने हेतु सहायता प्रदान करना है।
पात्रता	इस राज्य योजना के अन्तर्गत उपदान प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के परिवार, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, लघु एवं सीमान्त किसान पात्र हैं।
सहायता का ब्यौरा	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/आई.आर.डी.पी. से सम्बन्धित बागवानों के लिए - 50 प्रतिशत। लधु एवं सीमान्त किसानों/बागवानों के लिए- 25 प्रतिशत एवं 33.33 प्रतिशत।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	लाभार्थी उपदान प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित वृत के उद्यान प्रसार अधिकारी/ सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान विकास अधिकारी/विषय विशेषज्ञ उद्यान /उपनिदेशक उद्यान से सम्पर्क कर सकता है। www.hpagrisnet.gov.in
वाँछित दस्तावेज	आवेदन पत्र स्थानीय पंचायत प्रधान या पटवारी द्वारा सत्यापित या उद्यान कार्ड की प्रति सहित एवं बांड फार्म।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान प्रसार अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ के पास जमा करवाना होगा।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	उद्यान प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य अनुसंधान केन्द्रों में विकसित उन्नत तकनीक को उद्यान प्रसार सेवाओं (प्रशिक्षण शिविरों, वर्कशॉप एवं सैमीनार) के माध्यम से किसानों तक पहुंचाना है।
पात्रता	इस राज्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के परिवार, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, लघु एवं सीमान्त किसान, महिला एवं सामान्य वर्ग किसान पात्र हैं।
सहायता का ब्यौरा	क. एक दिवसीय पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण शिविर - रू0 100 प्रति दिन प्रति किसान ख. एक दिवसीय खण्ड/जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर- रू0 200 प्रति दिन प्रति किसान ग. राज्य के अन्दर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर- रू0 250 प्रति दिन प्रति किसान।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	लाभार्थी आवेदन पत्र सम्बन्धित वृत के उद्यान प्रसार अधिकारी/सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान विकास अधिकारी/विषय विशेषज्ञ उद्यान एवं उपनिदेशक उद्यान से सम्पर्क कर सकता है। www.hpagrisnet.gov.in

वाँछित दस्तावेज — आवेदन पत्र, वर्ग एवं प्रदेश स्थाई निवासी प्रमाण पत्र सहित।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान प्रसार अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ के पास जमा करवाना होगा।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	फल विधायन कार्यक्रम (राज्य योजना)

उद्देश्य एवम् विशेषता — इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विपणन के लिए अयोग्य फलों एवं सब्जियों के परिरक्षण का प्रदर्शन करना, प्रत्येक जिला में सामुदायिक डिब्बाबन्दी सेवाएं प्रदान करने हेतु आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना, फल उत्पाद की गुणवत्ता नियन्त्रण पर विश्वसनीयता प्रदान करना एवं उपभोक्ता को विभागीय ईकाईयों के माध्यम से उक्त उत्पाद उपलब्ध करवाना है।

पात्रता — प्रदेश के समस्त कृषक बागवान

सहायता का ब्यौरा — क. सामूहिक डिब्बाबन्दी सेवा के अन्तर्गत उचित दर पर फल उत्पाद का विधायन
ख. घरेलू स्तर पर फलों एवं सब्जियों के परिरक्षण हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण-250/-प्रतिदिन प्रति किसान।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — लाभार्थी आवेदन पत्र सम्बन्धित वृत के उद्यान प्रसार अधिकारी/सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान विकास अधिकारी/ विषय विशेषज्ञ उद्यान, प्रभारी सामुदायिक डिब्बाबन्दी तथा फल प्रोद्योगविज्ञ एवं उपनिदेशक उद्यान से सम्पर्क कर सकता है। www.hpagrisnet.gov.in

वाँछित दस्तावेज — आवेदन पत्र

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान प्रसार अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ उद्यान के पास जमा करवाना होगा।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	पौध संरक्षण कार्यक्रम (राज्य योजना)

उद्देश्य एवम् विशेषता — पौध संरक्षण उद्यान विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बागवानों को विभिन्न फल फसलों में पौध संरक्षण उपायों हेतु विस्तारपूर्वक तकनीकी परामर्श सेवा उपलब्ध करवाना तथा समय- समय पर विभिन्न कीटों एवं व्याधियों की रोकथाम हेतु उनके समीपस्थ केन्द्रों से पौध संरक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना है।

पात्रता — इस राज्य योजना के अन्तर्गत उपदान प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के परिवार, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, लघु एवं सीमान्त किसान पात्र हैं।

सहायता का ब्यौरा — लघु एवं सीमान्त किसानों/बागवानों के लिए - 50 प्रतिशत अन्य किसान-30 प्रतिशत मित्र कीटों को किसानों के खेतों में छोड़ना - निःशुल्क

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — लाभार्थी उपदान प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित वृत के उद्यान प्रसार अधिकारी/सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान विकास अधिकारी/विषय विशेषज्ञ उद्यान /पौध संरक्षण अधिकारी एवं उपनिदेशक उद्यान से सम्पर्क कर सकता है। www. hpagrisnet.gov.in

वाँछित दस्तावेज — आवेदन पत्र स्थानीय पंचायत प्रधान या पटवारी द्वारा सत्यापित या उद्यान कार्ड की प्रति सहित आवेदन पत्र एवं बांड फार्म।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान प्रसार अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ उद्यान के पास जमा करवाना होगा।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	उद्यान विपणन एवं गुण नियन्त्रण कार्यक्रम

उद्देश्य एवम् विशेषता इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बागवानों को उनके उत्पाद की अच्छी कीमत दिलवाने हेतु गुणवता नियन्त्रण एवं सहज परिवहन प्रणाली जैसी सुविधाओं के अतिरिक्त फसलोत्तर क्रियाकलाप जैसे कि तुड़ान, वर्गीकरण, पैकिंग एवं विपणन में प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त किसानों को दैनिक बाजार भाव एवं मण्डियों से सम्बन्धित सूचना विभिन्न संचार माध्यमों से उपलब्ध करवाना।

पात्रता इस राज्य योजना के अन्तर्गत उपदान प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के परिवार, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, लघु एवं सीमान्त किसान पात्र हैं।

सहायता का ब्यौरा

(1) मण्डी मध्यस्थ योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष घोषित न्यूनतम मूल्य पर औसत गुणवत्ता के फलों (सेब, नीम्बू प्रजातीय एवं आम) का प्रापण।
(2) फलों के तुड़ान, वर्गीकरण, पैकिंग एवं फसलोत्तर प्रबन्धन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण रू 250/-प्रति दिन प्रति किसान व्यय सीमा।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? लाभार्थी उपदान प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित वृत के उद्यान प्रसार अधिकारी/सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान विकास अधिकारी/विषय विशेषज्ञ उद्यान एवं उपनिदेशक उद्यान से सम्पर्क कर सकता है। www.hpagrisnet.gov.in

वाँछित दस्तावेज आवेदन पत्र

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान प्रसार अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ उद्यान के पास जमा करवाना होगा।

जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	पौध पोषण कार्यक्रम (राज्य योजना)

उद्देश्य एवम् विशेषता इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फल पौधों की पत्तियों के रासायनिक विश्लेषण के आधार पर बागीचों के लिए किफायती खाद सारणी तैयार करना तथा फल उगाने वाले क्षेत्रों में बागीचों की पोषक तत्वों की स्थिति का आंकलन करना है ताकि बाद में उन क्षेत्रों का फल पौध पौषण मानचित्र तैयार किया जा सके। यह कार्य प्रदेश में फल पौध पौषण प्रयोगशालाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

पात्रता इस राज्य योजना के अन्तर्गत उपदान प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के परिवार, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, लघु एवं सीमान्त किसान पात्र हैं।

सहायता का ब्यौरा पत्ती विश्लेषण हेतु निःशुल्क सेवा।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? लाभार्थी उपदान प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित वृत के उद्यान प्रसार अधिकारी/सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान विकास अधिकारी/विषय विशेषज्ञ उद्यान एवं उपनिदेशक उद्यान से सम्पर्क कर सकता है। www. hpagrinet.gov.in

वाँछित दस्तावेज आवेदन पत्र

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी नमूने सहित सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान प्रसार अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/विषय विशेषज्ञ उद्यान के पास में जमा या निकटवती फल पौध पोषण प्रयोगशाला में करवाना होगा।

जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	प्रदेश में उच्च गुणवता एवं मूल्य वाले फूलों की संरक्षित खेती को बढावा देना।
पात्रता	योजना के दिशानिर्देशों अनुसार प्रदेश के सभी बागवान /किसान किसी भी जाति/वर्ग से सम्बन्धित।
सहायता का ब्यौरा	योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	लाभार्थी उपदान प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित वृत के उद्यान प्रसार अधिकारी/सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान विकास अधिकारी/विषय विशेषज्ञ, उद्यान एवं उपनिदेशक, उद्यान से सम्पर्क कर सकता है।
वाँछित दस्तावेज	आवेदन पत्र, जमाबंदी व ततीमा, लागत आकलन विवरण, विस्तृत कार्य योजना इत्यादि।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान प्रसार अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/विषय विशेषज्ञ के पास जमा करवाना होगा।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	मुख्यमंत्री मधु विकास योजना 2018-19

उद्देश्य एवम् विशेषता	प्रदेश मे व्यवसायिक मौन पालन को बढ़ावा देना तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना।
पात्रता	इस राज्य योजना के अन्तर्गत उपदान प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के परिवार, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, लघु/सीमान्त एवं भूमिहीन किसान जो कि हिमाचल के निवासी हों, पात्र हैं।
सहायता का ब्यौरा	योजना के दिशा-निर्देशानुसार।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	लाभार्थी उपदान प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित वृत के उद्यान प्रसार अधिकारी/मौन पालक/सम्बन्धित विकास खण्ड के उद्यान विकास अधिकारी/विषय विशेषज्ञ उद्यान तथा मौन पालन एवं उप निदेशक उद्यान से सम्पर्क कर सकता है।
वाँछित दस्तावेज	आवेदन पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सहित एवं बांड फार्म, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.)।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	विकास खण्ड के उद्यान प्रसार अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/विषय विशेषज्ञ के पास जमा करवाना होगा।
जेंडर	दोनों

XXI- हि० प्र० भूतपूर्व सैनिक निगम

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	स्वरोजगार योजनाओं के लिए ऋण।

उद्देश्य एवम् विशेषता

निगम पूर्व सैनिकों को स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाता है। प्रार्थी को योजना की राशि का 75 प्रतिशत धन ऋण के रूप में बैंक प्रदान करता है तथा निगम 10 प्रतिशत सूक्ष्म ऋण के रूप में प्रदान करता है, जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रूपये है और शेष 15 प्रतिशत प्रार्थी को स्वयं व्यय करना होता है। निगम सूक्ष्म ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज लेता है तथा बैंक ऋण पर 2.5 प्रतिशत ब्याज सहायकी प्रदान करता है।

पात्रता

पूर्व सैनिक और उनके आश्रित।

सहायता का ब्यौरा

राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाता है। प्रार्थी को योजना की राशि का 75 प्रतिशत धन ऋण के रूप में बैंक प्रदान करता है तथा निगम 10 प्रतिशत सूक्ष्म ऋण के रूप में प्रदान करता है, जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रूपये है और शेष 15 प्रतिशत प्रार्थी को स्वयं व्यय करना होता है। निगम सूक्ष्म ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज लेता है तथा बैंक ऋण पर 2.5 प्रतिशत ब्याज सहायकी प्रदान करता है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

मुख्यालय, हमीरपुर और निगम की वेबसाइट exservice-hp@nic.in से प्राप्त/ डाउनलोड किये जा सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज

आवेदन फॉर्म, प्रोज़ेक्ट की निविदाएँ, बैंक द्वारा जारी ऋण सहमति पत्र, बेरोजगारी प्रमाण पत्र।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

मुख्यालय हमीरपुर, 01972222472, 01972224438

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	सीमेंट/क्लिंकर की ढुलाई का कार्य।

उद्देश्य एवम् विशेषता

निगम ने ए0सी0सी0 सीमेंट फैक्टरी बरमाणा में उनके कुल उत्पाद का 40 प्रतिशत सीमेंट उत्तरी भारत के विभिन्न स्थानों में पहुंचाने का कार्य ले रखा है। इस कार्य में पूर्व सैनिकों के 1,352 ट्रक कार्यरत हैं। निगम को अम्बूजा सीमेन्ट लि0 दाड़लाघाट में सीमेंट/कलींकर की ढुलाई का 7.5 प्रतिशत हिस्सा आवंटित हुआ है। इस कार्य में पूर्व सैनिकों के 203 ट्रक कार्यरत हैं। निगम को जे0पी0 सीमेंट प्लांट बागा में भी सीमेंट/कलींकर की ढुलाई का 5 प्रतिशत हिस्सा आबंटित हुआ है। इस कार्य में पूर्व सैनिकों के 121 ट्रक कार्यरत हैं। उपरोक्त सीमेंन्ट फैक्टरियों में ट्रक अटैच करने के लिए इच्छुक पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिकों की विघवायें प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मुख्यालय हमीरपुर में वेटिगं लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता

पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक की बिधवा।

सहायता का ब्यौरा

सीमेंन्ट फैक्टरियों में ट्रक अटैच करने के लिए इच्छुक पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिकों की विघवायें प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मुख्यालय हमीरपुर में वेटिगं लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

सीमेंन्ट फैक्टरियों में ट्रक अटैच करने के लिए इच्छुक पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिकों की विघवायें प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मुख्यालय हमीरपुर में वेटिगं लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म मुख्लाया हमीरपुर या निगम की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

वाँछित दस्तावेज

आवेदन फॉर्म, डिस्चार्ज बुक के प्रतिलिपि और शपथपत्र।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

मुख्यालय हमीरपुर, 01972222472, 01972224438

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध करवाना।

उद्देश्य एवम् विशेषता — पूर्व सैनिकों को रोजगार उप्लब्ध करवाना।

पात्रता — पूर्व सैनिक।

सहायता का ब्यौरा — राज्य के बेरोजगार पूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए निगम ने क्ळत् के मार्गदर्शन के अन्तगत सुरक्षा सेवा उपलब्ध करवाने की एजैन्सी चलाई हैं। वर्ष 1996 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने निगम को पूर्व सैनिकों को सुरक्षा सेवाओं में आउटसोर्स के आधार पर नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया है और पूर्व सैनिकों के नाम विभिन्न विभागों, बोर्डो, संस्थाओं एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार के उपक्रमों को प्रायोजक करने के लिए नोडल ऐजैंसी घोषित किया है। निगम प्रत्येक माह में दो बार दिनांक 15 और 25 को मुख्यालय हमीरपुर में सुरक्षा गार्ड के पदों के लिए भर्ती करता है यदि 15 और 25 को अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस के दिन भतीं होगी।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — निगम प्रत्येक माह में दो बार दिनांक 15 और 25 को मुख्यालय हमीरपुर में सुरक्षा गार्ड के पदों के लिए भर्ती करता है यदि 15 और 25 को अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस के दिन भतीं होगी। प्राथी भर्ती के दिन आवेदन फॉर्म को मुख्लाया हमीरपुर से प्राप्त कर सकता है।

वाँछित दस्तावेज — मूल डिस्चार्ज बुक, डिस्चार्ज बुक के प्रतिलिपि, बचत खाते की प्रतिलिपि, आधार कार्ड की प्रतिलिपि और पासपोर्ट साइज़ के चार फोटोग्राप।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सहायक सुरक्षा अधिकारी, 01972222479

आयु सीमा — **न्यूनतम 18** **अधिकतम 58** — **जेंडर** — पुरष

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	पूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों के बच्चों को SSB की कोचिंग प्रदान करना।

उद्देश्य एवम् विशेषता — निगम ने पूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों के बच्चों को बैंक की कोचिंग अधिकृत अकादमी के माध्यम से देने की व्यवस्था की है। जिसके अन्तर्गत एन0डी0ए0,आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0,ए0सी0सी0,एस0एल0, 10़2 (टैक्नीकल) कैडेट एन्ट्री व महिला सर्विस एन्ट्री के लिए कोचिंग दी जाती है। कोचिंग में प्रवेश केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को दिया जाता है जिन्होने लिखित परीक्षा पास कर ली हो तथा एस0एस0बी0 साक्षात्कार का इन्तजार कर रहे हों। इस कोर्स की टयूशन फीस निगम अपने आय के स्त्रोतों से भुगतान करता है।

पात्रता — कोचिंग में प्रवेश केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को दिया जाता है जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली हो तथा एस0एस0बी0 साक्षात्कार का इन्तजार कर रहे हों।

सहायता का ब्यौरा — इस कोर्स की टयूशन फीस निगम अपने आय के स्त्रोतों से भुगतान करता है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — मुख्यालय हमीरपुर और निगम की वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज — आश्रित प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज बुक की प्रतिलिपि और इंटरव्यू के लिए बुलाये गए पत्र की प्रातिलिपि।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — मुख्यालय हमीरपुर

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	पूर्व सैनिकों के बच्चों को JEE/Engineering/NEET/Medical कोर्स में प्रवेश के लिए क्रैश कोर्स करवाना।

उद्देश्य एवम् विशेषता — निगम सेवा निवृत पूर्व सैनिकों (सिपाही से लेकर हवलदार रैंक) जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, के बच्चों को JEE/Engineering and NEET/Medical में प्रवेश के लिए अकादमी के माध्यम से क्रैश कोर्स प्रदान करता है। इस योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत पूर्व सैनिकों के बच्चों की टूयशन फीस की राशि निगम अपने आय के स्त्रोतों से भुगतान करता है। अभ्यार्थी को 10+1 (physics, Chemistry, Maths and Biology) में 70% या इससे अधिक अंक होना अनिवार्य है।

पात्रता — अभ्यार्थी को10+1 (Physics, Chemistry, Math, Biology) में 70% या इससे अधिक अंक होना अनिवार्य है।

सहायता का ब्यौरा — इस योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत पूर्व सैनिकों के बच्चों की टूयशन फीस की राशि निगम अपने आय के स्त्रोतों से भुगतान करता है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — निगम के मुख्यालय, हमीरपुर या निगम की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

वाँछित दस्तावेज — आश्रित प्रमाण पत्र, 10+1 में 70% अंक होने का प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज बुक के प्रतिलिपि और 10+2 एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड या रोल नंबर स्लिप की प्रतिलिपि।

आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — मुख्यालय हमीरपुर - Telephone Numbers 01972222472, 01972224438

जेंडर — दोनों

XXII- हि० प्र० पर्यटन विकास निगम

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	विशेषाधिकार कार्ड

उद्देश्य एवम् विशेषता — किसी भी एचपीटीडीसी होटल में ग्राहकों को छूट प्रदान करने के लिए ताकि सभी एचपीटीडीसी होटलों में अधिग्रहण बढ़े।

पात्रता — 18 साल से ऊपर के सभी लोग।

सहायता का ब्यौरा — विशेषाधिकार कार्ड धारक निम्नलिखित छूट का हकदार होगा –

(i) प्राइम टाइम आवास शुल्क (सीजन) पर 20% छूट लागू होगी अवधि। हालांकि अवकाश समय अवधि के दौरान कोई छूट लागू नहीं होगी (ऑफ सीजन) अवकाश समय आवास शुल्क पर, जैसा कि वही तय किया गया है कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा अधिसूचित छूट दरों। नोट प्राइम टाइम आवास शुल्क की अवधि 1 अप्रैल से 30 वीं जून होगी, 15 सितंबर से 15 नवंबर और 23 दिसंबर से 2 जनवरी तक। अवकाश समय आवास शुल्क की अवधि 1 जुलाई से 14 वीं सितंबर होगी, 16 नवंबर से 22 दिसंबर और 3 जनवरी से 31 मार्च तक।

(ii) खाद्य और गैर मादक पेय पदार्थों पर 20% छूट लागू होगी और 10% मादक पेय पदार्थों पर छूट लागू होगी। यह छूट होगी प्राइम टाइम और अवकाश समय दोनों के दौरान लागू होता है।

(iii) एक समय में केवल एक छूट लागू होगी।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — कृपया हमारी वेबसाइट www.hptdc.in पर जाएं और फिर विशेषाधिकार कार्ड विकल्प मेनू पर क्लिक करें। सभी विवरण भरें और उल्लिखित तस्वीर और हस्ताक्षर संलग्न करें और सबमिट पर क्लिक करें। विशेषाधिकार कार्ड आवेदन http//hptdc.in/index.php/privilege-card/ पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

वाँछित दस्तावेज — तस्वीर और हस्ताक्षर

आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — विपणन विभाग में एचपीटीडीसी, हेड ऑफिस, रिट्ज एनेक्सी शिमला में अन्यथा ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। विशेषाधिकार कार्ड आवेदन एचपीटीडीसी की किसी भी इकाइयों में प्रस्तुत किया जा सकता है।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	"हुनर से रोजगार तक" (गरीब वर्ग बेरोजगारों के लिए)

उद्देश्य एवम् विशेषता	स्वयं रोजगार (मुफ्त आतिथ्य पाठ्यक्रम)।
पात्रता	(1) एफ एंड बी सेवा - दसवीं पास और उससे ऊपर। (2) विभिन्न व्यंजन कुक- आठवीं पास और उससे ऊपर (3) कमरे का परिचर - पांचवी पास और उससे ऊपर (स्नातकों और डिप्लोमा धारक योग्य नहीं हैं) ।
सहायता का ब्यौरा	परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र, 1500 तथा 2000 (Discipline wise) छात्रवृति, वर्दी, भोजन, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामग्री, बाहर के छात्रों के अभ्यार्थियों को आवास सुविधा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	ब्यौरा साधारण आवेदन पत्र पर्यटन निगम की वेबसाइट www.hptdc.in से प्राप्त किया जा सकता है।
वाँछित दस्तावेज	योग्यता प्रमाण पत्र, आरोग्य प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, निवास प्रमाण, आयु प्रमाण, बैंक विवरण इत्यादि।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, होटल कुन्जम मनाली, टी बड पालमपुर, होटल हॉलिडे होम शिमला। इन होटलों (प्रशिक्षण संस्थानों) में आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं।
आयु सीमा	**न्यूनतम 18** **अधिकतम 100** जेंडर दोनों

XXIII- उद्योग विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	मुख्यमंत्री स्टार्टअप/इनोवशन/नए उद्योग योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	स्टार्टअप के अतंर्गत नए विचारों को धरातल पर भौतिक रूप में प्रस्तुत करना
पात्रता	कोई भी व्यक्ति, लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप जो भी सूक्ष्म या लघु उद्योग लगाने के इच्छुक हों।
सहायता का ब्यौरा	(1) पात्र को मु0 25,000/- प्रतिमाह एक वर्ष के लिए जीविका भत्ता। (2) उष्मायन केन्द्रों में विभिन्न प्रकार की सर्विसों का बिना किसी फीस के प्रयोगशालाओं का उपयोग, अध्ययन के लिए वरिष्ठ प्रवक्ताओं आदि की सुविधा। (3) विपणन/ व्यवसायिककरण के लिए अधिकतम 10 लाख रूपए की सहायता। (4) राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने के लिए क्रमशः मु0 2 लाख रूपए एवं 10 लाख रूपए या वास्तविक मूल्य जो भी कम हो। (5) परियोजना रिपोर्ट की कुल लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता। (6) बी व सी श्रेणी के औद्योगिक क्षेत्रों में 50 प्रतिशत की छूट पर औद्योगिक प्लाॅटों का आबंटन। (7) मात्र 3 प्रतिशत की दर से स्टाम्प डयूटी। (8) हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त करने की फीस में छूट। (9) सूक्ष्म क्षेत्र में 25 लाख रूपए के ऋृण पर 3 वर्षों के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता व सम्बन्धित महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय। वैबसाइट का पता https//startuphimachal.hp.gov.in/
वाँछित दस्तावेज	आवेदन पत्र
आवदेन जमा करने का स्थान व	(1) ऑनलाइन

सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

(2) निदेशालय उद्योग
(3) महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन

उद्देश्य एवम् विशेषता

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाईयों की स्थापना एवं विकास करना ताकि औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा सके।

पात्रता

सरकारी उपक्रम/संयुक्त उद्म/सहकारी समीतियाँ/स्वयं सहायता समूह/निजी क्षेत्र/अकेला उद्यमी/निगम/कम्पनी इत्यादि।

सहायता का ब्यौरा

(1) खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना अथवा नवीनकरण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे फल सब्जियां, दूध मांस, पोल्ट्री, मछली उत्पाद, अनाज, खाद्य उत्पाद, चावल, दालें, तेल से सम्बद्व उद्योग की स्थापना अथवा नवीकरण के लिए प्लांट एवं मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य पर 33.33 प्रतिशत, जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रूपये।
(2) कोल्ड चेन डेयरी, मांस, जलीय और समुद्री उत्पाद आदि के लिए कोल्ड चेन। परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 5.00 करोड़ रूपये एवं ब्याज में छूट।
(3) प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र फल, सब्जियां, अनाज, दालें, डेयरी उत्पाद, मांस, अंडा और मछली आदि के प्राथमिक प्रसंस्करण, केन्द्र की स्थापना के लिए। परियोजना लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 2.50 करोड़ रूपये तक।
(4) मांस की दुकानों का नवीकरण मांस की दुकानों के नवीकरण के लिए। मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य पर 75 प्रतिशत, अधिकतम 5.00 लाख रूपये। 5. रीफर वाहन नए रीफर वाहन/ मोबाइल वैन खरीदने के लिए। लागत का 50 प्रतिशत व अधिकतम 50.00 लाख रूपये।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

https//emergining himachal.hp.gov.in/

वाँछित दस्तावेज

1) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
2) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
3) बैंक/वित्तीय संस्थान से लोन सवीकृति प्रपत्र
4) बैंक/वित्तीय संस्थान से मूल्यांकन रिपोर्ट
5) भवन का blue print
6) Chartered Engineer (Civil & Mech.) का प्रमाण पत्र।
7) शपथ पत्र इत्यादि। स्कीम के लिए वाँछित दस्तावेजों का ब्यौरा विभाग की वैब -साइट https//.emergining himachal.hp.gov.in/ में उपलब्ध है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

निदेशालय उद्योग/जिला उद्योग केन्द्र हिमाचल प्रदेश, प्रसार अधिकारी (उद्योग) विकास खण्ड अधिकारी के कार्यालय में, सभी महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, एकल खिड़की समाधान प्रणाली, बददी, परवाणु, नालागढ़ पांवटा साहिब, ग्वालथाई, संसारपुर टैरेस, काला अम्ब व डमटाल या निदेशालय उद्योग, शिमला, हि0प्र0

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (वस्त्र मंन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)

उद्देश्य एवम् विशेषता	राज्य के विभिन्न भागों में हथकरघा पर बुनाई करने वाले बुनकरों के उत्थान व प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत हथकरघा पर कार्य करने वाले ब्लॉक स्तरीय क्लस्टरों का चयन करके उनमें कार्य करने वाले हथकरघा बुनकर तथा क्लस्टर से बाहर वाले बुनकरों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसख्यक तथा महिला ब्लॉक स्तरीय क्लस्टरों को शतप्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
पात्रता	ब्लॉक स्तरीय क्लस्टरों मे कार्य करने वाले सभी हथकरघा बुनकर तथा क्लस्टर से बाहर वाले बुनकर, राज्य स्तरीय हथकरघा ऐजेसियों से सम्बन्धित बुनकर, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी सभाएं, हथकरघा क्षेत्र में कार्य करने वाले समूह तथा गैर सहकारी सस्थाएं।
सहायता का ब्यौरा	एक ब्लॉक स्तरीय हथकरघा क्लस्टर स्थापित करने हेतु मु0 2.00 करोड रूपये तक के अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। यह अनुदान सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने, नए हथकरघा व सम्बधित मशीनरी खरीदने, कार्यकुशलता विकास प्रशिक्षण, कार्यस्थल निर्माण, कच्चा माल बिक्री केन्द्र, डिजाईन एवं उत्पाद विकास तथा विपणन विकास हेतु प्रदान किया जाता है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	http//www.handlooms.nic.in/
वाँछित दस्तावेज	उपरोक्त वैवसाइट पर उपलब्ध हैं।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रकिया आनलाईन है। फिर भी इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।

उद्देश्य एवम् विशेषता	युवक/युवतियों को अपना स्वरोजगार/उद्यम शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाना।
पात्रता	उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। निर्माण क्षेत्र में यदि परियोजना लागत 10 लाख से अधिक हो और सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक हो तो उद्यमी कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। यह ऋण केवल नए स्थापित किये जाने वाले उद्यमों के लिए मिलेगा।
सहायता का ब्यौरा	निर्माण क्षेत्र के उद्यमों के लिए अधिकतम 25 लाख व सेवा क्षेत्र के उद्यमों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये बैंको के माध्यम से ऋण का प्रावधान। परियोजना लागत के 35 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति व ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को विशेष छूट।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	https//www.kvIconIIne.gov.In/pmegpeportaI/jsp/pmegponIIne.jsp
वाँछित दस्तावेज	आधार कार्ड, फोटो, परियोजना रिपोर्ट की प्रति, शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	यह आवेदन ऑनलाईन ही जमा होता है। आवेदन ऑनलाईन सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र/ हिमाचल प्रदेश खादी बोर्ड
आयु सीमा	**न्यूनतम 18** **अधिकतम 100** जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	सैन्ट्रल सैक्टर स्कीम

उद्देश्य एवम् विशेषता	सामान्य वर्ग के किसानों को रेशम कीट पालन हेतु गृह का निमार्ण
पात्रता	सामान्य वर्ग का किसान जिसके पास कम से कम 300 शहतूत के पेड़ हों और 3 वर्ष का रेशम कीट पालन का अनुभव हो।
सहायता का ब्यौरा	रेशम कीटपालन भवन निर्माण कुल लागत, 1,20,000/- (केन्द्र मु0 96000/- राज्य मु0 12000/-लाभार्थीः मु0 12000/-)
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित Common AppIicatIon Form को भरना होगा। आवेदन की प्रति रेशम मण्डलाधिकारी एवम् रेशम निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	1. आधार कार्ड की कॉपी 2. बैंक खाता की कॉपी 3. जमीन के पेपर
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	1) रेशम अधिकारी, घुमारवीं, जिला बिलासपुर 2) रेशम अधिकारी, नादौन, जिला हमीरपुर 3) रेशम अधिकारी, देहरा, जिला कांगड़ा 4) रेशम अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी 5) रेशम अधिकारी बालीचैकी,जिला मण्डी 6) रेशम अधिकारी, पालमपुर,जिला कांगडा 7) उपनिदेशक उद्योग (रेशम)-सह-रेशम अधिकारी, शिमला निदेशालय उद्योग, बैम्लोई शिमला-171001
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	जनजाति उप योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के किसानों का सशक्तिकरण

उद्देश्य एवम् विशेषता	अनुसूचित जनजाति के किसानों को रेशम कीट पालन हेतु गृह का निमार्ण।
पात्रता	अनुसूचित/सामान्य वर्ग का किसान जिसके पास कम से कम 300 शहतूत के पेड़ हों और 3 वर्ष का रेशम कीट पालन का अनुभव हो। जनजाति के किसानों को रेशम कीट पालन हेतु गृह का निमार्ण।
सहायता का ब्यौरा	किसान पौधशाला 1,15,000 शहतूत पौधशाला 14000 कीटपालन सामानः 40,000 कीटपालन भवन निर्माणः 1,20,000 विसंक्रमण सामग्रीः 2,000
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित Common AppIicatIon Form को भरना होगा। आवेदन की प्रति रेशम मण्डलाधिकारी एवम् रेशम निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

वाँछित दस्तावेज

1) आधार कॅार्ड की कापी
2) बैंक खाता की कॉपी
3) जमीन के राजस्व पेपर

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

1) रेशम अधिकारी देहरा, जिला कांगडा
2) उपनिदेशक उद्योग (रेशम), निदेशालय उद्योग, बैम्लोई शिमला-171001

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	सैरीकल्चर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के किसानों का सशक्तिकरण

उद्देश्य एवम् विशेषता

अनुसूचित जाति के किसानों के स्वरोजगार प्रदान करना एवम् आय के साधन विकसित करना।

पात्रता

अनुसूचित जाति का किसान जो सैरीकल्चर का कार्य करना चाहता है।

सहायता का ब्यौरा

किसान पौधशाला 1,15,000 - शहतूत पौधशाला 14000 - कीटपालन सामानः 40,000 - कीटपालन भवन निर्माणः 1,20,000 - विसंक्रमण सामग्रीः 2,000

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित Common Application Form को भरना होगा। आवेदन की प्रति रेशम मण्डलाधिकारी एवम् रेशम निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

वाँछित दस्तावेज

1) आधार कार्ड की कॉपी
2) बैंक खाता की कॉपी
3) जमीन के राजस्व पेपर

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

1. रेशम अधिकारी, घुमारवीं, जिला बिलासपुर
2. रेशम अधिकारी, नादौन, जिला हमीरपुर
3. रेशम अधिकारी, देहरा, जिला कांगड़ा
4. रेशम अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी
5. रेशम अधिकारी, बालीचैकी, जिला मण्डी
6. रेशम अधिकारी, पालमपुर, जिला कांगडा
7. उपनिदेशक उद्योग (रेशम)-सह-रेशम अधिकारी, शिमला निदेशालय उद्योग, बैम्लोई शिमला-171001

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	राज्य उत्प्रेरक विकास योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

रेशम कीटपालकों की आय में वृद्धि करना एवम् स्वरोजगार प्रदान करना।

पात्रता

कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो रेशम कीटपालन का कार्य करना चाहता हो।

सहायता का ब्यौरा

शहतूत पौधारोपणः 2000 कीटपालन सामानः 10,000 विसंक्रमण सामग्रीः 500

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित Common Application Form को भरना होगा। आवेदन की प्रति रेशम मण्डलाधिकारी एवम् रेशम निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

वाँछित दस्तावेज

(1) आधार कॉर्ड की कापी
(2) बैंक खाता की कॉपी
(3) जमीन के रैविन्यु पेपर

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	1) रेशम अधिकारी घुमारवीं, जिला बिलासपु 2) रेशम अधिकारी नादौन, जिला हमीरपुर 3) रेशम अधिकारी देहरा, जिला कांगड़ा 4) रेशम अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी 5) रेशम अधिकारी, बालीचैकी, जिला मण्डी 6) रेशम अधिकारी पालमपुर, जिला कांगड़ा 7) उपनिदेशक उद्योग (रेशम)-सह-रेशम अधिकारी, शिमला निदेशालय उद्योग, बैम्लोई शिमला-171001
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	हिमाचली युवा जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष हो में उद्यमिता विकास व स्वरोजगार सृजन करना।
पात्रता	1. हिमाचल का स्थाई निवासी होना चाहिए। 2. आयु सीमा 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए।
सहायता का ब्यौरा	विनिर्माण क्षेत्र व चिन्हित सेवा क्षेत्र में 60 लाख रु0 की लागत वाले उद्योग स्थापित करने हेतू वित्तीय लाभ मु0 40 लाख तक के प्लांट एवं मशीनरी निवेश पर 25 प्रतिशत एवं महिला उद्यमियों के लिए 30 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत की दर से 3 वर्षो तक मु0 40 लाख रुपए के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अनुदान Back Ended सहायता के रुप में सीधा बैंक को दिया जाएगा। 25 प्रतिशत की दर से उद्योग विभाग के "सी" श्रेणी क्षेत्रों में भूमि का आबंटन किया जाएगा। निजी भूमि क्रय पर स्टामप डयूटी मात्र 3 प्रतिशत लगेगी। इकाई की कुल लागत का 90 प्रतिशत ऋण बैंक द्वारा वितरण किया जाएगा। 40 लाख रुपए तक के पूंजीगत निवेश को बैंक वित्त पोषित करेगा। प्राप्त अनुदान को तीन वर्षों की सावधि जमा रसीद के रुप में बैंक द्वारा लाभार्थी के पक्ष में रखा जाएगा। सावधि जमा रसीद पर ब्याज नहीं दिया जाएगा एवं सावधि जमा रसीद के बराबर दिए गए ऋण पर भी बैंक ब्याज नहीं लेगा। Credit Guarantee Fund Trust के अन्तर्गत Guarantee Fee का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	https//emerginghimachal.hp.gov.in/
वाँछित दस्तावेज	1. प्रार्थना पत्र विभाग की वेबसाइट में मौजूद है। 2. आधार कार्ड की प्रतिलिपी 3. हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र बाकी ब्यौरा विभाग की वेबसाइंट में मौजुद है।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	1. ऑनलाइन 2. जिला उद्योग केन्द्र/महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हि0प्र0।
आयु सीमा	**न्यूनतम 18** **अधिकतम 45** जेंडर दोनों

XXIV- सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	कमांड विकास क्षेत्र व जल प्रबन्धन कार्यक्रम (CADWM)

उद्देश्य एवम् विशेषता	➢ खेतों में पानी का अधिकतम उपयोग। ➢ कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करना। ➢ लाभार्थी की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सुधारना।
पात्रता	पंचायत व कृषि विकास संघ के माध्यम से
सहायता का ब्यौरा	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	उपमण्डल व मण्डल सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग
वाँछित दस्तावेज	आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र कि निर्माण हेतु सभी विसंगतियों से मुक्त भूमि उपलब्ध है।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	उपमण्डल व मण्डल सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	जल संरक्षण एवं हर खेत को पानी
पात्रता	पंचायत व कृषक विकास संघ के माध्यम से
सहायता का ब्यौरा	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	जिस जिस क्षेत्र में सिंचाई योजना बनी हैं वहाँ स्थानीय सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग उपमण्डल व मण्डल के अधिकारी को अधिकृत किया गया है
वाँछित दस्तावेज	संबन्धित ग्राम पंचायत के द्वारा पारित प्रस्ताव
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	स्थानीय उपमण्डल व मण्डल सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	पेयजल कनैक्शन प्रदान करना।

उद्देश्य एवम् विशेषता	राष्ट्रीय प्राथमिकता के आधार पर गाँवों शहरों में घर-घर मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाना।
पात्रता	भवन मालिक/ किरायेदार।
सहायता का ब्यौरा	व्यक्तिगत पेयजल कनैक्शन सहायक अभियन्ता सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग दवारा स्वीकृत किये जाते हैं।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के सहायक अभियन्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। नगर निगमों के शहरी क्षेत्रों के कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के elph module तथा नगर निगम की वैब-साइट से डाउनलोड की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	1. ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक द्वारा स्व-प्रामाणित प्रमाण-पत्र कि गैरभूमि पर कब्जा नहीं किया गया है, पानी का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, केवल घरेलू कार्य हेतु उपयोग किया जाएगा। 2. ग्रामीण क्षेत्र (Special Area Development Authority) में आवेदक द्वारा स्व-प्रामाणित प्रमाण-पत्र कि गैरभूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है व पानी का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, केवल घरेलू कार्य हेतु उपयोग किया जाएगा। SADA से अनापति प्रमाण-पत्र, भवन के नक्शे की स्वीकृत प्रति। 3. शहरी क्षेत्र में आवेदक द्वारा स्व-प्रामाणित प्रमाण-पत्र कि गैरभूमि पर कब्जा नहीं किया गया है व पानी का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, केवल घरेलू कार्य हेतु उपयोग किया जाएगा, नगर निगम/नगर पालिका से अनापति प्रमाण-पत्र व भवन के नक्शे की स्वीकृति की प्रति।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	संबन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय/नगर निगम में अधिशाषी अभियन्ता के कार्यालय।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	मल निकासी कनैक्शन

उद्देश्य एवम् विशेषता	शहरी क्षेत्रों/कस्बों में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में मल निकासी सुबिधा उपलब्ध करवाना।
पात्रता	भवन मालिक।
सहायता का ब्यौरा	जिन शहरी क्षेत्रों/कस्बों में मल निकासी योजना बनी है वहाँ सहायक अभियन्ता सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को कनैक्शन स्वीकृत करने हेतु आवेदन किया जा सकता है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के सहायक अभियन्ता कार्यालय से बिना किसी कीमत के प्राप्त की जा सकती है। नगर निगमों के शहरी क्षेत्रों के कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है। नगर निगम की वैब- साइट से डाउनलोड की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	नगर निगम/नगर पालिका से अनापति प्रमाण-पत्र व पानी के बिल की प्रति।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	संबन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय/ नगर निगम में अधिशाषी अभियन्ता के कार्यालय।
जेंडर	दोनों

XXV- श्रम एवं रोजगार विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	कौशल विकास भत्ता योजना,2013

उद्देश्य एवम् विशेषता

योजना का उद्देश्य पात्र शिक्षित हिमाचली बेरोजगार युवाओं को उनके कौशल विकास हेतु भत्ता प्रदान करना है ताकि इसके फलस्वरूप युवा अपने कौशल का विकास कर पायें और अपनी रूचि के क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार अर्जित करने हेतु समर्थ हो पाएं।

पात्रता

1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी हो।
2. आवेदक बेरोजगार (न सरकारी, न निजी रोज़गार, न ही स्वरोजगार) हो।
3. कम से कम 8वीं पास हो (मिस्त्री, बढ़ई, लोहार, पलम्बर आदि के प्रशिक्षण हेतू शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है)।
4. आयु 16 से लेकर 36 वर्ष से कम।
5. परिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम।
6. आवेदन की तिथि को आवेदक हि0प्र0 के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।
7. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्य प्रशिक्षण संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा/रही हो।

सहायता का ब्यौरा

योजना के अन्तर्गत पात्र हिमाचली आवेदकों को रु0 1000/— प्रतिमाह की दर से व 50 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी दिव्यांग आवेदकों को रु0 1500/—प्रतिमाह की दर से कौशल विकास भत्ता, प्रशिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक देय है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

पात्र बेरोज़गार आवेदक, भत्ता प्रदान किए जाने हेतु पात्र होने की स्थिति में, निर्धारित दस्तावेजों सहित हिमाचल प्रदेश के उस रोजगार कार्यालय में जहां उसका नाम पंजीकृत हो, अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र समस्त रोजगार कार्यालयों में नि:शुल्क उपलब्ध है व इसे श्रम एंव रोजगार विभाग की बैब साईट www.himachal.nic.in/employment से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

वाँछित दस्तावेज

विधिवत रुप से भरे गए आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने आपेक्षित हैः

1. पासपोर्ट आकार की फोटो।
2. निर्धारित प्रपत्र पर (18 वर्ष से कम आयु के आवेदक की स्थिति में उसके माता पिता/ अभिभावक द्वारा) स्वः प्रमाणित घोषणा/शपथ पत्र (जिसका प्रपत्र ऑनलाईन उपलब्ध है)।
3. कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा जारी आय का प्रमाणपत्र जिसमें यह भी उल्लेख हो कि आवेदक किसी सरकारी/इसकी इकाईयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निकायों/बोर्डों/निगमों में नियोजित नहीं है।
4. रोजगार कार्यालय पहचान कार्ड की सत्यापित प्रति।
5. 8वीं/10वीं की अंक तालिका/जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
6. हिमाचली मूल निवासी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
7. कौशल विकास प्रशिक्षण कोर्स में भर्ती या दाखिला प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

प्रभारी/रोजगार अधिकारी/जिला रोजगार अधिकारी सम्बन्धि रोजगार कार्यालय।

आयु सीमा

न्यूनतम 16 जेंडर दोनों
अधिकतम 36

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	बेरोजगारी भत्ता योजना 2017

उद्देश्य एवम् विशेषता

इस योजना का उद्देश्य पात्र शिक्षित बेरोजगार हिमाचली युवाओं को एक निश्चित अवधि के लिए स्वंय को सक्षम बनाये रखने हेतु भत्ता प्रदान करना है।

पात्रता

1. इस योजना के दृष्टिगत वे सभी शिक्षित बेरोजगार आवेदक बेरोजगारी भत्ता के पात्र होंगे, जो निम्नलिखित मानदंड पूर्ण करते हो।
2. आवेदक बेरोजगार होना चाहिए (अर्थात न सार्वजनिक, न निजी क्षेत्र और न ही स्वरोजगार में हो) और हिमाचल का स्थाई निवासी होना चाहिए।
3. आवेदक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 12वीं कक्षा उतीर्ण या समकक्ष हो।
4. आवेदन करने की तिथि को एक वर्ष पहले से आवेदक हिमाचल प्रदेश के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।
5. आवेदन करने की तिथि को सभी स्त्रोतों से आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय रु0 2.00 लाख (दो लाख) से कम होनी चाहिए, इसमें उसके पति/पत्नी की आय भी शामिल है।
6. आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।
7. आवेदक निलंबित कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
8. आवेदक किसी ऐसे अपराध में दण्डित न हो जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा हुई हो।
9. आवेदक किसी कोर्स का नियमित छात्र नहीं होना चाहिए।
10. आवेदक कौशल विकास भत्ता प्राप्त न कर रहा हो।

सहायता का ब्यौरा

योजना के अंतर्गत पात्र आवेदको को रु0 1000/- प्रतिमाह की दर से व 50 प्रतिशत या अधिक स्थाई दिव्यांगों को रु0 1500 /-प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 2 वर्ष तक देय है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

http//admis.hp.nic.in/unemp आवेदक को उक्त बैवसाइट पर अपनी पात्रता की जांच करने के उपरान्त पात्र पाए जाने की स्थिति में भत्ता प्राप्त करने हेतु आनलाईन आवेदन करना होगा तथा आवेदन प्रपत्र का प्रिन्ट लेकर व निम्न दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित रोजगार कार्यलय में जमा करवानी होगी।

वाँछित दस्तावेज

1. रोजगार कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र (X-10).
2. कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
3. हिमाचली निवासी होने का प्रमाण पत्र।
4. स्वः प्रमाणित घोषणा प्रमाण पत्र, प्रपत्र -सी के अनुसार।
5. दसवीं व दस जमा दो के सत्यापित प्रमाण पत्र।
6. बैंक खाता से सम्बधित दस्तावेज।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित रोजगार कार्यालय/ सम्बन्धित अधिकारी।

आयु सीमा

न्यूनतम 20 जेंडर दोनों
अधिकतम 35

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	औधोगिक कौशल विकास भत्ता योजना,2018

उद्देश्य एवम् विशेषता

योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के उद्योग /कारखानों में योजना की अधिसूचना की तिथि 02-11-2018 से/इसके उपरांत नियुक्त नए पात्र कामगारों / कर्मचारियों / प्रशिक्षुओं को नौकरी के दौरान कौशल विकास भत्ता प्रदान करना है ताकि इसके फलस्वरूप युवा अपने कौशल का विकास कर और बेहतर रोजगार के अवसर अर्जित करने हेतु समर्थ हो पाए।

पात्रता

1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हो।
2. हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक संस्थान में अधिसूचना की तिथि अर्थात 2/11/2018 और इसके उपरांत नियुक्त किया गया हो तथा कुल वेतन / स्टाइफण्ड रु0 15000/- प्रतिमाह या इससे कम हो।
3. शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।
4. आयु 18 से लेकर 36 वर्ष के बीच हो।
5. नियोक्ता द्वारा मुफत में आवासीय सुविधा प्रदान न की गई हो।
6. पहले 24 माह तक कौशल विकास भत्ता या बेरोजगारी भत्ता प्राप्त न किया हो यदि आवेदक ने 24 माह से कम समय हेतु कौशल विकास भत्ता या बेरोजगारी भत्ता प्राप्त किया है तो शेष समय हेतु औद्योगिक कौशल विकास भत्ता हेतु (अन्य पात्रता मापदंड पूरा करने पर) पात्र होगा।
7. आवेदक सरकारी बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
8. आवेदक किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो जिसकी वजह से 24 घंटे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।
9. आवेदन की तिथि को आवेदक हिमाचल प्रदेश के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो।

सहायता का ब्यौरा

योजना के अंतर्गत पात्र हिमाचली आवेदकों को रु0 1000/- प्रतिमाह की दर से व 50 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी दिव्यांग आवेदकों को रु0 1500/- प्रतिमाह की दर से औद्योगिक कौशल विकास भत्ता नौकरी के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक देय है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

आवेदक भत्ता प्रदान किया जाने हेतु पात्र होने की स्थिति में, प्रपत्र में निर्धारित दस्तावेजों सहित हिमाचल प्रदेश के उस रोजगार कार्यालय में जहाँ उसका नाम पंजीकृत हो, अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

वाँछित दस्तावेज

विधिवत रूप से भरे गये आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज किया जाने आपेक्षित है :

1. पासपोर्ट आकर की फोटो।
2. निर्धारित प्रपत्र पर, स्वः प्रमाणित घोषणा पत्र।
3. औधोगिक संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी कुल वेतन / स्टइफण्ड बारे प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. रोजगार कार्यालय पहचान कार्ड की सत्यापित प्रति।
5. 5वी/8वी/10वीं की अंक / जन्म प्रमाण की सत्यापित प्रति।
6. हिमाचली मूल निवासी प्रमाण पत्र की सत्यपित प्रति।
7. औद्योगिक संस्थान के प्रधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में जिससे कि अधिसूचना की तिथि अर्थात 2/11/2018 और इसके उपरांत नये कामगारों / कर्मचारियों /प्रशिक्षु नियुक्त किये गये हो तथा कुल वेतन / स्टइफण्ड रु0 15000/- या इससे कम हो आदि बारे स्पष्ट सुचना दर्शाई गई हो।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

प्रभारी /रोजगार अधिकारी /जिला रोजगार अधिकारी सम्बन्धित रोजगार कार्यालय।

आयु सीमा	**न्यूनतम 18** **अधिकतम 36**	**जेंडर**	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन

उद्देश्य एवम् विशेषता — असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता — घरेलू कामगार, बोझ उठाने वाले, भट्टे पर काम करने वाले, मोची, कचरा उठाने वाले, धोबी, फेरी वाले, कृषक कामगार, भवन एवं निर्माण, हस्त कला/ हतकरघा, चर्म, ऑडियो /वीडियो कार्य, मिड डे मील कार्यकर्ता, स्वएं रोजगार एव मनरेगा व समान अन्य व्यवसाय अधिकतम मासिक आय 15000/- रुपये व इससे कम। मासिक अंशदान न्यूनतम 55/- रुपये अधिकतम 200/- रुपये (आयु अनुसार)।

सहायता का ब्यौरा — पंजीकृत कामगार को 60 वर्ष पूर्ण होने पर 3,000 /- रू. प्रतिमाह पेंशन। सुनिशिचत।। पंजीकृत कामगार की मृत्यु के उपरांत उसके पति/पत्नी को 50% पेंशन। मासिक अंशदान का बराबर भाग भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — लोक मित्र केंद्रों में मुफ्त पंजीकरण। व आवेदन की प्रति प्राप्त की जा सकती है https//maandhan.in/

वाँछित दस्तावेज — आधारकार्ड, बचत बैंक खाता/जनधन खाता, मोबाइल नंबर।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — लोक मित्र केंद्र / सर्व सेवा केंद्र / सम्बन्धित जिला के श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक।

आयु सीमा — **न्यूनतम 18 अधिकतम 40** जेंडर दोनों

XXVI-भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	आवर्ती निधि से धार्मिक संस्थानों की पूजा-अर्चना एवं रख-रखाव हेतु अनुदान योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — प्रदेश में विभिन्न भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन के कारण बहुत से धार्मिक संस्थानों की भू-सम्पदा मुजारों/सरकार में निहित होने के फलस्वरूप उनकी आय में भारी कमी आ गई है जिस कारण धार्मिक संस्थानों का रख-रखाव, यहां तक कि नियमित पूजा अर्चना भी वर्तमान में ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। इस हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आवर्ती निधि (Revolving Fund) का सृजन किया गया है। जिसका उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से रहेगा –

a) धार्मिक संस्थानों में नित्य प्रति पूजा आदि को विधिवत चलाना।
b) धार्मिक संस्थानों के रख-रखाव को ठीक करना।
c) धार्मिक संस्थानों के रख-रखाव हेतु उनकी आय को बढ़ाना।

पात्रता — आवर्ती निधि से अनुदान प्राप्त करने के लिए वही धार्मिक संस्थान पात्र होंगे, जिनकी भूमि विभिन्न भू-सुधार अधिनियमों के अन्तर्गत मुजारों/सरकार में निहित हुई है।

सहायता का ब्यौरा — वार्षिक अनुदान वार्षिक अनुदान का आधार, मुजारों अथवा सरकार में निहित भूमि (इसमें वह भूमि शामिल नहीं होगी, जिसका मुआवजा मिल चुका है।) की मात्रा तथा आय-व्यय के अंतर के आधार पर होगा। यह रुपए 25,000/- से अधिक नहीं होगी। एकमुश्त अनुदान एकमुश्त अनुदान वाले प्रकरणों में सहायतानुदान राशि रूपये 25 लाख से अधिक नहीं होगी।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया अनुदान योजना-13 में निर्धारित है। आवेदन हेतु प्रपत्र सम्बन्धित जिला के जिला भाषा अधिकारी कार्यालय और भाषा एवं संस्कृति निदेशालय, ब्लॉक नं0 39, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-09 से प्राप्त किए जा सकते हैं।
वाँछित दस्तावेज	वार्षिक अनुदान प्राप्त करने हेतु - (क) प्रथम बार अनुदान प्राप्त करने हेतु : 1. योजना में निर्धारित सभी फॉर्म 2. राजस्व रिकॉर्ड 3. फोटो 4. इतिहास 5. आय-व्यय का विवरण 6. बैंक विवरण उसके बाद हर वर्ष अनुदान प्राप्त करने हेतु – 1. योजना में निर्धारित आवेदन (प्रपत्र-1) 2. विगत वर्ष में दी गई अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रपत्र-3) परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु एकमुश्त अनुदान प्राप्त करने के लिए- 1. योजना में निर्धारित सभी फॉर्म 2. राजस्व रिकॉर्ड 3. फोटो 4. इतिहास 5. आय-व्यय का विवरण 6. ड्राईंग एवं प्राक्कलन
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवेदन प्रपत्र सम्बन्धित जिला के जिला भाषा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	धार्मिक संस्थानों/ पुरातात्विक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के लिए सहायतानुदान योजना-12

उद्देश्य एवम् विशेषता	धार्मिक संस्थानों, पुरातात्विक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की मरम्मत, संरक्षण, पुनर्निर्माण और संरक्षण के लिए अनुदान दिया जाता है।
पात्रता	1. जो धार्मिक संस्थान - सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो, विश्वास का केंद्र हो, उस क्षेत्र की पारंपरिक वास्तुकला के अनुसार बनाया गया हो, ऐतिहासिक हो, वा स्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, की इमारतों की मरम्मत के लिए। 2. किसी भी प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल के संरक्षण के लिए, जो 50 वर्ष से अधिक पुराना है। 3. किसी भी धार्मिक संस्था या प्राचीन स्मारक - जो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाता है या संरचना, जिसने अपना जीवन पूरा कर लिया है और मरम्मत से परे है या तकनीकी कारणों से संरचना की मरम्मत योग्य नहीं है। उसी तरह की सामग्री और वास्तुकला के साथ पुनर्निर्माण करने के लिए 4. धार्मिक संस्थानों या स्मारकों या पुरातात्विक स्थलों में- अतिक्रमण और सुरक्षा की जांच करने के लिए, इसके परिसर में सीमा दीवारों के लिए, प्रतिधारण भिति निर्माण के लिए, आंगन में स्थानीय चक्का पत्थर के फर्श के लिए, जल निकासी व्यवस्था के प्रबंधन के लिए सहायतानुदान दिया जाएगा।
सहायता का ब्यौरा	अधिकतम 25 लाख रुपए तक
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया अनुदान योजना -12 में निर्धारित है। आवेदन हेतु प्रपत्र सम्बन्धित जिला के जिला भाषा अधिकारी कार्यालय और भाषा एवं संस्कृति निदेशालय, ब्लॉक नं0 39 एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-09 से प्राप्त किए जा सकते हैं।
वाँछित दस्तावेज	योजना में निर्धारित सभी फॉर्म, राजस्व रिकॉर्ड, प्राक्कलन, नक़्शे, कनिष्ठ अभियंता की तकनीकी रिपोर्ट आदि। प्रस्तावित कार्यों का विवरण, फोटो, इतिहास, महत्व, वास्तुकला, पूजा, मेले और त्योहारों की विस्तृत जानकारी

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवेदन हेतु प्रपत्र सम्बन्धित जिला के जिला भाषा अधिकारी कार्यालय और भाषा एवं संस्कृति निदेशालय
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	परियोजना-2 लोक कलाओं हेतु सहायतानुदान परियोजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-
1. लोक कलाओं को संरक्षण प्रदान करना।
2. उनका विकास करना।
3. उनका प्रचार-प्रसार करना।
4. लोक कलाओं में प्रवीण कलाकारों की पहचान बनाना।

पात्रता

1. संस्था का व्यवसाय केवल लोक कलाओं का आयोजन ही न हो, और
2. संस्था समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए, या संस्था साविधिक होनी चाहिए।

सहायता का ब्यौरा

1. विभाग प्रति आयोजन 1,000/- रूपये की राशि देगा। बाकी का खर्च स्वैच्छिक संस्था स्वयं वहन करेगी।
2. यह अनुदान एक संस्था को एक वर्ष में केवल एक बार दिया जाएगा। परन्तु यदि निदेशक, भाषा एवं संस्कृति यह समझे कि लोक कला के प्रोत्साहन हेतु, किसी संस्था को वर्ष में दूसरी बार भी अनुदान दिया जाना उचित होगा तो दिया जा सकेगा। दी गई धन राशि, जिस उद्देश्य के लिए दी गई है, उसी पर व्यय की जायेगी।
3. इस धन राशि से, यदि लोक कला के प्रोत्साहन हेतु कोई वाद्य यंत्र/लोक वेशभूषा खरीद किये जायें तो उसे अवैध नहीं माना जाएगा।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

1. विभाग के विहित प्रपत्र पर प्रार्थना-पत्र जिला भाषा अधिकारी के माध्यम से विभाग तक पहुंचना होगा।
2. जिस थियेटर को बुक किया गया है उसकी मूल रसीद भी प्रार्थना पत्र के साथ लगी होनी चाहिए।
3. सहायतानुदान की राशि, अनुदान देने की तिथि से तीन मास के भीतर व्यय करनी होगी अन्यथा तमाम राशि ब्याज सहित वापस ले ली जायेगी।
4. धन राशि जिला भाषा अधिकारी को ही दी जायेगी और संस्था को धन राशि, आयोजन की तिथि और स्थान निश्चित हो जाने पर ही जिला भाषा अधिकारी देंगे।
5. सहायतानुदान प्राप्त संस्था, विभाग के अधिकारियों तथा जिला भाषा अधिकारी को आयोजन के लिए आमंत्रित करेगी ताकि आयोजन का स्तर जांचा जा सके।

वाँछित दस्तावेज

योजना में निर्धारित सभी फॉर्म, राजस्व रिकॉर्ड, प्राक्कलन, नक़्शे, कनिष्ठ अभियंता की तकनीकी रिपोर्ट आदि। प्रस्तावित कार्यों का विवरण, फोटो, इतिहास, महत्व, वास्तुकला, पूजा, मेले और त्योहारों की विस्तृत जानकारी

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

आवेदन हेतु प्रपत्र सम्बन्धित जिला के जिला भाषा अधिकारी कार्यालय और भाषा एवं संस्कृति निदेशालय

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	परियोजना - 3 साहित्यिक/ सांस्कृतिक/ कला/ गोष्ठी/ सम्मेलन/ समारोह हेतु सहायतानुदान (सरकार के पत्र संख्याः भाषा-क(3)10/80, दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा

उद्देश्य एवम् विशेषता

इस परियोजना के निम्नलिखित उदेश्य होंगे-
(1) प्रदेश/देश भर में सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला की गतिविधियों के बारे में जानकारी देना।
(2) किसी एक विषय को लेकर उस पर चिन्तन करना तथा विचारों का आदान-प्रदान करना।
(3) साहित्यकारों/कलाकारों/विद्वानों का सम्मेलन जिसमें विचारों का आदान-प्रदान किया जा सके।

पात्रता

(1) संस्था का व्यवसाय केवल इस प्रकार के आयोजन करना ही नहीं होना चाहिए, और
(2) संस्था समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए, या
(3) संस्था साविधिक होनी चाहिए।

सहायता का ब्यौरा

बाहर से आने वाले प्रत्येक कलाकार/साहित्यकार/विद्वान को आने जाने का प्रथम श्रेणी रेल अथवा डीलक्स बस का किराया दिया जाएगा। यह किराया विभाग में उपलब्ध पते के अनुसार प्रतिभागी के निवास स्थान से आयोजन स्थल तक का दिया जाएगा।
(1) जल-पान राशि 30/- रुपये आयोजन की तिथि से एक दिन पूर्व से लेकर आयोजन की समाप्ति तक दी जायेगी।
(2) आयोजन हेतु हाल का किराया (वास्तविक रसीद प्राप्ति के उपरांत) चुकाया जाएगा।
(3) आयोजन की अवधि यदि चार घण्टे से ऊपर हो तो प्रति आयोजन प्रति व्यक्ति 5/- रुपये जलपान पर विभाग की ओर से व्यय किया जाएगा।

आलेख प्रस्तोता को योग्यतानुसार 300/- रुपये तक का पारिश्रमिक दिया जाएगा। यह आलेख विभाग के माने जाएंगे। प्रकाश एवं ध्वनि व्यवस्था प्रकाश एवं ध्वनि की व्यवस्था विभाग करेगा तथा उनके चालक को फीस भी विभाग देगा जो रुपये 50/- प्रति आयोजन तक दी जायेगी। सहायतानुदान की सीमा

1. ऐसे आयोजनों के लिए सहायतानुदान की अधिकतम सीमा 15,000/- रुपये होगी जो निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग के स्वविवेक पर स्वीकृत की जायेगी।
2. ऐसा अनुदान, एक संस्था को एक वर्ष में केवल एक बार ही दिया जाएगा।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

(1) विभाग के विहित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र जिला भाषा अधिकारी के माध्यम से विभाग तक पहुंचाना होगा
(2) जिस थियेटर को बुक किया है उसकी मूल रसीद भी प्रार्थना पत्र के साथ लगी होनी चाहिए।
(3) सहायतानुदान की राशि अनुदान देने की तिथि से तीन मास के भीतर व्यय की जानी होगी अन्यथा
(4) पूरी राशि ब्याज सहित वापस ली जायेगी।
(5) धनराशि केवल उसी कार्यक्रम पर व्यय की जायेगी जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है।
(6) सहायतानुदान प्राप्त संस्था विभाग के अधिकारियों एवं जिला भाषा अधिकारी को आयोजन में आमंत्रित करेगी ताकि आयोजन का स्तर जांचा जा सके।

वाँछित दस्तावेज

उपरोक्त उल्लेख के समान

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

आवेदन हेतु प्रपत्र सम्बन्धित जिला के जिला भाषा अधिकारी कार्यालय और भाषा एवं संस्कृति निदेशालय

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	योजना -11 ललित कला में छात्रवृत्ति के लिए योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों को ललित कला के क्षेत्र में अपने कौशल में सुधार के लिए प्रोत्साहन और प्रोत्साहन प्रदान करना है। हालांकि असाधारण मामलों में चयन समिति को अन्य दृश्य कला के क्षेत्र से छात्रों पर विचार करने का अधिकार दिया जाएगा।

पात्रता

छात्रवृत्ति हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए खुली है और आर्ट कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में पहले से ही नामांकित हैं। जिन छात्रों को पहले से ही किसी अन्य संस्थान / संगठन से छात्रवृत्ति / प्रायोजन मिला है, वे छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

सहायता का ब्यौरा

विभाग स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। छात्रवृत्ति का मूल्य रु 5,000/- प्रति माह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए और स्नातक के लिए 3000 /- एक वर्ष में छात्रवृत्ति एक बार वितरित की जाएगी। छात्र को संस्थान के प्रमुख के माध्यम से निदेशक, भाषा, कला और संस्कृति विभाग के माध्यम से रिपोर्ट कार्ड जमा करना होगा। छात्रवृत्ति की राशि आरटीजीएस के माध्यम से छात्र के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	निदेशक, भाषा, कला और संस्कृति विभाग अप्रैल के महीने में कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों (1 हिंदी और 1 अंग्रेजी) में एक विज्ञापन जारी करेगी और निर्धारित प्रारूप पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी। विज्ञापन जीओएचपी और निदेशालय भाषा, कला और संस्कृति वेबसाइट पर भी रखा जाएगा। इच्छुक और योग्य छात्रों, जिन्हें किसी भी प्रतिष्ठित कला कोलाज / विश्वविद्यालय में ललित कला में पहले ही भर्ती कराया गया है, उन्हें निदेशक, भाषा, कला और संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश को निर्धारित फॉर्म पर आवेदन करना होगा। निदेशक, भाषा, कला और संस्कृति विभाग की अध्यक्षता में एक समिति छात्रवृत्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगी। उम्मीदवारों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर छात्रवृत्ति के लिए चुना जाएगा मानदंड 10+2/ स्नातक में प्राप्त अंक-10 गरीबी रेखा से नीचे-6 विकलांग व्यक्ति एससी / एसटी / ओबीसी / अल्पसंख्यक-6 ललित / दृश्य कला में विशेष उपलब्धि- 6 फाइन / आर्ट्स के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में नामांकन- 6 कुल योग- 40 अधिकतम अंक 10 6 6 6 6 6 40
वाँछित दस्तावेज	➢ शिक्षा योग्यता (डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि), अनुभव आदि की एक स्वयं-प्रतिलिपि प्रतिलिपि। किसी भी मामले में मूल दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाने चाहिए। ➢ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र की एक स्वयं प्रमाणित प्रति या उम्र के अन्य स्वीकार्य साक्ष्य। ➢ एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर। ➢ चित्रकारी, मूर्तिकला और एप्लाइड आर्ट्स के क्षेत्र में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के मामले में, उन्हें मूल कार्यों की तस्वीर की स्वयं-प्रतियां वाली प्रतियों के साथ आने की आवश्यकता है। विजुअल आर्ट्स के लिए न्यूनतम योग्यता बीएफए या समकक्ष है। ➢ स्नातक पाठ्यक्रम के तहत रिपोर्ट में शामिल होने के साथ संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रित रिपोर्ट में शामिल होना। ➢ माता-पिता आय शपथ पत्र की मूल प्रति जो कि हिंदी / अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से नोटरी पब्लिक / फर्स्ट क्लास कार्यकारी मजिस्ट्रेट / राजस्व अधिकारी से पहले शपथ ली गई 10 / - के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में होनी चाहिए (ऑनलाइन पंजीकरण लिखें नहीं। इसके शीर्ष पर)। ➢ वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा -2016
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवेदन हेतु प्रपत्र सम्बन्धित जिला के जिला भाषा अधिकारी कार्यालय और भाषा एवं संस्कृति निदेशालय
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	परियोजना -19 फिल्म बनाने को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस योजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में कला और शिल्प, संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व, भाषा, साहित्य, समकालीन कला, पारंपरिक और जनजातीय लोक, संगीत, नृत्य, नाटक, व्यंजन, कथा, के आधार पर फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहन देना है। पर्यटन, पर्यावरण, सामाजिक मुद्दे और हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित कोई अन्य विषय।
पात्रता	(1) हिमाचल प्रदेश के रहने वाले बोनाफाइड हिमाचलियों या हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोग केवल 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग या राज्य के बाहर के लोग हिमाचल प्रदेश में उपरोक्त बिंदु संख्या 1 से सम्बन्धित विषयों पर एक फिल्म बनाते हैं। (2) जिन्होंने हिमाचल प्रदेश पर लघु फिल्म / वृत्तचित्र फिल्म बनाई है (3) जिनके पास हिमाचल प्रदेश में एक वृत्तचित्र फिल्म, लघु फिल्म या एनीमेशन फिल्म बनाने का प्रस्ताव है। (4) बोनाफाइड हिमाचलियों को किसी विषय से सम्बन्धित फिल्मों / प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। अंत में प्रस्तावित प्रस्तावों में से कम से कम 50% हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड निवासियों में से एक होंगे। (5) आवेदक को निदेशक या औटूर होना चाहिए (एक फिल्म निर्माता, जिसकी व्यक्तिगत शैली है और उत्पादन के सभी तत्वों और अद्वितीय स्टाम्प पर पूर्ण नियंत्रण है)। (6) प्रतिष्ठित फिल्म संस्थान और मास कमिशन सेंटर में जिसने अध्ययन किया है। (7) उत्पादन घरों सहित मध्यस्थ आवेदन नहीं कर सकते हैं। 8. हिमाचल प्रदेश सरकार के तहत भाषा, कला और संस्कृति विभाग और संगठन विभाग के सदस्य का कोई सदस्य या सहयोगी पात्र नहीं होगा।
सहायता का ब्यौरा	(1) प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम रुपये दस लाख (10,00,000/-) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। (2) प्रारंभिक खर्चों के लिए सहमत अनुबंधित राशि के खिलाफ नीचे उल्लिखित फिल्म निर्माता को सरकार अपने विवेकानुसार 'खाता अग्रिम पर' भुगतान कर सकती है a) अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर कुल अनुबंधित राशि का बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

b) अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के एक महीने के भीतर अंतिम स्क्रिप्ट की मंजूरी पर अनुबंधित राशि का चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं है।
फिल्म निर्माता इसे शुरुआती चरण में जमा करने के लिए स्वतंत्र होगा लेकिन उसे स्पष्ट रूप से यह बताने की आवश्यकता होगी कि वह उसका अंतिम सबमिशन है। उस मामले में साठ प्रतिशत पहले उदाहरण पर भुगतान किया जाएगा। लिपि को फिल्म / वृत्तचित्र की सामग्री और इसकी प्रस्तावित शैली और तकनीकी पहलुओं सहित विस्तृत उपचार को परिभाषित करना चाहिए सी) सरकार द्वारा किसी न किसी कटौती की मंजूरी पर अनुबंधित राशि का बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है डी) शेष और बाकी को फिल्म और अन्य डिलिवरेबल्स के वितरण के बाद भुगतान किया जाना चाहिए, फिल्म निर्माता द्वारा सभी औपचारिकताओं को पूरा करना और अंतिम स्वीकृति और उपरोक्त वर्णित अंतिम फिल्म सामग्री की स्वीकृति। सरकार इस योजना के लिए वार्षिक आवंटन निर्धारित करेगी जिसके आधार पर परियोजनाओं की संख्या हर साल अनुमोदित की जाएगी।छात्रवृत्ति की राशि आरटीजीएस के माध्यम से छात्र के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

चयन प्रक्रिया

(ए) प्री-लैमिनरी स्क्रीनिंग कमेटी

1) आवेदक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और प्री-लैमिनरी स्क्रीनिंग कमेटी को 5-10 मिनट का प्रस्तुति भी देगा जिसमें शामिल हैं –

a) निदेशक, भाषा, कला और संस्कृति, हिमाचल प्रदेश।
b) निदेशक, सूचना और जनसंपर्क (या उनके नामांकित)। 3. निदेशक, पर्यटन (या उनके नामांकित)।
c) निदेशक, उच्च शिक्षा (या उनके नामांकित)।
d) क्यूरेटर, हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय या भाषा, कला और संस्कृति विभाग के उप / सहायक निदेशक।
e) सचिव, हिमाचल अकादमी ऑफ आर्ट्स, संस्कृति और भाषाएं।
f) भारत के फिल्म विभाजन के नामांकित, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा बोर्डिंग / आवास प्रदान किया जाएगा।
g) राज्य सरकार द्वारा नामित कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ।)

3) प्रस्ताव मुख्य रूप से प्रस्तुत सारांश और उपचार के आधार पर समिति द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे, और योग्यता प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम चयन समिति को विशेष रूप से अस्वीकार प्रस्तावों के मामलों में टिप्पणियों के साथ भेजा जाएगा। प्री-लेमिनेरी चयन समिति साल में दो बार मिल जाएगी।

(बी) अंतिम चयन समिति)

1) प्रारंभिक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित / अनुशंसित प्रस्ताव अंतिम चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा –

a) सरकार के लिए प्रशासनिक सचिव, भाषा, कला और संस्कृति। हिमाचल प्रदेश, अध्यक्ष।
b) निदेशक, भाषा, कला और संस्कृति, हिमाचल प्रदेश।
c) निदेशक, सूचना और जनसंपर्क (या उनके नामांकित)।
d) निदेशक, पर्यटन (या उनके नामांकित)।
e) उप निदेशक, जनरल फिल्म डिवीजन, दिल्ली, जो राज्य सरकार द्वारा बोर्डिंग/ आवास प्रदान की जाएगी।
f) निदेशक कैमरामैन, फिल्म डिवीजन दिल्ली, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा बोर्डिंग/ आवास प्रदान किया जाएगा।
g) निदेशक, भाषा, कला और संस्कृति विभाग द्वारा प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश से या हिमाचल प्रदेश से बाहर, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित फिल्म विशेषज्ञों फिल्म निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, कलाकारों, आलोचकों इत्यादिके एक पैनल से चुने गए दो मनोनीत सदस्य।)

2) चयन समिति वर्ष में दो बार और जब आवश्यक हो तब मिलती है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए गए फैसले के अनुसार अंतिम चयन समिति के गैर-आधिकारिक सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिए मानदंड का भुगतान किया जाएगा। यह समिति फिल्म बनाने के प्रस्ताव के सभी पहलुओं को देखेगी और मानदंडों के आधार पर निर्णय लेगी • विचार की ताकत • विषय का महत्व • उपचार • अवधि • लागत • वित्त पोषण पैटर्न • फिल्म के पूर्ण होने और निदेशक की प्रोफाइल के लिए समय। • हिमाचल प्रदेश को महत्व।

3) प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जहां हिमाचल प्रदेश के कलाकारों को विशेष रूप से कार्यकारी स्तर पर नियोजित किया जाता है। समिति वित्तीय सहायता की अंतिम किश्त जारी करने के लिए आखिरकार बनाई गई फिल्म की गुणवत्ता के बारे में भी निर्णय लेगी। चयन समिति अपने निर्णय के हिस्से के रूप में परियोजना के पूरा होने के लिए अवधि, बजट और समय का संकेत देगी।

4) अंतिम चयन समिति किसी भी चरण में प्रस्ताव पर किसी विषय विशेषज्ञ की राय ले सकती है यदि ऐसा करने के लिए उपयुक्त लगता है। हालांकि, ऐसी राय चयन समिति पर बाध्यकारी नहीं होगी। (5) अंतिम चयन समिति की सिफारिश अंतिम होगी।

वाँछित दस्तावेज

प्रत्येक वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मई) की शुरुआत में प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से निर्धारित आवेदन पत्र पर प्रस्ताव आमंत्रित किया जाएगा। आवेदक प्रस्तावित या पहले से बनाई गई फिल्मों के जैव-डेटा, सारांश, और उपचार के साथ निर्धारित प्रदर्शन पर एक आवेदन जमा करेगा। सारांश में अपनी श्रेणी को वृत्तचित्र फिल्म, लघु फिल्म, एनिमेटेड फिल्म, सामग्री, उपचार जैसे कवर करना चाहिए और डबिंग, ग्राफिक्स इत्यादि के बारे में आवाज, संगीत, साक्षात्कार, स्पष्ट शॉट्स, जैसे एक बार अस्वीकार कर सकते हैं, केवल तभी विचार किया जाए, यदि इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आवेदक चयन समिति की टिप्पणियों के जवाब में परिवर्तनों को उजागर करेगा। फिल्म निर्माता को 5 (2) (बी) में परिभाषित एक अंतिम लिपि प्रस्तुत करने की आजादी होगी। 7 (बी)(3) फिल्म निर्माताओं को ध्यान में रखते हुए सलाह दी जाएगी कि वे इसका बयान स्पष्ट रूप से जोड़ दें।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवेदन हेतु प्रपत्र सम्बन्धित जिला के जिला भाषा अधिकारी कार्यालय और भाषा एवं संस्कृति निदेशालय
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	राज्य अभिलेखागार, भाषा एवं संस्कृति विभाग शिमला-09 केन्द्रीय वित्तीय सहायता सहायतानुदान योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

उपर्युक्त योजना के अंतर्गत अभिलेखों/पाण्डुलिपियों/दुलर्भ पुस्तकों, अभिलेखीय छायाचित्रों, प्रिंटस, (ओलियोग्राफ एवं लिथोग्राफ) एवं इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की मार्ग-दर्शिका के संकलन, प्रकाशन, सूचीकरण, सूची प्रत्रीकरण, मुरम्मत, परिरक्षण, संरक्षण, माइक्रोफिल्मिंग,डिजिटाइजेशन, दस्तावेज कक्षों की एअर-कंडीशिनिंग, रेप्रोग्राफी, तथा संरक्षण सामग्रियों तथा कम्पयूटर की खरीद, तथा भवन निर्माण/परिवर्धन/परिवर्तन/ नवीकरण के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

पात्रता

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन, शैक्षिक संस्थाओं जिनमें निजी महाविद्यालय, निजी पुस्तकालय और संग्रहालय, विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय और व्यक्ति को दी जाती है।

सहायता का ब्यौरा

उक्त योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अधिकतम 50 लाख की राशी अभिलेखो के संरक्षण, मुरम्मत, माइक्रोफिल्मिंग,डिजिटाइजेशन, अभिलेख कक्षों को वातानुकुलित बनाने, फर्नीचर, इत्यादि खरीदने के लिए 75% प्रकरण के अनुसार इस उद्देश्य से प्रदान किया जाता है कि इसमें राज्य सरकार 25% Matching Grant प्रदान करने को आश्वस्त करेगी।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

सहायता लेने के लिये आवेदन की प्रक्रिया व आवेदन राष्ट्रीय अभिलेखागार,संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट www.nationalarchives.nic.in पर Grants-in-aid Section home page पर उपलब्ध/ डाउनलोड किये जा सकते है

वाँछित दस्तावेज

1. आवेदन कर्ता को इस योजना से अनुदान प्राप्त करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित विभिन्न मदो पर होने वाले व्यय का विवरण संलग्न करना आवश्यक है।
2. परियोजना पर खर्च की जाने वाली कुल राशी का विवरण।
3. इस योजना मे अनुदान प्राप्त करने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय अभिलेखागार,संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट www.nationalarchives.nic.in पर Grants-in-aid या विभिन्न योजनाओं के अनुसार देखे जा सकते है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति जहाँ पहले से गठित है/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संस्तुति

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	आज पुरानी राहों से (प्रस्तावित)

उद्देश्य एवम् विशेषता

आज पुरानी राहों से सांस्कृतिक परिधि योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की प्राचीन सांकृतिक धरोहर के अनछुए पहलुओं का संरक्षण व संवर्धन करना तथा जनमानस विशेषकर युवाओं व पर्यटकों को इसके प्रति परिचित व जागृत करना।

<u>उद्देश्य</u>

1. हर जिला में लुप्त सांस्कृतिक विरासत को पुर्नजीवित करना।
2. महान् व्यक्तित्व, स्मारक, जनश्रुति व पौराणिक गाथा, ललित कला हस्तशिल्प, पुरातत्त्व दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रथानों का इतिहास व नक्शे सहित संकेतक पट्टिका लगाना।
3. पर्यटन व Home Stay योजना को प्रन्नोन्नत करना।
4. स्थानीय युवकों को सांस्कृतिक मार्गदर्शक (40) (Cultural Guide) को प्रशिक्षण दिलवाकर स्वरोजगार प्रदान करना।

पात्रता

<u>सांस्कृतिक मार्गदर्शक (Cultural Guide) के प्रशिक्षण हेतु योग्यताएँ</u>

1. 10+2 न्यूनतम शिक्षा होनी चाहिए।
2. हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का इतिहास, पर्यटन स्थलों व भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए।

सहायता का ब्यौरा

40 स्थानीय युवकों को सांस्कृतिक मार्गदर्शक (Cultural Guide) का प्रशिक्षण दिलवाकर स्वरोजगार प्रदान करना।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन हेतु प्रपत्र सम्बन्धित जिला के जिला भाषा अधिकारी कार्यालय और भाषा एवं संस्कृति निदेशालय, ब्लॉक नं0 39, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-09 से प्राप्त किए जा सकते हैं।
वाँछित दस्तावेज	न्यूनतम शिक्षा प्रमाण पत्र
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवेदन प्रपत्र सम्बन्धित जिला के जिला भाषा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	देव भूमि दर्शन योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी वृद्ध जनता के प्रति संवेदनशील है। देव भूमि के नाम से पहचाने जाने वाले हिमाचल प्रदेश में वृद्धों की कुल संख्याः 7,00,000 के लगभग है। जीवन के सांय काल में व्यक्ति की सोच स्वतः ही धार्मिक य आध्यात्मिक हो जाती है। उन्हें एक अवसर प्रदान करने के लिए कि वह अपनी उम्र के व्यक्ति के साथ सोच व विचार सांझा कर सकें।
पात्रता	पात्रताः- 1. हितग्राही की आयु 70 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। 2. हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी हो। 3. इस योजना के अधीन पूर्व तीन वर्ष में यात्रा न की हो। 4. यात्रा हेतु शारिरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो। 5. एकल अथवा युगल और 80 वर्ष से उपर की आयु के वरिष्ठ नागरिक के साथ एक पारिवारिक सम्बन्धी अथवा पंजीकृत परिचर अनुमत होगा। 6. हितग्राही की वार्षिक आय रू 1.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये जिसका वह प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाएंगे।
सहायता का ब्यौरा	70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा हेतु 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 80 वर्ष से उपर की आयु के वरिष्ठ नागरिक को निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी तथा उनके साथ एक पारिवारिक सम्बन्धी अथवा पंजीकृत परिचारक 50 प्रतिशत की छूट पर अनुमत होगा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। आवेदन Online विभागीय Website पर भी किया जा सकेगा।
वाँछित दस्तावेज	प्रमाण पत्र जन्म तिथि, हिमाचली मूल निवासी, आधार कार्ड, आठ दिन की यात्रा करने में सक्षम चिकित्सा प्रमाण पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से पेंशन बारे, एक लाख से अधिक आय ना होने बारे प्रमाण पत्र
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्पर्क सूत्र - 0177-2626614, 0177-2626615, 01772626616
आयु सीमा	**न्यूनतम 70** **जेंडर** दोनों **अधिकतम 100**

XXVII- गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	सौर फोटोवोल्टीय कार्यक्रम (ग्रिड से जुडा छत पर लगने वाला सौर पावर पलांट)

उद्देश्य एवम् विशेषता	अक्षय उर्जा को बढावा देना, पर्यावरण संरक्षण में सहायक तथा बिजली बिल में कटौती कर अतिरिक्त आय अर्जित करना।
पात्रता	स्थाई हिमाचलवासी।
सहायता का ब्यौरा	केन्द्रीय सहायता =40 प्रतिषत बैंचमार्क लागत 3 किलो वाट तक तथा 20 प्रतिशत 3 से उपर 10 किलो वाट तक राज्य सहायता =10 प्रतिषत या रु. 4000 जो भी कम हो प्रति किलोवाट
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन पत्र हिमउर्जा की वेबसाईट www.himurja.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है
वाँछित दस्तावेज	उपमण्डल अधिकारी बिजली बोर्ड से सहमति पत्र प्राप्त करना। तत्पष्चात हिमउर्जा द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	हिमउर्जा जिला कार्यालय हि. प्र. अथवा निदेशक हिमउर्जा शिमला
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	सौर थर्मल कार्यक्रम सौर जल तापीय संयत्र।

उद्देश्य एवम् विशेषता	गर्म पानी करने हेतु सौर उर्जा को बढ़ावा देना एवं बिजली के बिल में कटौती करना।
पात्रता	स्थाई हिमाचल वासी।
सहायता का ब्यौरा	राज्य सहायता 30 प्रतिशत जो कि केवल 100 तथा 200 लीटर प्रतिदिन क्षमता के संयत्र पर दी जाएगी।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	साधारण आवेदन पत्र।
वाँछित दस्तावेज	आधार कार्ड व बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	परियोजना अधिकारी हिमउर्जा जिला कार्यालय हिमाचल प्रदेश अथवा निदेशक हिमउर्जा शिमला 171009
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	सौर थर्मल कार्यक्रम- सौर जल तापीय संयंत्र (सोलर गीजर)।

उद्देश्य एवम् विशेषता	गर्म पानी करने हेतु सौर उर्जा को बढावा देना एवं बिजली के बिल में कटौती करना।
पात्रता	स्थाई हिमाचल वासी।
सहायता का ब्यौरा	राज्य सहायता 30 प्रतिशत जो कि केवल 100 तथा 200 लीटर प्रतिदिन क्षमता के संयंत्र पर दी जाएगी।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	साधारण आवेदन पत्र।
वाँछित दस्तावेज	स्थाई हिमाचली प्रमाण पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	हिमउर्जा जिला कार्यालय हिमाचल प्रदेश तथा निदेशक हिमउर्जा शिमला।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	सौर उष्मीय कार्यक्रम डिश कुकर व केन्द्रित सौर प्रोघौगिकी सौर उर्जा से उत्पन्न भाप से खाना पकाना।

उद्देश्य एवम् विशेषता	खाना पकाने हेतु सौर उर्जा को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण संरक्षण व उर्जा बचत करना।
पात्रता	स्थाई हिमाचलवासी।
सहायता का ब्यौरा	वर्तमान में कोई भी सब्सिडी नहीं है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सादा आवेदन पत्र।
वाँछित दस्तावेज	हिमाचली प्रमाण पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	परियोजना अधिकारी हिमउर्जा जिला कार्यालय हिमाचल प्रदेश व निदेशक हिमउर्जा शिमला।
जेंडर	दोनों

XXVIII- पंचायती राज विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	जन्म-मृत्यु विवाह पंजीकरण व इससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों को जारी करने सम्बन्धी सेवाएं।

उद्देश्य एवम् विशेषता	स्थानीय जनता को ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की जानकारी व प्रक्रिया !
पात्रता	सम्बन्धित व्यक्ति जिसका ग्राम पंचायत में जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीकरण हुआ है।
सहायता का ब्यौरा	जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पंचायत परिवार रजिस्टर की प्रतियां व संशोधन इत्यादि
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सम्बन्धित ग्राम पंचायत को आवेदन या-http//edistrict.hp.gov.in/- साईट से प्राप्त की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	ग्राम पंचायत को आवेदन पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	ग्राम पंचायत सम्बन्धित पंचायत सचिव
जेंडर	दोनों

XXIX- योजना विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन

उद्देश्य एवम् विशेषता	प्रदेश के अन्तर क्षेत्रीय सन्तुलित विकास को बनाये रखने के लिए योजना को शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकता की उन छोटी छोटी विकासात्मक योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है, जिनके लिए बजट में प्रावधान नहीं होता है।
पात्रता	प्रदेश की आम जनता
सहायता का ब्यौरा	जिला योजना कार्यालय में उपायुक्त के माध्यम से।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्ति विशेष को सहायता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है केवल पांच या इससे अधिक घरों को विकासात्मक कार्यों हेतु सरकारी कार्यकारी अभिकरणो के माध्यम से राशी प्रदान की जाती है। सम्बन्धित स्कीम/योजना की पूर्ण जानकारी एवं दिशा-निर्देश योजना विभाग की वैब-साईट URIhttp//hpplanning.nic.in/SDP.htm पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला के जिला योजना अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

वाँछित दस्तावेज	वाँछित दस्तावेज एवं अन्य औपचारिकतों हेतु जिला योजना अधिकारी से सम्पर्क करें।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवेदन सीधे तौर पर अपने जिला के उपायुक्त कार्यालय में स्थित जिला योजना अधिकारी के कार्यालय में जमा/प्रेषित किये जा सकते हैं।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	विकास में जन सहयोग

उद्देश्य एवम् विशेषता	स्थानीय स्तर पर विकास प्रक्रिया में आधारभूत ढांचे की प्रतिपूर्ति तथा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और सरकारी प्रयत्नों एवं संसाधनों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया है।
पात्रता	प्रदेश / जिलों की आम जनता।
सहायता का ब्यौरा	जिलों के उपायुक्त के माध्यम से।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों की भागीदारी स्वेच्छिक रूप में व अग्रिम नकद भागीदारी द्वारा है जिसको सम्बन्धित के नाम बैंक /डाक घर में खोले गये खातों में जमा करवानी पड़ती है। सम्बन्धित स्कीम/योजना की पूर्ण जानकारी एवं दिशा-निर्देश योजना विभाग की वैब-साईट URlhttp//hpplanning.nic.in/VMJS.htm पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला के जिला योजना अधिकारी के कार्यालय से भी सम्पर्क किया जा सकता है।
वाँछित दस्तावेज	वाँछित दस्तावेज एवं अन्य औपचारिकतों हेतु जिला योजना अधिकारी से सम्पर्क करें।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवेदन जमा करने का स्थान- आवेदन सीधे तौर पर अपने जिला के उपायुक्त कार्यालय में स्थित जिला योजना अधिकारी के कार्यालय में जमा/प्रेषित किये जा सकते हैं।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	गाँव के कच्चे रास्तों को समीप की बस योग्य सड़कों अथवा पंचायत मुख्यालय से जोड़ने व उन्हें पक्का करना।
पात्रता	प्रदेश / जिलों की आम जनता।
सहायता का ब्यौरा	जिलों के उपायुक्त के माध्यम से।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत किये जाने वाले पक्के रास्तों की प्रस्तावनाएँ ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित विकास खंड अधिकारी को प्रेषित की जाएँगी। विकास खंड अधिकारी जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावनाओं को भी स्थानीय आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए सभी प्रस्तावनाओं को समेकित करके सम्बन्धित उपायुक्त को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित स्कीम/योजना की पूर्ण जानकारी एवं दिशा-निर्देश योजना विभाग की वैब-साईट URlhttp//hpplanning.nic.in/MMGPY.htm पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला के जिला योजना अधिकारी के कार्यालय से भी सम्पर्क किया जा सकता है।
वाँछित दस्तावेज	वाँछित दस्तावेज एवं अन्य औपचारिकतों हेतु जिला योजना अधिकारी से सम्पर्क करें।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — आवेदन सीधे तौर पर अपने जिला के उपायुक्त कार्यालय में स्थित जिला योजना अधिकारी के कार्यालय में जमा/प्रेषित किये जा सकते हैं।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — माननीय विधायकों की प्रत्यक्ष और सक्रिय भागीदारी के साथ सभी क्षेत्रों का सन्तुलित विकास। इस योजना के अंतर्गत केवल ऐसे कार्य कार्यान्वित किये जाते हैं जोकि ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पतियों के निर्माण में सहायक हों।

पात्रता — प्रदेश / जिलों की आम जनता।

सहायता का ब्यौरा — जिला योजना कार्यालय में उपायुक्त के माध्यम से।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — इस कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय विधायक अपने चुनाव क्षेत्र /जिले से सम्बन्धित विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के दिशा-निर्देश में दी गयी सम्भावित विकास योजनाओं की सूची में से किसी भी स्कीम अथवा कार्य की संस्तुतियां विकासात्मक कार्यों हेतु सरकारी कार्यकारी अभिकरणो के माध्यम से राशी प्रदान की जाती है। सम्बन्धित स्कीम/योजना की पूर्ण जानकारी एवं दिशा-निर्देश योजना विभाग की वैब-साईट URlhttp//hpplanning.nic.in/VKVNY.htm पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला के जिला योजना अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

वाँछित दस्तावेज — वाँछित दस्तावेज एवं अन्य औपचारिकतों हेतु जिला योजना अधिकारी से सम्पर्क करें।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — आवेदन सीधे तौर पर अपने जिला के उपायुक्त कार्यालय में स्थित जिला योजना अधिकारी के कार्यालय में जमा/प्रेषित किये जा सकते हैं।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	हिमाचल प्रदेश राज्य इनोवेशन अवार्ड स्कीम

उद्देश्य एवम् विशेषता — राज्य के सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों तथा अन्य गैर-सरकारी संगठनों, निजी संस्थाओं या व्यक्ति विशेष द्वारा अपने स्तर पर आरंभ और पूरी की गयी ऐसी इनोवेशनस जोकि कम लागत वाली होने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं तथा जिनके द्वारा मौजूदा कार्य प्रणाली में विशिष्ट सुधारों के साथ-साथ राज्य के लोगों की जीवन शैली में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं, को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है !

पात्रता — राज्य के सभी विभाग, निगम, बोर्ड, निजी संस्थान, गैर-सरकारी संगठन तथा व्यक्ति विशेष !

सहायता का ब्यौरा — व्यक्तिगत नगद पुरस्कार तथा सम्बन्धित विभाग/संस्था को इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (वर्तमान में व्यक्तिगत नगद पुरस्कार की राशि 31000 रूपये तथा सम्बन्धित संस्था को प्रोत्साहन की राशि 2.00 लाख रूपये है तथा यह राशि राज्य इनोवेशन परिषद द्वारा समय-समय पर घटाई व बढाई जा सकती है)

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — प्रत्येक वर्ष योजना विभाग द्वारा समाचार पत्रों में इस स्कीम का विज्ञापन दिया जाता है तथा प्रदेश के सभी विभागों, निगमों, बोर्डों आदि को भी पत्र जारी कर सूचित किया जाता है! सम्बन्धित स्कीम की पूर्ण जानकारी योजना विभाग की वैब-साईट URlhttp//hpplanning.nic.in/State_invo.htm पर उपलब्ध है ! इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, योजना विभाग से दूरभाष संख्या 0177-2620977 पर भी प्राप्त की जा सकती है !

वाँछित दस्तावेज

1. निर्धारित मानदंडो को पूरा करने वाले आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर !
2. प्रमाणिकता प्रमाण पत्र (authentication certificate) आवेदन प्रपत्र, निर्धारित पात्रता मानदंड, authentication certificate तथा अन्य जानकारी योजना विभाग के वैब पोर्टल या URlhttp//hpplanning.nic.in/State_invo.htm पर उपलब्ध है !

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — पात्रता मानदंडों को पूर्ण करने वाले नामांकन/आवेदन सीधे तौर पर निर्धारित प्रपत्र पर authentication certificates के साथ सलाहकार (योजना), योजना भवन, हि०प्र०, शिमला-२ को हार्ड कॉपी द्वारा या ईमेल ppo-plg-hp@nic.in पर भेजे जा सकते हैं। सम्पर्क सूत्र / अधिकारी सलाहकार (योजना), योजना विभाग, हि०प्र०, शिमला-२ दूरभाष 0177-2621698 अथवा संयुक्त निदेशक, योजना विभाग, हि०प्र०, शिमला-२ दूरभाष 0177-2620977

जेंडर — दोनों

XXX-ग्रामीण विकास विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण

उद्देश्य एवम् विशेषता	खुले में शौच प्रथा को समाप्त करना व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना। दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत का उद्देश्य प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति तेज करना। जहाँ भी आवश्यक हो ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण साफ सफाई के लिए वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान संकेंद्रित करते हुए समुदाय प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का विकास।
पात्रता	सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए पात्रता - ग्राम पंचायत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए पात्रता - ग्राम पंचायत
सहायता का ब्यौरा	सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए निर्धारित प्रति इकाई अधिकतम सहायता 2 लाख रुपए है ! ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (एसएलडब्ल्यूएम) परियोजनाओं के लिए एसबीएम (जी) के अंतर्गत कुल सहायता प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुल परिवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है - 150 परिवारों वाली ग्राम पंचायतों के लिए अधिकतम 7 लाख रुपये। 300 परिवारों वाली ग्राम पंचायतों के लिए 12 लाख रुपये। 500 परिवारों तक वाली ग्राम पंचायतों के लिए 15 लाख रुपए। 500 से अधिक परिवारों वाली ग्राम पंचायतों के लिए 20 लाख रुपये है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सामुदायिक स्वच्छता परिसर हेतु सहायता की प्रक्रिया - ग्राम पंचायत के आवेदन पर। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सहायता की प्रक्रिया - ग्राम पंचायत के आवेदन पर। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन कार्ययोजना पंचायतो द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार तैयार की जाती है तथा स्वीकृति उपरांत नियमानुसार राशि ग्राम पंचायत को निर्मुक्त की जाती है।
वाँछित दस्तावेज	सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए - केवल ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए - ग्राम पंचायत की ठोस एवंतरल अपशिष्ट प्रबन्धन कार्ययोजना।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	ग्राम पंचायत एव विकास खंड
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

1. भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रो द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है !
2. अंग्रेजी बोलने, सवांद कौशल और आई टी में 160 घंटे का प्रशिक्षण !
3. नि:शुल्क भोजन एवं आवासीय सुविधा !
4. हर उम्मीदवार के लिए कम्प्यूटर लैब और डिजिटल पढ़ाई हेतु टैबलेट्स की सुविधा !
5. 576 घण्टे (3 महीने) में 2304 घण्टे तक (12 महीने) तक का पाठ्यक्रम !
6. ऑन -द - जॉब ट्रेनिंग (ओ.जी .टी.)
7. नौकरी के बाद 2 -6 महीने तक उमीदवार को आर्थिक सहायता !
8. नि:शुल्क किताबें और वर्दी का प्रावधान !

पात्रता

15 से 35 वर्ष के ग्रामीण गरीब युवा एवं युवतियां जो निम्नलिखीत किसी एक मानदण्ड को पूरा करते है –

1. बी0 पी0 एल0 सूची में नाम।
2. आर0 एस0 बी0 वाई0 कार्ड धारक परिवार के सदस्य।
3. ऐसे युवा जिनके परिवार के किसी भी सदस्य ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 15 दिन का कार्य किया हो।
4. ऐसे परिवारों के युवा जिन्हे अन्तोदय अन्न योजना/ बी0 पी0 एल0, पी0 डी0 एस0 कार्ड जारी किये गए हो।
5. आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वय सहायता समूह के सदस्य के परिवार के युवा।
6. सामाजिक जनगणना 2011 के अनुसार निर्धारित स्वत समावेशन के तहत शामिल किये गए परिवार के युवा।

सहायता का ब्यौरा

आवेदन के लिए किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जा कर सम्पर्क किया जा सकता है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

हिमाचल प्रदेश .आजीविका मिशन के कार्यालय में दूरभाष न 2970081 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

वाँछित दस्तावेज

आधार कार्ड/राशन कार्ड/बी0 पी0 एल0 कार्ड/हिमाचली प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/5th, 8th, 10th, 12th मार्कशीट/अल्प संख्यक/स्वप्रमाणित घोषणा पत्र/ तहसीलदार प्रमाण पत्र।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

सभी तरह के दस्तावेज PIA के ट्रेनिंग सेंटर में सेंटर मैनेजर के पास जमा होते है।

आयु सीमा

न्यूनतम 15 जेंडर दोनों
अधिकतम 35

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता

इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार जिनके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते है, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है! वित् वर्ष 2018 -19 से राज्य सरकार ने योजना में कार्य दिवसों की संख्या को 100 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है ताकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार योजना के माध्यम से अतिरिक्त आय का लाभ उठा सके। अतिरिक्त दिनों पर आए व्यय का वहन प्रदेश सरकार करेगी।

पात्रता

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सभी पंजीकृत परिवार मजदूरी प्राप्त करने के हक़दार है। सभी व्यस्क पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते है। पंजीकरण के लिए वह ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए, स्वेच्छा से अकुशल कार्य करने का इच्छुक हो तथा स्थानीय ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकता है।

सहायता का ब्यौरा

मनरेगा एक मांग आधारित कार्यक्रम है तथा इसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों को गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाना है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 -19 से 20 दिन अतिरिक्त कार्य दिवसों का प्रावधान किया गया है।

सहायता लेने के लिए आवेदन

पंजीकरण के लिए आवेदन साधारण कागज पर या निर्धारित प्रपत्र जो ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध है दी जा सकती है तथा

की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	मौखिक आवेदन भी किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र में परिवार के उन व्यस्क सदस्य के नाम अंकित होने चाहिए जो स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हो ! जाँच के बाद सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा सभी विवरणों को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। प्रत्येक परिवार को पंजीकृत नंबर जारी किया जाता है। सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक पंजीकृत परिवार को जॉब कार्ड जारी किया जाता है।
वाँछित दस्तावेज	जॉब कार्ड, आधार कार्ड व बैंक खाते का विवरण इत्यादि।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	काम के लिए आवेदन सम्बन्धित ग्राम पंचायत तथा कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है।
जेंडर	दोनों

XXXI- सैनिक कल्याण विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	अनुग्रहपूर्वक अनुदान राशि

उद्देश्य एवम् विशेषता	सशस्त्र सेना व अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों की युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियों में शहीद होने पर,बीमारी या किन्हीं अन्य कारणों से मृत्यु होने पर व युद्ध में अपंग होने वाले सैनिकों व इस अपंगता के कारण सेवानिवृत होने वाले सैनिकों को आर्थिक अनुदान प्रदान करना।
पात्रता	सशस्त्र सेना व अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों की युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियों में शहीद होने पर उनके परिवारजन (Next of KIns), बीमारी या किन्हीं अन्य कारणों से मृत्यु होने पर उनके परिवारजन व युद्ध में अपंग होने वाले सैनिकों व इस अपंगता के कारण सेवानिवृत होने वाले सैनिक इस अनुदान के पात्र होंगे।
सहायता का ब्यौरा	क्र.सं. विवरण दर 1. युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियों में शहीद सैनिक (सशस्त्र सेना व अर्द्ध सैनिक बलों के जवान) 20.00 लाख रूपए 2. बीमारी या किन्हीं अन्य कारणों से मरने वाले सैनिक (सशस्त्र सेना व अर्द्ध सैनिक बलों के जवान) 5.00 लाख रूपए 3. 50 प्रतिशत या इससे अधिक की अपंगता वाले सैनिक जो कि इस अपंगता के कारण सेवानिवृत हुए हों 2.50 लाख रूपए (सशस्त्र सेना व अर्द्ध सैनिक बलों के जवान) 4. 50 प्रतिशत से कम की अपंगता वाले सैनिक जो कि इस अपंगता के कारण सेवानिवृत हुए हों 1.00 लाख रूपए (सशस्त्र सेना व अर्द्ध सैनिक बलों के जवान)
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है या विभागीय वैब-साइट www.hp.gov.in/swd से डाउनलोड की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	1. निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन

2. शपथ पत्र जिसमें यह लिखा गया हो कि आवेदनकर्ता किसी राज्य सरकार से यह राशि पहले न ली हो
3. हिमाचली प्रमाण पत्र
4. कानूनी वारिस प्रमाण पत्र
5. शहीद होने या अन्य कारणों से मृत्यु होने या युद्ध में अपंग होने व इस अपंगता के कारण सेवानिवृत होने का प्रमाण पत्र
6. मृत्यु प्रमाण पत्र

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी सम्बन्धित उपनिदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय

जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि से आर्थिक सहायता (विभागीय स्तर पर झण्डा दिवस निधि से संचालित)

उद्देश्य एवम् विशेषता जरूरतमंद नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं को जीवन निर्वाह हेतु धनराशि उपलब्ध करवाना।

पात्रता नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिक व विधवायें जिनकी आय 35,000/- रू0 वार्षिक से कम हो।

सहायता का ब्यौरा पात्र पूर्व सैनिकों/विधवाओं को निम्नलिखित दरों पर एकमुश्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती हैः- निदेशक, सैनिक कल्याण - 10,000/- रू0 तक अध्यक्ष (जिलाधीश) - 5,000/- रू0 तक जिला सैनिक बोर्ड उपनिदेशक - 2,000/- रू0 तक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? आवेदन की प्रति सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है या विभागीय वैब-साइट www.hp.gov.in/swd से डाउनलोड की जा सकती है।

वाँछित दस्तावेज

1. आर्मी डिस्चार्ज बुक
2. पूर्व सैनिक/विधवा का पहचान पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. आधार कार्ड
5. बैंक खाते का ब्यौरा

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी सम्बन्धित उपनिदेशक,जिला सैनिक कल्याण कार्यालय

जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि से तत्काल आर्थिक सहायता (विभागीय स्तर पर झण्डा दिवस निधि से संचालित)

उद्देश्य एवम् विशेषता — सैन्य सेवाओं में कार्यरत सैनिकों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर सैनिक कल्याण विभाग द्वारा उनके परिवार की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता — सेवाकाल के दौरान सैनिक की मृत्यु होने पर परिवारजन (Next of Kins)

सहायता का ब्यौरा — 15,000/- रूपए की तत्काल आर्थिक सहायता उपनिदेशक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — आर्थिक सहायता उपनिदेशक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा पीड़ित परिवार के पास जाकर उपलब्ध करवाई जाती है तथा आवेदन भी अन्य दस्तावेजों सहित सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा मौके पर एकत्रित कर लिए जाते हैं। अन्यथा आवेदन की प्रति सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

वाँछित दस्तावेज — लागू नहीं

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित उपनिदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माण विशेष निधि से आर्थिक सहायता (विभागीय स्तर पर पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माण विशेष निधि से संचालित)

उद्देश्य एवम् विशेषता — जरूरतमंद नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं को जीवन निर्वाह हेतु धनराशि उपलब्ध करवाना।

पात्रता — नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिक व विधवायें जिनकी आय 35,000/- रू0 वार्षिक से कम हो।

सहायता का ब्यौरा — पात्र पूर्व सैनिकों/विधवाओं को 10,000/- रू0 तक की एकमुश्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — आवेदन की प्रति सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है या विभागीय वैब-साइट www.hp.gov.in/swd से डाउनलोड की जा सकती है।

वाँछित दस्तावेज

1. आर्मी डिस्चार्ज बुक
2. पूर्व सैनिक/विधवा का पहचान पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. आधार कार्ड
5. बैंक खाते का ब्यौरा

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — सम्बन्धित उपनिदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माण विशेष निधि से चिकित्सा व्यय हेतु आर्थिक सहायता (विभागीय स्तर पर पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माण विशेष निधि से संचालित)

उद्देश्य एवम् विशेषता — नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं को गम्भीर रोग के चिकित्सा व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध करवाना।

पात्रता — नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिक व विधवायें जिनकी आय 35,000/- रू0 वार्षिक से कम हो व ये पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा पूर्व सैनिक अंशदायी योजना (ECHS) के सदस्य न हों तथा किसी गम्भीर रोग से पीड़ित हों।

सहायता का ब्यौरा	पात्र पूर्व सैनिकों/विधवाओं को 25,000/- रू0 की एकमुश्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है या विभागीय वैब-साइट www.hp.gov.in/swd से डाउनलोड की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	1. आर्मी डिस्चार्ज बुक 2. पूर्व सैनिक/विधवा का पहचान पत्र 3. आय प्रमाण पत्र 4. गम्भीर बीमारी से ग्रसित होने का प्रमाण, 5. आधार कार्ड 6. बैंक खाते का ब्यौरा
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित उपनिदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माण विशेष निधि से पूर्व सैनिकों के आश्रित अनाथ बच्चों के पैन्शन स्वीकृति तक भरन पोषण के लिए एकमुश्त आर्थिक सहायता (विभागीय स्तर पर विशेष निधि से संचालित)

उद्देश्य एवम् विशेषता	पूर्व सैनिकों के आश्रित अनाथ बच्चों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	पूर्व सैनिकों के आश्रित अनाथ बच्चे
सहायता का ब्यौरा	पात्र पूर्व सैनिकों के आश्रित अनाथ बच्चों को 10,000/- रू0 की एकमुश्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है या विभागीय वैब-साइट www.hp.gov.in/swd से डाउनलोड की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	1. आर्मी डिस्चार्ज बुक व आश्रित प्रमाण पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. पैन्शन स्वीकृति हेतु भेजे गए पत्र की छायाप्रति 4. आधार कार्ड 5. बैंक खाते का ब्यौरा
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित उपनिदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	पूर्व सैनिकों तथा सैनिक विधवाओं के बच्चों को पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माण विशेष निधि से छात्रवृति (विभागीय स्तर पर पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माण विशेष निधि से संचालित)

उद्देश्य एवम् विशेषता	पूर्व सैनिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु छात्रवृति का प्रावधान।
पात्रता	1. आवेदनकर्ता (पूर्व सैनिक/विधवा/आश्रित बच्चे) की वार्षिक आय 7.00 लाख से कम हो। 2. उतीर्ण की गई कक्षा में अंक प्रतिशतता कम से कम 60 प्रतिशत हो। 3. आश्रित बच्चे की आयु 25 वर्ष से अधिक न हो। 4. किसी अन्य स्त्रोत से छात्रवृति प्राप्त न कर रहे हों।

सहायता का ब्यौरा	विवरण दर (रूपए प्रतिमाह) 1. स्नातकोत्तर पाठयक्रम 500/- 2. पॉलीटेकनिक व कृषि विश्वविद्यालय के पाठयक्रम 500/- 3. मैडिकल/इंजिनियरिंग तथा आयुर्वैदिक इत्यादि व्यवसायिक पाठयक्रम 1,000/- 4. बी.एड.,जे.बी.टी.,ड्रेसर डिस्पैंसर, एल.टी.ओ.टी. सहायक, सामान्य स्वास्थय सेवायें, 500/- पटवार कोर्स, पशु चिकित्सा स्टाफ कोर्स व अन्य समकक्ष कोर्स। 5. आई.टी.आई./आई.आर.डी.आई. कोर्स 500/- 6. भूतपूर्व सैनिकों के लिए 500/- (उपरोक्त कोर्स व अन्य)
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है या विभागीय वैब-साइट www.hp.gov.In/swd से डाउनलोड की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	1. आर्मी डिस्चार्ज बुक 2. पूर्व सैनिक/विधवा का पहचान पत्र 3. आय प्रमाण पत्र 4. आधार कार्ड 5. बैंक खाते का ब्यौरा 6. उतीर्ण कक्षा की मार्कशीट/प्रगति कार्ड की छायाप्रति 7. शपथ पत्र जिसमें यह लिखा गया हो कि आवेदनकर्ता किसी अन्य स्त्रोत से यह राशि न ले रहे हों।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित उपनिदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	पूर्व सैनिकों तथा सैनिक विधवाओं के बच्चों को सशस्त्र सेनाओं में अफसर बनने के लिये विशेष निधि से कोचिंग हेतु एकमुश्त प्रोत्साहन राशि (विभागीय स्तर पर विशेष निधि से संचालित)

उद्देश्य एवम् विशेषता	पूर्व सैनिकों के बच्चों को सेना में अफसर के रूप में भर्ती हेतु प्रोत्साहित करना।
पात्रता	आवेदनकर्ता (पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा/आश्रित बच्चे) की वार्षिक आय 7.00 लाख से कम हो।
सहायता का ब्यौरा	पात्र पूर्व सैनिकों/विधवाओं के बच्चों को एस.एस.बी. साक्षात्कार की तैयारी के लिए कोचिंग लेने हेतु एकमुश्त 12,000/- रूपये की राशि केवल एक बार प्रदान की जाती है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है या विभागीय वैब-साइट www.hp.gov.In/swd से डाउनलोड की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	1. आर्मी डिस्चार्ज बुक 2. पूर्व सैनिक/विधवा का पहचान पत्र 3. आय प्रमाण पत्र 4. आधार कार्ड 5. बैंक खाते का ब्यौरा 6. एस.एस.बी. साक्षात्कार का कॉल लेटर व कोचिंग संस्थान से रसीद/बिल
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित उपनिदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिकों के लिए बुढापा आर्थिक सहायता।

उद्देश्य एवम् विशेषता	भूतपूर्व सैनिक / विधवायें जिन को किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती है तथा बुढापे में किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ है अतः उनके जीवन निर्वाह हेतु बुढापा आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता	1. जिन की आयु 60 बर्ष से ऊपर हो व किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती हो। 2. कहीं से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती हो। 3. 60-70 वर्ष की आयु के लाभार्थियों की वार्षिक आय 35 हजार से कम हो व 70 वर्ष की आयु के ऊपर कोई आय सीमा लागू नहीं।
सहायता का ब्यौरा	द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिकों के लिए - 10000/- रूप्ये प्रतिमाह। द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए - 5000/- रूप्ये प्रतिमाह।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सम्बन्धित उपनिदेशक,जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। या विभागीय वैब-साईटः www.hp.gov.ın/swd से डाउनलोड की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	1. सेना की डिस्चार्ज बुक 2. आधार कार्ड 3. राशनकार्ड 4. आय प्रमाण पत्र (केवल 60-70 वर्ष की आयु के लाभार्थियों हेतु) 5. अनापति प्रमाण पत्र जिला कल्याण अधिकारी से 6. एफेडेविट किसी और विभाग से कोई बुढापा आर्थिक सहायता नहीं लेते हैं
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित उपनिदेशक,जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा होंगे।
आयु सीमा	**न्यूनतम 60** जेंडर दोनों **अधिकतम 100**

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों के लिए बुढापा आर्थिक सहायता।

उद्देश्य एवम् विशेषता	भूतपूर्व सैनिक / विधवायें जिन को किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती है तथा बुढापे में किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ है, अतः उनके जीवन निर्वाह हेतु बुढापा आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	1. जिन की आयु 60 बर्ष से ऊपर हो व किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती हो। 2. कहीं से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती हो। 3. 60-70 वर्ष की आयु के लाभार्थियों की वार्षिक आय 35 हजार से कम हो व 70 वर्ष की आयु के ऊपर कोई आय सीमा लागू नहीं।
सहायता का ब्यौरा	3,000/- रुपये प्रतिमाह।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सम्बन्धित उपनिदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। या विभागीय वैब-साईटः www.hp.gov.ın/swd से डाउनलोड की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	1. सेना की डिस्चार्ज बुक 2. आधार कार्ड 3. राशनकार्ड 4. आय प्रमाण पत्र (केवल 60-70 वर्ष की आयु के लाभार्थियों हेतु) 5. अनापति प्रमाण पत्र जिला कल्याण अधिकारी से, 6. एफेडेविट किसी और विभाग से कोई बुढापा आर्थिक सहायता नहीं लेते हैं
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित उपनिदेशक,जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा होंगे।
आयु सीमा	**न्यूनतम 60** जेंडर दोनों **अधिकतम 100**

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	शौर्य एवम् उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को आर्थिक प्रोत्साहन।

उद्देश्य एवम् विशेषता वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने हेतु।

पात्रता भारत सरकार द्वारा शौर्य एवम् उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता।

सहायता का ब्यौरा शौर्य पुरस्कार विजेताओं को नकद ईनाम

क्र.सं.	पुरस्कार/पदक का नाम	नकद इनाम	भूमि के एवज में वार्षिकी	एक मुश्त अनुदान (एक मुश्त)	नकद राशि (एक मुश्त)
1.	परमवीर चक्र	22,500/-	1,50,000/-	3,00,000/-	30,00,000/-
2.	अशोक चक्र	20,000/-	1,25,000/-	3,00,000/-	30,00,000/-
3.	महावीर चक्र	15,000/-	1,00,000/-	2,00,000/-	20,00,000/-
4.	कीर्ति चक्र	12,000/-	5,000/-	2,00,000/-	15,00,000/-
5.	वीर चक्र	7,000/-	50,000/-	1,00,000/-	10,00,000/-
6.	शौर्य चक्र	5,000/-	40,000/-	1,00,000/-	10,00,000/-
7.	वायु सेना मैडल/नौसेना	3,000/-	20,000/-	10,000/-	-
8.	मेंशन-इन-डिस्पैच	2,000/-	10,000/-	10,000/- -	

नोटः परमवीर चक्र विजेता से लेकर शौर्य चक्र विजेता (न0 1 से लेकर 6) तक को नकद ईनाम, भूमि के एवज में नकद राशि व वार्षिकी या एक मुश्त अनुदान राशि ले सकते हैं। उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार (DISTINGUISHED SERVICE AWARD WINNERS)

क्र.सं.	पुरस्कार/पदक का नाम	नकद इनाम	भूमि के एवज में वार्षिकी (एक मुश्त)	नकद राशि (एक मुश्त)
1.	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल	17,000/-	1,10,000/-	8,000/-
2.	उत्तम युद्ध सेवा मैडल	10,000/-	65,000/-	8,000/-
3.	युद्ध सेवा मैडल	4,000/-	30,000/-	8,000/-
4.	परम विशिष्ट सेवा मैडल	15,000/-	,00,000/-	10,800/-
5.	अति विशिष्ट सेवा मैडल	7,000/-	50,000/-	9,600/-
6.	सेना मैडल (उत्कृष्ट सेवा हेतु)	-	-	8,000/-
7.	विशिष्ट सेवा मैडल	3,000/-	20,000/-	8,000/-

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? सम्बन्धित उपनिदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय मे उपलब्ध है। या विभागीय वैब-साईटः www.hp.gov.in/swd से डाउनलोड की जा सकती है।

वाँछित दस्तावेज

1. प्रार्थना पत्र
2. आधार कार्ड
3. पुरस्कार प्रदान करने की राजपत्र अधिसूचना
4. हिमाचली प्रमाण पत्र
5. एफेडेविट किसी और राज्य से वीरता पुरस्कार राशि न ली हो।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी सम्बन्धित उपनिदेशक,जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा होंगे।

जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	युद्ध जागीर

उद्देश्य एवम् विशेषता वर्ष 1972 से पूर्व ऐसे माता पिता जिन के एक या एक से ज्यादा सभी बेटों ने आपातकाल के दौरान सेना में अपनी सेवायें दी हैं को सम्मानित करना।

पात्रता	आपातकाल के दौरान सेना में सेवा करने वाले सैनिकों के माता-पिता।
सहायता का ब्यौरा	पांच हजार रूप्ये प्रति व्यक्ति को युद्ध जागीर प्रदान की जाती है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	पात्र माता-पिता को सम्बन्धित उपायुक्त कार्यालयों से, केवल उपायुक्त कार्यालय चम्बा को छोडकर (चम्बा में उपनिदेशक,जिला सैनिक कल्याण कार्यालय चम्बा में)।
वाँछित दस्तावेज	वर्ष 1972 के पश्चात यह योजना समाप्त कर दी गई है इसलिए नये आवेदन की आवश्यकता नहीं है।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित उपायुक्त कार्यालय, केवल उपायुक्त कार्यालय चम्बा को छोडकर (चम्बा में उपनिदेशक,जिला सैनिक कल
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	वीरता पुरस्कार विजेता/युद्ध विधवाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा हेतु बस पास।

उद्देश्य एवम् विशेषता	वीरता पुरस्कार विजेताओं व युद्ध विधवाओं को सम्मानित करने हेतु।
पात्रता	भारत सरकार द्वारा शौर्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता व युद्ध विधवायें।
सहायता का ब्यौरा	हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के भीतर निःशुल्क बस यात्रा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सम्बन्धित उपनिदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय मे उपलब्ध है या विभागीय वैब-साईटः www.hp.gov.In/swd से डाउनलोड की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	1. प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र पर 2. आधार कार्ड 3. राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की गई शौर्य पुरस्कार की अधिसूचना 4. हिमाचली प्रमाण पत्र 5. सेना द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र 6. पहचान पत्र जो कि उपनिदेशक सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित उपनिदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा होंगे।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	युद्ध विधवाओं की बेटी की शादी हेतु आर्थिक सहायता।

उद्देश्य एवम् विशेषता	युद्ध विधवाओं की बेटी की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	ऐसी युद्ध विधवायें जिनके पति की मृत्यु किसी लडाई या लडाई जैसी परिस्थितियों में हुई हो।
सहायता का ब्यौरा	पचास हजार रुपये प्रति बेटी की शादी हेतु।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सम्बन्धित उपनिदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में उपलब्ध है। या विभागीय वैब-साईटः www.hp.gov.In/swd से डाउनलोड की जा सकती है।

वाँछित दस्तावेज	1. प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र पर 2. आधार कार्ड 3. शादी का कार्ड 4. पंचायत (दोनों) में दर्ज शादी का प्रमाण पत्र 5. सेना में मृत्यु का प्रमाण पत्र 6. उपनिदेशक सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया पहचान पत्र 7. युद्ध विधवा की बेटी का दसवीं का प्रमाण पत्र
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित उपनिदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा होंगे।
जेंडर	महिला

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	पैन्युरी ग्रांट।

उद्देश्य एवम् विशेषता	65 वर्ष के ऊपर के निर्धनता में नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों व विधवाओं को भरण पोषण अनुदान।
पात्रता	नॉन पेंशनर पूर्व सैनिक व विधवायें जिन की उम्र 65 वर्ष या इससे ऊपर है।
सहायता का ब्यौरा	4,000/- रुपये प्रतिमाह
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस सहायता हेतु आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की साईट पर आनलाईन भरे जाते हैं साईट का नामः www.ksb.gov.in है।
वाँछित दस्तावेज	1. सेना प्रमाण पत्र 2. आधार कार्ड 3. पहचान पत्र जो कि उपनिदेशक सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है 4. आय का प्रमाण पत्र 5. बैंक खाते का ब्यौरा 6. शपथ पत्र कि यह सहायता किसी और स्त्रोत से न ले रहे हों।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	KSB की बेवसाईट पर आनलाईन आवेदन उपरान्त सम्बन्धित जि.सै.क.का. में दस्तावेजों की पुष्टि करवानी होगी।
आयु सीमा	**न्यूनतम 65** **अधिकतम 100** **जेंडर** दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	पूर्व सैनिकों की बेटी की शादी / पूर्व सैनिकों की विधवाओं के पुर्नविवाह हेतु आर्थिक सहायता।

उद्देश्य एवम् विशेषता	पूर्व सैनिकों की बेटी की शादी / पूर्व सैनिकों की विधवाओं के पुर्नविवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	हवलदार/समकक्ष या उससे नीचे के रैंक के पूर्व सैनिक व उनकी विधवाएँ
सहायता का ब्यौरा	पचास हजार रुपये प्रति बेटी (पहली दो बेटियों) की शादी के लिए।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस सहायता हेतु आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की साईट पर आनलाईन भरे जाते हैं साईट का नामः www.ksb.gov.in है।

वाँछित दस्तावेज	1. डिस्चार्ज बुक 2. पी.पी.ओ. 3. आधार कार्ड 4. पंचायत (दोनों) में दर्ज शादी का प्रमाण पत्र 5. आयु प्रमाण पत्र 6. पहचान पत्र जो कि उपनिदेशक सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है 7. बैंक खाते का ब्यौरा 8. शपथ पत्र कि यह सहायता किसी और स्त्रोत से न ले रहे हों।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	KSB की बेवसाईट पर आनलाईन आवेदन उपरान्त सम्बन्धित जि.सै.क.का. में दस्तावेजों की पुष्टि करवानी होगी।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	पूर्व सैनिक के 100 प्रतिशत अपंग बच्चे हेतु आर्थिक सहायता।

उद्देश्य एवम् विशेषता	पूर्व सैनिक के 100 प्रतिशत अपंग बच्चे के पालन पोषण के लिए सहायता अनुदान।
पात्रता	हवलदार/समकक्ष या उससे नीचे के रैंक के पूर्व सैनिक जिसका बच्चा 100 प्रतिशत अपंग हो।
सहायता का ब्यौरा	1000/- रुपये प्रतिमाह।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस सहायता हेतु आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की साईट पर आनलाईन भरे जाते हैं साईट का नामः www.ksb.gov.In है।
वाँछित दस्तावेज	1. डिस्चार्ज बुक 2. पी.पी.ओ. 3. आधार कार्ड 4. बच्चे का 100 प्रतिशत अपंगता का प्रमाण पत्र 5. पहचान पत्र जो कि उपनिदेशक सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है 6. बैंक खाते का ब्यौरा 7. शपथ पत्र कि यह सहायता किसी और स्त्रोत से न ले रहे हों।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	KSB की बेवसाईट पर आनलाईन आवेदन उपरान्त सम्बन्धित जि.सै.क.का. में दस्तावेजों की पुष्टि करवानी होगी।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	पूर्व सैनिक / विधवा के बच्चे की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।

उद्देश्य एवम् विशेषता	पूर्व सैनिक /विधवा के पहले दो बच्चों को कक्षा एक से बी.ए. तक की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	हवलदार/समकक्ष या उससे नीचे के रैंक के पूर्व सैनिक /विधवा
सहायता का ब्यौरा	1,000/- हजार रुपये प्रतिमाह।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस सहायता हेतु आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की साईट पर आनलाईन भरे जाते हैं साईट का नामः www.ksb.gov.In है।

वाँछित दस्तावेज

1. डिस्चार्ज बुक
2. पी.पी.ओ.
3. पूर्व सैनिक /विधवा का आधार कार्ड
4. बच्चे/बच्चों की मार्क लिस्ट
5. पहचान पत्र जो कि उपनिदेशक सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है
6. बैंक खाते का ब्यौरा
7. शपथ पत्र कि यह सहायता किसी और स्त्रोत से न ले रहे हों।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

KSB की बेवसाईट पर आनलाईन आवेदन उपरान्त सम्बन्धित जि.सै.क.का. में दस्तावेजों की पुष्टि करवानी होगी।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त मकान की मुरम्मत हेतु आर्थिक सहायता।

उद्देश्य एवम् विशेषता

पूर्व सैनिक /विधवा या अनाथ लडकी को प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त मकान की मुरम्मत हेतू आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता

पूर्व सैनिकों की अनाथ बेटी, हवालदार/समकक्ष या उससे नीचे के रैंक के 100 प्रतिशत अपंग पूर्व सैनिक/ पूर्व सैनिकों की विधवा

सहायता का ब्यौरा

लगभग 2 लाख रुपये।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

इस सहायता हेतु आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की साईट पर आनलाईन भरे जाते हैं साईट का नामः www.ksb.gov.In है।

वाँछित दस्तावेज

1. डिस्चार्ज बुक
2. आधार कार्ड
3. पटवारी से लिखा हुआ प्रमाण पत्र कि मकान प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है व नुकसान का अनुमान
4. राज्य/केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो कि मकान प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है
5. पी.पी.ओ.
6. बैंक खाते का ब्यौरा।
7. अपंगता प्रमाण पत्र
8. अनाथ लडकी के माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
9. शपथ पत्र कि यह सहायता किसी और स्त्रोत से न ले रहे हों।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

KSB की बेवसाईट पर आनलाईन आवेदन उपरान्त सम्बन्धित जि.सै.क.का. में दस्तावेजों की पुष्टि करवानी होगी।

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	नॉन पेंशनर पूर्व सैनिक को चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता।

उद्देश्य एवम् विशेषता

पूर्व सैनिक /विधवा जिन्हें किसी प्रकार की पेंशन न मिलती हो को अपनी नियमित जांच के लिए चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रता

पूर्व सैनिक हवालदार/समकक्ष या उससे नीचे के रैक के हो जिन्हें किसी प्रकार की पेंशन न मिलती हो तथा इलाज सरकारी अस्पताल से हो।

सहायता का ब्यौरा

30 हजार रुपये प्रतिवर्ष।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

इस सहायता हेतु आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की साईट पर आनलाईन भरे जाते हैं साईट का नामः www.ksb.gov.In है।

वाँछित दस्तावेज	(1) डिस्चार्ज बुक (2) आधार कार्ड (3) मैडिकल बिल (मूल रूप में) (4) पहचान पत्र जो कि उपनिदेशक सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है (5) बैंक खाते का ब्यौरा। (6) अस्पताल से छुटी प्रमाण पत्र जो कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो। (7) शपथ पत्र कि यह सहायता किसी और स्त्रोत से न ले रहे हों।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	KSB की बेवसाईट पर आनलाईन आवेदन उपरान्त सम्बन्धित जि.सै.क.का. में दस्तावेजों की पुष्टि करवानी होगी।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	पूर्व सैनिकों के बच्चे जो कि एनडीए में प्रशिक्षण ले रहे हों को आर्थिक सहायता।

उद्देश्य एवम् विशेषता	पूर्व सैनिकों / विधवा जिन के बच्चे एनडीए में प्रशिक्षण ले रहे हों को प्रोत्साहन हेतु आर्थिक सहायता।
पात्रता	विधवा व पूर्व सैनिक हवलदार/समकक्ष या उससे नीचे के रैंक के बच्चे जिन्होने पिछले साल प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो।
सहायता का ब्यौरा	एक हजार रुपये प्रतिमाह।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस सहायता हेतु आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की साईट पर आनलाईन भरे जाते हैं साईट का नामः www.ksb.gov.in है।
वाँछित दस्तावेज	(1) डिस्चार्ज बुक (2) पी.पी.ओ. (3) आधार कार्ड (4) एनडीए से प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (5) पहचान पत्र जो कि उपनिदेशक सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है (6) बैंक खाते का ब्यौरा। (7) शपथ पत्र कि यह सहायता किसी और स्त्रोत से न ले रहे हों।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	KSB की बेवसाईट पर आनलाईन आवेदन उपरान्त सम्बन्धित जि.सै.क.का. में दस्तावेजों की पुष्टि करवानी होगी।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	पूर्व सैनिक के अनाथ बच्चे को आर्थिक सहायता।

उद्देश्य एवम् विशेषता	पूर्व सैनिक के अनाथ बच्चे को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	पूर्व सैनिक के अनाथ बच्चे (लडके की आयु 21 वर्ष से कम व लडकी अविवाहित होनी चाहिए)।
सहायता का ब्यौरा	एक हजार रुपये प्रतिमाह।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस सहायता हेतु आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की साईट पर आनलाईन भरे जाते हैं साईट का नामः www.ksb.gov.in है।

वाँछित दस्तावेज

(1) डिस्चार्ज बुक
(2) पी.पी.ओ.
(3) आधार कार्ड
(4) माता-पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र
(5) अनाथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो
(6) बैंक खाते का ब्यौरा।
(7) पुत्री का अविवाहित होने का प्रमाण पत्र।
(8) शपथ पत्र कि यह सहायता किसी और स्त्रोत से न ले रहे हों।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — KSB की बेवसाईट पर आनलाईन आवेदन उपरान्त सम्बन्धित जि.सै.क.का. में दस्तावेजों की पुष्टि करवानी होगी।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	पूर्व सैनिक की विधवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता।

उद्देश्य एवम् विशेषता — पूर्व सैनिक की विधवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से जीवन निर्वाह के लिए।

पात्रता — विधवा के पति का रैंक हवलदार/समकक्ष या उससे कम होना चाहिए, उसने वह प्रशिक्षण समाप्त कर लिया हो।

सहायता का ब्यौरा — बीस हजार रुपये लगभग।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — इस सहायता हेतु आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की साईट पर आनलाईन भरे जाते हैं साईट का नामः www.ksb.gov.in है।

वाँछित दस्तावेज

(1) डिस्चार्ज बुक
(2) पी.पी.ओ.
(3) आधार कार्ड
(4) प्रशिक्षण अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया का प्रमाण पत्र।
(5) विधवा पहचान पत्र जो कि उपनिदेशक सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है
(6) बैंक खाते का ब्यौरा।
(7) जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
(8) शपथ पत्र कि यह सहायता किसी और स्त्रोत से न ले रहे हों।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — KSB की बेवसाईट पर आनलाईन आवेदन उपरान्त सम्बन्धित जि.सै.क.का. में दस्तावेजों की पुष्टि करवानी होगी।

जेंडर — महिला

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	पूर्व सैनिक की मृत्यु उपरांत अन्तिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता।

उद्देश्य एवम् विशेषता — पूर्व सैनिक की विधवा को उसके पति की मृत्यु के अन्तिम संस्कार हेतु 5,000/- रुपये की आर्थिक सहायता।

पात्रता — विधवा के पति का रैक हवलदार या उससे कम होना चाहिए, यह सहायता कहीं और से न ली हो।

सहायता का ब्यौरा — पांच हजार रुपये।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — इस सहायता हेतु आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की साईट पर आनलाईन भरे जाते हैं साईट का नामः www.ksb.gov.in है।

वाँछित दस्तावेज	(1) डिस्चार्ज बुक (2) पी.पी.ओ. (3) आधार कार्ड (4) मृत्यु का प्रमाण पत्र (5) विधवा द्वारा कहीं और से एडीएलआरएस न ली हो। (6) बैंक खाते का ब्यौरा। (7) शपथ पत्र कि यह सहायता किसी और स्त्रोत से न ले रहे हों।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	KSB की बेवसाईट पर आनलाईन आवेदन उपरान्त सम्बन्धित जि.सै.क.का. में दस्तावेजों की पुष्टि करवानी होगी।
जेंडर	महिला

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	नॉन पेंशनर पूर्व सैनिक / विधवा को गम्भीर बिमारी के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ती हेतु आर्थिक सहायता।

उद्देश्य एवम् विशेषता	नॉन पेंशनर पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा को गम्भीर बिमारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	नॉन पेंशनर पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा होनी चाहिए और जिनको ईसीएचएस की सुविधा नहीं मिलती है।
सहायता का ब्यौरा	1,25,000/- रुपये प्रति वर्ष गम्भीर बिमारी के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ती तथा लगभग 75,000/- रुपये वार्षिक (कैंसर व डायालिसीस के इलाज हेतु।)
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस सहायता हेतु आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की साईट पर आनलाईन भरे जाते हैं साईट का नामः www.ksb.gov.in है।
वाँछित दस्तावेज	(1) डिस्चार्ज बुक (2) आधार कार्ड (3) मैडिकल बिल (मूल रूप में) (4) पहचान पत्र जो कि उपनिदेशक सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है (5) बैंक खाते का ब्यौरा। (6) गम्भीर बिमारी से ग्रसित होने प्रमाण पत्र जो कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो। (7) शपथ पत्र कि यह सहायता किसी और स्त्रोत से न ले रहे हों।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	KSB की बेवसाईट पर आनलाईन आवेदन उपरान्त सम्बन्धित जि.सै.क.का. में दस्तावेजों की पुष्टि करवानी होगी।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	अपंग सैनिकों को दोपहिया वाहन (Mobility Equipment) के लिए आर्थिक सहायता।

उद्देश्य एवम् विशेषता	अपंग पूर्व सैनिक को दोपहिया वाहन (Mobility Equipment) के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	ऐसे पूर्व सैनिकों को जो कि अपनी सेवानिवृति के उपरान्त अपंग हो गए हों और जिनकी अपंगता 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो और जो दोपहिया वाहन (Mobility Equipment) चलाने के योग्य हों और किसी और योजना के अंर्तगत लाभ न लिया हो।
सहायता का ब्यौरा	57,500/- रुपये तक।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस सहायता हेतु आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की साईट पर आनलाईन भरे जाते हैं साईट का नामः www.ksb.gov.in है।

वाँछित दस्तावेज	(1) डिस्चार्ज बुक व पी.पी.ओ. (2) आधार कार्ड (3) अपंगता प्रमाण पत्र जिसमें वाहन चलाने योग्य बताया गया हो। (4) पहचान पत्र जो कि उपनिदेशक सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है (5) बैंक खाते का ब्यौरा। (6) वाहन खर्चे का अनुमान। (7) शपथ पत्र कि यह सहायता किसी और स्त्रोत से न ले रहे हों।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	KSB की बेवसाईट पर आनलाईन आवेदन उपरान्त सम्बन्धित जि.सै.क.का. में दस्तावेजों की पुष्टि करवानी होगी।
जेंडर	पुरष

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	प्रधानमन्त्री छात्रवृति योजना।

उद्देश्य एवम् विशेषता	पूर्व सैनिकों/ सैनिक विधवाओं के बच्चे जो कि व्यवसायिक प्रशिक्षण ले रहें हैं को प्रोत्साहित करने हेतु।
पात्रता	पूर्व सैनिकों /सैनिक विधवाओं के बच्चे जो कि व्यवसायिक प्रशिक्षण ले रहें हैं और जिनके बारहवीं/नयुन्तम शैक्षणिक योग्यता में 60 प्रतिशत अंक हों,प्रधानमन्त्री छात्रवृति योजना में आवेदन करने हेतु पात्र हैं। मेरिट सूची में चयनित होने पर ही छात्रवृति के पात्र होंगे।
सहायता का ब्यौरा	लडके हेतु 30,000/- रुपये व लडकी हेतु 36,000/- रुपये वार्षिक, प्रशिक्षण खत्म होने तक।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस सहायता हेतु आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की साईट पर आनलाईन भरे जाते हैं साईट का नामः www.ksb.gov.in है।
वाँछित दस्तावेज	(1) डिस्चार्ज बुक व पी.पी.ओ. के आधार पर ज़िला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रपत्र पर)। (2) बच्चे का आधार कार्ड (3) दसवीं, बारहवीं/ नयुन्तम शैक्षणिक योग्यता का अंक प्रमाण पत्र (Mark ।।st) (4) पहचान पत्र जो कि उपनिदेशक ज़िला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, पी.पी.ओ. (5) सम्बन्धित कॉलेज द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र कि बच्चा व्यवसायिक प्रशिक्षण ले रहा है व पहले वर्ष में पढ़ रहा है (निर्धारित प्रपत्र पर)। (6) बच्चे के नाम के बैंक खाते का ब्यौरा। (7) सम्बन्धित बैंक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र कि बच्चे का बैंक खाता उसके आधार कार्ड के साथ संबद्ध है (निर्धारित प्रपत्र पर)।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	KSB की बेवसाईट पर आनलाईन आवेदन उपरान्त सम्बन्धित जि.सै.क.का. में दस्तावेजों की पुष्टि करवानी होगी।
जेंडर	दोनों

XXXII- तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	तकनीकी शिक्षा विशिष्ट छात्रवृत्ति योजना- डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई

उद्देश्य एवम् विशेषता

छात्रवृत्तियां देने के लिए दो मुख्य उद्देश्य हैं। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रशिक्षुओं को आकर्षित करके प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, जो अन्यथा वित्तीय बाधाओं के कारण प्रशिक्षण ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते और दूसरे तकनीकी प्रशिक्षण को लोकप्रिय बनाना ताकि वे इसका लाभ उठाकर अपनी आजीविका सम्मानजनक तरीके से चला सकें। डिग्री/ मास्टर डिग्री - डिग्री / मास्टर डिग्री कोर्स के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 127 सीटें सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए निर्धारित हैं, इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अन्य छात्रों के लिए 100% छात्रवृत्ति का प्रावधान है। डिप्लोमा- डिप्लोमा/ पोस्ट डिप्लोमा कोर्स के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 54 सीटें सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए निर्धारित हैं, इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र- छात्राओं और सभी श्रेणियों की छात्राओं के लिए 100% छात्रवृत्ति का प्रावधान है। आईटीआई- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 100% छात्रवृत्ति का प्रावधान है।

पात्रता

छात्रवृत्ति निम्नलिखित आधार पर दी जाएगी –

(1) निर्धनता एवं मेधावी- सामान्य वर्ग के जो छात्र निर्धनता एवं मेधावी योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं, उनके माता-पिता या अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु 36000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) मेधावी- मेरिट के आधार पर (माता-पिता / अभिभावक की आय और पिछले वर्ष की परीक्षा (कम से कम 60%) में प्राप्त अंकों के आधार पर। • केवल वे छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे जो हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं।

सहायता का ब्यौरा

डिग्री-

- ➢ सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 300रुपये प्रति माह।
- ➢ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 500 रुपये प्रति माह। डिप्लोमा- सभी वर्गों के छात्रों के लिए 200 रुपये प्रति माह। आईटीआई- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 250 रुपये प्रति माह।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा hpepass.cgg.gov.in

वाँछित दस्तावेज

हिमाचली मूल प्रमाण पत्र, छात्र की पासपोर्ट आकार की तस्वीर, पिछले वर्ष का परीक्षा प्रमाण पत्र,आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक खाता संख्या का पहला पृष्ठ और आधार संख्या की प्रति।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित संस्थान के माध्यम से निदेशालय तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	तकनीकी शिक्षा विशिष्ट दिव्यांग योजना- डिप्लोमा स्तर पर।

उद्देश्य एवम् विशेषता

यह स्कीम केन्द्र सरकार की सहायता से राजकीय बहुतकनीकी सुंदरनगर में चलाई जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य दिव्यांग / विकलांग को प्रोत्साहित कर आत्मनिर्भर बनाना है। औपचारिक और गैर औपचारिक प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रवेश शुल्क एवं शैक्षिणिक शुल्क नहीं लगता। बोर्डिंग, यात्रा, वर्दी और किताबों के लिए भत्ता तथा अन्य सुविधायें भी प्रदान की जाती है।

पात्रता

जिन आवेदकों की दिव्यांग / विकलांगता कम से कम 40% होगी वे अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे। औपचारिक और गैर औपचारिक प्रशिक्षण - औपचारिक प्रशिक्षण में 25 सीटें विभिन्न तीन वर्षीय डिप्लोमा में आरक्षित है। जिसके लिए न्यूनतम शैक्षिणिक योग्यता दसवी में 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है तथा आवेदक का प्रवेश सम्बन्धित वर्ष में हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा लिए गए पॉलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट (PAT) में प्राप्त अंकों की मैरिट के आधार पर होगा । गैर औपचारिक प्रशिक्षण में 100 सीटों के अंतर्गत छ मास के अल्पकालीन कोर्स करवाने की व्यवस्था है जिसमें कटिंग एंड टेलरिंग कोर्स,मोबाइल रिपेयर, ब्यूटिशियन, रिपेयरिंग एवं मेंटेनेंस ऑफ़ डोमेस्टिक एप्लायंसेज, इलेक्ट्रीशियन एवं बेसिक ऑफ़ कंप्यूटर एप्लीकेशन इत्यादि है ।

सहायता का ब्यौरा

औपचारिक और गैर औपचारिक प्रशिक्षण। औपचारिक प्रशिक्षण - • औपचारिक प्रशिक्षण में छात्रवृत्ति रू० 250 प्रति माह। • बोर्डिंग भत्ता 1000 रुपये प्रति माह (छात्रावास) • यात्रा भत्ता 200 रुपये प्रति माह (गैर- छात्रावास) • वर्दी और किताबें के लिए भत्ता 3000 रुपये प्रति वर्ष। गैर औपचारिक प्रशिक्षण - • गैर औपचारिक प्रशिक्षण में छात्रवृत्ति रू० 250 प्रति माह। • दोपहर के भोजन के लिए भत्ता 3000 रुपये प्रति माह। • प्रशिक्षक के लिए प्रति माह 500 रुपये (प्रति छात्रों की संख्या) भत्ता। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता केंद्र सरकार से किस्तों के रूप में समय समय पर प्राप्त होती है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

राजकीय बहुतकनीक सुंदरनगर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश।

वाँछित दस्तावेज

हिमाचली मूल प्रमाण पत्र, छात्र की पासपोर्ट आकार की तस्वीर, दिव्यांग का प्रमाण पत्र, निर्धारित शैक्षिणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक खाता संख्या का पहला पृष्ठ और आधार संख्या की प्रति।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी

राजकीय बहुतकनीकी सुंदरनगर संपर्क सूत्र- 01907-267426, 266778

जेंडर

दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	शिक्षण शुल्क छूट (टी एफ डब्ल्यू)

उद्देश्य एवम् विशेषता

यह 100% राज्य प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत जिन बच्चों के अभिभावक (माता-पिता) की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8.00 लाख से कम हो उनके लिए इंजीनियरिंग महाविद्यालय, फार्मेसी महाविद्यालयों और बहुतकनीकी में डिग्री एवम् डिप्लोमा कोर्स में मैरिट के आधार पर 5 % सीटें भरने का प्रावधान है।

पात्रता

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के वेब पोर्टल www.hptechboard.com (डिप्लोमा कोर्स) और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की वेब साईट www.himtu.ac.in (डिग्री कोर्स) में उपलब्ध विविरण पुस्तिका से प्रवेश हेतु आवेदक की उम्र एवं शैक्षिणिक योग्यता एवं अन्य सूचना प्राप्त की जा सकती है।

सहायता का ब्यौरा

इस योजना के अंतर्गत जिन बच्चों के अभिभावक (माता-पिता) की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8.00 लाख से कम जोकि आखिल भारतीय तकनीकी परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है उनकी केवल अध्यापन फीस ही माफ़ होती है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के वेब पोर्टल www.hptechboard.com (डिप्लोमा कोर्स) और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की वेब साईट www.himtu.ac.in (डिग्री कोर्स) में उपलब्ध विविरण पुस्तिका से प्रवेश हेतु आवेदक की उम्र एवं शैक्षिणिक योग्यता एवं अन्य सूचना प्राप्त की जा सकती है।

वाँछित दस्तावेज

हिमाचली मूल प्रमाण पत्र, छात्र की पासपोर्ट आकार की तस्वीर, निर्धारित शैक्षिणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक खाता संख्या का पहला पृष्ठ और आधार संख्या की प्रति।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के वेब पोर्टल www.hptechboard.com (डिप्लोमा कोर्स) और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की वेब साईट www.himtu.ac.in (डिग्री कोर्स) पर आवेदन ऑन-लाइन कर सकते है। संपर्क सूत्र- 01907-267426
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	बेटी है अनमोल योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	यह 100% राज्य प्रायोजित योजना है जिन अभिभावक (माता-पिता) की केवल एक ही बेटी है इस स्कीम के अंतर्गत यह 100% राज्य प्रायोजित योजना है। जिन अभिभावक (माता-पिता) की केवल एक ही बेटी है इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर सकते है। उनके लिए इंजीनियरिंग महाविद्यालय, फार्मेसी महाविद्यालयों और बहुतकनीकी में डिग्री एवम् डिप्लोमा कोर्स में एक सीट मैरिट के आधार पर भरने का प्रावधान है।
पात्रता	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के वेब पोर्टल www.hptechboard.com (डिप्लोमा कोर्स) और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की वेब साईट www.himtu.ac.in (डिग्री कोर्स) में उपलब्ध विविरण पुस्तिका से प्रवेश हेतु आवेदक की उम्र एवं शैक्षिणिक योग्यता एवं अन्य सूचना प्राप्त की जा सकती है।
सहायता का ब्यौरा	इस स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरिंग महाविद्यालय, फार्मेसी महाविद्यालयों और बहुतकनीकी में डिग्री एवम् डिप्लोमा कोर्स में एक सीट मैरिट के आधार पर भरने का प्रावधान है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के वेब पोर्टल www.hptechboard.com (डिप्लोमा कोर्स) और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की वेब साईट www.himtu.ac.in (डिग्री कोर्स) में उपलब्ध विविरण पुस्तिका से प्रवेश हेतु आवेदक की उम्र एवं शैक्षिणिक योग्यता एवं अन्य सूचना प्राप्त की जा सकती है।
वाँछित दस्तावेज	हिमाचली मूल प्रमाण पत्र, छात्र की पासपोर्ट आकार की तस्वीर, निर्धारित शैक्षिणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक खाता संख्या का पहला पृष्ठ और आधार संख्या की प्रति।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के वेब पोर्टल www.hptechboard.com (डिप्लोमा कोर्स) और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की वेब साईट www.himtu.ac.in (डिग्री कोर्स) पर आवेदन ऑन-लाइन कर सकते है। संपर्क सूत्र- 01907-267426
जेंडर	महिला

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	पॉलिटेक्निक के माध्यम से समुदाय विकास योजना (सीडीटीपी)

उद्देश्य एवम् विशेषता	यह 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें सरकार से किश्त के आधार पर अनुदान प्राप्त किया जा रहा है। यह एक प्रत्यक्ष केंद्रीय सहायता योजना है जिसके तहत योजना के क्रियान्वयन के लिए चयनित संस्थानों / पॉलिटेक्निकों को एमएचआरडी द्वारा आवर्ती और गैर-आवर्ती अनुदान प्रदान किया जा रहा है। यह योजना विशेष रूप से स्थानीय जनता की प्रगति के लिए है जो पिछड़े क्षेत्रों में रहती है और पेशेवर और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है। योजना के अनुसार पॉलिटेक्निकों को हर साल 10 से 20 गांवों का सर्वेक्षण कर उच्च प्राथमिकता जरुरत वाले कौशल प्रशिक्षण व्यवसाय निर्धारित कर डीआरडीए, एनजीओ, स्वैच्छिक एजेंसियो, ग्राम पंचायत और सेवानिवृत्त शिक्षक, इंजीनियरों की मदद से करवाए जाते है। यह योजना पॉलिटेक्निक सुंदरनगर, हमीरपुर, रोहड़ू, कंडाघाट (महिला), काँगड़ा और अम्बोटा के माध्यम से 03 से 06 महीने की अवधि के साथ विभिन्न इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम चलाती है। इस स्कीम के अंतर्गत प्लंबिंग एंड सैनिटेशन, डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर सॉफ्ट एप्लीकेशन, एम्ब्रायडरी, कटाई एंड टेलरिंग, डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन, वुड वर्क/ कारपेंट्री, इलेक्ट्रीशियन, हाउस वायरिंग इत्यादि कोर्स करवाए जाते है।

पात्रता	आवेदक की उम्र एवं शैक्षिणिक योग्यता से सम्बन्धित कोई बाध्यता नहीं है।
सहायता का ब्यौरा	यह योजना विशेष रूप से स्थानीय समुदाय की प्रगति के लिए है जो पिछड़े क्षेत्रों में रहती है और पेशेवर और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है। इस योजना में नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	उपरोक्त कोर्सो में प्रवेश लेने हेतु सूचना सम्बन्धित संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है।
वाँछित दस्तावेज	हिमाचली मूल प्रमाण पत्र, छात्र की पासपोर्ट आकार की तस्वीर, निर्धारित शैक्षिणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक खाता संख्या का पहला पृष्ठ और आधार संख्या की प्रति।
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	आवेदन जमा करने हेतू सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य से संपर्क किया जा सकता है तथा प्रधानाचार्य से संपर्क करने हेतू दूरभाष नंबर निदेशालय तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश की वेब साईट से प्राप्त किया जा सकता है। संपर्क सूत्र- 01907-267426
जेंडर	दोनो

XXXIII- जनजातीय विकास विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	नाभिकीय बजट

उद्देश्य एवम् विशेषता	नाभिकीय बजट के अंतर्गत बजट का प्रावधान एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्र की आकस्मिक योजना के निष्पादन हेतु किया जाता है।
पात्रता	इस बजट में से सामुदायिक आवश्यकता की एक स्कीम पर अधिकतम 1.00 लाख रूपये ही खर्च किये जा सकते हैं बशर्ते वह स्कीम कम से कम 5 परिवारों को लाभान्वित करती हो।
सहायता का ब्यौरा	इस स्कीम के अंतर्गत व्यक्तिगत सहायता का प्रावधान नहीं है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	उपरोक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक नहीं है।
वाँछित दस्तावेज	उपरोक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक नहीं है।
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना। जिसे विभिन्न कार्यों के प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत समिति के माध्यम से भेजे जाने का प्रावधान है तथा इस पर अनुमोदन परियोजना सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	सर्दियों में जनजातीय क्षेत्रों को हैलीकॉप्टर सेवा

उद्देश्य एवम् विशेषता	**अनुसूचित क्षेत्रों में सर्दियों में बर्फ से ढके क्षेत्रों के लोगों व वहां पर कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा एवं अन्य लोगों को निकालने के लिए हैलीकॉप्टर सेवा प्रदान करना।**
पात्रता	अनुसूचित क्षेत्रों के स्थाई निवासी/वहां पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी/जनजातीय जिला से बाहर विवाहित जनजातीय महिला।
सहायता का ब्यौरा	यह सेवा स्थानीय निवासी/सरकारी कर्मचारी/जनजातीय जिला से बाहर विवाहित जनजातीय महिला/ बच्चों हेतु सरकार द्वारा बहुत ही कम दर पर प्रदान की जा रही है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है- 1 मरीज मु० 700/- रूपये 2 स्थानीय निवासी/सरकारी कर्मचारी/जनजातीय जिला से बाहर विवाहित जनजातीय महिला मु० 1500/- रूपये 3 अन्य मु० 7000/- रूपये 4 ढाई वर्ष तक के नवजात शिशु - नि:शुल्क 5 ढाई से नौ वर्ष तक के बच्चे - मु० 750/- रूपये
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	जनजातीय जिला के उपायुक्त/आवासीय आयुक्त/अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा हैलीकॉप्टर उड़ान के संचालन हेतु विभिन्न हेलीपैडों पर संपर्क अधिकारी मनोनीत किये जाते हैं। आवेदक इन अधिकारियों के पास उपलब्ध प्रार्थना पत्र पर अपना आवेदन करता है।
वाँछित दस्तावेज	आवेदक के पास दो फोटो व पहचान पत्र होना आवश्यक है।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	निकटतम हैलीपैड व उस हैलीपैड हेतु नामित संपर्क अधिकारी।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

उद्देश्य एवम् विशेषता	**अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष विकासात्मक आवश्यकताओं व उनकी भलाई हेतु धनराशी प्रदान की जाती है ताकि वहां पर सम्पूर्ण आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित हो सके।**
पात्रता	इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के जिला किन्नौर के कल्पा और पूह विकास खण्ड तथा जिला लाहौल-स्पिति का स्पिति विकास खण्ड शामिल हैं जो कि चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं।
सहायता का ब्यौरा	इस स्कीम के अंतर्गत व्यक्तिगत सहायता का प्रावधान नहीं है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	उपरोक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक नहीं है।

वाँछित दस्तावेज	उपरोक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक नहीं है।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	जिला स्तर पर उपायुक्त या अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित है। परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना इस समिति का सदस्य सचिव है। जिला स्तरीय समिति द्वारा स्कीमों का चयन एवं निर्धारण स्थानीय सांसद, विधायक, पंचायती राज संस्थाओं, स्वायत परिषद्, सामुदायिक नेता तथा विकास एजेंसियों से परामर्श करके किया जाता है।
जेंडर	दोनों

XXXIV- शहरी विकास विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

उद्देश्य एवम् विशेषता	"योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक, आर्थिक क्षमता विकास करते हुए प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना एवं उनकी आजीविका को मजबूत करना है जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके"
पात्रता	दीनदयाल अन्त्योदय योजना -राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(एनयूएलएम) के अन्तर्गत वे सभी परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं (EWS), कम आय वर्ग में आते हैं (।।G) या जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक है वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
सहायता का ब्यौरा	दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में मुख्यतः पांच घटक हैं प्रत्येक घटक में लाभर्थियो को अलग –अलग सुविधाएँ दी जा रहीं हैं जो की अग्रलिखित हैं।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

1. सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास- इस घटक का उद्देश्य लाभार्थी परिवार के सदस्यों को स्वयंसहायता समूहों से जोड़कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर क्षमता का विकास करना एवं मिशन के लाभ से जोड़ना है। यह कार्य रिसोर्स आर्गेनाईजेशन के माध्यम से किया जा रहा है, रिसोर्स आर्गेनाईजेशन दो साल तक समूहों के साथ मिलकर इन्हें सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रदान करेगा। 3 माह तक स्वयं सहायता समूह के सफल संचालन के बाद प्रत्येक समूह को 10,000/- रूपये चक्रीय निधि (Revolving Fund) के रूप में दिया जाएगा। एक शहर में बनायें गए 10 से 20 स्व-सहायता समूहों का एक संघ (एरिया लेवल फेडरेशन) बनाया जाएगा। एरिया लेवल फेडरेशन को आतंरिक लेनदेन(क्षमता विकास) हेतु 50,000/-रुपये चक्रीय निधि दिया जाएगा। एरिया लेवल फेडरेशन को मिलाकर शहर स्तर पर सिटी लेवल फेडरेशन का निर्माण किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह - स्वयं सहायता समूह 10 से 15 लोगो का एक संगठन होता है (पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में जहा जनसंख्या घनत्व कम होता है, उन क्षेत्रों में 5 लोगों का भी समूह बनाया जा सकता है) जों बचत एवं ऋण के माध्यम से सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। इन समूहों में नियमित रूप से बैठकों का आयोजन होता है एवं समूह सदस्यों से नियमित बचत एकत्रित कर सामूहिक कोष का निर्माण किया जाता है और आवश्यकता के अनुसार समूह के सदस्यों को समूह के कोष से लघु अवधि के लिए ऋण भी दिया जाता है। जब सदस्यों को अधिक धन की आवश्यकता होती है तब स्वयं सहायता समूह को कम ब्याज पर बैंको से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। स्वयं सहायता समूह को बैंक लिंकेज के माध्यम से समूह के कार्पस/सामूहिक कोष का चार गुना तक CCI (नगद साख सीमा) के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है, इसके अलावा समूह अपने सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर टर्म लोन भी बैंकों से प्राप्त कर सकता है।
2. कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोज़गार- शहरी युवा जो अपनी जीविका उपार्जन के लिए रोजगार के साधन नही जुटा पा रहे हैं अथवा शिक्षा एवं तकनिकी ज्ञान के अभाव में नौकरी अथवा व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे युवा जो प्रशिक्षण के बाद तीन महीने के अंदर रोज़गार या स्व-रोज़गार करना चाहते हैं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उनकी जीविका उपार्जन के साधनों को विकसित करना, इस योजना उद्देश्य हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत राष्ट्रीय कौशल योग्यता के मानको एवं सेक्टर स्किल कौंसिल के मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय कौशल विकास निगम में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हैं। राज्य सरकार का शहरी विकास विभाग राज्य के सभी शहरी निकायों में कौशल विकास प्रशिक्षण करवा रहा हैं। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लोगो को सरकार द्वारा चयनित एजेंसी से प्रमाणपत्र प्रदान करवाकर उन्हें रोज़गार उपलब्ध करवाने का प्रयास भी किया जा रहा है।
3. स्वरोजगार कार्यक्रम- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोजगार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए वित्तीय एवं तकनिकी सहायता मुहैया करवाना है, कार्यक्रम के माध्यम से समूहों का गठन एवं उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। यह घटक शहरी गरीबों के कौशल, प्रशिक्षण, योग्यता के आधार पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल व्यक्तिगत/सामूहिक व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर केंद्रित है। इसमे शहरी गरीबों के स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) बैंक से आसान ऋण और स्वयं सहायता समूह के ऋण पर ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार कार्यशील पूंजी के लिए क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने की सुविधा का भी प्रावधान है। शहरी बेरोजगारों को, सेवा एवं निर्माण से सम्बन्धित सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय शुरू करने (जिसकी स्थानीय मांग हो) के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत स्थानीय शिल्प कौशल को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वरोजगार कार्यक्रम को 3 भागों में

बांटा गया है, A. व्यक्तिगत स्वरोजगार कार्यक्रम B. सामुहिक स्वरोजगार कार्यक्रम C. स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज। व्यक्तिगत स्वरोजगार कार्यक्रम - इस के तहत कोई भी शहरी बेरोजगार जो की लाभार्थी की श्रेणी में आता हो, को 7% की ब्याज दर पर 2 लाख रूपये तक के ऋण, बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। सामूहिक स्वरोजगार कार्यक्रम - इस के तहत कम से कम पांच व्यक्तियों या महिलाओ के समूह को व्यवसाय करने के लिए 10 लाख रुपये तक की राशि बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। इस के तहत देय ब्याज की दर केवल 7 प्रतिशत होगा। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज -

वाँछित दस्तावेज	आधार कार्ड की प्रति (निवास प्रमाण पत्र) एवं आय प्रमाण पत्र/। G/ EWS प्रमाण पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सभी स्थानीय शहरी निकाय में कार्यरत स्वयंसेवी, सामुदायिक संगठक, कार्यक्रम प्रबंधक, निकायों में कार्यरत सचिव/कार्यकारी अधिकारी / नगर निगम आयुक्त कार्यक्रम के City Project Officer नामित किये गये हैं।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	स्वच्छ भारत मिशन –शहरी

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवा कर खुले में शौच की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना, शुष्क शौचालयों को फ्लशिंग शौचालय में परिवर्तित करना, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना, आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना एवं स्वच्छता व्यवस्था के प्रति जागरूकता व जन-सहभागिता को सुनिश्चित कर के लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है।
पात्रता	स्थानीय शहरी निकायों में रहने वाले वे सभी लोग जिनके पास अपना शौचालय नहीं हो या उनका शौचालय सीवर लाईन से जुड़ा ना हो।
सहायता का ब्यौरा	व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए 12,000/- रुपये की सहायता राशि। HH घटक के तहत प्रदान की जा रही है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी अपने स्थानीय शहरी निकाय में संपर्क कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लाभार्थी को लोकमित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन करना होता है, लोकमित्र केंद्र से आवेदन करना निःशुल्क है।
वाँछित दस्तावेज	आधार कार्ड की प्रति तथा निवास प्रमाण पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सभी लोकमित्र केंद्र, स्थानीय शहरी निकायों में कार्यरत सचिव/कार्यकारी अधिकारी / नगर निगम आयुक्त इत्यादी। किसी असुविधा की स्थिति में राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, निदेशालय शहरी विकास विभाग, पालिका भवन, टालैंड शिमला में संपर्क किया जा सकता है।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	**योजना का नाम**	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) - सब के लिए आवास

उद्देश्य एवम् विशेषता	प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक सब के लिये पक्का मकान की परिकल्पना की गयी है। प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्यतः शहरी गरीबो के लिए लांच की गयी है जिसके जरिये वे अपने स्वयं के आवास के सपने को पूरा कर सकते है।
पात्रता	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीब – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ((EWS एवं निम्न आय वर्ग।।G)) के अंतर्गत आने वाले लोगो को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 3,00,000/- रुपये की वार्षिक आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवार एवं 6,00,000/- रुपये की वार्षिक आय वाले निम्न आय वर्ग वाले परिवार को शामिल किया गया है।

सहायता का ब्यौरा	(1) लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के चार विकल्पों (Verticals) में से किसी एक के तहत स्थानीय नगर निकाय में आवेदन दे सकते हैं। इस योजना को चार विकल्पों के माध्यम से लागू किया जा रहा है जो इस प्रकार है (2) झुग्गी बस्ती पुनरोद्वार (In Situ Slum Redevelopment) इसमे भूमि का उपयोग कर एक संसाधन के रूप में निजी डेवलपर्स के साथ मिलकर झुग्गी बस्तियों का पुनरोद्वार किया जाएगा एवं पक्के मकान का निर्माण कर ई. डब्ल्यू. एस. (EWS) परिवार को उपलब्ध कराये जाएंगे। इस हेतु प्रति ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के लाभार्थी के लिये औसतन 1 लाख रुपये का अनुदान निजी डेवेलपर्स को सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। (3) ब्याज क्रेडिट लिंक सब्सिडी (Creditlinked Subsidy) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ई. डब्ल्यू. एस. (EWS) और निम्न आय वर्ग।IG)) के लाभार्थियों को आवास ऋण पर 6.50 % ब्याज क्रेडिट लिंक सब्सिडी घटक के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत EWS और।IG के लाभार्थियों को अधिकतम 6 लाख रूपये के होम लोन पर 6.5 % ब्याज सब्सिडी अधिकतम 15 साल के लिए प्रदान की जा रही है। MIG -I &II के लाभार्थी जिनकी आय 6 से 18 लाख रूपये तक है वे भी इसका लाभ ले सकते हैं। (4) सरकारी/प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी द्वारा सस्ते आवास का प्रावधान (Affordable HousingIn Partnership) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के पात्र परिवार को रियायती दर पर सस्ता मकान उपलब्ध करवाने हेतु नगर निकाय क्षेत्र में सरकारी या गैर-सरकारी आवास योजना जिसमे कम से कम 35 प्रतिशत आवास ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के परिवारों हेतु अरक्षित हो, ऐसी आवास योजना में आवास उपलब्ध करवाने हेतु प्रति ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के परिवार के लिए 1.5 लाख रुपये की दर से अनुदान प्रदान किया जाएगा एवं इसके अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत आवासीय कालोनियों का निर्माण किया जाएगा। (5) लाभार्थी आधारित निर्माण (Beneficiaryled Construction) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के परिवार को स्वयं नया घर बनाने अथवा पुराने घर का विस्तार करने हेतु सरकार द्वारा 1.65 लाख की अनुदान राशी प्रदान की जा रही हैं।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी /पात्र परिवार उपरोक्त चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थी /पात्र परिवार साधारण कागज पर अपना आवेदन व स्व-प्रमाण पत्र/शपथ पत्र (जिसमें साफ-साफ लिखा हो की अवदेक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य का भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं है) सम्बन्धित नगर निगम /नगर परिषद्/ नगर पंचायत के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी अपने स्थानीय शहरी निकाय में संपर्क कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लाभार्थी को लोकमित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन करा सकते हैं वस्तृत जानकारी के लिए mohupa.gov.in/writereaddata/ HFA_ guidelines_ March2016 -english /hindi.pdf से Download कर सकते हैं।
वाँछित दस्तावेज	लाभार्थी /पात्र परिवार साधारण कागज पर अपना आवेदन व स्व-प्रमाण पत्र/शपथ पत्र (जिसमे साफ-साफ लिखा हो की आवदेक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य का भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं है) सम्बन्धित नगर निकायों के सचिव/कार्यकारी अधिकारी / नगर निगम आयुक्त को जमा करा सकते हैं।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	स्थानीय शहरी निकायों में कार्यरत सचिव / कार्यकारी अधिकारी / नगर निगम आयुक्त व लोकमित्र केंद्र के माध्यम से। किसी असुविधा की स्थिति में निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश, पालिका भवन, टालैंड शिमला में संपर्क किया जा सकता है।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	“अटल श्रेष्ठ शहर योजना - Atal Shresth Shahar Yojna” (ASSY)

उद्देश्य एवम् विशेषता	इस योजना का मुख्य उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्थानीय नगर निकाय (ULB) को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करना है।
पात्रता	नगर पालिकाओं के अतिरिक्त यह योजना राज्य की सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए लागू है।
सहायता का ब्यौरा	इस योजना के तहत पुरस्कृत नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार है। क्रमांक यूएलबी — प्रकार पुरस्कार राशि 1 नगर परिषद 1,00,00,000.00 (एक करोड रुपए) 2 नगर पंचायत 75,00,000.00 (पचहतर लाख रुपए) इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित दो श्रेणियों (शहर कों साफ सुथरा रखने के लिए व पब्लिक सर्विस डिलीवरी के आधार पर स्थानीय निकायों कों चुनकर प्रत्येक कों 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये) की राशि प्रदान करके पुरुस्कृत किया जाएगा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	ASSY के लिए आवेदन करने के लिए, नगर परिषद् और नगर पंचायतो को निर्धारित आवेदन पत्र पर अपना दावा शहरी विकास निदेशक को हर साल 30 सितम्बर तक भेजना होगा।

वाँछित दस्तावेज दिशानिर्देशो में विस्तार से उल्लेख के अनुसार।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश, पालिका भवन, टालैंड शिमला।

जेंडर दोनों

XXXV- महिला एवं बाल विकास विभाग

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम

उद्देश्य एवम् विशेषता 6 वर्ष तक के बच्चों की पोषण व स्वास्थ्य स्थिति में सुधार। बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक व सामाजिक विकास की नींव रखना। बीमारी, कुपोषण की रोकथाम व बच्चों में स्कूल छोड़ने की प्रवृति को कम करना। बाल विकास को बढ़ावा देने व कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अन्य विभागों/एजेन्सीज के साथ समन्वय स्थापित करना। उचित पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों की पोषण व स्वास्थ्य सम्बन्धित जरुरतों की उचित देखभाल के लिए माताओं की क्षमता को बढ़ाना।

पात्रता 0-6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं व दूध पिलाने वाली माताएं, 11-18 आयु वर्ग की किशोरियां तथा समुदाय के अन्य सदस्य।

सहायता का ब्यौरा आंगनबाडी केन्द्र में 6माह से 6वर्ष के बच्चों, धात्री, गर्भवती माताओं एवं बी0पी0एल0 किशोरियों को पूरक पोषाहार, 3-6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, टीकाकरण व स्वास्थ्य जांच की सुविधा, पोषाहार व स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी व गम्भीर कुपोषण तथा बीमारी की दशा में उचित स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रभावित महिला अथवा बच्चों को चिकित्सालय मे रेफर करना। आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 8.00रू0 प्रति बच्चा प्रति दिन,9.50 रू0 प्रति गर्भवती /धात्री माता व 8.00 रु प्रति किशोरी प्रतिदिन की दर से पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है। अति अल्प वजन बच्चों के लिए पूरक पोषाहार 12 रु0 प्रतिदिन प्रति बच्चा की दर से प्रदान किया जाता है। जिसके लिएआंगनवाड़ी क्षेत्र में आने वाले पात्र बच्चों/माताओं व बी0पी0एल किशोरियां का आगंनवाडी केन्द्र में पंजीकरण आवश्यक है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? आंगनबाडी केन्द्र के माध्यम से सेवायें प्रदान करने के लिए 300 की न्यूनतम आबादीवाले क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र व 150की न्यूनतम आबादी वालेक्षेत्रों में मिनि आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत होने के पश्चात सभी लाभभोगियों का आंगनबाडीकेन्द्र मे पंजीकरण करना। आंगनबाडी केन्द्र खोलने के लिए पंचायती राज सस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना।

वाँछित दस्तावेज कोई दस्तावेज वाँछित नहीं है।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।

जेंडर दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — अनाथ, बेसहारा बच्चों जिन्हें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता हो, उन्हें बाल गृहों में प्रवेश देकर निःशुल्क रहने, शिक्षा, स्वास्थ्य एव पुनर्वास इत्यादि की सुविधायें प्रदान करके उन्हें आत्म-निर्भर बनाना।

पात्रता — किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 2 (14) की उपधारा 1 से 12 के अनुसार "देखभाल एवं संरक्षण" की आवश्यकता वाले बालक या ऐसे "विधि विरोधी बालक" जिन्हें अपराध करने वाला अभिकथित किया या पाया जाता है। इस श्रेणी में 6 से 18 वर्ष की आयु के लगभग वे सभी बच्चे आते हैं जिनके मातापिता की मृत्यु हो चुकी हो या बेसहारा बच्चे जिनके माता-पिता का पता मालूम न हो या जिनके माता-पिता जेल काट रहे हों या जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो तथा माता ने दूसरी शादी कर ली हो, या माता अक्षम हो आदि।

सहायता का ब्यौरा — निःशुल्क रहने की व्यवस्था, 10+2 तक शिक्षा, तथा व्यवसायिक शिक्षा / प्रशिक्षण।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — पात्र बाल या बालिकाओं के संरक्षक या पुलिस, चाइल्डलाईन या कोई भी व्यक्ति बालक या बालिका को संबन्धित जिला की बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। बाल कल्याण समिति बालक से विचार विमर्श करने के बाद उस बालक को बाल गृह में रखे जाने का आदेश जारी करती है। या देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बालक जिनकी संस्तुतिं सम्बन्धित जिलाधीश द्वारा बाल गृह में प्रवेश देने हेतु की गई हो, को निदेशक महिला एवं बाल विकास द्वारा बाल गृह में प्रवेश दिया जाता है।

वाँछित दस्तावेज — किशोर न्याय आदेर्श नियम 2017 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म 17 में बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति व अधिकारी की रिपोर्ट या संबन्धित जिलाधीश की संस्तुति।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — जिला स्तर पर जिला बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण अधिकारी। अधिक जानकारी हेतु निदेशक महिला एवं

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	बेटी है अनमोल योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता — महिलाओं के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना और बालिका जन्म को अभिशाप न माना जाए, इस बारे प्रयास करना।

पात्रता — ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों मे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों मे जन्मीं अधिकतम दो बालिकाएं।

सहायता का ब्यौरा — बालिका के नाम पर 12,000 रुपये की धनराशि बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करवाई जाती है तथा उस के 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर पूर्ण राशि ब्याज सहित दी जाती है। इसके अतिरिक्त बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित दरों पर छात्रवृत्ति दी जाती है- प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा तक 450/- रुपये प्रति वर्ष चतुर्थ कक्षा में 750/- रुपये प्रति वर्ष पांचवीं कक्षा में 900/- रुपये प्रति वर्ष छठी एवं सातवीं कक्षा में 1050/- रुपये प्रति वर्ष आठवीं कक्षा में 1200/- रुपये प्रति वर्ष नौवीं एवं दसवी कक्षा में 1500/ -रुपये प्रति वर्ष 10+1 और 10+2 2250/- रुपये प्रति वर्ष व स्नातक कक्षाओं के लिए 5000/ -रुपये प्रति वर्ष

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों में जन्मी बालिकाओं के माता-पिता को निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/बाल विकास परियोजना अधिकारी को देना होगा।
वाँछित दस्तावेज	सत्यापित बी0 पी0 एल0 प्रमाण पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी /बाल विकास परियोजना अधिकारी /पर्यवेक्षक / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता।
जेंडर	दोनों

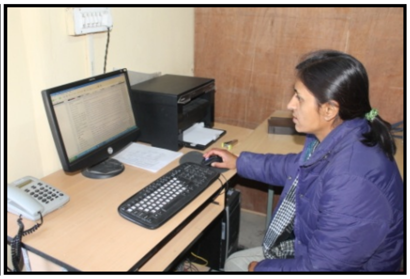

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	मुख्य मन्त्री कन्यादान योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	बेसहारा महिलाओं/लड़कियों को शादी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
पात्रता	बेसहारा लड़कियां जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो या शारीरिक/मानसिक असमर्थता के कारण अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ होने के कारण बिस्तर पर हों या परित्यक्त/तलाकशुदा महिलाओं की पुत्रियां, जिनके संरक्षकों की वार्षिक आय 35000/- रु0 से अधिक न हो।
सहायता का ब्यौरा	40,000/- रु0 की वित्तीय सहायता।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इच्छुक महिला निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित तहसीलदार से सत्यापित आय प्रमाण पत्र सहित आवेदन कर सकती है।
वाँछित दस्तावेज	सत्यापित आय प्रमाण पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनबाडी कार्यकर्ता।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	विधवा पुनर्विवाह योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रेरित करना।
पात्रता	विधवा महिलाएं।
सहायता का ब्यौरा	दम्पत्ति को 50,000/- रु0 की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन पत्र के साथ विधवा के प्रथम विवाह की तिथि, विधवा होने की तिथि विधवा पुर्नविवाह की तिथि तथा हिमाचली प्रमाण-पत्र सम्बन्धित कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा जारी, संलग्न किये जाने अनिवार्य हैं।

वाँछित दस्तावेज	पहली शादी की दिनांक/वर्ष। पुनः विवाह की तारीख। व्यक्ति का नाम और पता जिससे विधवा शादी कर रही है।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजनाअधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	निःसहाय महिलाओं के बच्चे या अनाथ बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो के पालन पोषण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।
पात्रता	ग्रामीण विकास विभाग/ शहरी विकास विभाग द्वारा चयनित गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसहाय महिलाएं जो विधवा हों, तलाकशुदा हों, परित्यक्ता हों या जिन के पति दो साल से लापता हों और सम्बन्धित थाना में न मिलने की रिपोर्ट हो या ऐसी निःसहाय महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 35000/- रु0 से कम हो या ऐसे अनाथ बच्चे जिनके अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हों या जिन अभिभावकां की वार्षिक आय 35,000/- रु0 से कम हो।
सहायता का ब्यौरा	5000/- रु0 प्रति बच्चा प्रति वर्ष 18 वर्ष की आयु तक सहायता राशि केवल 2 बच्चों को।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	-
वाँछित दस्तावेज	सम्बन्धित पंचायत/शहरी निकाय से जारी प्रमाणपत्र। वी0पी0एल0/आय प्रमाण पत्र। निःसहाय महिला/अनाथ बच्चों के अभिभावक होने के बारे पांच रूपये स्टाम्प पेपर पर ब्यान हल्फिया जो कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से सत्यापित हो।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी। पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	स्वयं रोजगार हेतु सहायता

उद्देश्य एवम् विशेषता	महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए काम-धन्धा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता	ऐसी महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 35000/- रु0 से अधिक न हो।
सहायता का ब्यौरा	5000/- रु0 प्रति महिला आर्थिक सहायता।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	इच्छुक महिला निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित तहसीलदार से सत्यापित आय प्रमाण-पत्र सहित आवेदन कर सकती है।
वाँछित दस्तावेज	सत्यापित आय प्रमाण पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	बलात्कार पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवाएं योजना 2012

उद्देश्य एवम् विशेषता — यह योजना बलात्कार पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता एवं समर्थन सेवाएं देने के लिए लागू की गई है।

पात्रता — बलात्कार पीड़ित महिला को स्वास्थ्य सेवा, विधि सहायता, शिक्षा प्रदानकरना और जागरूक करना/परामर्श देना।

सहायता का ब्यौरा — इस योजना के अन्तर्गत 75000 रु0 की आर्थिक सहायता दी जाती है जोकि विशेष परिस्थितियों में एक लाख रु0 तक बढ़ाई जा सकती है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण शीघ्र होना चाहिए। उसके उपरान्त सम्बन्धित थाना प्रभारी (एस एच ओ) जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से 72 घण्टों के भीतर एफ आई आर की प्रति व चिकित्सा प्रमाण-पत्र की प्रति जिला बोर्ड जो कि सम्बन्धित जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित है को प्रेषित करेगा। यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में उसका कानूनी वारिस निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित जिला बोर्ड को आवेदन करेगा।

वाँछित दस्तावेज — एफ आई आर की रिपोर्ट व चिकित्सा प्रमाण पत्र।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	बाल/बालिका सुरक्षा योजना एवम् फास्टर केयर कार्यक्रम

उद्देश्य एवम् विशेषता — अनाथ व असहाय बाल/बालिकाओं को सम्पन्न पारिवारिक वातावरण में लने हेतु रखा जाना, ताकि उन्हें बाल गृहों मे प्रवेश हेतु बाध्य न होना पड़े।

पात्रता — दम्पत्ति एवं लाभान्वित बच्चा दोनों हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हों, दम्पत्ति परिवार की मासिक आय 5000/- से कम न हो। मातृवंश एवं पितृवंश में आय एवं आयु की कोई सीमा शर्त लागू नहीं होती है।

सहायता का ब्यौरा — पालना दम्पत्ति को केन्द्रीय प्रायोजिक फाॅस्टर केयर कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के पालन-पोषण के लिए मु0 2000 रू0 प्रति बच्चा प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है जिसका वहन भारत सरकार तथा राज्य सरकार क्षरा 9010 में किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राज्य के बजट से मु0 300 रु0 प्रति माह की दर से फास्टर केयर में रखे गए बच्चें के नाम स्वीकृत करके उसके बैंक/ डाकघर में जमा किये जाते हैं जो कि उसके द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर आहरित किए जा सकते हैं ।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? — सहायता राशि प्राप्त करने के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी को हिमाचली प्रमाण.पत्र, आयु प्रमाण. पत्र, आय प्रमाण.पत्र, चिकित्सा प्रमाण.पत्र, दम्पत्ति के फोटो सहित आवेदन करना होता है।

वाँछित दस्तावेज — हिमाचली प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, चिकित्सा प्रमाण-पत्र, दम्पत्ति के फोटो।

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी — जिला बाल संरक्षण अधिकारी। अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास परियोजना।

जेंडर — दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	नारी सेवा सदन

उद्देश्य एवम् विशेषता — 60 वर्ष से कम आयु की बेसहारा महिलाओं को आश्रय देकर उन्हें पुनर्वासित करना।

पात्रता — बेसहारा, असहाय, परित्यक्त एवं ऐसी महिलाएं जो नैतिक खतरे में हों।

सहायता का ब्यौरा — पात्र महिलाओं को सदन में निःशुल्क भोजन, आवास, शिक्षा तथा प्रशिक्षण इत्यादि की सुविधाएं दी जाती हैं। सदन छोड़ने के उपरान्त उन्हें 20,000/-रु0 की पुनर्वास सहायता या शादी के लिए पात्र महिलाओं को 51000/- रु0 का विवाह अनुदान दिया जाता है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	पात्र महिलाएं नारी सेवा सदन में प्रवेश पाने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को आवेदन कर सकती हैं जो अपनी रिपोर्ट सहित निदेशक महिला एवं बाल विकास को प्रवेश के लिए भेजेंगे।
वाँछित दस्तावेज	-
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	**योजना का नाम**	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

उद्देश्य एवम् विशेषता	मजदूरी की क्षति के बदले में नकद राशि को प्रोत्साहन के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना ताकि महिलाए पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सके।
पात्रता	ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में हैं या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही है, सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं।
सहायता का ब्यौरा	गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं तीन किस्तों में 5000/- रूपये नकद लाभ प्राप्त करेगी। इनमे से प्रथम किस्त मु0 1000/- रू पंजीकरण के उपरांत दूसरी किस्त मु0 2000/- गर्भधारण के 6 मास उपरांत व तीसरी किस्त मु0 2000/- बच्चे के प्रथम टीकाकरण के उपरांत दी जाती है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	लाभार्थियों से पंजीकरण तथा किस्त के दावे के लिए योजना के अंतर्गत निर्धारित फार्म भरने तथा आंगनवड़ी केंद्र में उसे जमा करने की अपेक्षा होगी।
वाँछित दस्तावेज	एमसीपी कार्ड लाभार्थी और पति (दोनो) के आधार कार्ड। लाभार्थी के बैंक/ डाकघर खाते के विवरण। लाभार्थी से गर्भाधारण के 6 माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच दर्शाने वाले एमसीपी कार्ड की प्रतिलिपि। बच्चे के जन्म के पंजीकरण की प्रति तथा एमसीपी कार्ड मे बच्चे के टिकाकरण का पहला चक्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/ पर्यवेक्षिका/ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता।
जेंडर	दोनों

योजना / स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	सशक्त महिला योजना।

उद्देश्य एवम् विशेषता	(1) अपने अधिकारों के बारे में ग्रामीण महिलायों में जागरूकता पैदा करना। (2) उच्च शिक्षा के लिए पढाई में उत्कृष्ट लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए (3) आय सृजन गतिविधियों के लिए माइक्रो क्रेडिट एवं फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलायों को अधिक से अधिक वितीय सहायता प्रदान करना। (4) किशोर लड़कों / लड़कियों को एक दुसरे और अन्य लिंग के लिए आपसी सम्मान के लिए सम्वेदनशील बनाना। (5) बेहतर सह अस्तित्व के लिए व्यबहार परिवर्तन लाने के लिए (6) लाइन बिभागों के साथ अभिसरण में पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।
पात्रता	(1) 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में किशोरियां एवं (2) 19 से 45 वर्ष की महिलाएं।
सहायता का ब्यौरा	कौशल विकास।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	Website www.wcdhp@nic.in
वाँछित दस्तावेज	योजना की प्रति संलग्न की गयी है
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र / अधिकारी	अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आंगनवाडी केंद्र /पर्वेक्षक/सशक्त महिला अधिकारी/सबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। Website www.wcdhp@nic.in
जेंडर	महिला

XXXVI- पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

योजना स्कीम का सचालन /	राज्य	योजना का नाम	प्रशिक्षुओं के लिए छात्रवृति

उदेश्य एवम विशेषता	हिमाचल के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण हेतु सहायता अनुदान प्रदान करना।
पात्रता	जमा दो पास एवं जो प्रशिक्षु IHM / Food & Craft Institute में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो ।
सहायता का ब्यौरा	1. 200 रु0 प्रति छात्र प्रति माह 'अतिथ्य सत्कार' में। 2. 120 रु0 प्रति छात्र प्रति माह 'खाद्य उत्पादन व षिल्प कौषल पाठ्यक्रम'। 3. 120 रु0 प्रति छात्र प्रति माह 'खाद्य एवं पेय सेवा'।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आवेदन की प्रति कहां से - प्राप्त की जा सकतीहै? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन सादे कागज पर निदेशालय पर्यटन हिमाचल प्रदेश शिमला के कार्यालय को सम्बन्धित संस्थानों जहां पर प्रशिक्षण लिया जा रहा है के माध्यम से भिजवाया जा सकता है।
वांछित दस्तावेज	1. हिमाचली प्रमाण पत्र । 2. सम्बन्धित संस्थान का सिफारिश पत्र।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र अधिकारी /	निदेशालय , पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग,ब्लाक न0 28, एस0डी0ए0 काम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-9 ।
जेंडर	दोनों

योजना स्कीम का सचांलन /	राज्य	**योजना का नाम :**	होटल पंजीकरण।

उदेश्य एवम विशेषता	हिमाचल में स्वरोज़गार एवं रोज़गार के अवसर जुटाना ।
पात्रता	हिमाचली व गैर हिमाचली आवेदन कर सकते है । गैर हिमाचली के मामले में अनिवार्यता प्रमाण पत्र का होना एवं 118 की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
सहायता का ब्यौरा	सम्बन्धित उप निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन कार्यालय से Project approve करवाने के उपरान्त वांछित दस्तावेज के साथ निशुल्क आवेदन कर सकते हैं ।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आवेदन की प्रति कहां से - प्राप्त की जा सकतीहै? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सम्बन्धित उप निदेशक कार्यालय या website: https://himachaltourism.gov.in
वांछित दस्तावेज	1. जाँच सूची अनुसार। 2. इसके अतिरिक्त कोई और सम्बन्धित दस्तावेज अधिकारी लेना चाहे।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र अधिकारी /	सम्बन्धित उप निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन कार्यालय
जेंडर	दोनों

योजनास्कीम का सचांलन /	राज्य	**योजना का नाम :**	होम स्टे स्कीम ।

उदेश्य एवम विशेषता	हिमाचल में स्वरोज़गार एवं रोज़गार केअवसर जुटाना।
पात्रता	आवेदक को हिमाचली संस्कृति, खानपान इत्यादि का ज्ञान-।
सहायता का ब्यौरा	सम्बन्धित उप निदेशक कार्यालय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में जाकर वांछित दस्तावेज के साथ निशुल्क आवेदन कर सकते है। इस योजना के तहत घरेलू दर पर बिजलीपानी व न्यूनतम/ पंजीकरण शुल्क के साथ विलासिता कर में भी छूट प्रदान की जाती है।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आवेदन की प्रति कहां - से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सम्बन्धित उप निदेशक कार्यालय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग या https://himachaltourism.gov.in
वांछित दस्तावेज	1. जाँच सूची अनुसार। 2. इसके अतिरिक्त कोई और सम्बन्धित दस्तावेज़ अधिकारी लेना चाहे।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र अधिकारी /	सम्बन्धित उप निदेशक य पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग कार्यालय।
जेंडर	दोनों

योजना स्कीम का सचांलन /	राज्य	**योजना का नाम :**	अनिवार्यता प्रमाण पत्र।

उदेश्य एवम विशेषता	हिमाचल में स्वरोज़गार एवं रोज़गार के अवसर जुटाना।
पात्रता	गैर हिमाचली इच्छुक निवेशकों को प्रदेश में इकाई स्थापित करने हेतु तथा अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके ताकि HP Land Tenancy Act 1972 के तहत भूमि क्रय कर सके।
सहायता का ब्यौरा	सम्बन्धित उप निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग कार्यालय में जाकर अनिवार्यता प्रमाण पत्र हेतु वांछित दस्तावेज के साथ आवेदन कर, 118 की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त होटल पंजीकरण करवा सकता है।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आवेदन -की प्रति कहां से प्राप्त की जा सकती है? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सम्बन्धित उप निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग कार्यालय या https://himachaltourism.gov.in
वांछित दस्तावेज	1.जाँच सूची अनुसार 2. इसके अतिरिक्त कोई और सम्बन्धित दस्तावेज़ अधिकारी लेना चाहे।
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र अधिकारी /	सम्बन्धित उप निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग कार्यालय
जेंडर	दोनों

योजना स्कीम का सचांलन /	राज्य	**योजना का नाम :**	नई राहें नई मंजिलें

उदेश्य एवम विशेषता	हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के अनछूऐ व अनवेषित क्षेत्रों के विकास हेतु नई राहें नई मंजिलें स्कीम की योजना घोषित की गई थी, जिसके लिए मु0 50.00 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया। इस स्कीम के तहत् महत्वपूर्ण नये स्थानों को जोड़नेव/िकास हेतु वर्ष 2019-20 में पुनः मु0 50.00 करोड़ रूपये बजट के रूप में आबंटित किए गए। वर्तमान में नई राहें नई योजना के तहत् निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया हैः -

1. जंजैहली, जिला मण्डी में ईको पर्यटन व संबंधित गतिविधियां।
2. बीड़बीलिंग-, जिला कांगड़ा में पैराग्लाईडिंग, साहसिक खेल व संबंधित गतिविधियां।
3. चांशल जिला शिमला में स्कींग व संबंधित गतिविधियां।
4. तत्तापानी व लारजी डैम में जलक्रीड़ा गतिविधिया।
5. पौंग डैम क्षेत्र ईकोपर्यटन स्थलों का विकास-।
6. पौंग डैम में स्वागत कक्ष का निर्माण करना।
7. नई राहें नई मंजिलें स्कीम के तहत साहसिक खेलों में प्रशिक्षण।
8. प्रचार प्रसार नई राहें नई मंजिलें के तहत ईको टूरिज्म, जल क्रीड़ा, साहसिक खेल गतिविधियों के विकास हेतु, वन विभाग, पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवं अटल बिहारी वाजपेयी, पर्वतारोहण, खेल संस्थान मनाली को कार्यकारी एजेंसियों के रूप में चयनित किया गया है। इस स्कीम के तहत् मु0 47.00 करोड़ रूपये की विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। विभाग ने जिला कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग व साहसिक खेल, शिमला में स्कींग व संबंधित गतिविधियों हेतु तथा कुल्लू जिला में नये ईकोविस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट मांगी गई है/गंतव्य के विकास हेतु प्रस्ताव-। इसी प्रकार अन्य सभी जिलों से भी प्रस्ताव मंगवाये गए हैं ताकि अन्य अनछुए क्षेत्रों का विकास किया जा सके।

पात्रता	पर्यटन सरंचनाओं का सरंक्षण व सौन्दर्यकरण, सड़कों का सुधार, पर्यटन अधोसरंचना का विकास जैसेः पार्को - वर्षा शालिका, शौचालय,गलियारें, पगडंडियों का निर्माण,मन्दिरों का सौन्दर्यकरण, भूमि समतल करना,सरांय,सामुदायिक भवन, ट्रैकर हास्टल, जहां सम्भव हो सड़कों को चौड़ा करना, साइनेज़ और ट्रैफिक निर्देश,पार्किंग का निर्माण, डस्टबिन, लाइटिंग,ठोस अपशिष्ट प्रणाली में सुधार,कौशल विकास,कल्याण एवं स्वास्थ्य पर्यटन,सामुदायिक आधारित पर्यटन गतिविधियां उद्यमिता विकास, होमस्टे प्रबन्धन एवं संचालन, आतिथ्य सत्कार, गाइड एवं टैक्सी चालक, ग्राहक सेवा व अन्य जरूरत एवं आवश्यकतानुसार।
सहायता का ब्यौरा	राज्य की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास का विविधिकरण, रोजगार सृजन
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आवेदन की प्रति कहां से - प्राप्त की जा सकतीहै? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	पर्यटन एवं नागरिक उडडयन विभाग शिमला-9
वांछित दस्तावेज	पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का नया प्रयास
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र अधिकारी /	पर्यटन एवं नागरिक उडडयन विभाग शिमला-9
जेंडर	दोनों

योजना स्कीम का सचांलन /	केन्द्र	योजना का नाम :	स्वदेश दर्शन योजना

उदेश्य एवम विशेषता

स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत हिमालयन सर्किट का समेकित विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मु0 9976.05 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई थी। दिनांक 27-03-2019 को मु0 1995.05 लाख रूपये की राशि जो कि 20 प्रतिशत है, पहली किश्त के रूप में प्राप्त हुई। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 06-06-2019 को उक्त योजना को पुनः संशोधित करके मु0 8684.78 लाख रूपये की संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः -

1. सम्मेलन कक्ष क्यारीघाट।
2. हैलीपोर्ट शिमला।
3. डल झील धर्मशाला का सौन्दर्यकरण व विकास।
4. सौरभ कालिया वन विहार।
5. कांगड़ा विलेज़ हाॅट।
6. अन्तर्राष्ट्रीय मानक मुक्त कृत्रिम चढ़ाई की दीवार।
7. बीड़ में पैराग्लाइडिंग केन्द्र। 8. शिमला में आईस स्केटिंग रिंग।
8. भलाई माता, चम्बा में । तज ंदक ब्तंजि केन्द्र।
9. लाईट एवं साउंड शो।
10. हाटेश्वरी मंदिर, हाटकोटी का विकास।
11. सम्पूर्ण सर्किट में दिशानिर्देश बोर्ड-, गैन्ट्रीज, सीसीटीवी एवं वाईफाई सुविधा लगाना। पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के प्रमुख ईजन के रूप में स्थान देना। एक नियोजित एवं प्राथमिकता वाले तरीेके से पर्यटक क्षमता वाले सर्किट में विकसित करना। पहचाने गए क्षेत्रो में आजीविका उत्पन्न करनें के लिए देश के सांस्कृतिक विरासत मूल्य को बढावा देना। आगंतुकों की संविधा के लिए धार्मिक स्थलों पर पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करना।

पात्रता

विभिन्न पर्यटन अनुभवों के साथ विश्व स्तरीय गंतव्य के रूप में प्रदर्शित होने की सम्भावना।

सहायता का ब्यौरा

परियोजनाएं और प्रस्ताव आवश्यकता मूल्यांकन और हितधारक बातचीत के आधार पर तीन स्तर से प्रवाह कर सकते है , ये स्तर है पर्यटन मंत्रालय,केन्द्रीय एजेन्सियां, राज्य सरकारकेन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन/।

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आवेदन की प्रति कहां से - प्राप्त की जा सकतीहै? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

वांछित दस्तावेज

परियोजना रिपोर्ट

आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र अधिकारी /

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

जेंडर

दोनों

योजनास्कीम का सचांलन/	राज्य	**योजना का नाम :**	रज्जु मार्ग

उदेश्य एवम विशेषता	पर्यटन को बढावा देनें एवं रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु।
पात्रता	निजी प्रोत्साहक
सहायता का ब्यौरा	सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आवेदन की प्रति कहां से - प्राप्त की जा सकतीहै? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है?	निविदा प्रक्रिया के माध्यम से
वांछित दस्तावेज	बोली दस्तावेज डी पी आर
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र अधिकारी /	पर्यटन एवं नागरिक उडडयन विभाग शिमला-9
जेंडर	दोनों

योजना स्कीम का सचांलन /	केन्द्र	**योजना का नाम :**	हुनर से रोजगार तक

उदेश्य एवम विशेषता

सेवा प्रदाताओं के लिए "क्षमता निर्माण" की योजना के अन्तर्गत पर्यटन मंत्रालय की पहल पर निश्चित किया गया कि सरकार द्वारा प्रायोजित पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार संस्थानों, निजी पर्यटनसत्कार संस्थान आतिथ्य/,राज्य पर्यटन विकास निगम व राज्य सरकार इत्यादि को वितीय सहायता एवं कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत "हुनर से रोजगार" कार्यक्रम संचालन करवाएगी। कार्यक्रम में छोटे परन्तु गुणवता वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया जैसे

1. खाद्य और पेय पदार्थ सेवायें
2. खाद्य उत्पादन
3. बेकरी
4. ड्राइवींग कौशल
5. पत्थर की चिनाई
6. गोल्फ कैडीज
7. पर्यटक प्रशिक्षक आदि।

इस कार्यक्रम का उद्धेश्य ऐसे लोगों को दक्ष करना था जिनको रोजगार की आवश्यकता हो।

पात्रता :

1.मल्टी कुज़ीन कुक आठवी पास....
2. क्राफट बेकरआठवी पास ....
3. एफ एंड बी सेवायें दसवीं पास......स्टीवर्ड.....
4. रूम अटेन्डेन्ट पांचवी पास.....
5. फ्रंट आफिस एसोसिएट बारवीं पास....

सहायता का ब्यौरा :	चयनित उम्मीदवार को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, पूरे पाठ्यक्रम का खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आवेदन की प्रति कहां से - प्राप्त की जा सकतीहै? या किस वैब साइट से डाउनलोड की जा सकती है? :	निकटतम राज्य संचालित खाद्य शिल्प संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जहां पर पाठ्यक्रम उपलब्ध हो
वांछित दस्तावेज :	शैक्षणिक योग्यता तथा हिमाचल निवासी प्रमाण पत्र
आवदेन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र अधिकारी / :	निकटतम राज्य संचालित खाद्य शिल्प संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
जेंडर :	दोनों